भारत के
नियंत्रक – महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

राज्य के वित्त

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष

हरियाणा सरकार

विषय सूची

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ / अभ्युक्तियां
प्रस्तावना		vii
कार्यकारी सार		ix
अध्याय – 1		
राज्य सरकार के वित्त		
राज्य का प्रोफाइल	1.1	1
राज्य के संसाधन	1.2	5
राजस्व प्राप्तियां	1.3	9
पूंजीगत प्राप्तियां	1.4	13
लोक लेखा प्राप्तियां	1.5	14
संसाधनों का अनुप्रयोग	1.6	15
व्यय की गुणवत्ता	1.7	21
राजकीय व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	1.8	24
परिसम्पत्तियां एवं देयताएं	1.9	28
ऋण प्रबंध	1.10	31
राजकोषीय असंतुलन	1.11	33
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई	1.12	35
निष्कर्ष	1.13	35
सिफारिशें	1.14	36
अध्याय – 2		
वित्तीय प्रबन्धन और बजट नियंत्रण		
प्रस्तावना	2.1	37
विनियोजन लेखाओं का संक्षेप	2.2	37
वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन	2.3	38
ट्रेजरीज के कार्यचालन में देखी गई कमियां	2.4	42
योजनागत अनुमानों में कमियां	2.5	43
चयन किए गए अनुदानों की समीक्षा के परिणाम	2.6	44

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ / अभ्युक्तियां
बजट अनुमानों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब	2.7	45
निष्कर्ष	2.8	46
सिफारिशें	2.9	46
अध्याय – 3		
वित्तीय रिपोर्टिंग		
उपयोगिता प्रमाण – पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब	3.1	47
लेखाओं के अप्रस्तुतिकरण / प्रस्तुतिकरण में विलम्ब	3.2	48
प्रमाणीकरण के लिये स्वायत्त निकायों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब	3.3	48
विभाग द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रम	3.4	49
दुरूपयोग, हानियां, गबन, इत्यादि	3.5	50
लेखाओं का गलत वर्गीकरण	3.6	51
निष्कर्ष	3.7	52
सिफारिशें	3.8	52

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
1.1	राज्य प्रोफाइल	1.1 और 1.3	55
1.2	भाग क: सरकारी लेखाओं का ढांचा एवं स्वरूप भाग-ख: वित्त लेखाओं का विन्यास	प्रस्तावना	56
1.3	राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनाई गई पद्धति	प्रस्तावना	59
1.4	राज्य सरकार के वित्तों पर समय क्रम आंकड़े	1.3	60
1.5	भाग-क: वर्ष 2013-14 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार भाग-ख: 31 मार्च 2014 को राज्य सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति	1.1.1 1.9.2	62 64
1.6	वर्ष 2013-14 के लिए तेरहवें वित्त आयोग, राजकोषीय सुधार पथ तथा मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणी के अन्तर्गत निर्धारण/प्रक्षेपणों की विवरणी	1.1.1	65
1.7	अन्ततम वर्ष, जिसके लिए लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया था, में हानियों में चल रहे सांविधिक निगमों एवं सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति	1.8.3	66
1.8	विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक/अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों की सारांशित वित्तीय स्टेटमेंट	1.8.4	67
1.9	कार्यान्वयनाधीन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मूलभूत संरचना परियोजनाओं का ब्यौरा	1.8.5	68
2.1	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों, जहां प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹ 100 करोड़ से अधिक थी, की विवरणी	2.3.1	69
2.2	2013-14 के दौरान प्रावधान के बिना किए गए व्यय का ब्यौरा	2.3.4	70
2.3	उन मामलों के विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	2.3.6	72
2.4	प्रत्येक मामले में एक करोड़ से अधिक की निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन के विवरण	2.3.7	73
2.5	मार्च 2014 की समाप्ति पर ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के विवरण	2.3.8	83
2.6	वर्ष की अन्तिम तिमाही/माह में व्यय की अधिकता दर्शाने वाले ब्यौरे	2.3.9	85
2.7	वर्ष 2013-14 के लिए भुगतान के समर्थन में वाऊचरों को प्रस्तुत न करना	2.4.1	86

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
2.8	भुगतानों की प्रथम सूची-कोषालयों द्वारा प्रत्येक माह, जिससे लेखे संबंधित हैं, की 13 से 17 तारीख तक देय लेखाओं का विलंब से प्रस्तुतिकरण दर्शाने वाली विवरणी	2.4.2	87
2.9	भुगतानों की दूसरी सूची-कोषालयों द्वारा माह, जिससे लेखे संबंधित हैं (अप्रैल 2013 से मार्च 2014), के बाद के महीने की तीन से सात तारीख तक देय लेखाओं के विलंब से प्रस्तुतिकरण दर्शाने वाली विवरणी	2.4.2	89
2.10	31 मार्च 2014 को प्रतीक्षित प्लस (+) और माइनस (-) मीमोज की सूची	2.4.3	91
2.11	पेंशन/फैमिली पेंशन/डी.सी.आर.जी./कम्युटेशन के संवितरण के कारण अधिक भुगतान	2.4.5	92
2.12	उन स्कीमों के विवरण जिनके लिए बजट आउटले मूल बजट में अनुमोदित किए गए थे परंतु कार्यान्वित नहीं किए तथा संशोधित अनुमानों में आहरित कर लिए गए थे	2.5 (i)	93
2.13	उन स्कीमों का विवरण जिनके लिए संशोधित अनुमानों में प्रावधान कम किया गया था परंतु कोई व्यय नहीं किया गया	2.5 (ii)	95
2.14	उन स्कीमों के विवरण जिनके लिए अनुमोदित आउटले और संशोधित अनुमानों में प्रावधान किया गया परंतु कोई व्यय नहीं किया गया।	2.5 (iii)	96
2.15	उन स्कीमों के विवरण जहां बजट अनुमान संवर्द्धित किए गए थे परंतु व्यय मूल प्रावधान से कम था	2.5 (iv)	99
2.16	उन स्कीमों के ब्यौरे जिनके संशोधित बजट कम किए गए थे किंतु वास्तविक व्यय किए गए प्रावधान से कम था	2.5 (vi)	101
2.17	उन स्कीमों के ब्यौरे जिनमें वास्तविक व्यय प्रावधान से अधिक था	2.5 (vii)	106
2.18	उन स्कीमों के ब्यौरे जिनके लिए अनुमोदित आउटले और संशोधित अनुमानों में प्रावधान किया गया था पर किया गया व्यय रखे गए प्रावधान से काफी कम था	2.5 (viii)	107
2.19	वर्ष 2013-14 के अन्तिम तिमाही/माह में व्यय के वेग युक्त ग्रांट संख्या 15 (स्थानीय शासन) के अंतर्गत स्कीमों का विवरण	2.6.1 (i)	112
2.20	अनुदान संख्या 15 (स्थानीय शासन) के अंतर्गत स्कीमों, जिनके लिए वर्ष 2013-14 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था, के विवरण	2.6.1 (ii)	113
2.21	वर्ष 2013-14 की अंतिम तिमाही/ माह में व्यय के वेग युक्त, ग्रांट संख्या 21 (महिला एवं बाल विकास) के अंतर्गत स्कीमों के विवरण	2.6.2 (iii)	114
2.22	अनुदान संख्या 21 (महिला एवं बाल विकास) के अंतर्गत प्लान स्कीमों के विवरण, जिनमें वर्ष 2013-14 में बचतें हुई (₹ 10 लाख अथवा अधिक की बचतों वाले मामले)	2.6.2 (iv)	115

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
3.1	31 मार्च 2014 को देय, प्राप्त एवं बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के ब्यौरे	3.1	117
3.2	निकायों एवं प्राधिकरणों, जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, के नाम दर्शानेवाली विवरणी	3.2	118
3.3	स्वायत्त निकायों द्वारा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखे के प्रस्तुतिकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	3.3	124
3.4	विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखाओं के अन्तिमकरण एवं सरकारी निवेश की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी	3.4	127
3.5	दुरूपयोग, गबन इत्यादि, जहां अन्तिम कार्रवाई 30 जून 2014 को लम्बित थी, के मामलों का विभाग-वार/अवधि-वार विघटन	3.5	128
3.6	सरकारी सामग्री की चोरी तथा दुरूपयोग/हानि के मामलों के विभाग/श्रेणीवार विवरण	3.5	129
	शब्दावली		
	पारिभाषिक शब्दावली		131
	संकेताक्षरों की शब्दावली		133

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत हरियाणा राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 एवं 2 में 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त लेखाओं तथा विनियोजन लेखाओं की जांच से उठने वाले मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां शामिल हैं। जहां आवश्यक थी, वहां हरियाणा सरकार से सूचना प्राप्त की गई है।

अध्याय 3 ''वित्तीय रिपोर्टिंग'' चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशनों के अनुपालन का विहंगावलोकन तथा स्थिति को दर्शाता है।

विभिन्न विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा तथा संपादन लेखापरीक्षा के परिणामों, सांविधिक निगमों, बोर्डो एवं सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों से समायुक्त प्रतिवेदन तथा राजस्व प्राप्तियों पर प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

कार्यकारी सार

कार्यकारी सार

पृष्ठभूमि

हरियाणा सरकार के वित्तों पर यह प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 में राज्य के वित्तीय निष्पादन एवं बजट अनुमानों, वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध (वि.उ.ब.प्र.) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों का मूल्यांकन तथा सरकार की प्राप्तियों एवं वितरण की प्रमुख प्रवृत्तियों तथा संरचनात्मक प्रोफाइल का विश्लेषण करता है।

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के हरियाणा सरकार के लेखापरीक्षा किए गए लेखाओं तथा कई स्रोतों जैसे राज्य सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सर्वेक्षण तथा जनगणना से प्राप्त अतिरिक्त डाटा पर आधारित, यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं की विशलेषणात्मक समीक्षा करता है।

अध्याय – 1 वित्त लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा हरियाणा सरकार की 31 मार्च 2014 की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह प्राप्तियों तथा वितरण की टाईम सीरीज, बाजार उधारों, व्यय की गुणवत्ता, सरकारी व्यय तथा निवेश का वित्तीय विश्लेषण, ऋण संपोषण क्षमता तथा वित्तीय असन्तुलन का लेखा प्रदान करता है।

अध्याय – 2 विनियोजन लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा विनियोजनों का अनुदान वार विवरण देता है। यह वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन, ट्रेजरीज की वर्किंग में कमियां तथा चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम का विस्तृत विवरण करता है।

अध्याय – 3 हरियाणा सरकार द्वारा, विभिन्न रिपोर्टिंग अपेक्षाओं और वित्तीय नियमों की अनुपालना से संबंधित सूची है।

लेखापरीक्षा परिणाम एवं सिफारिशें

अध्याय 1

राज्य सरकार के वित्त:

राजस्व घाटा, जो 2011-12 के दौरान शून्य तक नीचे लाया जाना तथा 2014-15 तक शून्य बनाए रखना अपेक्षित था, गत वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान थोड़ा सा कम हो गया। वित्तीय मानकों अर्थात् राजस्व, वित्तीय तथा प्राथमिक घाटा जो 2012-13 में क्रमश: ₹ 4,438 करोड़, ₹ 10,362 करोड़ तथा ₹ 5,618 करोड़ था 2013-14 में क्रमश: ₹ 3,875 करोड़, ₹ 8,314 करोड़ तथा ₹ 2,464 करोड़ तक कम हो गया।

वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान (₹ 5,850 करोड़), 2012-13 से 23 प्रतिशत तक बढ़ गया तथा वित्तीय सुधार पथ (₹ 5,180 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों तथा तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा (₹ 5,314 करोड़) से उच्चत्तर था परंतु मध्यम अवधि वित्तीय नीति विवरणी में किए गए प्रक्षेपणों (₹ 6,302 करोड़) के भीतर था।

राजस्व व्यय (₹ 41,887 करोड़) कुल व्यय (₹ 46,598 करोड़) का 90 प्रतिशत था तथा नान-प्लान घटक (₹ 31,735 करोड़) राजस्व व्यय का 76 प्रतिशत था जो तेरहवें वित्त आयोग के नार्मेटिव निर्धारण (₹ 22,138 करोड़) तथा वित्तीय सुधार पथ के प्रक्षेपण (₹ 31,135 करोड़) से अधिक था।

दो विभागों के चालीस प्रोजेक्टस जो मई 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य पूर्ण किए जाने निर्धारित थे अभी भी अधूरे पड़े थे (जून 2014)। अधूरे प्रोजेक्टस में टाइम ओवररन पर नियंत्रण किए जाने की जरूरत है।

सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों तथा सहकारिताओं में सरकार के निवेशों पर औसत रिटर्न गत पांच वर्षों में 0.02 से 0.17 के मध्य था जबकि सरकार ने अपनी उधारों पर 9.22 से 9.86 प्रतिशत का औसत ब्याज भुगतान किया। 2013-14 के दौरान निवेशों का अधिकांश भाग (72 प्रतिशत) विभिन्न विद्युत कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश के रूप में किया गया।

भारत सरकार ने गत वर्ष की तुलना में ₹ 290.22 करोड़ (14 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष के दौरान राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे ₹ 2,308.06 करोड़ ट्रांसफर किए। चूंकि ये निधियां राज्य बजट के माध्यम से पारित नहीं होती, वित्त लेखे केन्द्रीय सरकार संसाधनों के राज्य में निधि प्रवाह का पूर्ण चित्र प्रस्तुत नहीं करते।

अध्याय – 2

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण:

2013-14 के दौरान, ₹ 78,118.14 करोड़ के कुल अनुदानों तथा विनियोजनों के विरूद्ध ₹ 61,250.73 करोड़ का व्यय किया गया। ₹ 17,197.08 करोड़ की बचतों तथा ₹ 329.67 करोड़ की अधिकता के कारण ₹ 16,867.41 करोड़ की समग्र बचतें थी। वर्ष 2013-14 के ₹ 329.67 करोड़ तथा 2012-13 के ₹ 428.10 करोड़ के अधिक व्यय भारत के संविधान की धारा 205 के अंतर्गत विनियमित किए जाने अपेक्षित थे।

46 मामलों में, ₹ 14,332.63 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंत में वापस किए गए। पांच मामलों में, ₹ 1,654.68 करोड़ वापस किए गए जो वास्तविक बचतों से ₹ 32.05 करोड़ अधिक थे तथा इन विभागों में अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त 15 मामलों में ₹ 13,599.30 करोड़ की बचतों में से ₹ 2,967.99 करोड़ की बचतें सरेंडर नहीं की गई। निधियों का अपर्याप्त प्रावधान तथा अनावश्यक अथवा अधिक पुनर्विनियोजन किया गया था।

12 अनुदानों के अंतर्गत 17 मुख्य शीर्षों में ₹ 3,288.63 करोड़ (37 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2014 के माह के दौरान किया गया जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्यय के वेग को दर्शाता है तथा सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 56 के प्रावधानों के विरूद्ध था।

2013-14 के दौरान ₹ 18,000 करोड़ की अनुमानित राशि के विरूद्ध प्लान व्यय केवल ₹ 15,712.16 करोड़ (87 प्रतिशत) था। ₹ 1,498.43 करोड़ के अनुमोदित प्लान परिव्यय वाली 143 स्कीमों में कोई व्यय नहीं किया गया तथा 299 स्कीमों में ₹ 7,348.08 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय के विरूद्ध ₹ 3,984.63 करोड़ का व्यय किया गया।

अध्याय – 3

वित्तीय रिपोर्टिंग:

विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान किए गए ₹ 3,691.25 करोड़ के ऋणों तथा अनुदानों के संबंध में 1,391 उपयोगिता प्रमाण पत्र 31 मार्च 2014 को बकाया थे। 114 स्वायत निकायों/प्राधिकरणों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, के 269 वार्षिक लेखे 31 जुलाई 2014 को बकाया थे। 28 स्वायत निकायों, जिनकी लेखापरीक्षा राज्यों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है, में से छः ने गत 17 वर्षों से अपने वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किए थे।

राज्य सरकार ने ₹ 1.58 करोड़ की राशि के सरकारी धन से आवेष्टित दुरूपयोग, जालसाजी इत्यादि के 137 मामले सूचित किए जिन पर जून 2014 तक अंतिम कार्यवाही की जानी लंबित थी। इनमें से 120 मामले पांच वर्षों से अधिक पुराने थे।

2013-14 के दौरान कुल व्यय का 13.96 प्रतिशत तथा कुल राजस्व प्राप्तियों का 4.10 प्रतिशत, वित्त लेखाओं में अलग से वर्णित करने के बजाय बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए थे जो वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करती है।

अध्याय–I

राज्य सरकार के वित्त

अध्याय – 1

राज्य सरकार के वित्त

प्रस्तावना

यह अध्याय 2013 – 14 के दौरान हरियाणा सरकार के वित्त के विस्तृत परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करता है तथा पिछले पांच वर्षों की समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष के संबंध में मुख्य राजकोषीय योगों में अवलोकित परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। सरकारी लेखाओं की संरचना एवं स्वरूप की ***परिशिष्ट 1.2 भाग क*** में व्याख्या की गई है तथा वित्त लेखाओं का विन्यास ***परिशिष्ट 1.2 भाग ख*** में दर्शाया गया है। राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए अपनाई गई पद्धतियां ***परिशिष्ट 1.3*** में दी गई हैं।

1.1 राज्य का प्रोफाइल

हरियाणा 21 जिलों वाला कृषिक राज्य है जिसके आठ जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा हैं। राज्य राष्ट्रीय राजधानी के निकट स्थित है। भौगोलिक क्षेत्र (44,212 वर्ग किलोमीटर) के संबंध में यह 20वां तथा जनसंख्या के संबंध में 17वां बड़ा राज्य है। राज्य की जनसंख्या एक दशक में 19.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते 2001 में 2.11 करोड़ से बढ़कर 2011 में 2.54 करोड़ हो गई। गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या की प्रतिशतता 11.16 प्रतिशत अखिल भारतीय औसत से कम थी। वर्तमान मूल्यों पर 2013 – 14 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ₹ 3,83,911 करोड़ था। राज्य की साक्षरता दर 67.91 प्रतिशत (2001 की जनगणना के अनुसार) से बढ़कर 76.64 प्रतिशत (2011 की जनगणना के अनुसार) हो गई ***(परिशिष्ट 1.1)***। राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग के अनुसार 2013 – 14 से राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹ 1,35,007 के विरूद्ध देश की औसत ₹ 74,380 है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)

स.रा.घ.उ., दी गई समय अवधि में राज्य के भीतर उत्पादित अधिकारिक रूप से मान्यताप्राप्त अंतिम पदार्थों एवं सेवाओं का बाजार मूल्य है। स.रा.घ.उ. की वृद्धि राज्य की जनसंख्या के जीवन स्तर का महत्वपूर्ण सूचक है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के स.घ.उ. तथा हरियाणा के स.रा.घ.उ. की वार्षिक वृद्धि में प्रवृत्तियां नीचे इंगित की गई हैं:

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
भारत की स.घ.उ. (₹ करोड़ में)	61,08,903	72,48,860	83,91,691	93,88,876	1,04,72,807
स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	15.18	18.66	15.77	11.88	11.54
राज्य का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	2,23,600	2,60,621	2,98,786	3,39,451	3,83,911
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	22.51	16.56	14.64	13.61	13.10

(स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा तथा केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय)

1.1.1 राजकोषीय लेन–देनों का सार

पिछले वर्ष (2012–13) की तुलना में चालू वर्ष (2013–14) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन–देनों का सार नीचे दिया गया है।

तालिका 1.1: 2013 – 14 में राजकोषीय लेन–देनों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां	2012 – 13	2013 – 14	संवितरण	2012 – 13	2013 – 14		
					गैर–योजनागत	योजनागत	कुल
भाग–क: राजस्व							
राजस्व प्राप्तियां	33,633.53	38,012.08	राजस्व व्यय	38,071.72	31,735.01	10,152.09	41,887.10
कर–राजस्व	23,559.00	25,566.60	सामान्य सेवाएं	11,896.75	13,505.73	91.58	13,597.31
कर–भिन्न राजस्व	4,673.15	4,975.06	सामाजिक सेवाएं	14,516.35	8,167.73	7,245.68	15,413.41
संघीय करों/ शुल्कों का हिस्सा	3,062.13	3,343.24	आर्थिक सेवाएं	11,556.73	9,925.37	2,814.83	12,740.20
भारत सरकार से अनुदान	2,339.25	4,127.18	सहायता अनुदान एवं अंशदान	101.89	136.18	–	136.18
भाग–ख: पूंजीगत तथा अन्य							
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	10.81	9.89	पूंजीगत परिव्यय	5,761.84	–1,132.12	5,066.72	3,934.60
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	349.38	261.85	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	521.99	282.26	493.35	775.61
लोक ऋण प्राप्तियां	15,213.54	17,604.16	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	5,951.37			7,968.47
आकस्मिक निधि	–	–	आकस्मिक निधि	–			–
लोक लेखा प्राप्तियां	22,708.90	26,548.06	लोक लेखा संवितरण	21,073.88			24,560.19
आरंभिक नकद शेष	2,161.75	2,697.11	अंतिम नकद शेष	2,697.11			6,007.18
कुल	74,077.91	85,133.15	कुल	74,077.91			85,133.15

(स्रोत: सबधितं वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

परिशिष्ट 1.5 भाग–क चालू वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ प्राप्तियों एवं संवितरणों के विवरण प्रदान करता है।

गत वर्ष से 2013–14 के दौरान राजकोषीय संपादनों में मुख्य परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

- कर राजस्व में ₹ 2,008 करोड़ (नौ प्रतिशत) तथा भारत सरकार (भा.स.) से संघीय करों एवं शुल्कों के हिस्से में ₹ 281 करोड़ (नौ प्रतिशत) की वृद्धि के कारण राजस्व प्राप्तियां ₹ 4,379 करोड़ (13 प्रतिशत) बढ़ गई। भा.स. से प्राप्त सहायता अनुदान ₹ 1,788 करोड़ (76 प्रतिशत) तथा कर–भिन्न राजस्व, 2012–13 से ₹ 302 करोड़ (छ: प्रतिशत) बढ़ गए। राज्य का अपना कर–राजस्व राजकोषीय सुधार पथ (रा.सु.प.) (₹ 28,099 करोड़) के अंतर्गत नियत लक्ष्यों, मध्यम–अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (म.अ.रा.नी.वि.) (₹ 28,784 करोड़) विवरणी में किए गए प्रक्षेपण

तथा तेरहवें वित्त आयोग (ते.वि.आ.) (₹ 26,577 करोड़) द्वारा नियत लक्ष्य से क्रमशः 9.01 प्रतिशत, 11.18 प्रतिशत तथा 3.80 प्रतिशत तक कम पड़ गया। वर्ष 2013-14 का कर-भिन्न राजस्व (₹ 4,975 करोड़) ते.वि.आ. (₹ 16,796 करोड़) द्वारा नियत लक्ष्य, रा.सु.प. में किए गए प्रक्षेपण (₹ 5,115 करोड़) तथा म.अ.रा.नी.वि. (₹ 5,162 करोड़) से क्रमशः 70.38 प्रतिशत, 2.74 प्रतिशत तथा 3.62 प्रतिशत तक कम पड़ गया ***(परिशिष्ट 1.6)***।

- 'सामान्य सेवाओं' (₹ 1,701 करोड़), 'आर्थिक सेवाओं' (₹ 1,183 करोड़) तथा 'सामाजिक सेवाओं' (₹ 897 करोड़) पर व्यय में वृद्धि के कारण राजस्व व्यय ₹ 3,815 करोड़ (10 प्रतिशत) बढ़ गया। गैर-योजनागत राजस्व व्यय (गै.यो.रा.व्य.) (₹ 31,735 करोड़), ते.वि.आ. में मानकीय आकलन (₹ 22,138 करोड़) के विरूद्ध 43.35 प्रतिशत अधिक था ***(परिशिष्ट 1.6)***।

- मुख्य शीर्ष ''4408-खाद्य भंडारण एवं भाण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय'' के अंतर्गत भारत सरकार से ₹ 1,144 करोड़ की प्राप्ति के कारण 'आर्थिक सेवाओं' पर व्यय में कमी के कारण पूंजीगत व्यय में ₹ 1,827 करोड़ (32 प्रतिशत) की कमी हुई।

- 2013-14 के दौरान ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली ₹ 88 करोड़ (25 प्रतिशत) घट गई।

- निवल लोक लेखा प्राप्तियां 2012-13 में ₹ 1,635.02 करोड़ से 2013-14 में ₹ 1,987.87 करोड़ अधिक था।

- 2013-14 की समाप्ति पर ₹ 6,007 करोड़ का नकद शेष गत वर्ष की तुलना में ₹ 3,310 करोड़ अधिक था।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

हरियाणा में राजकोषीय सुधार पथ

हरियाणा में राजस्व घाटा दूर करने तथा वित्तीय घाटे को निर्धारित सीमा में रखने के उद्देश्य से 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 6 जुलाई 2005 को राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम, 2005 लागू करके राज्य सरकार ने राजकोषीय सुधार एवं समेकन को प्राथमिकता दी। भा.स. से समय-समय पर प्राप्त दिशानिदेशों के अनुसार रा.उ.ब.प्र. अधिनियम और संशोधित किया गया था। तेरहवें वित्त आयोग ने राज्य सरकार को 2011-12 से शून्य राजस्व घाटा लक्ष्य प्राप्त करने तथा उसे 2014-15 तक बनाए रखने, वित्तीय घाटे को 2010-11 से स.रा.घ.उ. को तीन प्रतिशत तक सीमित करने तथा उसे 2014-15 तक बनाए रखने और बकाया ऋण को स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में 2011-12 में 22.6 प्रतिशत, 2012-13 में 22.7 प्रतिशत तथा 2013-14 में 22.8 प्रतिशत तक रखने की सिफारिश की।

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित बजट में प्रदान किए गए तथा राज्य के रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में यथा लक्ष्यित प्रक्षेपण से मुख्य राजकोषीय वेरियेबलज **तालिका 1.2** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.2: प्रक्षेपणों से मुख्य राजकोषीय वेरियेबलज में भिन्नताएं

राजकोषीय वेरियेबलज	2013 – 14						
	रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में यथा निर्धारित लक्ष्य	बजट में प्रस्तावित लक्ष्य	पंचवर्षीय राजकोषीय योजना / म.अ.रा.नी. में किए गए प्रक्षेपण	वास्तविक	पर वास्तविकों की भिन्नता प्रतिशतता		
					रा.उ.ब.प्र. अधिनियम के लक्ष्य	बजट के लक्ष्य	पंचवर्षीय राजकोषीय योजना / म.अ.रा.नी. के प्रक्षेपण
राजस्व घाटा (–) / सरप्लस (+) (₹ करोड़ में)	शून्य	(–) 2,443	(–) 2,121 (राजस्व प्राप्तियों का 5.58 प्रतिशत)	(–) 3,875	–	(–) 1,432 (59 प्रतिशत)	(–) 1,754 (83 प्रतिशत)
राजकोषीय घाटा / स.रा.घ.उ. (प्रतिशत में)	3	2.2	2.18	2.16	(–) 0.84	(–) 0.04	0.02
कुल बकाया ऋण का स.रा.घ.उ. से अनुपात (प्रतिशत में)	22.8	16.47	16.47	15.71	(–) 7.09	(–) 0.76	(–) 0.76

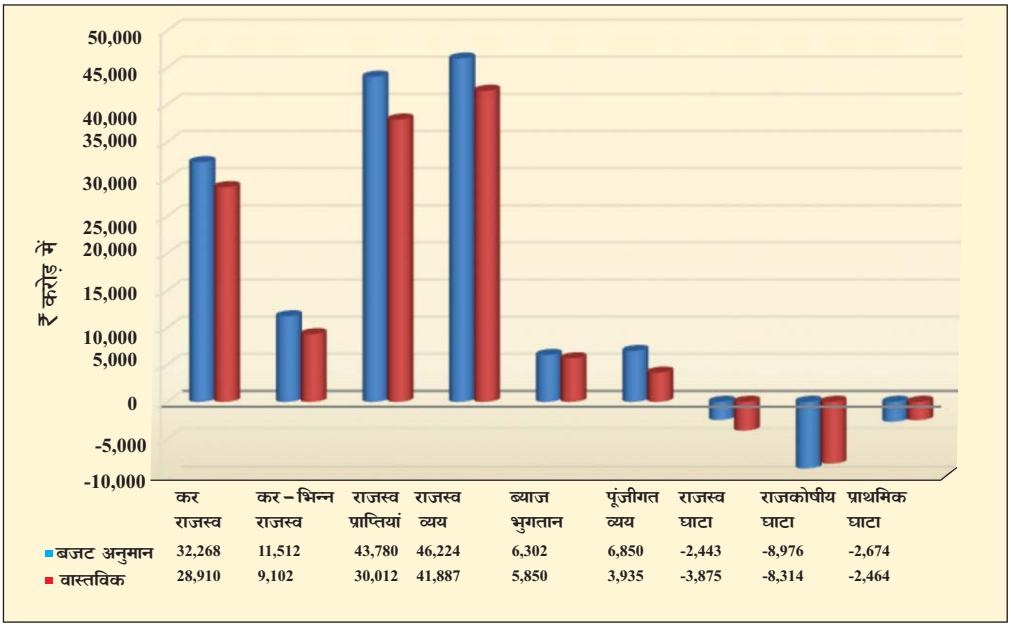
वर्ष 2013 – 14 का राजस्व घाटा (₹ 3,875 करोड़) बजट तथा म.अ.रा.नी. में किए गए प्रक्षेपणों से अधिक था किंतु राजकोषीय घाटा रा.उ.ब.प्र. अधिनियम तथा म.अ.रा.नी. के अंतर्गत निर्धारित प्रक्षेपणों के अंतर्गत था।

वर्ष 2013 – 14 में कुल बकाया उधार स.रा.घ.उ. का 15.71 प्रतिशत था जोकि रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में निर्धारित 22.8 प्रतिशत तथा बजट एवं म.अ.रा.नी.वि. लक्ष्य 16.47 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत था।

1.1.3 बजट अनुमान तथा वास्तविक

बजट दस्तावेज विशिष्ट वित्तीय वर्ष के राजस्व एवं व्यय के अनुमान प्रदान करते हैं। राजस्व एवं व्यय के अनुमान जहां तक संभव हो ठीक ढंग से बनाए जाने चाहिए ताकि विभिन्नताओं का विश्लेषण करके उचित कारणों का पता किया जा सके। कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मानकों के लिए बजट अनुमान तथा वास्तविक **चार्ट** 1.1 में दिए गए हैं।

चार्ट: 1.1: चयनित राजकोषीय मानक: 2013 – 14 के वास्तविकों की तुलना में बजट अनुमान



₹ 43,780 करोड़ की लक्ष्यित राजस्व प्राप्ति के विरूद्ध वास्तविक राजस्व प्राप्तियां ₹ 38,012 करोड़ (87 प्रतिशत) थी। भा.स. से सहायतानुदान, ₹ 6,350 करोड़ के पूर्वानुमान के विरूद्ध केवल ₹ 4,127 करोड़ (65 प्रतिशत) प्राप्त होने के कारण ₹ 11,512 करोड़ की पूर्वानुमानित प्राप्ति के विरूद्ध कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत संग्रहण केवल ₹ 9,102 करोड़ (79 प्रतिशत) था। वास्तविक राजस्व व्यय (₹ 41,887 करोड़) ₹ 46,224 करोड़ के बजट प्रावधान के अंतर्गत था। ब्याज भुगतान (₹ 5,850 करोड़) अनुमानित प्रक्षेपण (₹ 6,302 करोड़) के अंतर्गत रखे गए थे तथा मुख्य शीर्ष ''4408-खाद्य भंडारण एवं भाण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय'' के अंतर्गत भारत सरकार से ₹ 1,144 करोड़ की प्राप्ति के कारण ₹ 6,850 करोड़ के बजट अनुमान के विरूद्ध पूंजीगत व्यय ₹ 3,935 करोड़ था। राज्य सरकार अनुमानित राजस्व घाटा (₹ 2,443 करोड़) मेंटेन नहीं कर सकी क्योंकि यह ₹ 3,875 करोड़ तक बढ़ गया जबकि वित्तीय तथा प्राथमिक घाटे अनुमान के अंतर्गत थे।

1.1.4 जेंडर बजटिंग

राज्य सरकार ने बजट में महिलाओं के लिए विशिष्ट रूप से कुछ स्कीमें शुरू की हैं। उनमें से कुछ **तालिका 1.3** में वर्णित हैं।

तालिका 1.3 : महिलाओं के लिए स्कीमें – 2013 – 14 के दौरान बजट अनुमान तथा किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	स्कीम	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
1.	इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना	66.26	66.26
2.	लाडली-केवल एक लड़की/लड़कियों वाले परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम	13.49	13.49
3.	विधवा पेंशन	470.92	470.92
4.	आंगनवाड़ी वर्कज/हैल्परर्ज का बीमा	4.19	4.19
5.	अपनी बेटी अपना धन (लाडली)	50.22	50.22
6.	किशोर लड़कियों के लिए योजना	2.80	2.80
7.	घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा-कक्षों की स्थापना	0.95	0.95
8.	निराश्रय औरतों तथा विधवाओं के लिए गृह-सह प्रशिक्षण	1.44	1.44
9.	महिला सहकारिता के लिए सहायता	0.70	0.70
10.	वृद्ध, विकलांग तथा परित्यक्त महिलाओं एवं विधवाओं को पेंशन	13.53	13.53
11.	किशोर लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी स्कीम	12.39	12.39

(स्रोतः राज्य बजट 2013 – 14 तथा 2013 – 14 के विस्तृत विनियोजन लेखे)

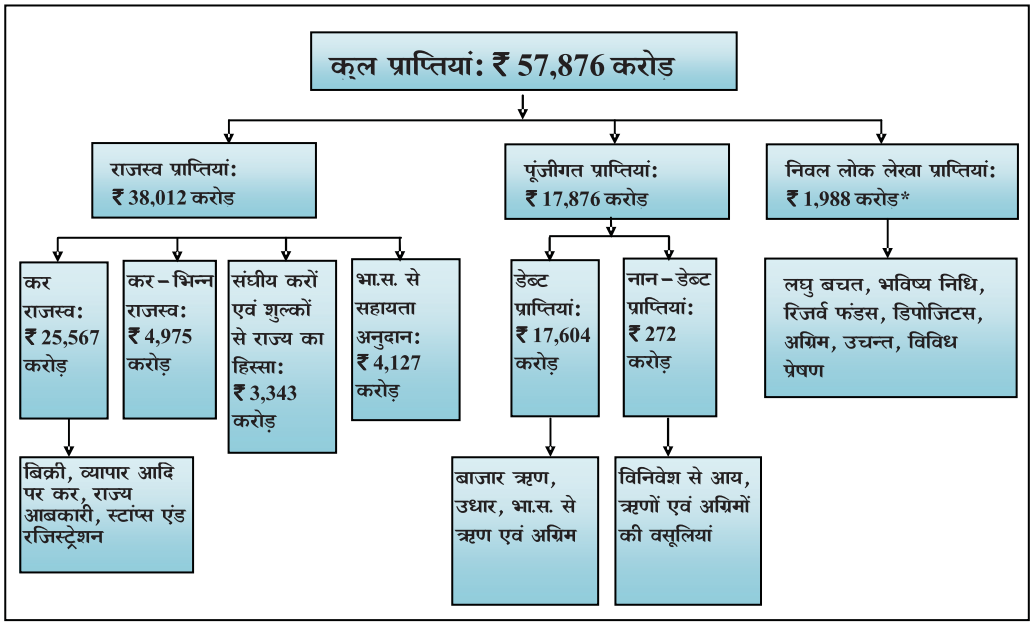
1.2 राज्य के संसाधन

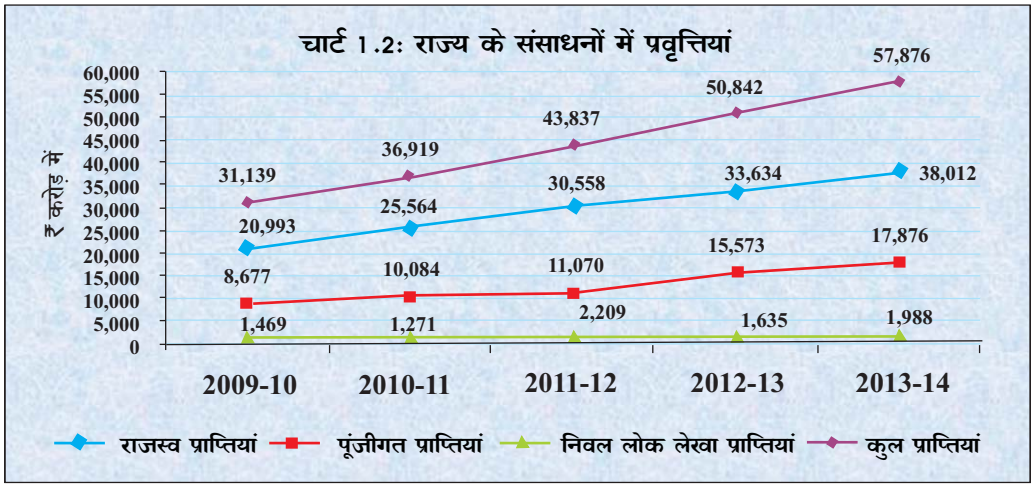
1.2.1 वित्त लेखे 2013 – 14 के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व तथा पूंजीगत, प्राप्तियों के दो स्ट्रीम हैं जो राज्य सरकार के संसाधनों का संघटन करते हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों का राज्य का हिस्सा तथा भारत सरकार (भा.स.) से सहायतानुदान शामिल होते हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेश से प्राप्ति, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों

(बाजार ऋणों, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) से उधार प्राप्तियां भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम तथा लोक लेखा से अर्जन शामिल होते हैं। **तालिका** 1.1 चालू वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करती हैं जैसा इसके वार्षिक वित्त लेखाओं में दर्ज किया गया है जबकि **चार्ट** 1.2 2009-14 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को दर्शाता है, **चार्ट** 1.3 चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों के संघटन को दर्शाता है।

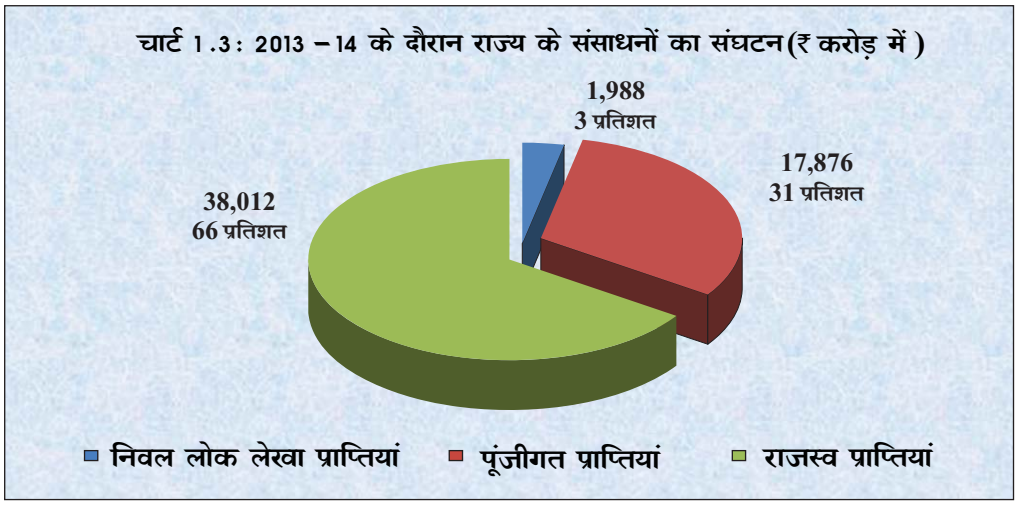
निम्नलिखित गति सारणी संसाधनों के घटक तथा उप-घटक दर्शाती है





(स्रोतः सबधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

* निवल लोक लेखा प्राप्तियां (₹ 1,988 करोड़) = लोक लेखा प्राप्तियां (₹ 26,548 करोड़) घटा: लोक लेखा सवितरण (₹ 24,560 करोड़)।



सरकार की कुल प्राप्तियां 2009 – 10 में ₹ 31,139 करोड़ से ₹ 26,737 करोड़ (86 प्रतिशत) तक बढ़कर 2013 – 14 में ₹ 57,876 करोड़ हो गई। इसी अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियां ₹ 17,019 करोड़ (81 प्रतिशत) तक बढ़ गई, पूंजीगत प्राप्तियां, जिनमें ऋणों एवं अग्रिमों तथा लोक ऋण की वसूली शामिल है, ₹ 9,199 करोड़ (106 प्रतिशत) तक बढ़ गई और निवल लोक लेखा प्राप्तियां ₹ 519 करोड़ (35 प्रतिशत) तक बढ़ गई। कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा 2009 – 10 तथा 2013 – 14 के दौरान 66 प्रतिशत ही रहा। इसी अवधि के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों का हिस्सा 5 प्रतिशत से कम होकर 3 प्रतिशत हो गया जबकि ऋण सहित पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा 28 प्रतिशत से बढ़कर 31 प्रतिशत हो गया।

1.2.2 राज्य बजट से बाहर राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित निधियां

भारत सरकार सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य के कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे ही निधियों का हस्तांतरण करती आ रही है। लेखा – महानियंत्रक के केन्द्रीय प्लान स्कीम मानीटरिंग सिस्टम (कें.प्ला.स्की.मा.प्र.) पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार 2013 – 14 के दौरान भारत सरकार ने राज्य में विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹ 3,220.41 करोड़ सीधे ट्रांसफर कर दिए। इसमें से, ₹ 912.34 करोड़[1] राज्य में भारत सरकार की कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी किए गए। राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की गई राशि ₹ 2,308.06 करोड़ थी जिसमें से ₹ 2,180.68 करोड़ की राशि राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को 27 कार्यक्रमों/स्कीमों के लिए ट्रांसफर की गई जिनमें प्रत्येक मामले में जारी राशि ₹ 10 करोड़ अथवा अधिक थी तथा ₹ 127.38 करोड़ विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी किए गए जिनमें प्रत्येक मामले में जारी राशि ₹ 10 करोड़ से कम थी (विवरण **तालिका 1.4** के अनुसार)।

[1] 1. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गांव: ₹ 12.64 करोड़, 2. राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम: ₹ 32.55 करोड़, 3. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गांव: ₹ 202.77 करोड; 4. एन.एच.पी.सी. लिमिटेड: ₹ 628.01 करोड़, 5. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गांव: ₹ 21.37 करोड़ तथा 6. एन.आई.टी. कुरूक्षेत्र: ₹ 15 करोड़।

तालिका 1.4: राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे ट्रांसफर की गई निधियां

(₹ करोड़ में)

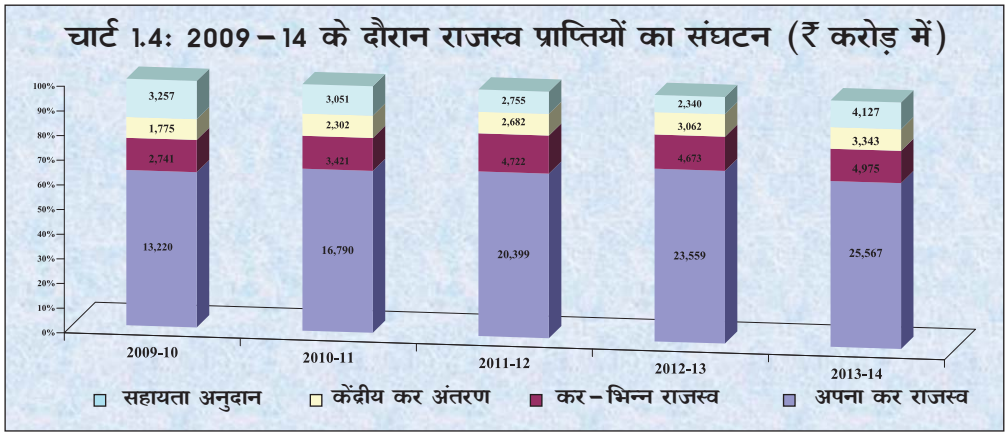
क्र. सं.	कार्यक्रम/स्कीम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसी	केंद्र का हिस्सा	
			2012-13	2013-14
1.	स्वर्ण ज्यंती ग्राम स्वरोजगार योजना	पंजीकृत सोसायटियां	24.52	10.61
2.	होटल मैनेजमैंट इंस्टीच्यूट, फूड क्राफ्ट इंस्टीच्यूट इत्यादि को सहायता	फूड क्राफ्ट इंस्टीच्यूट, फरीदाबाद तथा स्टेट इंस्टीच्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, यमुनानगर	6.00	10.19
3.	आटोनॉमस आर. एंड डी. इंस्टीच्यूशन	पंजीकृत सोसायटियां, सांविधिक निकाय	79.39	79.30
4.	बॉयोटेक सुविधाएं	पंजीकृत सोसायटियां, सांविधिक निकाय तथा स्थानीय निकाय	2.57	24.06
5.	केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	राज्य स्वच्छता अभियान हरियाणा	--	131.18
6.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी प्रशासन	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (जि.ग्रा.वि.ए.)	12.51	12.42
7.	ग्रांड चैलेंज प्रोग्राम	ट्रांसलेशन हैल्थ साईंस एंड टेक्नोलॅजी इंस्टीच्यूट तथा रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलोजी	1.45	10.41
8.	मानव संसाधन विकास (आई.एस.डी.एस.)	एपेरेल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर, मॉयलामा एक्सपोर्ट लिमिटेड, टेक्नोपार्क एडवाइजर प्राईवेट लिमिटेड	32.88	40.85
9.	संघटित वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम (सं.वा.मै.प्रो.)	स्टेट लेवल नोडल एजेंसी, हरियाणा	9.63	15.96
10.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी	मनरेगा	349.36	376.88
11.	मार्केट एक्सेस इनिशियेटिव	एपेरल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल	11.78	13.00
12.	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम (सां.स्था.क्षे.वि.स्की.)	उपायुक्त	75.00	77.50
13.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण प्रोग्राम - III	हरियाणा राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियां	16.13	15.14
14.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान	हरियाणा कृषि विकास एजेंसी, निदेशालय गेहूं अनुसंधान	46.96	42.37
15.	राष्ट्रीय बागवानी अभियान	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुड़गांव, हरियाणा राज्य बागवानी विकास एजेंसी	90.88	163.43
16.	राष्ट्रीय माइक्रो सिंचाई अभियान	राज्य माइक्रो सिंचाई कमेटी	30.00	33.00
17.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्लान	हरियाणा जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	28.54	10.00
18.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल प्रोग्राम	राज्य जल तथा स्वच्छता अभियान, हरियाणा	313.41	229.52
19.	केंदीय प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	राज्य स्वास्थ्य सोसायटी, हरियाणा	192.61	229.16
20.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद्	94.08	72.04
21.	बायोटेक्नोलॉजी अनुसंधान एवं विकास विभाग	पंजीकृत सोसायटियां, सांविधिक निकाय, राज्य सरकार पी.एस.यूज, सरकारी स्वायत्त निकाय, सरकारी संस्थाएं	12.28	20.02
22.	ग्रामीण आवास इंदिरा आवास योजना	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	63.58	98.31
23.	सर्व शिक्षा अभियान (स.शि.अ.)	हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद्	338.10	350.88
24.	निदेशालय फोरेंसिक साईंस के लिए स्कीम (सी.एफ.एस.एल.एस.)	हरियाणा पुलिस आवास निगम	--	21.32
25.	पौधारोपण तथा वन प्रबंध	राज्य वन विकास एजेंसी हरियाणा	6.41	17.94
26.	6000 माडल स्कूलों की स्थापना हेतु स्कीम	हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद्	5.60	62.18
27.	आर.एस.बी.वाई. सहित असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा	ई.एस.आई. हैल्थ केयर सोसायटी, हरियाणा	--	13.01
28.	₹ 10 करोड़ से कम रिलीज वाली अन्य स्कीमें		173.77	127.38
	कुल		**2,017.84**	**2,308.06**

(स्रोतः केंद्रीय प्लान स्कीम मॉनीटरिंग प्रणाली (कें.प्ला.स्की.मा.प्र.) सी.जी.ए. के पोर्टल से ली गई सूचना)

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन पर, यह देखा जा सकता है कि 2012-13 के विरूद्ध 2013-14 के दौरान राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे जारी की गई निधियां ₹ 290.22 करोड़ तक बढ़ गई। वृद्धि मुख्यतः केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमः ₹ 131.18 करोड़, राष्ट्रीय बागवानी अभियानः ₹ 72.55 करोड़, मॉडल स्कूलों के संस्थापन की स्कीमः ₹ 56.58 करोड़ तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियानः ₹ 36.55 करोड़ के अंतर्गत थी।

1.3 राजस्व प्राप्तियां

वित्त लेखाओं की **विवरणी** 11 सरकार की राजस्व प्राप्तियों का ब्यौरा देती है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य के अपने कर तथा कर-भिन्न राजस्व, केंद्रीय कर अन्तरण तथा भारत सरकार से सहायतानुदान शामिल होते हैं। 2009-14 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों एवं संघटकों को ***परिशिष्ट 1.4*** में प्रस्तुत किया गया है तथा **चार्ट** 1.4 में भी दर्शाया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

राज्य की राजस्व प्राप्तियां 2009 - 10 से 2013 - 14 तक की अवधि के दौरान 81 प्रतिशत तक बढ़ गई। इसी अवधि के दौरान राज्य का अपना कर राजस्व 91 प्रतिशत तक, भा.स. से सहायता अनुदान 27 प्रतिशत तक तथा केन्द्रीय कर अंतरश 88 प्रतिशत तक बढ़ गए। कुल राजस्व में राज्य के अपने राजस्व (कर राजस्व और कर - भिन्न राजस्व) का हिस्सा 2009 - 10 में 76 प्रतिशत से 2013 - 14 में 80 प्रतिशत तक बढ़ गया। भा.स. से सहायता अनुदान का हिस्सा 2009 - 10 में 16 प्रतिशत से 2013 - 14 में 11 प्रतिशत तक कम हो गया।

2004 - 05 से 2012 - 13 के दौरान 14.80 प्रतिशत तक राजस्व प्राप्तियों की कंपाऊंड वार्षिक वृद्धि दर सामान्य श्रेणी राज्यों की वृद्धि दर (16.93 प्रतिशत) से कम थी। 2004 - 05 से 2013 - 14 की अवधि हेतु यह वृद्धि दर 14.59 प्रतिशत ***(परिशिष्ट 1.1)*** थी। स.रा.घ.उ. के संबंध में राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां **तालिका** 1.5 में दर्शाई गई हैं:

तालिका 1.5: स.रा.घ.उ. के संबंध में राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व प्राप्तियां (आर.आर.) (₹ करोड़ में)	**20,993**	**25,564**	**30,558**	**33,634**	**38,012**
आर.आर. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.77	21.77	19.54	10.07	13.02
आर.आर./स.रा.घ.उ.(प्रतिशत)	9.39	9.81	10.23	9.91	9.90
उत्पलावकता अनुपात					
स.रा.घ.उ. के संबंध में राजस्व उत्पलावकता	0.753	1.315	1.334	0.740	0.994
स.रा.घ.उ. के संबंध में राज्य की स्वयं की कर उत्पलावकता	0.597	1.631	1.468	1.138	0.651
राज्यों के स्वयं के करों के संदर्भ में राजस्व उत्पलावकता	1.676	0.613	0.681	0.879	1.537
राज्य के स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	2,23,600	2,60,621	2,98,786	3,39,451	3,83,911
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	22.51	16.56	14.64	13.61	13.10

राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर, जो 2009-10 में 13.77 प्रतिशत थी 2010-11 में 21.77 प्रतिशत तक बढ़ गई परन्तु उसके बाद 2013-14 में 13.02 प्रतिशत तक घट गई। अपने कर-राजस्व के संदर्भ में राजस्व उत्पलावकता 2009-10 में 1.676 से 2013-14 में 1.537 तक घट गई।

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

चूंकि केंद्रीय करों एवं सहायता-अनुदानों में राज्य का हिस्सा वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय होता है, संसाधन जुटाने में राज्य के निष्पादन का आकलन इसके स्वयं के कर एवं कर-भिन्न स्रोतों से संयुक्त संसाधन के संदर्भ में किया जाता है।

ते.वि.आ. तथा म.अ.रा.नी. द्वारा किए गए निर्धारणों की तुलना में वर्ष 2013-14 के लिए राज्य की वास्तविक कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां **तालिका 1.6** में दी गई हैं।

तालिका 1.6: ते.वि.आ. तथा म.अ.रा.नी. द्वारा किए गए निर्धारण की तुलना में वास्तविक कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

	ते.वि.आ. प्रक्षेपण	बजट अनुमान	म.अ.रा.नि. प्रक्षेपण	वास्तविक	पर वास्तविक की प्रतिशत भिन्नता		
					ते.वि.आ. प्रक्षेपण	बजट अनुमान	म.अ.रा.नी. प्रक्षेपण
कर-राजस्व	26,577	28,784	28,784	25,567	(-) 3.80	(-) 11.18	(-) 11.18
कर-भिन्न राजस्व	16,796	5,162	5,162	4,975	(-) 70.38	(-) 3.62	(-) 3.62

राज्य के अपने कर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक संग्रहण ते.वि.आ. द्वारा किए गए प्रक्षेपणों से 3.80 प्रतिशत तथा बजट अनुमानों तथा म.अ.रा.नी. में किए गए प्रक्षेपणों से 11.18 प्रतिशत तक कम रहा। कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां ते.वि.आ. द्वारा किए गए प्रक्षेपणों से 70.30 प्रतिशत तथा बजट अनुमानों एवं म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपणों से 3.62 प्रतिशत तक कम रही।

1.3.1.1 कर राजस्व

प्रमुख करों एवं शुल्कों के संबंध में कुल संग्रहण **तालिका 1.7** में दिए गए हैं जो 2009-14 के दौरान राज्य के अपने कर राजस्व के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को दर्शाती है।

तालिका 1.7: राज्य के अपने स्रोतों के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	9,032.33(11)	11,082.01(23)	13,383.69(21)	15,376.58(15)	16,774.33(9)
राज्य उत्पाद शुल्क	2,059.02(45)	2,365.81(15)	2,831.89(20)	3,236.48(14)	3,697.35(14)
वाहनों पर कर	277.07(16)	457.36(65)	740.15(62)	887.30(20)	1,094.86(23)
स्टाम्प ड्यूटी तथा रजिस्ट्रेशन फीस	1,293.56(-2)	2,319.28(79)	2,793.00(20)	3,326.25(19)	3,202.48(-4)
भू-राजस्व	9.45(10)	10.02(6)	10.95(9)	12.98(19)	12.42(-4)
माल तथा यात्रियों पर कर	391.45(6)	387.14(-1)	429.32(11)	470.76(10)	497.45(6)
अन्य कर[2]	156.70(14)	168.75(3)	210.46(31)	248.67(18)	287.71(16)
कुल	**13,219.58(13)**	**16,790.37(27)**	**20,399.46(22)**	**23,559.02(15)**	**25,566.60(9)**

(पिछले वर्ष पर प्रतिशतता वृद्धि कोष्ठकों में दर्शाई गई है)

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

[2] अन्य करों में, कृषि भूमि के सिवाए अन्य अचल संपत्ति पर कर, विद्युत तथा कृषि आय पर कर एवं शुल्क शामिल है।

2009-14 के दौरान कर राजस्व ₹ 12,347 करोड़ (93 प्रतिशत) तक बढ़ गया। 2013-14 के दौरान स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण तथा भू-राजस्व में कमी को छोड़कर सभी प्रमुख करों एवं शुल्कों ने कर राजस्व में वृद्धि दर्ज की। बिक्री कर, राज्य आबकारी तथा वाहनों पर करों में प्रमुख वृद्धि थी।

2004-05 से 2012-13 के दौरान 15.50 प्रतिशत पर कर राजस्व की कंपाऊंड वार्षिक वृद्धि दर अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों की वृद्धि दर (16.42 प्रतिशत) से कम थी। 2004-05 से 2013-14 की अवधि हेतु यह वृद्धि दर 14.69 प्रतिशत थी ***(परिशिष्ट 1.1)***। राज्य का अपना कर राजस्व सरकार द्वारा अपने राजकोषीय सुधार पथ (रा.सु.प.) (28,099 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों तथा म.अ.रा.नी.वि. (₹ 28,784 करोड़) में प्रक्षेपण से कम था।

1.3.1.2 कर-भिन्न राजस्व

पांच वर्षों (2009-14) के दौरान कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि **तालिका 1.8** में दी गई है जोकि 2009-14 के दौरान राज्य के कर-भिन्न राजस्व के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को दर्शाती है।

तालिका 1.8: 2009-14 के दौरान कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
ब्याज प्राप्तियां	667.88(-14)	689.34(3)	864.96(25)	1,058.21(22)	1,090.71(3)
डिविडेंड तथा लाभ	9.60(16)	2.48(-74)	1.64(-34)	7.05(330)	6.49(-8)
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	2,063.91(-16)	2,729.11(32)	3,855.05(41)	3,607.89(-6)	3,877.86(7)
ए) बृहद् तथा मध्यम सिंचाई	219	202	583	139	95
बी) सड़क परिवहन	700	762	853	1,000	1,098
सी) शहरी विकास	134	975	1039	991	1,105
डी) शिक्षा	285	270	296	385	319
ई) अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	247	83	76	76	79
कुल	**2,741.39(-15)**	**3,420.93(25)**	**4,721.65(38)**	**4,673.15(-1)**	**4,975.06(6)**

(पिछले वर्ष पर प्रतिशतता वृद्धि कोष्ठकों में दर्शाई गई है)

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2009-14 के दौरान कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां ₹ 2,234 करोड़ (82 प्रतिशत) बढ़ गई। कर-भिन्न राजस्व (₹ 4,975 करोड) ने गत वर्ष पर ₹ 302 करोड़ (6.46 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज करते हुए 2013-14 के दौरान कुल प्राप्ति का 13 प्रतिशत संघटित किया।

1.3.2 भारत सरकार से सहायतानुदान

भारत सरकार से सहायतानुदान पिछले वर्ष से 2013-14 में ₹ 1,787 करोड़ बढ़ गए जैसा **तालिका 1.9** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.9: भारत सरकार से प्राप्त सहायतानुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
गैर-योजनागत अनुदान	1,617.34(209)	1,765.98(9)	1,246.51(-29)	851.62(-32)	2,256.17(165)
राज्य प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	920.37(26)	749.74(-19)	674.54(-10)	727.75(8)	856.66(18)
केंद्रीय प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	50.87(59)	87.79(73)	50.79(-42)	44.32(-13)	62.99(42)
केंद्रीय प्रायोजित स्कमों के लिए अनुदान	668.72(22)	447.11(-33)	783.09(75)	715.56(-9)	951.36(33)
कुल	**3,257.30(78)**	**3,050.62(-6)**	**2,754.93(-10)**	**2,339.25(-15)**	**4,127.18(76)**

(पिछले वर्ष पर प्रतिशतता वृद्धि कोष्ठकों में दर्शाई गई है)

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.3.3 केंद्रीय कर अंतरण

केंद्रीय कर अंतरण 2012-13 में ₹ 3,062 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹ 3,343 करोड़ हो गए जैसा **तालिका 1.10** में दिया गया है।

तालिका 1.10: 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान केंद्रीय कर अंतरण

(₹ करोड़ में)

कर का नाम	ते.वि.आ. की सिफारिशें	2012-13 के लिए वास्तविक	2013-14 के लिए वास्तविक	भिन्नता
कारपोरेशन कर	राज्यों को केंद्रीय करों की हिस्से योग्य राशि का 32 प्रतिशत	1,100.02	1,124.46	24.44
आयकर		658.56	740.43	81.87
धन कर		1.84	3.08	1.24
सीमा शुल्क		508.89	545.53	36.64
केंद्रीय उत्पाद शुल्क		345.84	385.30	39.46
सेवाकर		446.98	544.44	97.46
कुल		**3,062.13**	**3,343.24**	**281.11**

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

ते.वि.आ. ने केंद्रीय करों के राज्यों के हिस्से को 30.50 से 32 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की। तदनुसार, केंद्रीय कर (सेवा कर को छोड़कर) की निवल आय तथा सेवा कर की निवल आय में राज्य का हिस्सा क्रमश: 1.048तथा 1.064 प्रतिशत तय किया गया था। 2013-14 के दौरान प्राप्त केंद्रीय करों का हिस्सा (₹ 3,343.24 करोड़) अनुमान (₹ 3,483.90 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से ₹ 140.66 करोड़ कम था।

1.3.4 राज्य की समेकित निधि में राजस्व प्राप्तियां जमा न करना

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 (1) प्रावधान करता है कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किए गए सभी राजस्व, खजाना बिल जारी करके सरकार द्वारा उठाए गए सभी ऋण, ऋण या अर्थोपाय अग्रिम तथा ऋणों के पुनर्भुगतान में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन ''राज्य की समेकित निधि'' नामक समेकित निधि के रूप में होंगे। तेरहवें वित्त आयोग ने भी लोक व्यय को बजट एवं विधान सभा के प्राधिकार से बाहर परिचालित करने की प्रवृत्ति पर चिंता प्रकट की।

राज्य सरकार ने कृषीय उत्पादन को बढ़ाने तथा इसकी बिक्री को सुधारने के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 के अंतर्गत हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड का गठन किया। इस अधिनियम की धारा 5(1) के अंतर्गत अधिसूचित बाजार क्षेत्र में कृषीय उत्पाद की खरीद या बिक्री एवं प्रोसेसिंग के लिए लाने पर दो प्रतिशत की दर से एड-वालोरेम आधार पर फीस उद्गृहीत की जाती है। इस प्रकार, एकत्रित राशि मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विकास, डिस्पेंसरियों की स्थापना, जलापूर्ति एवं स्वच्छता के प्रबंध करने, गोदामों के निर्माण इत्यादि के संबंध में बोर्ड द्वारा खर्च की जाती है।

निधि के अंतर्गत 2011-13 के दौरान प्राप्तियां ₹ 929.53 करोड़ थी तथा ₹ 540.02 करोड़ का व्यय किया गया। मामला वित्त विभाग के पास भेजा गया था (अक्तूबर 2014); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2014)।

चूंकि ये निधियां वार्षिक बजट प्रस्तावों में शामिल नहीं की गई थी अत: विधान सभा के पास ऐसी निधियों पर नियंत्रण रखने का कोई अवसर नहीं था।

1.3.5 ते.वि.आ. अनुदान

वर्ष 2013 - 14 के दौरान ते.वि.आ. की सिफारिशों को पूरा करने के लिए बनाए गए बजट अनुमान तथा किए गए व्यय **तालिका** 1.11 में दिए गए हैं।

तालिका 1.11: ते.वि.आ. की सिफारिशों के विरूद्ध लागत तथा व्यय के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	विभाग का नाम	स्कीम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय	संशोधित परिव्यय से वास्तविक व्यय की प्रतिशतता
1	वन	वनों का संरक्षण	2.20	2.09	2.09	95
2	प्रारंभिक शिक्षा	प्रारंभिक शिक्षा	49.00	49.00	49.00	100
3	स्वास्थ्य सेवाएं	स्वास्थ्य मूलभूत संरचना का विकास	50.00	50.00	50.00	100
4	जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग	शिवालिक तथा दक्षिणी हरियाणा	75.00	69.68	68.75	99
5	स्वास्थ्य (आई.एम. आर.)	शिशु मृत्यु दर कम करना	12.22	12.22	12.22	100
6	जन स्वास्थ्य	नाल्ला में मेवात मैडीकल कालेज का निर्माण	25.00	19.10	19.10	100
7	आई.टी.आई.	मेवात क्षेत्र में प्रशिक्षण मूलभूत संरचना का विकास	25.00	23.39	24.23	104
8	स्वास्थ्य (चिकित्सा शिक्षा)	चिकित्सा सुविधाओं का विकास	40.00	25.00	25.00	100
	कुल		**278.42**	**250.48**	**250.39**	

(स्रोतः वित्त विभाग द्वारा आपूरित आंकड़े)

उपर्युक्त आठ स्कीमों में वास्तविक व्यय ते.वि.आ. की ₹ 250.48 करोड़ की सिफारिशों के विरूद्ध 2013 - 14 के दौरान ₹ 250.39 करोड़ था।

1.4 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में ऋणों की वसूलियां तथा उधार अग्रिमों की प्राप्तियां (आंतरिक एवं भा.स.) तथा विविध पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। पांच वर्षों (2009 - 14) के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों के विवरण **तालिका** 1.12 में दिए गए हैं।

तालिका 1.12: प्राप्तियों की वृद्धि एवं गठन में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
पूंजीगत प्राप्तियां (सी.आर.)	**8,677.60**	**10,083.78**	**11,070.19**	**15,573.73**	**17,875.90**
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	9.39	8	9.24	10.81	9.89
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	212.84	233.05	294.12	349.38	261.85
लोक ऋण प्राप्तियां	8,455.37	9,842.73	10,766.83	15,213.54	17,604.16
पिछले वर्ष पर वृद्धि की दर (प्रतिशम)					
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों का	117	16	9	41	16
गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों का	(-) 38	8	26	19	(-) 25
स.रा.घ.उ. का	22.51	18.53	16.06	14.90	13.10
पूंजीगत प्राप्तियों का	104	16	10	41	15

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.4.1 विनिवेश से आय

वर्ष 2013-14 के दौरान पूंजीगत विनिवेश से कुल आय ₹ 9.89 करोड़ थी जो पिछले वर्ष (₹ 10.81 करोड़) से 8.51 प्रतिशत कम हैं।

1.4.2 ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां

वर्ष के दौरान ₹ 261.85 करोड़ के ऋण एवं अग्रिमों की वसूली की गई थी। इनमें से ₹ 207.89 करोड़ सरकारी कर्मचारियों द्वारा पुनर्भुगतान किए गए थे। 31 मार्च 2014 को ₹ 3,262.08 करोड़ की कुल बकाया राशि में से मात्र ₹ 53.96 करोड़ अन्य संस्थाओं से वूसल किए गए थे जो बकाया ऋणों की वसूली हेतु राज्य सरकार के कमजोर प्रयासों को दर्शाता है।

1.4.3 आंतरिक स्रोतों से उधार प्राप्तियां

2013-14 के दौरान आंतरिक उधार प्राप्तियों के रूप में ₹ 17,262.69 करोड़ की राशि प्राप्त की गई थी जो पिछले वर्ष से ₹ 2,100.30 करोड़ (13.85 प्रतिशत) अधिक थी। बाजार ऋणों के रूप में ₹ 11,446.18 करोड़ के ऋण, वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों से ₹ 5,249.91 करोड़ तथा राष्ट्रीय लघु बचत कोष से ₹ 566.60 करोड़ 2013-14 के दौरान उठाए गए थे।

1.4.4 भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम

भारत सरकार से कुल ऋण एवं अग्रिम 2012-13 में ₹ 1,977.73 करोड़ से ₹ 173.08 करोड़ बढ़कर 2013-14 में ₹ 2,150.81 करोड़ हो गए थे। भारत सरकार से ₹ 341.47 करोड़ के ऋण प्राप्त किए गए थे तथा वर्ष के दौरान ₹ 168.39 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया था।

1.5 लोक लेखा प्राप्तियां

लघु बचतों, भविष्य निधियों, रिजर्व फंडस, डिपोजिटस, सस्पेंस, प्रेषण इत्यादि जैसे कुछ निश्चित लेन-देनों, जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होते, के संबंध में प्राप्तियों एवं संवितरणों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अनुसार लोक लेखा के अंतर्गत रखा जाता है तथा राज्य विधान सभा द्वारा वोट के अधीन नहीं है। लोकलेखा के विभिन्न खंडों के अंतर्गत प्राप्तियों एवं संवितरणों की प्रवृत्तियां **तालिका 1.13** में दी गई हैं।

तालिका: 1.13 : 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों एवं संवितरणों में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	लोक लेखा प्राप्तियां		लोक लेखा से संवितरण		संवितरणों पर प्राप्तियों का आधिक्य	
	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14
ए) लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	2,310.94	2,498.81	1,852.98	1,777.82	457.96	720.99
बी) आरक्षित निधि	666.68	511.50	106.01	60.20	560.67	451.30
सी) जमा	13,104.52	15,621.07	12,507.55	14,534.64	596.97	1,086.43
डी) अग्रिम	45.38	24.43	45.30	24.43	0.08	--
ई) उचंत तथा विविध	652.76	371.03	560.82	641.64	91.94	(-) 270.61
एफ) प्रेषण	5,928.62	7,521.22	6,001.22	7,521.46	(-) 72.60	(-) 0.24
कुल	**22,708.90**	**26,548.06**	**21,073.88**	**24,560.19**	**1,635.02**	**1,987.87**

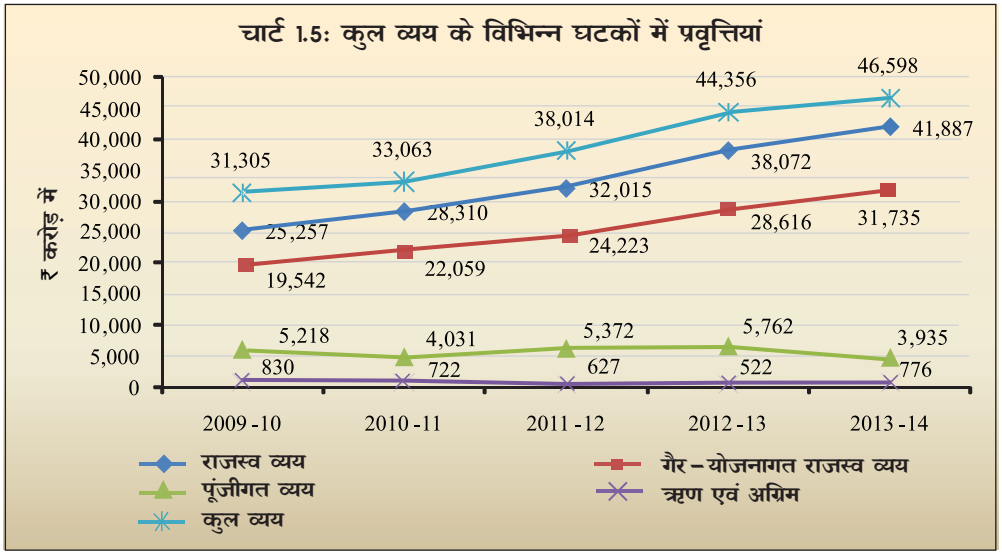
(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.6 संसाधनों का अनुप्रयोग

संसाधनों के अनुप्रयोग के विश्लेषण, विभिन्न शीर्षों जैसे व्यय की वृद्धि एवं संघटन, राजस्व व्यय, प्रतिबद्ध व्यय, वेतन, ब्याज भुगतान, सबसीडियों, पेंशन भुगतान पर व्यय तथा फ्लैगशिप स्कीमों पर व्यय के अंतर्गत अनुवर्ती अनुच्छेदों में किए जाते हैं।

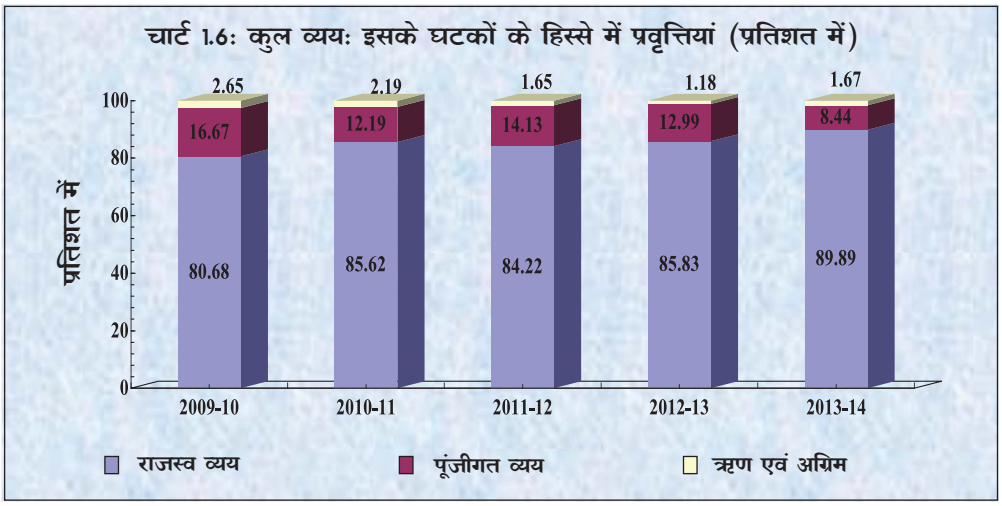
1.6.1 व्यय की वृद्धि एवं संघटन

चार्ट 1.5 गत पांच वर्षों (2009 - 14) की अवधि के कुल व्यय प्रस्तुत करता है तथा वर्ष 2009 - 10 से 2013 - 14 के लिए 'आर्थिक वर्गीकरण' एवं 'कार्यकलापों द्वारा व्यय' दोनों के संदर्भ में इसका संघटन क्रमश: **चार्ट 1.6 एवं 1.7** में प्रदर्शित किया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।)

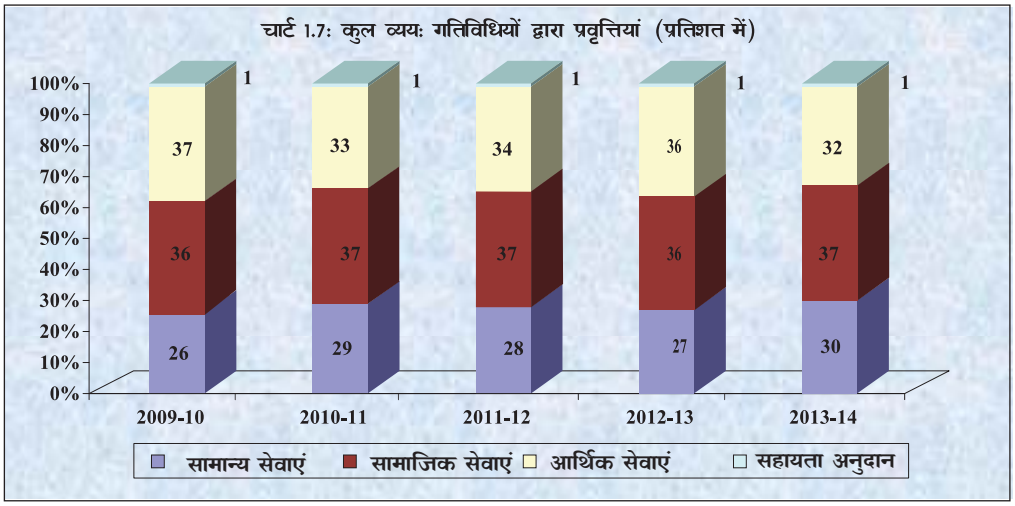
पांच वर्षों (2009 - 14) की अवधि में कुल व्यय 49 प्रतिशत बढ़ गया। यह पिछले वर्ष से 5.05 प्रतिशत बढ़ गया। प्लान तथा नॉन-प्लान व्यय का हिस्सा 34 प्रतिशत तथा 66 प्रतिशत के अनुपात में था। इस अवधि के दौरान, राजस्व व्यय 66 प्रतिशत बढ़ गया और पूंजीगत व्यय 25 प्रतिशत घट गया। 2009 - 10 से 2013 - 14 की अवधि के दौरान ऋणों और अग्रिमों का संवितरण भी 6.51 प्रतिशत तक घट गया।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा 2009-10 में 80.68 प्रतिशत से 2013-14 में 89.89 प्रतिशत तक बढ़ गया जबकि कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा 2009-10 में 16.67 प्रतिशत से 2013-14 में 8.44 प्रतिशत तक घट गया तथा संवितरित ऋणों एवं अग्रिमों का हिस्सा भी 2009-10 में 2.65 प्रतिशत से घटकर 2013-14 में 1.67 प्रतिशत हो गया। कुल व्यय से गै.यो.रा.व्य. का अनुपात 2009-10 में 62.42 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 68.10 प्रतिशत हो गया। स.रा.घ.उ. से गै.यो.रा.व्य. का अनुपात 2009-10 में 8.74 प्रतिशत से घटकर 2013-14 में 8.26 प्रतिशत हो गया।

चार्ट 1.7: कुल व्यय: गतिविधियों द्वारा प्रवृत्तियां (प्रतिशत में)



व्यय के विभिन्न घटकों के संबंधित हिस्सों के चलन ने प्रकट किया कि जबकि ब्याज भुगतानों तथा सामाजिक सेवाओं सहित सामान्य सेवाओं का हिस्सा 2009-10 में क्रमश: 26 तथा 36 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में क्रमश: 30 तथा 37 प्रतिशत हो गया, आर्थिक सेवाओं का हिस्सा 2009-10 में 37 प्रतिशत से कम होकर 2013-14 में 32 प्रतिशत हो गया जबकि उसी अवधि में सहायतानुदान का हिस्सा समान रहा। सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं का संयुक्त हिस्सा, जिससे विकास व्यय निरूपित किया है, भी 2009-10 में 73 प्रतिशत से कम होकर 2013-14 में 69 प्रतिशत हो गया।

1.6.2 राजस्व व्यय

तालिका 1.14 पांच वर्षों (2009-14) के राजस्व व्यय की वृद्धि प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.14: राजस्व व्यय की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व व्यय	25,257	28,310	32,015	38,072	41,887
वृद्धि दर (प्रतिशत)	23	12	13	19	10
स.रा.घ.उ. से प्रतिशतता	11	11	11	11	11
गैर-योजना राजस्व व्यय (गै.यो.रा.व्य.)	19,542	22,059	24,223	28,616	31,735
राजस्व व्यय गै.यो.रा.व्य. की प्रतिशतता	77	78	76	75	76

2009-14 के दौरान राजस्व व्यय 10 तथा 23 प्रतिशत के मध्य रही वृद्धि दर के साथ ₹ 16,630 करोड़ (66 प्रतिशत) बढ़ गया किंतु इसी अवधि के दौरान स.रा.घ.उ. से इसकी प्रतिशतता लगभग 11 प्रतिशत पर स्थिर रही।

राजस्व व्यय वर्ष 2012 - 13 में ₹ 38,072 करोड़ से 10 प्रतिशत बढ़कर 2013 - 14 में ₹ 41,887 करोड़ हो गया। मुख्यत: पेंशनों (₹ 533 करोड़) तथा ब्याज भुगतानों (₹ 1,106 करोड़) पर अधिक व्यय के कारण सामान्य सेवाओं पर व्यय ₹ 1,700 करोड़ तक बढ़ गया। मुख्यत: ग्रामीण विकास (₹ 437 करोड़), परिवहन (₹ 270 करोड़) तथा कृषि एवं सिंचाई (₹ 243 करोड़) पर व्यय के कारण आर्थिक सेवाओं पर व्यय ₹ 1,183 करोड़ तक बढ़ गया। गत वर्ष की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर भी व्यय मुख्यत: शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 350 करोड़), समाज कल्याण एवं पोषण (₹ 270 करोड़) तथा जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास (₹ 152 करोड़) पर अधिक व्यय के कारण ₹ 897 करोड़ तक बढ़ गया। राजस्व व्यय के गै.यो.रा.व्य. (76 प्रतिशत) तथा योजनागत राजस्व व्यय (यो.रा.व्य.) (24 प्रतिशत) में विघटन ने दर्शाया कि गै.यो.रा.व्य. का अनुपातिक हिस्सा यो.रा.व्य. से बहुत अधिक था। राजस्व व्यय में ₹ 3,815 करोड़ की कुल वृद्धि में गै.यो.रा.व्य. और यो.रा.व्य. के क्रमश: ₹ 3,119 करोड़ और ₹ 696 करोड़ शामिल थे।

2013 - 14 में ₹ 31,735 करोड़ का गै.यो.रा.व्य., ते.वि.आ. के मानकी निर्धारण (₹ 22,138 करोड़), रा.सु.प. के प्रक्षेपण (₹ 31,135 करोड़) से अधिक था परंतु सरकार द्वारा इसके म.अ.रा.नी.वि. के प्रक्षेपण (₹ 32,420 करोड़) से थोड़ा कम था ***(परिशिष्ट 1.6)***।

1.6.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यत: ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशनों तथा सबसीडियों पर व्यय शामिल हैं। 2009 - 14 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्तियों को **तालिका 1.15** एवं **चार्ट 1.8** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.15: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वेतन एवं मजदूरियां जिसका है	8,440 (40)	9,809 (38)	9,960 (33)	11,464 (34)	11,970	11,816* (31)
गैर - योजनागत शीर्ष	7,746	8,974	9,070	10,280	10,665	10,374
योजनागत शीर्ष**	694	835	890	1,184	1,305	1,442
ब्याज भुगतान	2,737 (13)	3,319 (13)	4,001 (13)	4,744 (14)	5,992	5,850 (15)
पेंशनों पर व्यय	2,390 (11)	3,094 (12)	3,204 (10)	3,636 (11)	4,047	4,169 (11)
सबसीडिज	3,089 (15)	3,285 (13)	3,853 (13)	5,454 (16)	5,200	5,681 (15)
कुल	**16,656**	**19,507**	**21,018**	**25,298**	**27,209**	**27,516**

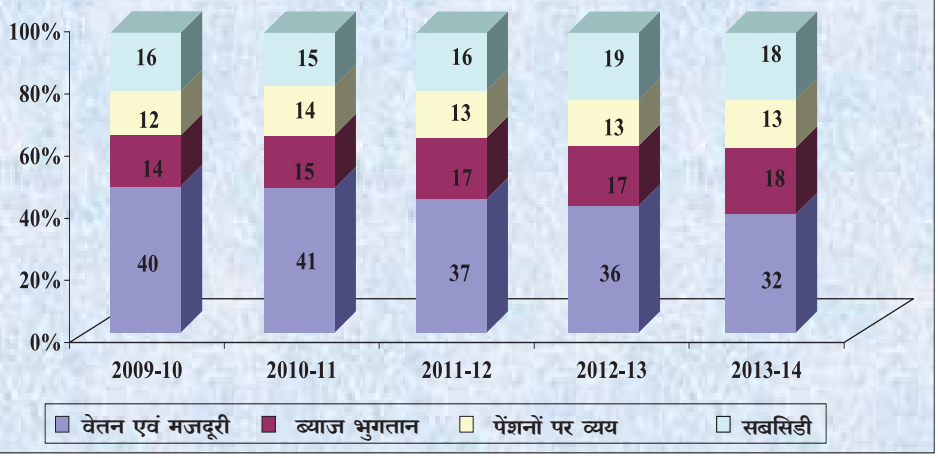
(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्रदत्त सूचना)।

नोट: कोष्ठकों में दर्शाए गये आंकड़े राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता इंगित करते हैं।

* ₹ 140.14 करोड़ की मजदूरियां शामिल हैं।

** योजनागत शीर्ष में केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत दिये गये वेतन एवं मजदूरियां भी सम्मिलित हैं।

चार्ट 1.8: 2009 – 14 के दौरान गैर – योजनागत राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा (प्रतिशत में)



वेतन, ब्याज एवं पेंशन भुगतानों पर कुल व्यय (₹ 21,695 करोड़) सरकार द्वारा इसके रा.सु.प. (₹ 20,250 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से ₹ 1,445 करोड़ (सात प्रतिशत) अधिक था तथा ते.वि.आ. में प्रक्षेपित 36 प्रतिशत के विरूद्ध राजस्व प्राप्तियों का 57 प्रतिशत उपयुक्त किया। चार घटकों अर्थात् वेतन एवं मजदूरी, ब्याज, पेंशन भुगतान तथा सबसिडी में 2013 – 14 के दौरान गै.यो.रा.व्य. का लगभग 87 प्रतिशत संघटित किया।

वेतनों पर व्यय

2009 – 10 से 2013 – 14 के दौरान वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय (₹ 11,816 करोड़) 40 प्रतिशत बढ़ गया। 2004 – 05 से 2012 – 13 के दौरान वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय की कंपाऊंड वार्षिक विकास दर 15.13 प्रतिशत थी, जो सामान्य श्रेणी राज्यों की वृद्धि दर (₹ 14.73 प्रतिशत) से अधिक थी। 2004 – 2005 से 2013 – 14 की अवधि हेतु यह वृद्धि दर 13.71 प्रतिशत तक घट गई ***(परिशिष्ट 1.1)***। वेतनों पर व्यय (₹ 11,676 करोड़) राज्य के अपने रा.सु.प. (₹ 10,990 करोड़), ते.वि.आ. के निर्धारण (₹ 7,687 करोड़) से अधिक था किंतु म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपण (₹ 12,792 करोड़) से कम था ***(परिशिष्ट 1.6)***।

ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान (₹ 5,850 करोड) पांच वर्ष (2009 – 14) की अवधि में 114 प्रतिशत बढ़ गया। गत वर्ष की तुलना में 2013 – 14 के दौरान ₹ 1,106 करोड़ (23 *प्रतिशत*) की वृद्धि थी। राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान की प्रतिशतता 2009 – 10 में 13 प्रतिशत से बढ़कर 2013 – 14 में 15.39 प्रतिशत हो गई। 2013 – 14 के दौरान ब्याज भुगतान सरकार द्वारा अपने रा.सु.प. में किए गए प्रक्षेपणों (₹ 5,180 करोड़) और ते.वि.आ. द्वारा किए गए निर्धारण (₹ 5,314 करोड़) से अधिक थे किंतु म.अ.रा.नी.वि. के प्रक्षेपणों (₹ 6,302 करोड़) के अंतर्गत रही ***(परिशिष्ट 1.6)***।

सबसिडीज़

सबसिडीज़ पर भुगतान 2009 - 10 में ₹ 3,089 करोड़ से ₹ 2,592 करोड़ (84 प्रतिशत) बढ़कर 2013 - 14 में ₹ 5,681 करोड़ हो गया, जो राजस्व प्राप्तियों का 15 प्रतिशत था। ₹ 5,681 करोड़ के कुल सबसिडीज़ में से ₹ 5,206 करोड़ (92 प्रतिशत) विद्युत एवं ऊर्जा क्षेत्रों के लिए थे। बिजली एवं ऊर्जा क्षेत्र को कुल सबसिडीज़ रा.सु.प. में प्रक्षेपण (₹ 4,020 करोड़) से अधिक था ***(परिशिष्ट 1.6)***।

सबसिडीज़ आंशिक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं क्योंकि इनमें अप्रत्यक्ष सबसिडीज़ शामिल नहीं हैं। 2013 - 14 के दौरान प्रदान किए गए कुछ अप्रत्यक्ष सबसिडीज़ **तालिका 1.16** में दिए गए हैं।

तालिका 1.16: कुछ अप्रत्यक्ष सबसिडीज़ के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	स्कीम/सबसिडी	बजट अनुमान	व्यय
1.	मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रीएंट डैफीशिएंसी मैनेज करने की स्कीम	5.83	1.62
2.	फसलों की विविधता के प्रोत्साहन की स्कीम	11.00	4.98
3.	मिट्टी स्वास्थ्य एवं उर्वरता के प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना	3.00	0.15
4.	जल बचाव प्रौद्योगिकी को अपनाने पर सहायता प्रदान करने की स्कीम	12.75	7.13
5.	हरियाणा में एकीकृत बागवानी विकास की स्कीम	7.50	6.74
6.	बागवानी क्षेत्र में उन्नत अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी के प्रोमोशन की स्कीम	4.45	2.84
7.	माईक्रो इरीगेशन	42.50	33.38
8.	हाई - टैक डेरी इकाइयों की स्थापना के लिए स्कीम	4.00	2.16
9.	सहकारी बैंकों द्वारा अग्रिम दिए गए लघु अवधि ऋणों पर ब्याज की दर पर छूट	18.00	29.21
10.	हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को सहायता	107.00	107.00
11.	ग्रामीण आवास स्कीम के अंतर्गत मकानों के निर्माण के लिए ऋण	3.92	2.74
12.	सभी सहकारी चीनी मिलों को ऋण का एकमुश्त निपटान	150.00	150.00

(स्रोत: विस्तृत विनियोजन लेखे)

पेंशन भुगतान

2009 - 10 से 2013 - 14 की अवधि के दौरान पेंशन भुगतान (₹ 4,169 करोड़) 74 प्रतिशत तक बढ़ गई परन्तु राजस्व प्राप्तियों से इसकी प्रतिशतता इस अवधि के दौरान लगभग स्थिर रही। 2013 - 14 में पेंशन भुगतानों पर व्यय ते.वि.आ. द्वारा किए गए आकलनों (₹ 2,581 करोड़) तथा सरकार द्वारा ₹ 4,080 करोड़ के अपने रा.सु.प. में किए गए प्रक्षेप ों से अधिक था ***(परिशिष्ट 1.6)***। 1 जनवरी 2006 से राज्य द्वारा पेंशन देयताओं की बढ़ोतरी को पूरा करने के लिए एक नई अंशदायी पेंशन स्कीम आरम्भ की गई थी।

फ्लैगशिप स्कीमें: व्यय की स्थिति

फ्लैगशिप स्कीमें, राष्ट्र के इनक्लुसिव विकास की ओर भारत सरकार की प्रतिबद्धता का संपूर्ण एवं विवेचनात्मक भाग हैं। केंद्रीय सरकार, हरियाणा सरकार के मंत्रालयों, उनकी फंक्शनरीज तथा विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर - सरकारी संगठनों द्वारा फ्लैगशिप स्कीमों के लिए 2013 - 14 के दौरान **तालिका 1.17** में दर्शाई गई राशियां जारी की गई थी।

तालिका 1.17: हरियाणा में कार्यान्वित फलैगशिप स्कीमों के अतंर्गत निधियों की उपलब्धता की तुलना में व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	आरंभिक शेष	से प्राप्त निधियां			कुल	व्यय	उपलब्ध निधियों से व्यय की प्रतिशतता
			भारत सरकार	राज्य का हिस्सा	आरंभिक शेष सहित अन्य स्रोत			
1	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	98.74	313.48	101.64	10.02	523.88	423.77	81
2	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	25.50	339.19	37.69	11.99	414.37	380.61	92
3	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	41.18	49.75	70.00	33.89	194.82	158.88	82
4	इन्दिरा आवास योजना	11.96	98.31	24.81	2.44	137.52	104.55	76
5	सर्व शिक्षा अभियान	87.00	350.88	237.94	4.80	680.62	602.37	89
6	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	82.12	215.83	355.00	--	652.95	711.78	109
7	मिड-डे-मील स्कीम	20.20	197.20	72.95	--	290.35	219.24	76
8	एकीकृत बाल विकास सेवाएं स्कीम	29.11	285.75	88.21	--	403.07	336.16	83
9	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	8.02	--	--	28.30	36.32	23.01	63
10	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	(-)59.60	--	74.00	135.28	149.68	101.08	68
11	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	10.99	3.63	--	1.84	16.46	5.57	34

(स्रोत: वित्तीय लेखे एवं संबंधित विभागों से प्राप्त सूचना।)

इंदिरा आवास योजना, मिड-डे मील, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना तथा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत उपलब्ध निधियों की उपयोगिता 63 तथा 76 प्रतिशत के मध्य थी तथा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत उपयोगिता केवल 34 प्रतिशत थी।

1.6.4 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को अनुदानों एवं ऋणों के माध्यम से दी गई सहायता की प्रमात्रा **तालिका 1.18** में दी गई है।

तालिका 1.18: स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14		
					बजट अनुमान	वास्तविक	भिन्नता की प्रतिशतता
शिक्षा संस्थाएं (सहायतित स्कूल, सहायतित कालेज, विश्वविद्यालय आदि)	446.03	741.79	648.39	1,140.09	1,215.85	783.66	(-) 36
नगर निगम तथा नगरपालिकाएं	306.24	291.43	894.67	1,274.01	1,125.30	1,120.80	0
जिला परिषद और अन्य पंचायती राज संस्थाएं	366.26	267.83	722.40	882.65	977.52	1,263.49	29
विकास अभिकरण	333.48	388.23	480.96	450.65	461.89	523.36	13
अस्पताल तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाएं	125.79	211.97	357.67	580.02	610.40	518.83	(-) 15
अन्य	368.89	322.21	201.92	320.53	426.06	329.53	(-) 23
कुल	**1,946.69**	**2,223.46**	**3,306.01**	**4,647.95**	**4,817.02**	**4,539.67**	**(-) 6**
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता	8	8	10	12		11	

(स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित)

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता 2009 - 10 में ₹ 1,946.69 करोड़ से 2013 - 14 के दौरान राजस्व व्यय का 11 प्रतिशत संघटित करते हुए ₹ 4,539.67 करोड़ तक बढ़ गई परंतु शैक्षिक संस्थाओं (₹ 356.43 करोड़), नगर निगमों तथा नगरपालिकाओं (₹ 153.21 करोड़) तथा अस्पतालों एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाओं (₹ 61.19 करोड) को सहायता में कमी के कारण गत वर्ष की तुलना में ₹ 108.28 करोड़ (2.33 प्रतिशत) घट गई। यह जिला परिषद् को ₹ 380.84 करोड़ तथा विकास एजेंसियों को ₹ 72.71 करोड़ की वृद्धि द्वारा प्रतिसंतुलित थी। ₹ 4,817.01 करोड़ के अनुमानित प्रावधान के विरूद्ध, ₹ 4,539.67 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। बजट अनुमान की तुलना में शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पतालों तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाओं एवं अन्य पंचायती राज संस्थाओं को वास्तविक सहायता में कमी की रेंज 15 और 36 प्रतिशत के मध्य क्रमबद्ध रही।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक मूलभूत संरचनाओं की उपलब्धता सामान्यत: इसके व्यय की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। व्यय की गुणवत्ता के सुधार में मूलत: तीन पहलू सम्मिलित होते हैं अर्थात् व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रावधान); व्यय की कुशलता (प्रयोग) तथा इसकी प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं के लिये परिव्यय - परिणाम संबंधों का आकलन)।

1.7.1 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

मानवीय विकास बढ़ाने के लिये राज्यों द्वारा मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर उनका व्यय बढ़ाना अपेक्षित है। **तालिका 1.19** विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र पर व्यय तथा पूंजीगत व्यय से संबंधित सरकार की 2013 - 14 के दौरान राजकोषीय प्राथमिकता एवं राजकोषीय क्षमता का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.19: 2010 – 11 और 2013 – 14 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता और राजकोषीय क्षमता

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	कु.व्य./ स.रा.घ.उ.	वि.व्य.#/ कु.व्य.	सा.क्षे.व्य./ कु.व्य.	पू.व्य./ कु.व्य.	शिक्षा/ कु.व्य.	स्वास्थ्य/ कु.व्य.
सामान्य श्रेणी राज्य औसत (अनुपात) 2010-11	15.78	65.09	36.88	13.49	17.48	4.37
हरियाणा का औसत (अनुपात) 2010-11	12.68	70.36	37.45	12.19	18.06	3.29
सामान्य श्रेणी राज्य औसत (अनुपात) 2013-14	15.92	66.45	37.56	13.62	17.20	4.51
हरियाणा का औसत (अनुपात) 2013-14	12.13	69.31	36.99	8.44	16.16	3.76

*तीन राज्यों अर्थात् दिल्ली, गोवा तथा पुदुचेरी को छोड़कर सामान्य श्रेणी राज्य।

कु.व्य. - कुल व्यय, वि.व्य. - विकास व्यय, सा.क्षे.व्य. - सामजिक क्षेत्र व्यय, पू.व्य. - पूंजीगत व्यय।

#विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूंजीगत व्यय और संवितरित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है।

स.रा.घ.उ. का स्रोत: राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय से सूचना प्राप्त की गई थी।

राजकोषीय प्राथमिकता:

- स.रा.घ.उ. के अनुपात के रूप में हरियाणा का कुल व्यय 2010 - 11 तथा 2013 - 14 दोनों वर्षों में सामान्य श्रेणी राज्यों की तुलना में कम था।

- सरकार ने 2010 – 11 तथा 2013 – 14 में वि.व्य. को पर्याप्त वित्तीय प्राथमिकता दी, क्योंकि कु.व्य. से इसका अनुपात अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत अनुपात से अधिक था।
- कु.व्य. से पू.व्य. का अनुपात 2010 – 11 तथा 2013 – 14 में अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों के अनुपात से कम था।
- कु.व्य. से शिक्षा पर व्यय का अनुपात 2013 – 14 में अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों के अनुपात से कम था।
- हरियाणा में स्वास्थ्य को दी गई प्राथमिकता 2010 – 11 तथा 2013 – 14 में अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों से कम थी।

1.7.2 व्यय प्रयोग की कुशलता

सामाजिक एवं आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकास शीर्षों पर सार्वजनिक व्यय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, सरकार के लिये समुचित व्यय की तर्कसंगत व्यवस्था करना तथा कोर पब्लिक और मैरिट गुड्स के प्रावधान पर बल देना आवश्यक है। विकास व्यय आबंटन में सुधार करने के अतिरिक्त, विशेषरूप से हाल के वर्षों में उधार देने पर व्यय में कमी के कारण सृजित किए जा रहे फिस्कल स्पेस के दृष्टिगत, कुल व्यय (और/अथवा स.रा.घ.उ.) से पूंजीगत व्यय का अनुपात और वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के परिचालन एवं रख-रखाव पर किए जा रहे राजस्व व्यय के समानुपात के द्वारा भी व्यय प्रयोग की दक्षता प्रतिबिम्बित होती है। इन घटकों का कुल व्यय (और/अथवा स.रा.घ.उ.) से अनुपात जितना उच्चत्तर होगा उतनी ही अच्छी व्यय की गुणवत्ता होगी। विकास व्यय में सामाजिक-आर्थिक सेवाओं में ऋणों एवं अग्रिमों सहित राजस्व तथा पूंजीगत व्यय शामिल है। **तालिका 1.20** 2009 – 10 से 2013 – 14 की अवधि के दौरान राज्य के कुल व्यय के संबंध में विकास व्यय में प्रवृत्तियों को दर्शाती है। **तालिका 1.21** चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के रख-रखाव पर किए गए राजस्व व्यय के घटकों तथा पूंजीगत व्यय के विवरण प्रदान करती है।

तालिका 1.20: विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	
					बजट अनुमान	वास्तविक
विकास व्यय (क से ग तक)	**23,103 (74)**	**23,266 (70)**	**27,192 (72)**	**31,868 (72)**	**37,724 (71)**	**32,300 (69)**
क) विकास राजस्व व्यय	17,432 (56)	18,901 (57)	21,696 (57)	26,073 (59)	31,563 (59)	28,154 (60)
ख) विकास पूंजीगत व्यय	5,031 (16)	3,832 (12)	5,137 (14)	5,511 (12)	5,472 (10)	3,653 (8)
ग) विकास ऋण एवं अग्रिम	640 (2)	533 (1)	359 (1)	284 (1)	689 (1)	493 (1)

(स्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

(नोटः कोष्ठकों में आंकड़े कुल व्यय की प्रतिशतता सूचित करते हैं।)

2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान विकास व्यय 40 प्रतिशत तक बढ़ गया। यह व्यय, जिसने कुल व्यय का 69 प्रतिशत संघटित किया, 2012-13 में ₹ 31,868 करोड़ से मात्र ₹ 432 करोड़ (1.36 प्रतिशत) बढ़कर 2013-14 में ₹ 32,300 करोड़ हो गया। विकास राजस्व व्यय ने विकास व्यय का 87 प्रतिशत संघटित किया जबकि ऋणों और अग्रिमों सहित पूंजीगत व्यय का हिस्सा केवल 13 प्रतिशत था। विकास पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष से 34 प्रतिशत कम हो गया। ₹ 37,724 करोड़ के प्रावधान के विरूद्ध वास्तविक व्यय ₹ 32,300 करोड़ था।

तालिका 1.21: चयनित सामाजिक व आर्थिक सेवाओं में व्यय-प्रयोग की कुशलता

सामाजिक/आर्थिक आधारभूत संरचना	2012-13			2013-14		
	कु.व्य. से पू.व्य. का अनुपात	रा.व्य. में का हिस्सा		कु.व्य. से पू.व्य. का अनुपात	रा.व्य. में का हिस्सा	
		वे. व म.	प. व र.		वे. व म.	प. व र.
सामाजिक सेवाएं (सा.से.)						
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	0.017	68.36	0.017	0.021	67.66	0.03
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.003	52.39	*	0.028	51.07	*
जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	0.305	19.15	4.844	0.343	17.58	7.52
कुल (सा.से.)	**0.105**	**54.28**	**1.175**	**0.125**	**53.23**	**1.83**
आर्थिक सेवाएं (आ.से.)						
कृषि एवं संबंधित गतिविधियां	0.493	40.77	1.926	(-) 1.396	36.16	2.05
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	0.456	44.13	9.857	0.439	7.34	7.95
विद्युत एवं ऊर्जा	0.037	0.02	*	0.019	0.01	*
परिवहन	0.380	36.53	3.735	0.440	36.20	2.71
कुल (आ.से.)	**0.287**	**19.31**	**2.157**	**0.145**	**15.24**	**1.84**
कुल (सा.से. + आ.से.)	**0.201**	**37.89**	**1.636**	**0.135**	**35.38**	**1.83**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

कु.व्य.: कुल व्यय; पू.व्य.: पूंजीगत व्यय, रा.व्य.: राजस्व व्यय, वे. व म.: वेतन एवं मजदूरियां; प. व रख.: परिचालन एवं रख-रखाव; * राशि नगण्य

कुल व्यय से सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय का अनुपात 2012-13 में 0.105 से 2013-14 में 0.125 तक बढ़ गया किंतु आर्थिक सेवाओं के लिए यह 2012-13 में 0.287 से 2013-14 में 0.145 तक कम हो गया।

सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत, वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय का हिस्सा 2012-13 में 54.28 प्रतिशत से 2013-14 में 53.23 प्रतिशत तक थोड़ा सा कम हो गया। परिचालन एवं रख-रखाव पर व्यय का हिस्सा 2012-13 में 1.17 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 1.83 प्रतिशत हो गया। आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत वेतनों एवं मजदूरियों का हिस्सा 2012-13 में 19.31 प्रतिशत से 2013-14 में 15.24 प्रतिशत तक कम हो गया। परिचालन एवं रख-रखाव का हिस्सा भी 2012-13 में 2.16 प्रतिशत से कम होकर 2013-14 में 1.84 प्रतिशत हो गया। सामाजिक सेवाएं एवं आर्थिक सेवाएं संयुक्त के अन्तर्गत वेतनों एवं मजदूरियों का हिस्सा 2012-13 में 37.89 प्रतिशत से 2013-14 में 35.38 प्रतिशत तक कम हो गया। परिचालन एवं रख-रखाव का हिस्सा 2012-13 में 1.64 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 1.83 प्रतिशत हो गया।

1.8 राजकीय व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

रा.उ.ब.प्र. अधिनियम 2005 के बाद के फ्रेमवर्क में राज्य से अपना राजकोषीय घाटा (और उधार) न केवल निम्न स्तर पर रखने बल्कि पूंजीगत व्यय/निवेश (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) की जरूरतों की पूर्ति की भी आशा की जाती है। इसके अतिरिक्त, सरकार को अप्रत्यक्ष सबसीडियों के रूप में बजट में खर्च करने के बजाय इसके निवेशों पर पर्याप्त आमदनी कमाने और उधार ली गई निधियों की लागत वसूल करने के उपाय शुरू करने और वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता लाने के लिये जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है। इस भाग में पिछले वर्ष की तुलना में 2013-14 के दौरान सरकार द्वारा किये गये निवेशों और अन्य पूंजीगत व्यय के विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत की जाती है।

1.8.1 सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम

मार्च 2014 के अंत पर ₹ 411.61 करोड़ के पूंजीगत परिव्यय वाली सात सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणामों ने दर्शाया कि 2013-14 के दौरान इन परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व (₹ 83.60 करोड़) पूंजीगत परिव्यय का 20 प्रतिशत था। कार्यचालन एवं रख-रखाव व्यय (₹ 291.03 करोड़) तथा ब्याज प्रभारों (₹ 20.58 करोड़) को वहन करने के पश्चात् ₹ 228.01 करोड़ की हानि थी।

1.8.2 अपूर्ण परियोजनाएं

31 मार्च 2014 को अपूर्ण परियोजनाओं से संबंधित विभागवार सूचना **तालिका 1.22** में दी गई है। अपूर्ण परियोजनाओं के अन्तर्गत केवल वे परियोजनाएं सम्मिलित की गई हैं जिनकी पूर्ण करने की निश्चित तिथि 31 मार्च 2014 को समाप्त हो चुकी है।

तालिका 1.22: अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	प्रारम्भिक बजट लागत	परियाजनाओं की संशोधित कुल लागत	मार्च 2014 तक कुल व्यय
भवन एवं सड़कें	39	823.75	-	364.07
सिंचाई	1	25.23	-	34.42
कुल	**40**	**848.98**	**-**	**398.49**

(स्रोतः राज्य वित्त लेखे)

दो विभागों की 40 परियोजनाओं के पूर्ण करने की निश्चित तिथि मई 2013 और मार्च 2014 के मध्य थी, परन्तु ये ₹ 398.49 करोड़ के निवेश के बावजूद जून 2014 तक अपूर्ण थी जिससे वांछित लाभों की प्राप्ति नहीं हो सकी।

1.8.3 निवेश एवं प्रतिलाभ

31 मार्च 2014 तक सरकार का सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टाक कम्पनियों और सहकारिताओं में ₹ 7,378.87 करोड़ का निवेश था (**तालिका 1.23**)। पिछले पांच वर्षों में इन निवेशों पर औसत प्रतिलाभ 0.10 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2009-14 के दौरान उधारों पर 9.83 प्रतिशत की औसत ब्याज दर अदा की।

तालिका 1.23: निवेशों पर प्रतिलाभ

निवेश/प्रतिलाभ/उधारों की लागत	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वर्ष के अन्त पर निवेश (₹ करोड़ में)	5,575.18	6,376.98	6,981.91	7,240.02	7,607.73	7,378.87
प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)	9.60	2.48	1.64	7.05	7.72	6.49
प्रतिलाभ (प्रतिशत)	0.17	0.04	0.02	0.10	0.10	0.09
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	9.29	9.22	9.73	9.86	10.81	9.83
ब्याज दर और प्रतिलाभ के बीच अन्तर (प्रतिशत)	9.12	9.18	9.71	9.76	10.71	9.74

(स्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

सरकार द्वारा निवेश 2009-10 से 2013-14 तक पांच वर्षों की अवधि में 32 प्रतिशत बढ़ा, जबकि निवेशों से प्रतिलाभ 2009-10 में ₹ 9.60 करोड़ (0.17 *प्रतिशत*) से 2013-14 में ₹ 6.49 करोड़ (0.09 प्रतिशत) तक घट गए। सरकार ने अपने उधारों पर 2009-14 के दौरान 9.22 से 9.86 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज अदा किया जबकि उसी अवधि के दौरान निवेशों से प्रतिलाभ की प्रतिशतता 0.02 और 0.17 के बीच रही। 2013-14 के दौरान बजट प्रावधान (₹ 367.71 करोड) के विरूद्ध ₹ 138.85 करोड़ के निवेश थे।

₹ 4,951.28 करोड़ के कुल निवेश वाली नौ सरकारी कम्पनियां घाटे में चल रही थी और इन कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत लेखाओं के अनुसार उनकी संचित हानियां ₹ 24,328.51 करोड़ थी ***(परिशिष्ट 1.7)***। यह देखना उपयुक्त है कि 2013-14 में ₹ 138.85 करोड़ के कुल निवेश में से ₹ 102.92 करोड़ का निवेश सरकारी निगमों तथा कंपनियों में किया गया था। इसमें से ₹ 100 करोड़ ह.वि.प्र.नि.लि. की साम्या पूंजी में निवेश किए गए थे। तीन[3] विद्युत उत्पादन एवं वितरण कम्पनियों में ₹ 23,770 करोड़ की हानियों ने सरकारी कम्पनियों की कुल हानियों का 98 प्रतिशत संघटित किया।

राज्य सरकार ने वित्तीय पुनर्गठन योजना (वि.पु.यो.) अनुमोदित किया (मार्च 2013) तथा वि.पु.यो. को फाइनल करने के लिए स्टेट लेवल मानीटरिंग कमेटी (स्टे.ले.मा.क.) को प्राधिकृत किया। राज्य सरकार ने ₹ 7,366.60 करोड़ (उ.ह.बि.वि.नि.लि.: ₹ 5,164.23 करोड़ तथा द.ह.बि.वि.नि.लि.: ₹ 2,202.37 करोड़) की राशि की देयताएं ली तथा उस राशि के बांडस सहयोगी लैंडिंग बैंकों को जारी किए जोकि राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह से समर्थित हैं।

राज्य सरकार ने गैर-कार्यचालन सा.क्षे.उ. के विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन की क्रिया भी शुरू नहीं की थी यद्यपि ते.वि.आ. ने इसकी सिफारिश की थी।

[3] 31 मार्च 2014 को संचित हानियां: उ.ह.बि.वि.नि.लि. (₹ 14,720 करोड़), द.ह.बि.वि.नि.लि. (₹ 8,638 करोड़) तथा ह.पा.जे.नि.लि. (₹ 412 करोड़)।

1.8.4 विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम

कुछ सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों द्वारा अर्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के कार्य भी किए जाते हैं। उस वर्ष, जिसके प्रोफार्मा लेखे अन्तिमकृत किये गये थे, तक सरकार द्वारा किए गए निवेशों की विभागवार स्थिति, निवल लाभ/हानि के अतिरिक्त इन उपक्रमों में निवेश की गई पूंजी पर प्रतिलाभ ***परिशिष्ट 1.8*** में दिए गए हैं। निम्नलिखित बिन्दु अवलोकित किए गए थे:

- सरकार द्वारा पांच उपक्रमों में उस वित्तीय वर्ष, जिसके लेखे अन्तिमकृत किए गए थे, के अंत तक ₹ 6,137.45 करोड़ की राशि निवेश की गई थी।

- नुकसान में चल रहे उपक्रमों में से हरियाणा रोडवेज छः वर्षों से अधिक समय से लगातार नुकसान में चल रहा था और कृषि विभाग (बीज डिपो योजना) ने पिछले 25 वर्षों से अपने प्रोफार्मा लेखे तैयार नहीं किये थे।

- ₹ 6,118.66 करोड़ के कुल निवेश के विरूद्ध तीन[4] विभागीय उपक्रमों की हानियां ₹ 487.23 करोड़ थी।

1.8.5 लोक निजी साझेदारी में निवेश

सामाजिक तथा भौतिक मूलभूत संरचना का पर्याप्त विकास उपलब्ध कराने के विचार से, जो आर्थिक वृद्धि कायम रखने के लिए अनिवार्य है, राज्य सरकार ने मूलभूत संरचना के विकास के लिए लोक निजी साझेदारी (लो.नि.सां.) माध्यम को अपनाया।

31 मार्च 2014 को ₹ 58,821.70 करोड़ की कुल अनुमानित लागत के साथ 14 लो.नि.सां. परियोजनाएं ***(परिशिष्ट 1.9)*** कार्यान्वयन अधीन थी।

1.8.6 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों और कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त सरकार अनेक संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान कर रही थी। **तालिका 1.24** 31 मार्च 2014 को बकाया ऋणों एवं अग्रिमों तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान ब्याज अदायगियों की तुलना में ब्याज प्राप्तियों को दर्शाती है।

[4] कृषि विभाग (बीज डिपो स्कीम): ₹ 0.01 करोड़, खाद्य एवं आपूर्ति (अनाज आपूर्ति स्कीम): ₹ 198.39 करोड़ तथा हरियाणा रोडवेज: ₹ 288.83 करोड़।

तालिका 1.24: राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋणों/ब्याज प्राप्तियों/उधारों की लागत की प्रमात्रा	2011-12	2012-13	2013-14	
			बजट अनुमान	वास्तविक
प्रारम्भिक शेष	2,983	3,316		3,489
वर्ष के दौरान अग्रिम दी गई राशि	627	522	1,084	775
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि	294	349	305	262
अन्त शेष	**3,316**	**3,489**		**4,002**
लम्बित शेष जिसके लिए नियम व शर्ते निर्धारित की गई है	3,316	3,489		4,002
निवल बढ़ोतरी	333	173	779	513
ब्याज प्राप्तियां	58	69	111	66
बकाया ऋणों व अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्तियां	1.84	2.03	2.6	1.76
राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रतिशतता के रूप में ब्याज भुगतान	7.34	7.32	8.65	7.67
ब्याज भुगतान एवं ब्याज प्राप्तियों के बीच अन्तर (प्रतिशत)	5.50	5.29	6.05	5.91

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 513 करोड़ के निवल बढ़ोतरी के कारण 31 मार्च 2014 को कुल बकाया ऋण एवं अग्रिम ₹ 4,002 करोड़ थे। ₹ 881.78 करोड़ की राशि के ऋण वर्ष 2013-14 के आरंभ में सहकारी शुगर मिलों के विरूद्ध बकाया थे। इन शुगर मिलों को और ₹ 150 करोड़ के कुल ऋण दिए गए थे तथा पिछले ऋणों के विरूद्ध केवल ₹ 2.88 करोड़ वसूल किए गए थे। इसी प्रकार, ₹ 290.88 करोड़ के ऋण वर्ष 2013-14 के दौरान ट्रांसमिशन तथा संवितरण सेवाओं हेतु विद्युत परियोजनाओं को दिए गए थे, 31 मार्च 2013 के बकाया ₹ 650.52 करोड़ के पिछले ऋणों के विरूद्ध केवल ₹ 7.94 करोड़ वसूल किए गए थे।

1.8.7 नकद शेष और नकद शेषों का निवेश

वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के नकद शेषों और नकद शेष के निवेश के तुलनात्मक आंकड़े **तालिका 1.25** में दिए गए हैं।

तालिका 1.25: नकद शेष और नकद शेष के निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2013 को आरंभिक शेष	31 मार्च 2014 को अंत शेष
(ए) सामान्य नकद शेष		
रिजर्व बैंक में जमा	164.43	(-) 652.85
ट्रांजिट लोकल में प्रेषण	0.54	0.54
कुल	**164.97**	**(-) 652.31**
नकद शेष निवेश लेखे में किया गया निवेश	92.46	3,774.41
कुल (ए)	**257.43**	**3,122.10**
(बी) अन्य नकद शेष तथा निवेश		
विभागीय अधिकारियों के पास नकद यानि लोक निर्माण विभाग अधिकारी, वन विभाग अधिकारी, जिला कलेक्टरज	2.17	(-) 1.44
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थाई अग्रिम	0.11	0.11
चिन्हित निधियों का निवेश	2,437.40	2,886.41
कुल (बी)	**2,439.68**	**2,885.08**
कुल योग (ए)+ (बी)	**2,697.11**	**6,007.18**

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

वर्ष के दौरान रोकड़ शेष ₹ 2,697.11 करोड़ से बढ़कर ₹ 6,007.18 करोड़ हो गया। रोकड़ शेषों में से निवेश ₹ 92.46 करोड़ से बढ़कर ₹ 3,774.41 करोड़ हो गया। चिन्हित शेषों से निवेश 1 अप्रैल 2013 को ₹ 2,437.40 करोड़ से ₹ 449.01 करोड़ बढ़कर 31 मार्च 2014 को ₹ 2,886.41 करोड़ हो गया, जो मुख्यत: सिंकिंग फंड (₹ 85.01 करोड़) तथा स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड (आपदा राहत निधि) (₹ 356.87 करोड़) से निवेशों में वृद्धि के कारण था। वर्ष 2013-14 के दौरान निवेशों से प्राप्त ₹ 112.59 करोड़ का ब्याज वर्ष 2012-13 के दौरान अर्जित ब्याज (₹ 35.88 करोड़) से ₹ 76.71 करोड़ तक बढ़ गया था।

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अनुबंध के अनुसार सरकार को ₹ 1.14 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष रखना था परन्तु 2013-14 के दौरान चार दिन के लिए साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिम ₹ 108.79 करोड़ लेकर न्यूनतम रोकड़ शेष रखा गया था जिसके लिए सात से दस प्रतिशत की दर पर ₹ 3.17 लाख का ब्याज दिया गया था।

शीर्ष 'चैक्स एंड बिल्स' के अंतर्गत बकाया शेष

प्रमुख शीर्ष '8670' चैक्स एंड बिल्स लेन-देनों, जो आखिरकार क्लीयर किए जाने होते हैं, के आरंभिक अभिलेख इंटरमीडियरी अकाउंट हैड का प्रतिनिधित्व करता है। 1 अप्रैल 2013 को ₹ 0.11 करोड़ की राशि बकाया थी। वर्ष के दौरान ₹ 27.80 करोड़ के खजाना चैक एवं बिल प्राप्त किए गए तथा वर्ष 2013-14 की समाप्ति पर अंत शेष के रूप में ₹ 0.11 करोड़ छोड़ते हुए ₹ 27.69 करोड़ वितरित किए गए।

सरकार ने वर्ष 2013-14 के दौरान 7.59 प्रतिशत से 9.89 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित ब्याज दर पर खुले बाजार से ₹ 11,446.18 करोड़ का ऋण लिया यद्यपि पांच से 5.50 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित ब्याज दर पर निवेश किए गए कैश बैलेंस इनवेस्टमेंट अकाऊंट में ₹ 3,774.41 करोड़ का शेष था। यह दर्शाता है कि राज्य ने नए उधार लेने से पहले अपने मौजूदा नकद शेषों का उपयोग नहीं किया था।

1.9 परिसम्पत्तियां एवं देयताएं

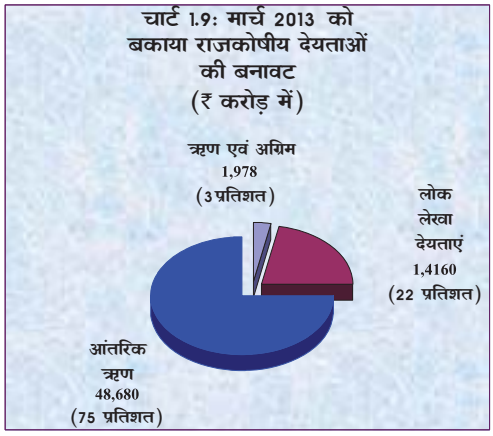
1.9.1 परिसम्पत्तियों और देयताओं की बढ़त एवं बनावट

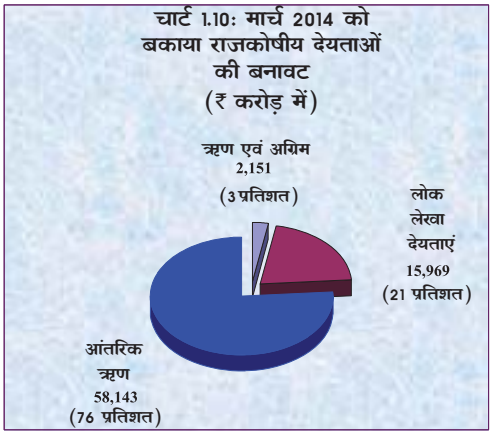
विद्यमान सरकारी लेखांकन प्रणाली में, सरकार के स्वामित्व वाली भूमि एवं भवन जैसी स्थायी परिसम्पत्तियों का विस्तृत लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं और किए गए व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को सम्मिलित करते हैं। 31 मार्च 2014 को ऐसी देयताओं और परिसम्पत्तियों का सार 31 मार्च 2013 की सदृश स्थिति से तुलना करके ***परिशिष्ट 1.5 भाग क एवं ख*** में दिया गया है। जबकि इस परिशिष्ट में देयताओं में मुख्यत: आन्तरिक उधारों, भा.स. से ऋणों एवं अग्रिमों, लोक लेखा और रिजर्व फंड से प्राप्तियां शामिल होती हैं, परिसम्पत्तियां मुख्यत: पूंजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों तथा रोकड़ शेषों को शामिल करती हैं।

जैसा कि रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में परिभाषित किया गया है 'कुल देयता' से अर्थ है राज्य की समेकित निधि और राज्य के लोक लेखा के अन्तर्गत देयताएं तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लिए गए उधारों और विशेष प्रयोजन वाहनों एवं गारंटियों सहित अन्य समतुल्य दस्तावेजों, जहां मूलधन और/या ब्याज राज्य बजट से दिये जाते हैं, को भी शामिल करती हैं।

1.9.2 राजकोषीय देयताएं

राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति को ***परिशिष्ट 1.5 भाग – रव*** में प्रस्तुत किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में 2013 - 14 के दौरान राजकोषीय देयताओं की सरंचना को **चार्ट 1.9** और **1.10** में प्रस्तुत किया गया है।





(स्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 2012 - 13 में ₹ 64,818 करोड़ से बढ़कर 2013 - 14 में ₹ 76,263 करोड़ हो गई। लोक ऋण (₹ 9,636 करोड़) और लोक खाता देयताओं (₹ 1,809 करोड़) में बढ़ोतरी के कारण पिछले साल से 2013 - 14 के दौरान वद्धि दर 17.66 प्रतिशत थी। स.रा.घ.उ. से राजकोषीय देयताओं के अनुपात ने वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाई और 2009 - 10 में 17.59 प्रतिशत से बढ़कर 2013 - 14 में 19.86 प्रतिशत हो गया। 2013 - 14 के अंत में ये देयताएं राजस्व प्राप्तियों का दो गुणा और राज्य के अपने संसाधनों का 2.50 गुणा थी। वर्ष 2013 - 14 के दौरान राजकोषीय देयताओं पर ब्याज की अदायगी ₹ 5,850 करोड़ (7.67 प्रतिशत) थी। यह देखना महत्वपूर्ण है कि ₹ 76,263 करोड़ की राजकोषीय देयताएं वर्ष 2013 - 14 में सरकार द्वारा बनाए गए म.अ.रा.नी.वि. में प्रोजेक्टिड ₹ 72,882 करोड़ तथा रा.सु.प. सिंकिंग फंड (₹ 67,770 करोड़) की सीमा से अधिक थी।

सरकार ने 2002 - 03 के दौरान एक समेकित सिंकिंग फंड स्थापित किया। पिछले वर्ष की 31 मार्च को बकाया बाजार उधारों के एक प्रतिशत के बराबर राशि प्रत्येक वर्ष इस निधि में जमा की जाती है। सिंकिंग निधि में 2013 - 14 में ₹ 977.17 करोड़ का आरंभिक शेष था। वर्ष के दौरान सरकार ने निधि में कोई राशि अंशदान नहीं की, निवेश पर ब्याज के रूप में अर्जित केवल ₹ 85.01 करोड़ निधि में जमा किए गए थे। निधि में से कोई संवितरण नहीं किए गए थे तथा निधि में ₹ 1,062.18 करोड़ की राशि थी।

1.9.3 रिजर्व फंड के अंतर्गत लेन–देन

2013–14 के प्रारंभ में रिजर्व फंड ₹ 2,712.91 करोड़ था। वर्ष के दौरान ₹ 511.50 करोड़ की बढ़ोतरी तथा ₹ 60.20 करोड़ के वितरण के कारण अंतिम शेष ₹ 3,164.21 करोड़ का था। रिजर्व फंडों में मुख्यत: सिंकिंग फंड, गारंटी रिडंप्शन फंड तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि शामिल हैं।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (आपदा राहत निधि), जो उपर्युक्त रिजर्व फंड का हिस्सा है, में ₹ 1,379.44 करोड़ का आरंभिक शेष था। वर्ष 2013–14 के दौरान भारत सरकार ने ₹ 235.47 करोड़ की राशि जारी की तथा राज्य सरकार को अपने हिस्से ₹ 78.49 करोड़ (75:25 के अनुपात में) का अंशदान करना अपेक्षित था। परंतु राज्य सरकार ने केवल ₹ 40.37 करोड़, अर्थात् ₹ 38.12 करोड़ का कम अंशदान किया। ₹ 1,379.44 करोड़ के उपलब्ध आरंभिक शेष में से राज्य सरकार ने 9 प्रतिशत तथा 9.35 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित ब्याज दरों पर सावधि जमाओं में ₹ 1,264.15 करोड़ निवेश किए। शेष ₹ 115.29 करोड़ बचत बैंक खाते में जमा किए गए थे। निधि में से कोई संवितरण नहीं किया गया था तथा 2013–14 में निवेश पर ₹ 81.03 करोड़ के ब्याज की आय हुई। परंतु सावधि–जमाओं में निवेश किए गए ₹ 1,264.51 करोड़ पर ब्याज की न्यूनतम दर पर आय ₹ 113.77 करोड़ परिकलित की गई। यह दर्शाता है कि सरकार के लेखाओं में निवेश की गई निधियों पर ₹ 32.74 करोड़ की ब्याज आय कम क्रेडिट की गई। राजस्व तथा आपदा प्रबंध विभाग द्वारा निधियों के कम क्रेडिट के कारण सूचित नहीं किए गए थे (अगस्त 2014)।

1.9.4 इनऑपरेटिव रिजर्व फंडस

वित्त लेखा की विवरणी संख्या 18 में दिए गए विवरणानुसार विशेष प्रयोजनों के लिए चिन्हित 10 रिजर्व फंडस थे। जिनमें से केवल 7 फंडस एक्टिव हैं तथा 2013–14 की समाप्ति पर ₹ 12.27 करोड़ के अंत शेष वाले कृषि प्रयोजनों के लिए विकास फंडस, औद्योगिक विकास फंडस, खाद्य अनाज रिजर्व फंडस नामक तीन फंडस निष्क्रिय हैं।

1.9.5 प्रतिकूल शेष

नेशनल सिक्युरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड/ट्रस्टी बैंक के साथ मिलान न करने के कारण ''8342–अन्य जमा, 117–सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम'' के अंतर्गत ₹ 60.59 करोड़ का प्रतिकूल शेष था।

1.9.6 गारंटियों की स्थिति–आकस्मिक देयताएं

ऋण लेने वालों, जिनके लिये गारंटियां दी गई हैं, ऋण वापस न करने पर गारंटियां राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं। राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर सरकार द्वारा गारंटियां जारी करने की अधिकतम सीमा के लिए संविधान की धारा 293 के अन्तर्गत राज्य विधायिका द्वारा कोई कानून नहीं बनाया गया है।

वित्त लेखाओं की विवरणी 9 के अनुसार पिछले पांच वर्षों की बकाया गारंटियां **तालिका 1.26** में दी गई है।

तालिका 1.26: हरियाणा सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

(₹ करोड़ में)

गारंटी	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
फीस सहित लम्बित गारंटियों की राशि	4,536	4,528	5,608	21,124	27,309
कुल राजस्व प्राप्तियों की बकाया गारंटी राशि की प्रतिशतता	22	18	18	63	72

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

2013-14 के दौरान सरकार द्वारा गारंटियों के प्रति कोई राशि अदा नहीं की गई थी। 31 मार्च 2014 को गारंटी फीस सहित गारंटियों की ₹ 27,309 करोड़ की बकाया राशि निगमों और बोर्डो (₹ 129 करोड़), सहकारी बैंकों और समितियों (₹ 1,577 करोड़), सरकारी कम्पनियों (₹ 1,026 करोड़) और विद्युत (₹ 24,577 करोड़) के विरूद्ध थी। गारंटियों के अतिरिक्त सरकार ने विद्युत क्षेत्र में सरकारी कम्पनियों की देयताओं के विरूद्ध ₹ 2,574 करोड़ के लैटर्स ऑफ कम्फर्ट बैंकों को जारी किए जिनसे आकस्मिक देयताओं का सृजन हुआ।

कुल देयताओं में से उत्पन्न आकस्मिक देयताओं को चुकाने के लिये 2003-04 के दौरान सरकार ने गारंटी रिडंपशन निधि की संरचना की। 31 मार्च 2014 को इस निधि के अंतर्गत शेष ₹ 87.75 करोड़ था। पूरी राशि जारी की गई थी। गारंटी रिडंपशन निधि की शर्तों के अनुसार, सरकार द्वारा पहले से जारी की गई गारंटियों तथा इस वर्ष के दौरान जारी की जाने वाली गारंटियों का कम से कम 1/5 के बराबर राशि इस निधि में प्रदान करनी थी। 2013-14 के दौरान सरकार द्वारा किसी राशि का योगदान नहीं दिया गया था केवल निवेश पर अर्जित ₹ 7.13 करोड़ का ब्याज निधि में जमा किया गया था। 2013-14 के दौरान गारंटियों तथा लैटर्स आफ कम्फर्ट सहित कुल देयताएं ₹ 1,06,146 करोड़ (₹ 76,263 करोड़ + ₹ 27,309 करोड़ + ₹ 2,574 करोड़) रही जोकि स.रा.घ.उ. का 27.65 प्रतिशत थी।

1.10 ऋण प्रबंध

तालिका 1.27 गत पांच वर्ष के राज्य सरकार के आंतरिक उधार प्रोफाइल का टाइम सीरीज विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.27: राज्य सरकार का आंतरिक ऋण प्रोफाइल तथा प्रति व्यक्ति उधार

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष	ऋण प्राप्तियां	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अंतिम शेष	वृद्धि/कमी	गत वर्ष पर वृद्धि की प्रतिशतता	प्रति व्यक्ति ऋण ₹ में
2009-10	21,054.48	8,319.96	2,576.41	26,798.03	5,743.55	27.28	10,806
2010-11	26,798.03	10,204.94	4,517.00	32,485.97	5,687.94	21.23	12,790
2011-12	32,485.97	11,643.38	4,786.52	39,342.83	6,856.86	21.11	15,489
2012-13	39,342.83	15,509.16	6,171.45	48,680.54	9,337.71	23.73	19,166
2013-14	48,680.54	17,371.48	7,908.87	58,143.15	9,462.61	19.44	22,891

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

राज्य सरकार का आंतरिक उधार 2009-10 में ₹ 26,798 करोड़ से ₹ 31,345.12 करोड़ (117 प्रतिशत) बढ़कर 2013-14 में ₹ 58,143 करोड़ हो गया।

ऋण पोषण क्षमता

सरकार के ऋण की प्रमात्रा के अतिरिक्त, राज्य की ऋण पोषण क्षमता को निश्चित करने वाले विभिन्न सूचकों का विश्लेषण करना आवश्यक है। यह सैक्शन ऋण स्थिरीकरण; गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता; उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता; ब्याज अदायगियों का भार (ब्याज अदायगियों का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात द्वारा माप की गई) और सरकार की प्रतिभूतियों की मैच्योरिटी प्रोफाइल के संबंध में सरकार की ऋण पोषण क्षमता निर्धारित करता है। **तालिका 1.28** 2009-10 से आरंभ पांच वर्ष की अवधि के लिये इन सूचकों के अनुसार राज्य के ऋण पोषण का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.28: ऋण पोषण क्षमता: सूचक एवं प्रवृतियां

(₹ करोड़ में)

ऋण स्थिरीकरण के सूचक	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**
ऋण स्थिरीकरण (प्रमात्रा फैलाव + प्राथमिक घाटा)	(-) 5,594	(-) 17	259	(-)2,869	(-) 344
गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (रिसोर्स गैप)	(-) 3,533	2,831	105	(-)3,209	2,048
उधार निधियों की निवल उपलब्धता	4,682	3,564	4,642	6,138	6,045
ब्याज भुगतानों का भार (आई.पी./आर.आर. अनुपात)	13	13	13	14	15
राज्य ऋण का मेच्योरिटी प्रोफाइल (वर्ष में)					
0 – 1	2,542.49 (9)	3,275.07 (9)	4,970.85 (12)	6,224.90 (12)	4,948.92 (8)
1 – 3	3,603.25 (12)	4,314.32 (12)	4,585.10 (11)	4,731.52 (9)	3,904.94 (6)
3 – 5	4,024.21 (14)	4,431.02 (13)	3,645.32 (9)	2,450.62 (5)	5,308.41 (9)
5 – 7	3,149.83 (11)	2,115.30 (6)	4,714.03 (11)	8,825.02 (18)	10,725.71 (18)
7 वर्ष एवं अधिक	15,377.52 (54)	20,538.33 (60)	23,480.82 (57)	28,423.90 (56)	35,405.98 (59)

(कोष्ठकों में आंकड़े राज्य के कुल ऋण से प्रतिशतता को सूचित करते हैं)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

ऋण पोषण क्षमता के चार सूचकों में से राज्य का तीन सूचकों पर अर्थात् ऋण पोषण क्षमता, गैर-ऋण प्राप्तियों की प्र्याप्तता तथा उधार ली गई निधियों से निवल उपलब्धता में अच्छा प्रदर्शन था।

राज्य ऋण की मैच्योरिटी प्रोफाइल, जैसा कि **तालिका 1.28** में दी गई है, इंगित करती है कि सरकार को इसके ऋणों का एक से तीन वर्षों के मध्य छ: *प्रतिशत*, तीन से पांच वर्षों के मध्य नौ प्रतिशत, पांच से सात वर्षों के मध्य 18 प्रतिशत और 59 प्रतिशत ऋण का पुनर्भुगतान सात वर्षों के बाद करना होगा जिसके लिए सरकार को आने वाले वर्षों में ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए निधियां सृजित करने के लिए अपनी वित्त पोषण क्षमता बढ़ानी होगी।

सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अतिरिक्त उधार, जो इन महत्वपूर्ण वर्षों में मैचयोर हों, न लिए जाए, ऋण पुनर्भुगतान नीति निर्धारित करनी होगी। जब तक ऋण नियंत्रित नहीं किए जाते, राज्य को ऋण सेवा में गंभीर समस्या होगी।

उधार समेकन तथा राहत सुविधा

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने भा.स. से समेकित ऋणों के पुनर्भुगतान पर 2008 – 09 से 2013 – 14 प्रत्येक वर्ष ₹ 96.67 करोड़ की राहत दी। भारत सरकार ने केंद्रीय प्रायोजित प्लान स्कीमों के अंतर्गत 2013 – 14 के दौरान ₹ 35.88 करोड़ के केंद्रीय ऋणों को भी बट्टे खाते में डाल दिया।

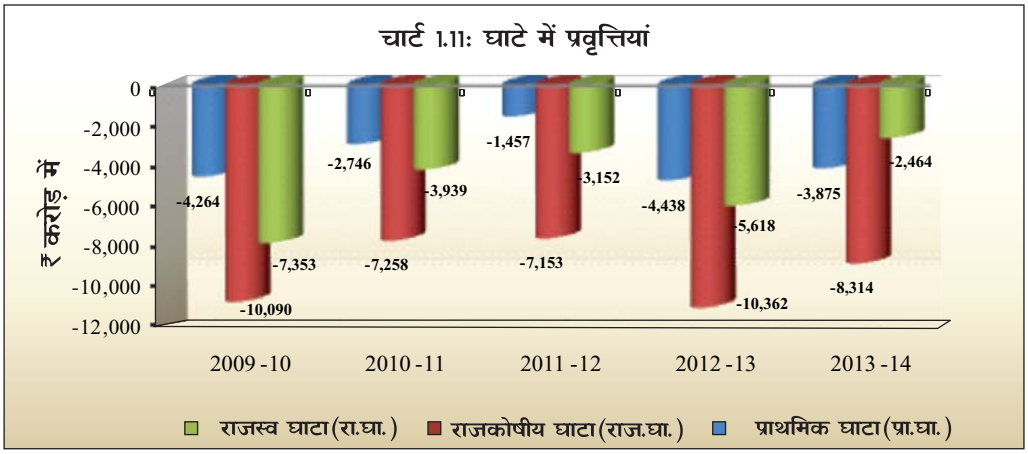
1.11 राजकोषीय असंतुलन

विशिष्ट अवधि के दौरान सरकार के वित्तो में सकल राजकोषीय असंतुलन की मात्रा को तीन राजकोषीय मानक अर्थात् राजस्व राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटा इंगित करते हैं। यह सैक्शन, इन घाटों की प्रकृति, मात्रा और वित्त पोषण की पद्धति को तथा वित्त वर्ष 2013 – 14 के लिए रा.उ.ब.प्र. अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत निश्चित लक्ष्यों की तुलना में राजस्व और राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों का निर्धारण भी प्रस्तुत करता है।

1.11.1 घाटों की प्रवृत्तियां

चार्ट 1.11 2009 – 14 की अवधि में घाटा संकेतकों में प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है।

चार्ट 1.11: घाटे में प्रवृत्तियां



(स्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

राजस्व घाटा, जो राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय का आधिक्य इंगित करता है रा.उ.ब.प्र. के अनुसार 2011 – 12 तक शून्य तक नीचे लाया जाना था और 2014 – 15 तक शून्य पर स्थिर रखा जाना था। राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटा जो 2012 – 13 के दौरान क्रमशः ₹ 4,438 करोड़, ₹ 10,362 करोड़ और ₹ 5,618 करोड़ था, 2013 – 14 क्रमशः ₹ 3,875 करोड़, ₹ 8,314 करोड़ और ₹ 2,464 करोड़ तक घट गया। वर्ष 2013 – 14 के लिए नियत किया गया शून्य राजस्व घाटे का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका *(परिशिष्ट 1.6)*।

1.11.2 राजकोषीय घाटा और इसकी वित्त पोषण पद्धति का संघटन

तालिका 1.29 में दर्शाए गए अनुसार राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति में संघटनीय बदलाव आया है। 2013-14 के दौरान राजकोषीय घाटा वित्त प्रबंध के घटकों के अंतर्गत प्राप्तियां और संवितरण **तालिका 1.30** में दिए गए हैं।

तालिका 1.29: राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसकी वित्त पोषण पद्धति

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजकोषीय घाटे के घटक		(-) 10,090	(-) 7,258	(-) 7,153	(-) 10,362	(-) 8,314
1	राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)	(-) 4,264	(-) 2,746	(-) 1,457	(-) 4,438	(-) 3,875
2	निवल पूंजीगत व्यय	(-) 5,209	(-) 4,023	(-) 5,363	(-) 5,751	(-) 3,925
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	(-) 617	(-) 489	(-) 333	(-) 173	(-) 514
राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति						
1	मार्किट उधार	3,683.68	4,157.63	5,994.89	8,574.38	10,621.36
2	भा.स. से ऋण	(-) 34.16	183.71	(-) 127.17	(-) 75.54	173.08
3	राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	534.43	934.31	(-) 329.47	(-) 91.55	28.07
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	1,525.45	595.99	1,191.44	854.88	(-) 1,186.82
5	लघु बचत भविष्य निधि इत्यादि	861.92	747.80	718.53	457.96	720.99
6	रिजर्व निधि	(-) 39.13	8.93	(-) 16.65	(-) 39.09	2.29
7	जमा एवं अग्रिम	526.64	316.66	826.54	597.05	1,086.43
8	उचंत एवं विविध	2,785.98	(-) 635.88	406.73	370.77	(-) 3,948.95
9	प्रेषण	(-) 282.96	305.08	214.88	(-)72.60	(-) 0.25
10	**ओवर आल सरप्लस (+) घाटा (-)**	**9,561.85**	**6,614.23**	**8,879.72**	**10,576.26**	**7,496.20**
11	रोकड़ शेष में अधिक (-) कमी (+)*	(+) 528.81	(+) 644.20	(-) 1,726.40	(-) 214.43	(+) 817.28
12	**सकल राजकोषीय घाटा**	**10,090**	**7,258**	**7,153**	**10,362**	**8,314**

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

*** 8999-रोकड़ शेष (रिजर्व बैंक के पास जमा एवं कोषालय में प्रेषण)।**

तालिका 1.30: वित्तीय घाटे को पोषित करने वाले घटकों के अन्तर्गत प्राप्तियां और संवितरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	प्राप्ति	संवितरण	निवल
1	बाजार उधार	11,446.18	824.82	10,621.36
2	भा.स. से ऋण	341.47	168.39	173.08
3	राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	566.60	538.53	28.07
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	5,249.91	6,436.73	(-) 1,186.82
5	लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	2,498.81	1,777.82	720.99
6	जमा और अग्रिम	15,645.50	14,559.07	1,086.43
7	रिजर्व निधियां	511.50	509.21	2.29
8	उचंत एवं विविध	42,783.95	46,532.90	(-) 3,948.95
9	प्रेषण	7,521.21	7,521.46	(-) 0.25
10	**समग्र आधिक्य (-) घाटा (+)**			**7,496.20**
11	नकद शेष में वृद्धि (-) कमी (+)			817.28
12	**कुल राजकोषीय घाटा**			**8,314**

(स्रोत: राज्य वित्त लेखे)

2013-14 में बाजार उधारों का योगदान ₹ 10,621 करोड़ था जो कि पिछले वर्ष के ₹ 8,574 करोड़ से ₹ 2,047 करोड़ अधिक था। घाटे को पोषित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए अन्य मुख्य उपाय, राज्य भविष्य निधि में वृद्धि (₹ 721 करोड़) और जमाओं में वृद्धि (₹ 1,086 करोड़) किए गए।

1.11.3 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात और प्राथमिक राजस्व घाटे में प्राथमिक घाटे के घटक एवं पूंजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) राज्य के वित्तों में घाटे की गुणवत्ता को इंगित करते हैं। प्राथमिक घाटे के घटकों (**तालिका 1.31**) से यह पता चलता है कि पूंजीगत व्यय में वृद्धि, जोकि राज्य की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए वांछनीय है, का घाटे में कितना योगदान है।

तालिका 1.31: प्राथमिक घाटा/का आधिक्य – फैक्टरर्ज विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियां	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2009-10	21,215	22,520	5,218	830	28,568	(-) 1,305	(-) 7,353
2010-11	25,805	24,991	4,031	722	29,744	814	(-) 3,939
2011-12	30,861	28,014	5,372	627	34,013	2,847	(-) 3,152
2012-13	33,994	33,328	5,762	522	39,612	666	(-) 5,618
2013-14	38,284	36,037	3,935	776	40,748	2,247	(-) 2,464

(स्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

गैर-ऋण प्राप्तियां प्राथमिक राजस्व व्यय से उच्चतर दरों पर बढ़ोतरी के कारण प्राथमिक राजस्व आधिक्य ने 2013-14 में सुधार दिखाया। गैर-ऋण प्राप्तियां प्राथमिक राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी और इन प्राप्तियों का हिस्सा पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए प्रयुक्त किया गया। प्राथमिक घाटा इंगित करता है कि उधार ली गई निधियां प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की गई थी।

1.12 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

रिपोर्ट के अध्याय-2 में शामिल किए गए नियमन के लिए अपेक्षित प्रावधान पर आधिक्य पर पैरा तथा अध्याय-3 में शामिल हानियां एवं डीफाल्केशनज पर पैरा को छोड़कर राज्य के वित्तों पर प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति में चर्चा नहीं की जा रही है।

1.13 निष्कर्ष

भारत सरकार से सहायतानुदान में 76 प्रतिशत वृद्धि के कारण राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष से 2013-14 के दौरान 13 प्रतिशत तक बढ़ गई। 2013-14 के लिए कर-राजस्व ते.वि.आ. द्वारा नियत लक्ष्यों के 9.01 प्रतिशत तक कम तथा कर-भिन्न राजस्व 70 प्रतिशत तक कम पड़ गया। भारत सरकार ने वर्ष के दौरान राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹ 2,308.06 करोड़ सीधे हस्तांतरित किए जो राज्य के बजट तथा वित्त लेखाओं में शामिल नहीं किए गए थे। हरियाणा ग्रामीण विकास निधि के अंतर्गत एकत्रित ₹ 929.53 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां 2011-13 के दौरान राज्य की समेकित निधि में जमा नहीं की गई थी।

वर्ष के दौरान कुल व्यय में से 90 प्रतिशत राजस्व व्यय था। इसका गै.यो.रा.व्य. घटक, ₹ 31,735 करोड़ था, जो ते.वि.आ. (₹ 22,138 करोड़) के प्रक्षेपण से 43 प्रतिशत अधिक था जिसमें से 87 प्रतिशत व्यय चार संघटकों अर्थात् वेतन एवं मजदूरियां, पैंशन देयताएं, ब्याज भुगतान और सबसीडियों पर किया गया। इसके अतिरिक्त, कुल सबसीडियों (₹ 5,681 करोड़) का 92 प्रतिशत (₹ 5,206 करोड़) ऊर्जा क्षेत्र के लिए दिया गया। सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों और सहकारिताओं में सरकार के निवेशों पर औसत रिटर्न पिछले पांच वर्षों में 0.02 से 0.17 प्रतिशत के मध्य रहा जबकि सरकार ने अपने उधारों पर 9.22 से 9.86 प्रतिशत तक का औसत ब्याज भुगतान किया। 2013-14 के दौरान निवेशों का मुख्य हिस्सा (72 प्रतिशत) विभिन्न विद्युत निगमों के साम्या शेयरों में निवेश के रूप में किया गया।

राजस्व घाटा जो 2011-12 के दौरान शून्य तक लाया जाना तथा 2014-15 तक शून्य बनाए रखना अपेक्षित था, गत वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान थोड़ा कम हुआ। राजकोषीय मानकों अर्थात राजस्व, राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटों में प्रवृत्तियां 2012-13 में क्रमश: ₹ 4,438 करोड़, ₹ 10,362 करोड़ और ₹ 5,618 करोड़ रही, 2013-14 में क्रमश: ₹ 3,875 करोड़, ₹ 8,314 करोड़ और ₹ 2,464 करोड़ तक घट गई।

1.14 सिफारिशें

सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

(i) ते.वि.आ. की सिफारिशों के अनुसार राजस्व घाटा शून्य तक लाने तथा कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त उपाय आरंभ करना।

(ii) राज्य की समेकित निधि में सभी राजस्व प्राप्तियों को जमा करना तथा राज्य विधान सभा की स्वीकृति के बाद व्यय करना।

(iii) राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जो भारी हानियां उठा रहे हैं, के कार्यचालन की समीक्षा करना, अनुकूल नीति बनाना तथा उनके पुनरूद्धार के लिए इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

अध्याय–2

वित्तीय प्रबन्धन और बजट नियंत्रण

अध्याय 2

वित्तीय प्रबन्धन और बजट नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोजन लेखे, प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के प्रभारित और दत्तमत, विनियोजन अधिनियमों के साथ संलग्न सूचियों में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों और प्रभारित विनियोजनों की राशि के साथ तुलना किए गए खर्चे के लेखे हैं। ये लेखे मूल बजट अनुमानों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पणों एवं पुनर्विनियोजनों को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध करते हैं और बजट की दोनों प्रभारित और दत्तमत मदों के संबंध में विनियोजन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत की तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक राजस्व और पूंजीगत व्यय इंगित करते हैं। विनियोजन लेखे, इस प्रकार, वित्तों का प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की मॉनीटरिंग को सरल बनाते हैं और इसलिए, वित्तीय लेखाओं के पूरक हैं।

2.1.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया वास्तविक व्यय विनियोजन अधिनियमों के अंतर्गत दिए गए प्राधिकार के भीतर है तथा संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत, जहां आवश्यक हो, व्यय को इस प्रकार प्रभारित किया गया है। यह भी सुनिश्चित करता है कि इस प्रकार किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप है।

लेखापरीक्षा में अवलोकित बजट एवं व्यय के प्रबंधन में कमियां तथा बजट मैनुअल का उल्लंघन अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चित किया गया है।

2.2 विनियोजन लेखाओं का संक्षेप

46 अनुदानों/विनियोजनों के विरूद्ध 2013-14 के दौरान वास्तविक व्यय की संक्षेपित स्थिति **तालिका 2.1** में दी गई है:

तालिका 2.1: मूल/पूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षेपित स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
दत्तमत	I राजस्व	39,589.62	2,312.68	41,902.30	36,022.03	(-)5,880.27
	II पूंजीगत	14,160.14	702.16	14,862.30	10,368.25	(-)4,494.05
	III ऋण एवं अग्रिम	1,083.55	5.74	1,089.29	775.61	(-)313.68
कुल दत्तमत		**54833.31**	**3,020.58**	**57,853.89**	**47,165.89**	**(-)10,688.00**
भारित	IV राजस्व	7,086.35	10.00	7,096.35	5,945.77	(-)1,150.58
	V पूंजीगत	63.00	0	63.00	61.81	(-)1.19
	VI लोक ऋण-पुनर्भुगतान	13,104.90	0	13,104.90	8,077.26	(-)5,027.64
कुल भारित		**20,254.25**	**10.00**	**20,264.25**	**14,084.84**	**(-)6,179.41**
आकस्मिक निधि से विनियोजन		--	--	--	--	--
कुल योग		**75,087.56**	**3,030.58**	**78,118.14**	**61,250.73**	**(-)16,867.41**

नोटः ऊपर दर्शाए गए व्यय, राजस्व शीर्षों (₹ 80.71 करोड़) और पूंजीगत शीर्षों (₹ 6,495.46 करोड़) के अंतर्गत व्यय की कटौती के रूप में लेखाओं में समायोजित वसूलियां परिगणना में लिए बिना, सकल आंकड़े हैं।

₹ 3,030.58 करोड़ के अनुपूरक प्रावधानों द्वारा मूल प्रावधान का चार प्रतिशत संघटित किया गया जोकि गत वर्ष में 10 प्रतिशत था।

₹ 16,867.41 करोड़ की समग्र बचतें, राजस्व खंड के अंतर्गत 44 अनुदानों, पूंजीगत खंड के अंतर्गत 19 अनुदानों और ऋण खंड के अंतर्गत एक विनियोजन (लोक ऋण पुनः अदायगियां) में ₹ 17,197.08 करोड़ की बचतों तथा राजस्व खंड के अंतर्गत एक अनुदान और पूंजीगत खंड के अंतर्गत एक अनुदान में ₹ 329.67 करोड़ के आधिक्य के कारण थी। ₹ 329.67 करोड़ के आधिक्य का संविधान की धारा 205 के अंतर्गत विनियमन अपेक्षित है।

बचत/आधिक्य (विस्तृत विनियोजन लेखे), नियंत्रण अधिकारियों को महत्वपूर्ण अंतरों के कारण स्पष्ट करने के लिए सूचित किए गए थे (अगस्त 2014) लेकिन उनके स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 2014)।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन

2.3.1 आबंटनों की तुलना में विनियोजन

विनियोजन लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि 24 प्रकरणों में बचतें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक थी ***(परिशिष्ट 2.1)***। ₹ 65,221.25 करोड़ के कुल प्रावधान के विरूद्ध, वास्तविक व्यय ₹ 48,948.71 करोड़ था तथा बचतें ₹ 16,272.51 करोड़ थी। पांच अनुदानों शीर्षक-9 शिक्षा (राजस्व दत्तमत्त), 15-स्थानीय शासन (राजस्व दत्तमत्त), 6-वित्त (राजस्व भारित), 23-खाद्य एवं आपूर्ति (पूंजीगत दत्तमत्त) तथा लोक ऋण, में बचतें ₹ 500 करोड़ से अधिक थी।

2.3.2 निरंतर बचतें

पिछले पांच वर्षों के दौरान तीन अनुदानों तथा एक विनियोजन ने ₹ 10 करोड़ से अधिक की निरंतर बचतें दर्शाई तथा जो कुल अनुदानों का 10 प्रतिशत या अधिक भी थी (**तालिका 2.2**)।

तालिका 2.2: निरन्तर बचतें दर्शाने वाले अनुदान

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	कुल प्रावधान से बचत की प्रतिशतता (बचत की राशि)				
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व (दत्तमत)						
1.	04-राजस्व	33 (179.31)	22 (273.17)	47 (421.74)	39 (358.99)	33 (325.49)
2.	24-सिंचाई	09 (366.75)	27 (311.48)	30 (409.81)	27 (375.55)	25 (382.54)
पूंजीगत (दत्तमत)						
3.	45-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	44 (653.58)	55 (880.53)	46 (532.72)	41 (366.19)	29 (313.67)
पूंजीगत (भारित)						
4.	लोक ऋण	43 (2,032.39)	41 (3,226.08)	37 (2,944.26)	40 (4,250.68)	38 (5027.64)

अनुदान संख्या 4-राजस्व के अंतर्गत बचतें मुख्यत: शीर्ष ''2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत, 02-बाढ़, साइक्लोन इत्यादि, 101-नि:शुल्क राहत, 97-बीज, खाद तथा कृषीय उपकरणों की आपूर्ति (₹ 60.90 करोड़) में हुई थी। अनुदान संख्या 24-सिंचाई के अंतर्गत बचतें मुख्यत: शीर्ष ''2700-मुख्य सिंचाई, 02-पश्चिमी जमुना कैनाल परियोजना (वाणिज्यिक), 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता (₹ 212.08 करोड़) के अंतर्गत हुई तथा अनुदान संख्या 45-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत बचतें शीर्ष 6801-विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण, 205-ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, 98-हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को ऋण (₹ 193.13 करोड़) के अंतर्गत हुई। बृहद बचतों के कारण राज्य सरकार से मांगे गए थे, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2014)।

2.3.3 अधिक व्यय

अनुदान संख्या ''24-सिंचाई'' (**तालिका 2.3**) में ₹ 10 करोड़ से ज्यादा का अधिक व्यय पिछले पांच सालों से लगातार देखा गया था:

तालिका 2.3: 2009-14 के दौरान निरन्तर अधिक व्यय दर्शाने वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	कुल प्रावधान से आधिक्य की प्रतिशतता (अधिक व्यय की राशि)				
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
पूंजीगत-वोटिड						
1.	24-सिंचाई	12 (177.25)	39 (198.58)	45 (254.64)	53 (275.23)	33 (213.26)

आधिक्य मुख्यत: शीर्ष ''4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 06-जल के समान वितरण हेतु नई माइनर, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी इंजीनियर, 89-विशेष राजस्व, 92-सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, 93-चीफ इंजीनियर, 88-पेंशनरी प्रभारों''

(₹ 197.10 करोड़) के अंतर्गत हुए। अधिक व्यय के कारण सूचित नहीं किए गए थे (अगस्त 2014)।

2.3.4 बिना प्रावधान के व्यय

बजट मैनुअल के अनुसार, निधियों के प्रावधान के बिना, कोई व्यय स्कीम/सेवा पर नहीं किया जा सकता। फिर भी, यह देखा गया कि ***परिशिष्ट 2.2*** में दिए गए ब्यौरे अनुसार 20 मामलों में मूल अनुदानों/पूरक मांगों में किसी प्रावधान के बगैर तथा इस संबंध में किसी पुनर्विनियोजन आदेशों के बिना ₹ 516.46 करोड़ का व्यय किया गया।

2.3.5 प्रावधानों पर आधिक्य जिसे विनियमन की जरूरत है

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत राज्य सरकारों के लिए जरूरी है कि राज्य विधायिका द्वारा अनुदानों/विनियोजनों पर आधिक्य विनियमित करवाये जाएं यद्यपि अनुच्छेद के अंतर्गत व्यय को विनियमित करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। लोक लेखा समिति द्वारा विनियोजन लेखाओं की चर्चा के पूरा होने के बाद अधिक व्यय विनियमित किया जाता है। फिर भी, 2012-13 हेतु ₹ 428.10 करोड़ की राशि का अधिक व्यय पी.ए.सी. द्वारा चर्चित नहीं किया गया था तथा 2013-14 के दौरान ₹ 329.67 करोड़ भी अभी विनियमित किए जाने शेष थे।

2.3.6 अनावश्यक/अपर्याप्त पूरक प्रावधान

20 मामलों में प्राप्त कुल ₹ 542.29 करोड़ के पूरक प्रावधान, वर्ष के दौरान प्रत्येक मामले में आवेष्टित ₹ 50 लाख या इससे अधिक अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक नहीं आया जैसा कि ***परिशिष्ट 2.3*** में वर्णित है। अनुदान संख्या 6 (वित्त) में ₹ 229.29 करोड़ के पूरक प्रावधान ₹ 110.38 करोड़ के अधिक व्यय के कारण अपर्याप्त सिद्ध हुए।

2.3.7 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, विनियोजन की एक यूनिट, जहां बचतें पूर्वानुमानित हैं से अन्य यूनिट जहां अतिरिक्त निधियों की जरूरत होती है, एक अनुदान के भीतर निधियों का अंतरण है। पुनर्विनियोजन अत्यधिक अभ्यर्पणों या अपर्याप्त वृद्धि के कारण अनुचित सिद्ध हुए और परिणामस्वरूप 35 उप-शीर्षो में ₹ 482.20 करोड़ से अधिक के आधिक्य और प्रत्येक मामले में एक करोड़ से अधिक तक 58 उप-शीर्षो के अंतर्गत ₹ 1,364.70 करोड़ से अधिक की बचतें हुई जैसाकि ***परिशिष्ट 2.4*** में वर्णित हैं। 37-उप शीर्षो के अंतर्गत आधिक्य/बचतें ₹ 10 करोड़ से ज्यादा थी। 27[1] मामलों में, पुनर्विनियोजन के द्वारा प्रावधानों में कटौती अविवेकपूर्ण सिद्ध हुई क्योंकि वास्तविक व्यय पुनर्विनियोजन द्वारा कम किए गए प्रावधानों से

[1] ***परिशिष्ट 2.4*** की क्र.सं. 3, 7, 10, 11, 13, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 59, 60, 64, 65, 67, 72, 87, 90 तथा 92.

ज्यादा था। इसी तरह, सात[2] मामलों में निधियों का पुनर्विनियोजन ज्यादा सिद्ध हुआ क्योंकि बचतें पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान की गई निधियों से ज्यादा थी।

2.3.8 निधियां न सौंपना तथा अधिक सौंपना

वर्ष 2013 – 14 की समाप्ति पर, 46 मामलों में प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियां सौंपी गई। इन मामलों में, कुल प्रावधान ₹ 76,761.50 करोड़ था तथा वास्तविक व्यय ₹ 59,982.67 करोड़ था परिणामत: ₹ 16,778.83 करोड़ की बचतें हुई, जिसमें से ₹ 14,332.63 करोड़ सौंपे गए (***परिशिष्ट 2.5***) जो अपर्याप्त बजटीय तथा वित्तीय नियंत्रण दर्शाता है।

आगे विश्लेषण ने प्रकट किया कि 15[3] मामलों में ₹ 13,599.30 करोड़ की बचतों के विरूद्ध केवल ₹ 10,631.31 करोड़ सौंपे गए तथा ₹ 2,967.99 करोड़ की बचतें नहीं सौंपी गई जो पंजाब बजट मैनुअल (हरियाणा को भी लागू) के पैराग्राफ 13.2 के प्रावधानों के विरूद्ध था। पांच मामलों[4] में ₹ 1,622.63 करोड़ की बचतों के विरूद्ध ₹ 1,654.68 करोड़ सौंपे गए परिणामत: ₹ 32.05 करोड़ अधिक सौंपे गए तथा दो मामलों[5] में यद्यपि वास्तविक व्यय ₹ 323.64 करोड़ तक अधिक थे, परंतु फिर भी ₹ 168.67 करोड़ की निधियां अनुचित रूप से सौंपी गई।

2.3.9 व्यय का वेग

सामान्य वित्तीय नियमों का नियम 56 प्रावधान करता है कि व्यय पूरे साल समान रूप से होने चाहिए और अंतिम महीने में व्यय के वेग को वित्तीय औचित्य का उल्लंघन समझा जाता है और इससे बचना चाहिए। इसके विपरीत ***परिशिष्ट 2.6*** में सूचीबद्ध 12 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत 17 शीर्षो के संबंध में ₹ 10 करोड़ से अधिक खर्च और वर्ष के लिए कुल खर्च का 50 प्रतिशत से ज्यादा मार्च 2014 में या वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान किया गया।

आगे की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 2013 – 14 के दौरान 12 अनुदानों के अंतर्गत 17 मुख्य शीर्षो पर किए गए ₹ 8,906 करोड़ के व्यय में से, ₹ 3,288.63 करोड़ (37 प्रतिशत) का खर्च मार्च 2014 के महीने के दौरान किया गया। अंतिम तिमाही के दौरान विशेषत: मार्च महीने के दौरान व्यय के वेग ने वित्तीय नियमों की अननुपालना दर्शाई।

2 ***परिशिष्ट 2.4*** की क्र.सं. 12, 15, 25, 36, 56, 82 तथा 91.

3 ***परिशिष्ट 2.5*** की क्र.सं. 1, 4, 6, 16, 18, 19, 20, 25, 26, 32, 36, 38, 43, 45 तथा 46.

4 ***परिशिष्ट 2.5*** की क्र.सं. 5, 9, 11, 22 तथा 33.

5 ***परिशिष्ट 2.5*** की क्र.सं. 3 तथा 39.

2.4 ट्रेजरीज के कार्यचालन में देखी गई कमियां

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) {म.ले. (ले. व हक.)} द्वारा 2013-14 के लिए संकलन एवं निरीक्षण के दौरान ट्रेजरीज के कार्यचालन में देखी गई कमियां नीचे दी गई हैं:

2.4.1 भुगतानों के समर्थन में वाउचरों का अप्रस्तुतीकरण

पंजाब वित्तीय नियम खंड-1 का नियम 3.17 प्रावधान करता है कि ट्रेजरी आफिसरज को सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखा कार्यालय को भेजे जाने हेतु अपेक्षित सभी वाउचर संबंधित मासिक सिविल लेखाओं के साथ अटैच किए जाते हैं। ***परिशिष्ट 2.7*** के अनुसार ₹ 7.79 करोड़ के 259 वाऊचर मिसिंग पाए गए। म.ले. (ले. व हक.) कार्यालय द्वारा निदेशक खजाना एवं लेखा हरियाणा, चंडीगढ़ के साथ नियमित पत्राचार तथा संबंधित तिमाहियों में निरंतर दौरों के माध्यम से किए गए सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद विभिन्न खजाना अधिकारियों से वाउचर अभी भी प्रतीक्षित थे।

2.4.2 ट्रेजरीज द्वारा मासिक लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलंब

वर्ष के दौरान, 141 मामलों में विभिन्न ट्रेजरीज से लेखे (64 मामलों में भुगतान की पहली सूची तथा 77 मामलों में भुगतान की दूसरी सूची) चार से छब्बीस दिनों तक की देरी से प्राप्त हुए थे। यद्यपि मात्र 73 प्रतिशत लेखे विभिन्न ट्रेजरीज से समय पर प्राप्त हुए थे। मामला प्रत्येक माह सरकार के ध्यान में लाया गया था किंतु विलंब होना जारी रहा। प्रारंभिक लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलंब के कारण महालेखाकार (ले. व हक.) द्वारा मासिक सिविल लेखाओं के संकलन में परिणामी विलंब तथा बाधा हुई। लेखाओं की पहली और दूसरी सूची के प्रस्तुतीकरण में तीन दिन से अधिक के विलंब दर्शाने वाली सूची ***परिशिष्ट 2.8 तथा 2.9*** में दी गई है। इस कार्यालय को आरंभिक लेखे का समयोचित प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करने के लिए ट्रेजरी आफिसर्ज को निदेश दिए जाने की आवश्यकता है।

2.4.3 प्लस एंड माइनस मैमोरेंडम प्रस्तुत न करना

पंजाब वित्तीय नियम खंड-I के नियम 13.5 के अनुसार सभी डिपोजिट लेन-देनों के प्लस एंड माइनस मैमोरेंडम तैयार किए जाने चाहिए तथा कोषालय के लिए लेखांकन नियम 1992 के नियम 91 तथा 92 में निर्धारित किए गए अनुसार महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। परंतु प्लस एंड माइनस मैमोरेंडम खजाना अधिकारियों द्वारा मासिक लेखाओं के साथ नियमित रूप से तथा समय पर प्रस्तुत नहीं किए जाते जैसा कि ***परिशिष्ट 2.10*** में दर्शाया गया हैं। इस प्रकार, परिणामत: ब्राड शीटस में बकाया शेष हैं। इस संबंध में ट्रेजरी आफिसर्ज को सख्ती से अनुदेश दिए जाने की आवश्यकता है।

2.4.4 नॉन ऑप्रेशनल पर्सनल लेजर अकाऊंटस

पंजाब वित्तीय नियम खंड-I के नियम 12.7 के अनुसार समेकित निधि को डेबिट द्वारा क्रेडिट किए गए पी.एल.एज. को समेकित निधि में संबद्ध सेवा शीर्षो को शेष के माइनस डेबिट द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत पर बंद किया जाना चाहिए। नए पी.एल.एज. यदि आवश्यक हो सामान्य ढंग

से अगले वर्ष दोबारा खोले जाने चाहिए। इस संबंध में सभी ट्रेजरी आफिसर को सख्त अनुदेश जारी किए जाने की आवश्यकता है। वर्ष 2013-14 की समाप्ति पर ₹ 236.78 करोड़ के शेष के साथ 242 पी.एल.एज. थे।

2.4.5 पेंशन/फेमिली पेंशन/मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान/कम्यूटेशन के संवितरण के कारण अधिक भुगतान के विवरण

खजाना राज्य के वित्तीय प्रशासन का आधारभूत यूनिट है। रोकड़ प्रबंधन में रोकड़ की हैंडलिंग तथा धारण में निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं का सख्त अनुपालन अपेक्षित है। वर्ष 2012-13 के लिए जिला खजानों सहित उप-खजानों के निरीक्षण ने राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों/आदेशों की अनुपालना न करने/गलत विवेचना के कारण पेंशनरों/फेमिली पेंशनरों को खजाना अधिकारियों/उप-खजाना अधिकारियों द्वारा ₹ 55.51 लाख के पेंशनरी लाभों का अधिक भुगतान प्रकट किया जैसा कि ***परिशिष्ट 2.11*** में पेंशन, फेमिली पेंशन के हिस्से की कम्यूटिड वैल्यू की कटौती न करने तथा मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान का अधिक भुगतान दर्शाया गया है। इसकी प्राथमिकता आधार पर जांच किए जाने की आवश्यकता है।

2.5 योजनागत अनुमानों में कमियां

2013-14 के दौरान योजनागत व्यय हेतु ₹ 18,000 करोड़ का आकलन किया गया था। ₹ 15,712.16 करोड़ का वास्तविक व्यय (87 प्रतिशत) प्रक्षेपणों से कम था। भिन्नताएं, निम्न तथ्यों के कारण थी:

i. 2013-14 के लिए अनुमोदित प्लान में शामिल की गई ₹ 615.57 करोड़ की अनुमोदित परिव्यय वाली कुल 59 स्कीमें कार्यान्वित नहीं की गई थी तथा संशोधित अनुमानों में निकाल दी गई थी ***(परिशिष्ट 2.12)***।

ii. 2013-14 के लिए अनुमोदित परिव्यय में 23 स्कीमों के अंतर्गत किया गया ₹ 589.34 करोड़ का प्रावधान संशोधित अनुमान में ₹ 157.06 करोड़ तक कम कर दिया गया था किंतु स्कीमें कार्यान्वित नहीं की गई थी ***(परिशिष्ट 2.13)*** जिसके लिए कारण नहीं दिए गए थे।

iii. अनुमोदित परिव्यय के साथ-साथ संशोधित परिव्यय लागत में 61 स्कीमों के अंतर्गत ₹ 293.52 करोड़ का प्रावधान किया गया था किंतु वर्ष 2013-14 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था ***(परिशिष्ट 2.14)***।

iv. 32 स्कीमों के अंतर्गत किया गया ₹ 946.85 करोड़ का प्रावधान ₹ 1,092.12 करोड़ तक बढ़ाया गया था जिसके विरूद्ध वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 782.33 करोड़ का व्यय किया गया था। पूरक अनुदानों के माध्यम से निधियों में की गई वृद्धि अनावश्यक सिद्ध हुई क्योंकि कुल व्यय मूल अनुमानों से भी कम था ***(परिशिष्ट 2.15)***।

v. वर्ष 2013-14 के दौरान ब.अ./सं.अ. में किसी प्रावधान के बिना दो स्कीमों के विरूद्ध ₹ 9.07 करोड़[6] का व्यय किया गया था। प्रावधान के बिना व्यय करने के कारण नहीं दिए गए थे।

vi. 116 प्लान स्कीमें जिनके निष्पादन के लिए 2013-14 के दौरान ₹ 4,284.13 करोड़ का परिव्यय अनुमोदित किया गया था, संशोधित अनुमानों में ₹ 3,065.34 करोड़ तक कम कर दिया गया था। इन स्कीमों पर केवल ₹ 2,240.15 करोड़ का व्यय किया गया था जो ***परिशिष्ट 2.16*** में दिए गए विवरणानुसार अनुमोदित/संशोधित परिव्यय से बहुत कम था।

vii. 23 स्कीमें जिनके लिए ₹ 518.93 करोड़ का प्रावधान संशोधित अनुमानों में ₹ 604.28 करोड़ तक बढ़ाया गया था किंतु ₹ 706.22 करोड़ का व्यय (मूल प्रावधान का 136.09 प्रतिशत) ***परिशिष्ट 2.17*** के अनुसार किए गए प्रावधानों से बहुत अधिक था।

viii. 151 स्कीमें जिनके लिए ₹ 2,117.10 करोड़ का प्रावधान संशोधित अनुमानों के साथ-साथ अनुमोदित परिव्यय में किया गया था किंतु ₹ 962.15 करोड़ का व्यय किए गए प्रावधान से बहुत कम था (***परिशिष्ट 2.18***)।

2.6 चयन किए गए अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

दो अनुदानों (अनुदान संख्या ''15-स्थानीय शासन'' तथा अनुदान संख्या ''21-महिला एवं बाल विकास'') के व्यय पर बजटीय प्रक्रिया तथा नियंत्रण की समीक्षा गत तीन वर्षों के दौरान भिन्नताओं तथा वर्ष 2013-14 के दौरान अनुदानों तथा पूरक मांगों के विस्तार के आधार पर की गई थी (जुलाई-अगस्त 2013)। 2013-14 के लिए इन अनुदानों की समीक्षा के दौरान अवलोकित महत्वपूर्ण बिंदु नीचे वर्णित हैं:

2.6.1 अनुदान संख्या 15 – स्थानीय शासन

राजस्व शीर्ष के अंतर्गत ₹ 2,144 करोड़ (मूल: ₹ 2,074 करोड़ तथा पूरक: ₹ 70 करोड़) के बजट प्रावधान के विरूद्ध ₹ 1,554.43 करोड़ का व्यय किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 589.56 करोड़ की बचत हुई जो बजट प्रावधानों के विरूद्ध 27.49 प्रतिशत थी। यह दर्शाता है कि बजट में अवास्तविक प्रावधान किया गया था।

i. आठ स्कीमों पर ₹ 379.64 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 202.44 करोड़ (53.32 प्रतिशत) का व्यय 2013-14 की अंतिम तिमाही के दौरान इन स्कीमों पर किया गया था। उपर्युक्त आठ स्कीमों में से दो स्कीमों पर 100 प्रतिशत व्यय मार्च 2014 के दौरान किया गया था ***(परिशिष्ट 2.19)***।

ii. सात स्कीमें जिनके लिए ₹ 196.29 करोड़ का प्रावधान संशोधन उपरांत घटाकर ₹ 106.76 करोड़ किया गया किंतु वर्ष 2013-14 के दौरान इन स्कीमों पर कोई व्यय नहीं किया गया था ***(परिशिष्ट 2.20)***।

[6] एस.सी.एस.पी. घटक: ₹ 3.71 करोड़ तथा ए.आई.सी.आर.पी. का 25 प्रतिशत हिस्सा: हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में ₹ 5.36 करोड़।

iii. ₹ 1,191.11 करोड़ के बजट प्रावधान तथा ₹ 1,167.64 करोड़ के संशोधित अनुमानों के विरूद्ध नगरपालिकाओं से मांग की प्राप्ति न होने तथा खजानों में डी.डी.ओ. द्वारा बिलों को प्रस्तुत न करने के कारण तीन स्कीमों[7] के विरूद्ध ₹ 267.68 करोड़ की बचत दर्शाई गई थी।

2.6.2 अनुदान संख्या 21 – महिला एवं बाल विकास

वर्ष 2013-14 के दौरान अनुदानों तथा की गई पूरक मांगों के आधार पर अनुदान संख्या 21 (महिला एवं बाल विकास) के लिए बजटीय प्रक्रिया तथा व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा के दौरान देखे गए महत्वपूर्ण बिंदु निम्नानुसार हैं:

i. वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्व शीर्ष के अंतर्गत ₹ 719.14 करोड़ (मूल: ₹ 695.87 करोड़ तथा पूरक: ₹ 23.17 करोड़) के बजट प्रावधान के विरूद्ध ₹ 561.23 करोड़ का व्यय किया गया था परिणामत: ₹ 157.81 करोड़ की बचत हुई।

ii. वर्ष 2013-14 के दौरान पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत ₹ 195.62 करोड़ (मूल: ₹ 188.62 करोड़ तथा पूरक: ₹ सात करोड़) के बजट प्रावधान के विरूद्ध मात्र ₹ 1.75 करोड़ का व्यय किया गया था परिणामत: ₹ 193.87 करोड़ (बजट प्रावधान का 99.11 प्रतिशत) की बचत हुई।

iii. 22 स्कीमों पर 2013-14 के लिए ₹ 138.47 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 72.26 करोड़ (52 प्रतिशत) का व्यय वर्ष 2013-14 (40 प्रतिशत तथा 100 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित व्यय) की अंतिम तिमाही के दौरान इन स्कीमों पर किया गया था। इन 22 स्कीमों में से छ: स्कीमों पर 100 प्रतिशत व्यय अंतिम तिमाही के दौरान किया गया था ***(परिशिष्ट 2.21)***।

iv. ₹ 723.24 करोड़ के कुल प्रावधान के विरूद्ध 30 स्कीमों में ₹ 369.83 करोड़ की बचत दर्शाई गई थी। परियोजनाओं को फाइनल न करने, भारत सरकार से अनुदान की देरी से प्राप्ति तथा आवेदनों/मामलों की प्राप्ति न होने के कारण मात्र ₹ 353.41 करोड़ का व्यय किया गया था ***(परिशिष्ट 2.22)***।

2.7 बजट अनुमानों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

वर्ष 2013-14 हेतु बजट अनुमान, प्रशासनिक विभाग तथा विभिन्न कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा 5 नवम्बर 2012 से पूर्व वित्त विभाग को प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित थे। इसके विपरीत, दो अनुदानों (अनुदान संख्या 15 और अनुदान संख्या 21) की समीक्षा के दौरान यह देखा गया कि विभागाध्यक्षों ने वित्त विभाग को अपने बजट अनुमान 64 तथा 92 दिनों के मध्य श्रृंखलित विलम्बों के पश्चात् प्रस्तुत किए।

[7] शीर्ष 2217-80-800-75 के अंतर्गत ₹ 153.53 करोड़; शीर्ष 2217-80-192-96 के अंतर्गत ₹ 59.59 करोड़ तथा शीर्ष 2217-80-192-96 के अंतर्गत ₹ 54.56 करोड़।

2.8 निष्कर्ष

2013-14 के दौरान, ₹ 78,118.14 करोड़ के कुल अनुदानों तथा विनियोजनों के विरूद्ध ₹ 61,250.73 करोड़ का व्यय किया गया। ₹ 16,867.41 करोड़ की समग्र बचत, विभिन्न अनुदानों एवं विनियोजन में ₹ 17,197.08 करोड़ की बचत तथा दो अनुदानों में ₹ 329.67 करोड़ के अधिक व्यय के कारण थी। इस वर्ष के अधिक व्यय ₹ 329.67 करोड़ तथा 2012-13 के अधिक व्यय ₹ 428.10 करोड़ को भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत रेगुलराइज करने की आवश्यकता थी।

46 मामलों (प्रत्येक मामलें में ₹ 10 करोड़ से अधिक का सरेंडर) में ₹ 14,332.63 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंत में सरेंडर किए गए थे। पांच मामलों में ₹ 1,654.68 करोड़ सरेंडर किए गए जो कि वास्तविक बचतों से ₹ 32.05 करोड़ अधिक थे। यह इन विभागों में अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण दर्शाता है। 15 मामलों में ₹ 13,599.30 करोड़ की बचतों में से ₹ 2,967.99 करोड़ की बचतें सरेंडर नहीं की गई।

2.9 सिफारिशें

सरकार विचार कर सकती है:

(i) अधिक व्यय के रेगुलराइजेशन के लिए लोक लेखा समिति सचिवालय के साथ मामला उठाना।

(ii) बृहद् बचतों तथा पूरक प्रावधानों से बचने के लिए सही बजट अनुमान तैयार करना।

(iii) वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही/माह में व्यय के वेग से बचने के लिए वित्त विभाग द्वारा उपयुक्त यंत्रावली का सूत्रपात करना।

अध्याय–3

वित्तीय रिपोर्टिंग

अध्याय – 3

वित्तीय रिपोर्टिंग

प्रासंगिक तथा विश्वसनीय सूचना के साथ एक ठोस आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली, राज्य सरकार द्वारा कुशल व प्रभावी अभिशासन में महत्वपूर्ण रूप से सहयोग देती है। इस प्रकार वित्तीय नियमों, प्रोसीजरज व डायरेक्टिवज की अनुपालना के साथ-साथ इस प्रकार की अनुपालनाओं की स्थिति पर रिपोर्टिंग की सामयिकता व गुणवत्ता सुशासन की एक विशेषता है। अनुपालना एवं नियन्त्रणों पर रिपोर्टस, यदि प्रभावी व परिचालित हो, सरकार को कुशल आयोजना व निर्णय लेने सहित इसकी आधारभूत प्रबन्धकीय जिम्मेवारियों को पूरा करने में सहायता करता है। यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रोसीजरज व डायरेक्टिवज की अनुपालना में राज्य सरकार का विहंगावलोकन व स्थिति दर्शाता है।

3.1 उपयोगिता प्रमाण – पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब

पंजाब वित्तीय नियम का नियम 8.14, जैसा कि हरियाणा को लागू है, प्रावधान करता है कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रदान किए गए अनुदानों के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.प.) विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहियों से प्राप्त किए जाने चाहिए। सत्यापन के बाद, ये, उचित समय के अन्दर, यदि संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा कोई विशिष्ट समय सीमा निश्चित न की हो, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित किए जाने चाहिए। तथापि, कुल ₹ 7,771.22 करोड़ के अनुदानों एवं ऋणों के संबंध में प्रस्तुतिकरण हेतु देय 2,998 उ.प्र.प. में से ₹ 3,691.25 करोड़ की कुल राशि के 1,391 उ.प्र.प. बकाया थे। 31 मार्च 2014 को देय, प्राप्त एवं लम्बित उ.प्र.प. का विभागवार विघटन ***परिशिष्ट 3.1*** में दिया गया है। उ.प्र.प. के प्रस्तुतिकरण में आयुवार विलंब **तालिका 3.1** में दिए गए हैं।

तालिका 3.1: उपयोगिता प्रमाण – पत्रों के आयुवार बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्षों की संख्या में विलंब की रेंज	भुगतान किए गए कुल अनुदान		बकाया उपयोगिता प्रमाण – पत्र	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	0 – 1	1,400	4,418.51	925	2,709.62
2	1 – 3	1,132	2,512.99	432	827.60
3	3 – 5	466	845.72	34	154.03
कुल		**2,998**	**7,777.22**	**1,391**	**3,691.25**

तालिका 3.1 दर्शाती है कि लम्बित 1,391 उ.प्र.प. में से 466 उ.प्र.प. (34 प्रतिशत) 2008-09 तथा 2011-12 की अवधि के दौरान जारी किए गए अनुदानों के लिए बकाया थे। ***परिशिष्ट 3.1*** का विश्लेषण दर्शाता है कि कुल लम्बित 1,391 उ.प्र.प. में से 747 उ.प्र.प. (54 प्रतिशत) ग्रामीण विकास विभाग से बकाया थे। यह न केवल प्रशासनिक विभागों के आंतरिक नियंत्रण की कमी को सूचित करता है बल्कि पूर्ववर्ती अनुदानों की उचित उपयोगिता सुनिश्चत किए बिना नए अनुदान संवितरित करते रहने में सरकार की प्रवृत्ति को भी दर्शाता है।

3.2 लेखाओं के अप्रस्तुतिकरण/प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

उन संस्थाओं की पहचान करने के लिए जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (नि.म.ले.प. अधिनियम-1971) की धारा 14 तथा 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा आकर्षित करते हैं, सरकार/विभागाध्यक्षों से अपेक्षित है कि वे विभिन्न संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता, दी गई सहायता का उद्देश्य और संस्थाओं के कुल व्यय के बारे में विस्तृत सूचना प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करें।

114 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के कुल 269 वार्षिक लेखे 31 जुलाई 2014 तक प्रतीक्षित थे। इन लेखाओं के ब्यौरे ***परिशिष्ट 3.2*** में दिये गए हैं और उनके आयु-वार बकाया लंबनता **तालिका 3.2** में प्रस्तुत की गई हैं।

तालिका 3.2: निकायों/प्राधिकरणों से देय वार्षिक लेखाओं के आयु-वार बकाया

क्र.सं.	वर्षो की संख्या में विलम्ब	लेखाओं की संख्या	प्राप्त अनुदान (₹ करोड़ में)
1.	0-1	97	272.23
2.	1-3	87	239.83
3.	3-5	49	119.27
4.	5-7	10	10.94
5.	7-9	7	8.74
6.	9 एवं अधिक	19	32.60
	कुल	**269**	**683.61**

(स्रोतः सरकारी विभागों तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा से प्राप्त आंकड़े)

तालिका 3.2 दर्शाती है कि ₹ 52.28 करोड़ के अनुदान से आवेष्टित 36 वार्षिक लेखे (13 प्रतिशत) पांच वर्षो से अधिक समय से बकाया थे। वार्षिक लेखाओं के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या ये निकाय/प्राधिकारी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधिनियम 1971 की धारा 14 के प्रावधान आकर्षित करते हैं या नहीं। 281 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों में जो अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत लेखापरीक्षा भी आकर्षित करते हैं, में से 18 निकायों/प्राधिकरणों का आडिट 2013-14 के दौरान किया गया था।

3.3 प्रमाणीकरण के लिए स्वायत्त निकायों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

शहरी विकास, आवास, श्रम कल्याण, कृषि, इत्यादि के क्षेत्र में सरकार द्वारा कई स्वायत्त निकाय स्थापित किए गए हैं। राज्य में 28 निकायों के लेखाओं का ऑडिट नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है। लेखापरीक्षा को सौंपने, लेखापरीक्षा को लेखाओं के देने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ.ले.प.) के जारी करने और विधानसभा में इसके प्रस्तुतिकरण की स्थिति ***परिशिष्ट 3.3*** में इंगित की गई है। लेखापरीक्षा को लेखाओं के प्रस्तुतिकरण और विधान सभा में पृ.ले.प. के रखने में विलंबों के अनुसार स्वायत्त निकायों के बार-बार वितरण को **तालिका 3.3** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 3.3: लेखाओं के प्रस्तुतिकरण और पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण में विलंबता

लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलंब (महीनों में)	स्वायत्त निकायों की संख्या	विलंब के कारण	विधानसभा में पृ.ले.प. के प्रस्तुतिकरण में विलंब (वर्षों में)	स्वायत्त निकायों की संख्या	विलंब के कारण
1 - 2	6	स्वायत्त निकायों द्वारा लेखे तैयार नहीं किए गए थे।	1 - 2		विभागों द्वारा विलम्ब के कारणों को सूचित नहीं किया गया।
2 - 3	5		2 - 3	2	
3 - 4	1		3 - 4		
4 – 5	1		4 - 5	22	
5 एवं अधिक	8		5 एवं अधिक		
कुल	**21**			**24**	

आगे यह देखा गया कि 6[1] स्वायत्त निकायों ने अपने वार्षिक लेखे गत 17 वर्षों (1996 – 97 और उसके आगे) से प्रस्तुत नहीं किए थे।

3.4 विभाग द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रम

अर्ध – वाणिज्यिक स्वरूप की गतिविधियां निष्पादन करने वाले कुछ सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों से अपेक्षा की जाती है कि वह वित्तीय परिचालनों के वर्किंग परिणामों को दर्शाते हुए निर्धारित फारमेट में प्रतिवर्ष प्रोफार्मा लेखे तैयार करे ताकि सरकार उनकी वर्किंग का अनुमान लगा सके। अन्तिम लेखे उनकी समग्र वित्तीय स्थिति और अपने व्यवसाय को चलाने में उनकी दक्षता को प्रदर्शित करते हैं। लेखाओं के समय पर अन्तिमकरण न करने से, सरकार का निवेश, लेखापरीक्षा/राज्य विधान सभा की जांच से बाहर रहता है। परिणामतया, जिम्मेवारी सुनिश्चित करने और दक्षता को सुधारने के लिए सुधारात्मक उपाय, यदि कोई अपेक्षित हो, समय पर नहीं किए जा सकते। इसके अतिरिक्त विलंब से धोखेबाजी के जोखिम और जनता के धन के रिसाव की संभावना है।

जून 2014 तक, पांच ऐसे उपक्रमों में से चार ने 1986 – 87 तथा 2009 – 10 के मध्य श्रृंखलित अवधि से अपने लेखे तैयार नही किए थे। इन उपक्रमों में ₹ 6,137.45 करोड़ की राशि की सरकारी निधियां निवेशित थी। यद्यपि लेखाओं को तैयार करने में बार – बार बकायों के बारे में टिप्पणी की गई थी, लेकिन इस संबंध में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं किया गया है। प्रोफार्मा लेखाओं के तैयार करने में बकायों की विभाग – वार स्थिति और सरकार द्वारा किए गए निवेश ***परिशिष्ट 3.4*** में दिए गए हैं।

[1] जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण: गुड़गांव, झज्जर, पंचकूला, रेवाड़ी, रोहतक तथा सोनीपत।

3.5 दुरूपयोग, हानियां, गबन, इत्यादि

पंजाब वित्तीय नियम का नियम 2.33, जैसा कि हरियाणा को लागू है, निर्धारित करता है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को उसकी तरफ से धोखा अथवा उपेक्षा के माध्यम से सरकार द्वारा उठाई गई हानि या किसी दूसरे सरकारी कर्मचारी की तरफ से धोखा या लापरवाही से उत्पन्न किसी हानि, उस सीमा तक कि हानि में उसने अपने कार्य अथवा लापरवाही से सहयोग दिया, के लिए वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार ठहराया जायेगा। आगे, *तत्रैव* नियम 2.34 के अनुसार, गबन एवं हानियों के मामले प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को सूचित किए जाने अपेक्षित हैं।

राज्य सरकार ने ₹ 1.58 करोड़ राशि के सरकारी धन से आवेष्टित के दुरूपयोग, गबन, इत्यादि के 137 मामले सूचित किए जिन पर जून 2014 तक अन्तिम कार्रवाई लम्बित थी। लम्बित मामलों का विभाग-वार विघटन और आयु-वार विश्लेषण ***परिशिष्ट 3.5*** में दिया गया है और इन मामलों का स्वरूप ***परिशिष्ट 3.6*** में दिया गया है। जैसा कि इन परिशिष्टों से प्रकट है, चोरी और दुर्विनियोजन/हानि की प्रत्येक श्रेणी में लम्बित मामलों की एज प्रोफाइल तथा लम्बित मामलों की संख्या **तालिका 3.4** में संक्षेपित की गई हैं।

तालिका 3.4: दुरूपयोग, हानियों, गबन, इत्यादि का प्रोफाइल

लम्बित मामलों का एज-प्रोफाइल			लम्बित मामलों की प्रकृति		
वर्षों में श्रृंखला	मामलों की संख्या	आवेष्टित राशि (₹ लाख में)		मामलों की संख्या	आवेष्टित राशि (₹ लाख में)
0 - 5	17	25.88	जून 2013 को लंबित मामले	144	160.45
5 - 10	30	39.22			
10 - 15	34	60.72	वर्ष के दौरान जोड़े गए मामले	1	--
15 - 20	13	12.17			
20 - 25	19	15.62	**कुल**	**145**	**160.45**
25 एवं अधिक	24	4.65	वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए हानियों के मामले	8	2.19
कुल	**137**	**158.26**	**जून 2014 को कुल लंबित मामले**	**137**	**158.26**

मामलों के लम्बित रहने के लिए कारण **तालिका 3.5** में सूचीबद्ध किए गए हैं।

तालिका 3.5: दुरूपयोग, हानि, गबन, इत्यादि के बकाया मामलों के लिए कारण

विलंब/बकाया मामलों के लिए कारण		मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
i)	विभागीय तथा आपराधिक जांच की प्रतीक्षा में	4	8.05
ii)	विभागीय कार्रवाई आरम्भ की गई परन्तु अंतिम रूप नहीं दिया गया	68	53.00
iii)	आपराधिक कार्यवाहियां पूर्ण हुई किन्तु राशि की वसूली हेतु प्रमाण-पत्र मामले का कार्यान्वयन लम्बित	11	8.79
iv)	वसूली अथवा बट्टे खाते डालने के लिए आदेशों की प्रतीक्षा में	40	36.50
v)	विधि न्यायालयों में लम्बित	14	51.92
कुल		**137**	**158.26**

कुल हानि मामलों में से 65 प्रतिशत मामले सरकारी धन/भण्डार की चोरी से संबंधित थे आगे, हानियों के 50 प्रतिशत मामलों के संबध में, विभागीय कार्रवाई को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था और 29 प्रतिशत मामले, वसूली अथवा हानियों को बट्टे खाते में डालने के लिए सक्षम प्राधिकारी के केवल आदेशों की कमी के कारण बकाया थे। आगे देखा गया कि चोरी/दुरूपयोग इत्यादि के कारण हानियों के 137 मामलों में से 120 मामले पांच वर्षो से अधिक पुराने थे, इनमें 24 मामले जो 25 वर्षो से अधिक पुराने थे शामिल हैं। इन मामलों को अन्तिम रूप देने में विभागों के ढुल-मुल रवैये के कारण न केवल राज्य राजकोष को हानि हुई बल्कि दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध समय पर कार्रवाई भी नहीं हुई।

3.6 लेखाओं का गलत वर्गीकरण

बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 का परिचालन

लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' तथा '800-अन्य व्यय' की बुकिंग अपारदर्शी है क्योंकि वे उन स्कीमों, कार्यक्रम इत्यादि को प्रकट नहीं करते, जिनसे वे संबंध रखते हैं। यह उस व्यय को समायोजित करता है जो उपलब्ध कार्यक्रम लघु शीर्षो के अन्तर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।

2013-14 के दौरान कुल ₹ 6,509.40 करोड़ (कुल व्यय का 13.96 प्रतिशत) का व्यय राजस्व तथा पूंजीगत दोनों में नौ मुख्य शीर्षो के विरूद्ध लघु शीर्ष-800 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था। विद्युत सब्सिडी, मुख्य एवं मध्यम सिंचाई, पर्यटन तथा अन्य सामाजिक सेवाओं पर कुल/मुख्य व्यय वित्त लेखाओं में स्पष्ट रूप से दर्शाने की बजाए बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 के अन्तर्गत वर्गीकृत किए गए थे।

इसी प्रकार, कुल ₹ 1,559.40 करोड़ (कुल राजस्व प्राप्तियों का 4.10 प्रतिशत) की राशि की राजस्व प्राप्तियां 16 मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत बहुप्रयोजन लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' के अन्तर्गत वर्गीकृत थी। शहरी विकास, भू-राजस्व, लोक निर्माण, खाद्य भंडारण तथा भाण्डागार, मुख्य सिंचाई, सड़क एवं पुल, वन तथा वन्यजीवन इत्यादि के अन्तर्गत राजस्व की मुख्य राशि इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत थी।

बहुप्रयोजन लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय/प्राप्तियां' के अंतर्गत बृहद् राशियों का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है।

3.7 निष्कर्ष

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतिकरण में पर्याप्त विलंब हुआ तथा परिणामस्वरूप अनुदानों का समुचित उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका। वार्षिक लेखाओं के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि कुछ स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधिनियम, 1971 की धारा 14 के प्रावधान को आकृष्ट करते हैं। स्वायत्त निकायों की एक बहुत बड़ी संख्या और विभागीय तौर पर चलाये जा रहे वाणिज्यिक उपक्रमों ने लंबी अवधि से अपने अन्तिम लेखे तैयार नहीं किए थे परिणामस्वरूप उनकी वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता निर्धारित नहीं की जा सकी। आगे सरकारी धन की चोरी, दुरूपयोग, सरकारी सामग्री की हानि, गबन, इत्यादि के मामलों में विभागीय कार्रवाई लंबी दीर्घावधि से लंबित थी। 2013-14 के दौरान बहुप्रयोजन लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां/व्यय' के अन्तर्गत कुल व्यय का 13.96 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियों का 4.10 प्रतिशत वर्गीकृत किया गया था।

3.8 सिफारिशें

सरकार विचार कर सकती है:

(i) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा आकर्षित करने वाली संस्थाओं की पहचान करने के लिए प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर अनुदानग्राही संस्थाओं से लेखाओं की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय अपनाना।

(ii) स्वायत्त निकायों तथा विभागीय रूप से चलाए जा रहे उपक्रमों द्वारा उनकी वित्तीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए वार्षिक लेखाओं के संकलन तथा प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया तेज करने के लिए प्रणाली स्थापित करना।

(iii) चोरी, दुरूपयोग इत्यादि के मामलों में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए एक समयबद्ध ढांचा तैयार करना।

(iv) विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत प्राप्त राशियों एवं किए गए व्यय को लघु शीर्ष '800 – अन्य व्यय' तथा '800 – अन्य प्राप्तियां' के अन्तर्गत मुख्य स्कीमों की प्राप्ति एवं व्यय में शामिल करने की बजाए स्पष्ट रूप से दर्शाना।

चण्डीगढ़ **(महुआ पाल)**
दिनांकः **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांकः **भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट 1.1
राज्य प्रोफाइल

(संदर्भः अनुच्छेद 1.1 एवं 1.3; पृष्ठ 1 तथा 9)

राज्य प्रोफाइल			
क. सामान्य डाटा			
क्र. सं.	**विवरण**		**आंकड़े**
1	क्षेत्र		44,212 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या		
	क	2001 की जनगणना के अनुसार	2.11 करोड़
	ख	2011 की जनगणना के अनुसार	2.54 करोड़
3	जनसंख्या घनत्व (2011) (अखिल भारतीय घनत्व=382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)		573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर.
4	गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत=21.92 *प्रतिशत*)		11.16 *प्रतिशत*
5	साक्षरता (2011) (अखिल भारतीय औसत=74.04 *प्रतिशत*)		76.64 *प्रतिशत*
6	शिशु मृत्यु-दर (प्रति 1000 सजीव जन्म) (अखिल भारतीय औसत=40 प्रति 1000 सजीव जन्म)		51
7	जन्म पर जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत=65.8 वर्ष)		66.2 वर्ष
8	गिनी सहकारी कारण[1]		
	क	ग्रामीण (अखिल भारतीय= 0.29)	0.28
	ख	शहरी (अखिल भारतीय= 0.38)	0.36
9	वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2013-14		₹ 3,83,911 करोड़
10	स.रा.घ.उ.[2] सी.ए.जी.आर.[3] (2004-05 से 2013-14)		16.66 *प्रतिशत*
11	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2004-05 से 2013-14)		15.16 *प्रतिशत*
12	स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर (2004-05 से 2012-13)	हरियाणा	17.13 *प्रतिशत*
13		अन्य सामान्य श्रेणी राज्य	15.49 *प्रतिशत*
14	जनसंख्या वृद्वि (2001-02 से 2010-11)	हरियाणा	19.90 *प्रतिशत*
15		अन्य सामान्य श्रेणी राज्य	17.56 *प्रतिशत*

ख वित्तीय आंकड़े

विवरण		**आंकड़े (*प्रतिशत* में)**		
सी.ए.जी.आर		**2004-05 से 2012-13**		**2004-05 से 2013-14**
		सामान्य श्रेणी राज्य	**हरियाणा**	**हरियाणा**
क	राजस्व प्राप्तियों का	16.93	14.80	14.59
ख	स्वयं का कर राजस्व	16.42	15.50	14.69
ग	कर-भिन्न राजस्व का	12.49	7.90	7.73
घ	कुल व्यय का	15.37	17.14	15.71
ड	पूंजीगत व्यय का	17.01	26.17	17.84
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	17.44	19.62	17.88
छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	16.50	19.62	18.08
ज	वेतन एवं मजदूरियों का	14.73	15.13	13.71
झ	पेंशन का	18.34	19.04	18.52

स्रोत: वित्तीय डाटा, वित्तीय लेखाओं में आंकड़ों पर आधारित है। बी.पी.एल. (योजना आयोग तथा एस.एस.ओ. डाटा, 61वीं राऊंड), गिनी सहकारी कारण (योजना आयोग भा.स. दिनांक 18 अक्तूबर 2013 - राऊंड 2009-10 एम.आर.पी.), जन्म पर जीवन प्रत्याशा तथा शिशु मृत्यु दर (हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11) तथा जनसंख्या की सघनता (भारत की जनगणना 2011, अनन्तिम जनसंख्या योग, नीरज शेखर, निदेशक जनगणना परिचालन, हरियाणा द्वारा प्रकाशित)।

1. गिनी सहकारी कारण, आय संवितरण की असमानता का मापदण्ड है जहां शून्य पूर्ण समानता को सूचित करता है तथा एक पूर्ण असमानता को सूचित करता है।
2. स.रा.घ.उ. = सकल राज्य घरेलू उत्पाद।
3. सी.ए.जी.आर. = मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर। [सी.ए.जी.आर. का परिकलन=(((अन्तिम आंकड़ा/पहला आंकड़ा)^1/समय वर्षों में)-1)*100]

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भः अनुच्छेद प्रस्तावना; पृष्ठ 1)

भाग कः सरकारी लेखाओं का ढांचा एवं स्वरूप

सरकारी लेखे का ढांचा: राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते है (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिक निधि, एवं (iii) लोक लेखा।

भाग I: समेकित निधिः इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा उठाए गए सभी ऋण (मार्किट लोन्ज, ब्रांडज, केंद्रीय सरकार के ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ाए गए अर्थोपाए तथा राज्य सरकार द्वारा ऋणों के पुर्नभुगतान सभी धन शामिल होते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रावधान किए गए प्रयोजनो के लिए, कानून के अनुसार तथा पद्धति में के अतिरिक्त कोई धन इस फंड से विनियोजित नहीं किया जा सकता। व्यय की निश्चित श्रेणियां (उदाहरणर्थ-संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण पुनर्भुगतान इत्यादि) राज्य की समेकित विधि पर भार संघटित करती है (भारित व्यय) तथा विधायिका द्वारा मत के अंतर्गत नहीं होती अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधायिका द्वारा वोट किए जाते हैं।

समेकित फंड में दो सैक्शन शामिल होते हैं: राजस्व तथा पूंजीगत (ऋण सहित)। ये आगे 'प्राप्तियां' तथा 'व्यय' के अंतर्गत श्रेणीबद्ध हैं। राजस्व प्राप्तियां सैक्शन तीन सैक्टरों यानि 'कर राजस्व', 'कर भिन्न राजस्व' तथा सहायतानुदान तथा अंशदानों में बंटा हुआ है। ये तीन सैक्टर आगे सब-सैक्टरज में जैसे 'आय तथा व्यय पर कर' 'राजकोषीय सेवाएं' आदि में विभाजित है। पूंजीगत प्राप्तियां सैक्शन में कोई सैक्टर या सब-सैक्टर नहीं है। राजस्व व्यय सैक्शन चार भागों में विभाजित है अर्थात्, 'सामान्य सेवाएं', 'सामाजिक सेवाएं', 'आर्थिक सेवाएं' तथा 'सहायतानुदान तथा अंशदान'। राजस्व व्यय सैक्शन के ये भाग आगे उप भागों में विभाजित हैं 'जैसे राज्य के अंग', 'शिक्षा', 'खेल', 'कला' तथा संस्कृति आदि। पूंजीगत सैक्शन आठ भागों में उप विभाजित है, अर्थात् 'सामान्य सेवाएं', 'सामाजिक सेवाएं', 'आर्थिक सेवाएं', 'सहायतानुदान तथा अंशदान' 'लोक ऋण', 'ऋण तथा अग्रिम', 'अंतर्राज्यीय समायोजन' तथा 'आकस्मिक निधि को ट्रांसफर'।

भाग II: आकस्मिक निधिः यह निधि अग्रदाय के रूप में होती है जो कानून द्वारा राज्य विधायिका द्वारा स्थापित है तथा अप्रत्याशित व्यय, पूरा करने के लिए जो राज्य विधायिका द्वारा प्राधिकार के लिए लम्बित हो, राज्यपाल की डिस्पोजल पर रखा जाता है फंड की प्रतिपूर्ति राज्य की समेकित निधि से संबंधित क्रियाशील मुख्य शीर्ष को व्यय द्वारा डैबिट कर के की जाती है। 2013-14 के लिए हरियाणा सरकार की आकस्मिक निधि ₹ 200 करोड़ है।

भाग III: लोक लेखाः अन्य सारा पब्लिक धन जो सरकार द्वारा या सरकार की ओर से प्राप्त किया जाता है, जिसमें सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में काम करती है, लोक लेखा में जमा किया जाता है। पब्लिक अकाऊंट में पुनर्भुगतान योग्य जैसे लघु बचतें तथा भविष्य निधियां, डिपोजिटस (ब्याज वाली तथा बिना ब्याज वाली), अग्रिम, रिजर्व फंडस (ब्याज वाले तथा बिना ब्याज वाले) प्रेषण तथा उचंत शीर्ष (जिनमें से दोनों ही ट्रांजिटरी शीर्ष है फाइनल बुकिंग के लिए लंबित है) शामिल हैं। सरकार के पास उपलब्ध नेट कैश बैलेंस भी पब्लिक अकाऊंट में शामिल है। लोक लेखे में छः सैक्टर यानि 'लघु बचतें, भविष्य निधि आदि', 'रिजर्व फंड', 'जमा तथा अग्रिम', 'उचंत तथा विविध, प्रेषण' तथा 'कैश बैलेंस' शामिल हैं। ये सैक्टर आगे उप भागों में विभाजित हैं। पब्लिक अकाउंट विधायिका की वोट के अध्यधीन नहीं है।

परिशिष्ट 1.2 भाग-खः वित्त लेखाओं का विन्यास	
विवरणी	**विन्यास**
वित्त लेखे दो खंडों में प्रस्तुत किए जाते हैं। **खंड-1** में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का सर्टिफिकेट, वित्त लेखाओं की गाइड, चार विवरणियां जो चालू वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति तथा लेन-देनों पर संक्षेपित सूचना, लेखाओं पर टिप्पणियां तथा लेखाओं की टिप्पणियों पर एक परिशिष्ट शामिल होता है। **खंड-I में चार** विवरणियों का वर्णन नीचे दिया है:	
विवरणी सं. 1	**वित्तीय स्थितियां की विवरणीः** यह विवरणी राज्य सरकार की परिसंपत्तियों तथा देयताओं के संचयी आंकड़े चित्रित करती है, क्योंकि वे वर्ष के अंत में रहते है तथा जैसे गत वर्ष की वित्तीय स्थिति से तुलना किए गए हैं।
विवरणी सं. 2	**प्राप्तियों तथा संवितरणों की विवरणीः** यह विवरणी, वर्ष के दौरान राज्य सरकार की सभी प्राप्तियों तथा संवितरणों का, सभी तीन भागों, जिनमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं यानि समेकित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक लेखा में चित्रण करती है। इसके अतिरिक्त, सरकार के कैश बैलेंसिज के वैकल्पिक चित्रण को दिखाते हुए इसमें एक परिशिष्ट होता है। परिशिष्ट (निवेशों सहित) भी सरकार की अर्थोपाय स्थिति को विस्तार से प्रकट करता है।

परिशिष्ट 1.2 भाग – खः वित्त लेखाओं का विन्यास	
विवरणी	**विन्यास**
विवरणी सं. 3	**प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि):** यह विवरणी राज्य सरकार की राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों तथा उधारों को शामिल करती है। यह विवरणी वित्त लेखाओं के खंड – II में विस्तृत विवरणी 11, 15 तथा 16 के अनुरूप होती है।
विवरणी सं. 4	**व्यय की विवरणी (समेकित निधि):** वित्त लेखाओं के लघु शीर्ष स्तर के सामान्य चित्रण के प्रत्यंतर से, यह विवरणी, गतिविधि की प्रकृति द्वारा (व्यय के उद्देश्य) व्यय का विवरण भी देती है। यह विवरणी खंड – 2 में विस्तृत विवरणी 12 के अनुरूप है।
खंड – II में तीन भाग शामिल हैं। भाग – I में छः सार विवरणी शामिल हैं जैसा कि नीचे दी गई है:	
विवरणी सं. 5	**प्रोग्रेसिव पूंजीगत व्यय की विवरणी:** यह विवरणी भाग – II में विवरणी 13 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 6	**उधारों तथा अन्य देयताओं की विवरणी:** सरकार की उधारों में इसके द्वारा उठाए गए बाजार ऋण (आंतरिक डेब्ट) तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम शामिल होते हैं। अन्य देयताओं में लघु बचतें, भविष्य निधि आदि 'रिजर्व फंड' तथा 'डिपोजिटस शामिल हैं। विवरणी में ऋण की सेवा पर एक टिप्पणी भी होती है, तथा भाग – II में विस्तृत विवरणी – 15 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 7	**सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की विवरणी:** यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के ऋणियों जैसे सांवधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्त तथा अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्तिगत प्राप्तकर्ता (सरकारी कर्मचारियों सहित) को दिए गए सभी ऋणों तथा अग्रिमों को चित्रित करती है। यह विवरणी भाग – II में विस्तृत विवरणी – 16 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 8	**सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों की विवरणी:** यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के ग्रांटीज जैसे सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्त तथा अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्तियों को दिए गए सभी सहायता अनुदानों का चित्रण करती है परिशिष्ट VIII प्राप्तकर्त्ता संस्थाओं का ब्यौरा देती है।
विवरणी सं. 9	**सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की विवरणी:** यह विवरणी सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा उठाए गए ऋणों पर मूलधन तथा ब्याज के पुनर्भुगतान पर राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का संक्षिप्त ब्यौरा प्रदान करती है।
विवरणी सं. 10	**दत्तमत तथा भारित व्यय की विवरणी:** यह विवरणी विनियोग लेखाओं में प्रकट होने वाले सकल आंकड़ों के साथ वित्त लेखों में प्रकट नेट आंकड़ों के एग्रीमेंट में सहायता करती है।
खंड II भाग II: यह भाग, खंड – I तथा खंड – II के भाग – I में विवरणियों के अनुरूप लघु शीर्ष द्वारा लेन – देनों के विवरण को प्रस्तुत करते हुए नौ विवरणियां रखता है।	
विवरणी सं. 11	**लघु शीर्षों द्वारा राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी:** यह विवरणी वित्त लेखाओं के खंड – I में सार विवरणी – 3 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 12	**लघु शीर्षों द्वारा राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी:** यह विवरणी जो खंड – I में सार विवरणी 4 के अनुरूप है, प्लान (स्टेट प्लान, केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें तथा केंद्रीय प्लान स्कीमें) तथा नॉन प्लान के अंतर्गत राज्य सरकार के राजस्व व्यय को चित्रित करती है। भारित तथा दत्तमत व्यय अलग से दर्शाए जाते हैं।
विवरणी सं. 13	**लघु शीर्षों तथा उपशीर्षों द्वारा पूंजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी:** यह विवरणी जो इस खंड के भाग – I में सार विवरणी 5 के अनुरूप है, प्लान (स्टेट प्लान, केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें तथा केंद्रीय प्लान स्कीमें) तथा नॉन – प्लान के अंतर्गत राज्य सरकार के पूंजीगत व्यय (वर्ष के दौरान तथा संचयी रूप से) चित्रित करती है। भारित तथा दत्तमत व्यय अलग से दर्शाए जाते हैं। महत्वपूर्ण स्कीमों के संबंध में लघु शीर्ष स्तर पर पूंजीगत व्यय निरूपित करने के अतिरिक्त यह विवरणी उपशीर्ष स्तरों पर भी विवरण चित्रित करती है।
विवरणी सं. 14	**सरकार के निवेशों की विस्तृत विवरणी:** यह विवरणी सांविधिक निगमों सरकारी कंपनियों, अन्य ज्वाइट स्टॉक कंपनियों, सहकारी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों की साम्य पूंजी में राज्य सरकार के निवेशों को दर्शाती है।

परिशिष्ट 1.2 भाग – खः वित्त लेखाओं का विन्यास	
विवरणी	**विन्यास**
विवरणी सं. 15	**लघु शीर्षों द्वारा उधार तथा अन्य देयताओं की विस्तृत विवरणीः –** इस विवरणी में जो इस खंड के भाग – I में सार विवरणी – 6 के अनुरूप है, राज्य सरकार (मार्किटलोनज, बान्डज, केंद्र सरकार के ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत फंड आदि को जारी विशेष प्रतिभूतियां) द्वारा उठाए गए सभी ऋणों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिमों के सारे विवरण होते हैं। यह विवरणी तीन श्रेणियों के अंतर्गत ऋणों पर सूचना प्रस्तुत करती है। (क) व्यक्तिगत ऋणों के विवरण (ख) मैच्योरिटी प्रोफाइल यानि विभिन्न वर्षों में ऋणों की प्रत्येक श्रेणी के संबंध में भुगतान योग्य राशियां; तथा (ग) बकाया ऋणों की ब्याज दर प्रोफाइल।
विवरणी सं. 16	**सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों पर विस्तृत विवरणीः** यह विवरणी इस खंड के भाग – I में सार विवरणी 7 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 17	**राजस्व लेखे से अन्य व्यय के लिए फंडों के स्रोत तथा अनुप्रयोग पर विवरणी:** यह विवरणी इस सिद्धान्त पर आधारित है कि राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से किया जाना प्रत्याशित है, जबकि वर्ष का पूंजीगत व्यय, राजस्व सरप्लस, पब्लिक अकाउंट में नेट क्रेडिट शेषों, वर्ष की शुरूआत में नकद शेष तथा उधारों से पूरा किया जाता है।
विवरणी सं. 18	**आकस्मिक निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन – देनों पर विस्तृत विवरणी:** यह विवरणी लघु शीर्ष स्तर पर आकस्मिक निधि के अंतर्गत अप्रतिपूरित राशियों के विवरण, वर्ष के दौरान पब्लिक अकाउंट लेन – देनों की समेकित स्थिति तथा वर्ष के अंत में बकाया शेषों को चित्रित करती है।
विवरणी सं. 19	**चिन्हित शेषों पर विस्तृत विवरणी:** यह विवरणी रिजर्व फंडों (लोक लेखा) से निवेशों के विवरण चित्रित करती है।
खंड – II भाग – III मुख्य केंद्रीय स्कीमों तथा स्टेट प्लान स्कीमों आदि के संबंध में स्कीमवार व्यय, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं, सहायता अनुदान, सबसीडियों, वेतनों सहित विभिन्न मद **12 परिशिष्ट** शामिल करता है। ये विवरण उप – शीर्ष स्तर या नीचे (यानि लघु – शीर्ष स्तर से नीचे) अकाउंटस में प्रस्तुत है तथा इसीलिए सामान्य तौर पर वित्त लेखाओं में चित्रित नहीं किए जाते। परिशिष्ट की एक विस्तृत सूची खंड – 1 या 2 में 'सूचकांक' पर लगी होती है। परिशिष्टों के साथ पठित विवरणियां राज्य सरकार के वित्तों की स्थिति का एक पूर्ण चित्र देती हैं।	

परिशिष्ट-1.3

(संदर्भः अनुच्छेद प्रस्तावना; पृष्ठ 1)

राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनाई गई पद्धति

राज्य सरकार द्वारा उनके वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियमों तथा अधिनियम के अन्तर्गत विधानसभा में प्रस्तुत की जानी अपेक्षित अन्य विवरणियों में की गई वचनबद्धताओं/प्रक्षेपणों तथा वित्तीय योगों के स्थापन हेतु इसके प्रक्षेपणों सहित चयनित वित्तीय परिवर्ती हेतु बारहवें वित्त आयोग (बा.वि.आ.) द्वारा निर्धारित मानक/सीमाएं, मुख्य वित्तीय योगों के प्रवाहों एवं पद्धति के गुणवत्ता निर्धारण हेतु प्रयोग किए जाते हैं। यह मानते हुए कि स.रा.घ.उ. राज्य की अर्थव्यवस्था के निष्पादन की उत्तम सूचक है, कर तथा कर भिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूंजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण एवं राजस्व तथा वित्तीय घाटे जैसे मुख्य वित्तीय योगों, वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल राज्य घरेलु उत्पाद (जी.एस.डी.पी) की प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। स.रा.घ.उ. द्वारा निरूपित आधार के संदर्भ में उचित वित्तीय परिवर्ती हेतु उत्प्लावकता सह-दक्षताएं भी यह निर्धारित करने हेतु परिकलित की गई है, कि संसाधनों का संचलन, व्यय की पद्धति इत्यादि आधार में परिवर्तन की गति के साथ रखे जा रहे हैं अथवा ये वित्तीय योग स.रा.घ.उ. से अन्य घटकों द्वारा भी प्रभावित हैं।

गत पांच वर्षों हेतु स.रा.घ.उ. में प्रवाह नीचे सूचित किए गए हैं:

चालू दरों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) में प्रवाह

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	2,23,600	2,60,621	2,98,786	3,39,451	3,83,911
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर	22.51	16.56	14.64	13.61	13.10

स्रोतः निदेशालय आर्थिक एवं सांख्यिकी विश्लेषण, हरियाणा

वित्तीय योगों के प्रवाहों एवं पद्धति के निर्धारण में प्रयुक्त चयनित शब्दावली की कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई है:

शब्दावली	गणना के आधार
पैरा मीटर के उत्प्लावकता	पैरामीटर की वृद्धि की दर/स.रा.घ.उ. वृद्धि
अन्य पैरा मीटर (वाई) के संबंध में पैरामीटर (एक्स) की उत्प्लावकता	पैरामीटर (एक्स) की वृद्धि की दर/पैरामीटर (वाई) की वृद्धि की दर
वृद्धि की दर (आर.ओ.जी.)	[(चालू वर्ष राशि/गत वर्ष राशि)-1]* 100
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
कुल व्यय	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + ऋण एवं अग्रिम
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(गत वर्षों की राजकोषीय देयताओं की राशि + चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं)2]*100
ब्याज फैलाव	स.रा.घ.उ. वृद्धि - औसत ब्याज दर
प्रमात्रा फैलाव	ऋण स्टॉक * ब्याज फैलाव
बकाया ऋणों के *प्रतिशत* के रूप में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(ऋण एवं अग्रिमों का प्रारम्भिक + अन्त शेष)2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्तियां - विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	वित्तीय घाटा - ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्तियां <u>**घटा**</u> सभी योजनागत अनुदान तथा मुख्य शीर्ष 2048 के अन्तर्गत अभिलिखित व्यय को छोड़कर योजनेत्तर राजस्व व्यय-ऋण के परिहार की कटौती हेतु विनियोजन

परिशिष्ट 1.4

(संदर्भः अनुच्छेद 1.3; पृष्ठ 9)

राज्य सरकार के वित्तों पर समय क्रम आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
भाग – क प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	**20,993**	**25,564**	**30,558**	**33,634**	**38,012**
(i) कर राजस्व	**13,220(63)**	**16,790 (66)**	**20,399(67)**	**23,559(70)**	**25,567(67)**
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	9,032(68)	11,082 (66)	13,384(66)	15,377(65)	16,774(82)
राज्य उत्पाद शुल्क	2,059(16)	2,366 (14)	2,832(14)	3,236(14)	3,697(18)
वाहनों पर कर	277(2)	457 (3)	740(4)	887(4)	1,095(5)
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	1,294(10)	2,319 (14)	2,793(14)	3,326(14)	3,203(16)
भू-राजस्व	9	10	11	13	12
माल एवं यात्रियों पर कर	392(3)	387 (2)	429(2)	471(2)	498(2)
बिजली पर कर एवं शुल्क	120(1)	130 (1)	166	192(1)	219(1)
अन्य कर	37	39	44	57	69
(ii) कर – भिन्न राजस्व	**2,741(13)**	**3,421 (13)**	**4,722(15)**	**4,673(14)**	**4,975(13)**
(iii) संघीय करों एवं शुल्को में राज्य का हिस्सा	**1,775(8)**	**2302 (9)**	**2,682(9)**	**3,062(9)**	**3,343(9)**
(iv) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	**3,257(16)**	**3,051 (12)**	**2,755(9)**	**2,340(7)**	**4,127(11)**
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	**9**	**8**	**9**	**11**	**10**
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	**213**	**233**	**294**	**349**	**262**
4. कुल राजस्व एवं ऋणमुक्त पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	**21,215**	**25,805**	**30,861**	**33,994**	**38,284**
5. लोक ऋण प्राप्तियां	**8,455**	**9,843**	**10,767**	**15,213**	**17,604**
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट रहित)	8,320(98)	9,535 (97)	10,669(99)	15,162 (100)	17,263(98)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	135(2)	308 (3)	98(1)	51	341(2)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	**29,670**	**35,648**	**41,628**	**49,207**	**55,888**
7. आकस्मिक निधि प्राप्तियां	**-**	**193**	**168**	**-**	**-**
8. लोक लेखे प्राप्तियां	**15,789**	**16,595**	**19,260**	**22,709**	**26,548**
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	**45,459**	**52,436**	**61,056**	**71,916**	**82,436**
भाग – व्यय/संवितर ण					
10. राजस्व व्यय	**25,257**	**28,310**	**32,015**	**38,072**	**41,887**
योजनागत	5,715(23)	6,251 (22)	7,792(24)	9,456(25)	10,152(24)
योजनेत्तर	19,542(77)	22,059 (78)	24,223 (76)	28,616(75)	31,735(76)
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतानों सहित)	7,755(31)	9,328 (33)	10,220 (32)	11,897(31)	13,597(32)
आर्थिक सेवाएं	7,530(30)	7,997 (28)	9,054 (28)	11,557(30)	12,740(30)
सामाजिक सेवाएं	9,902(39)	10,904 (39)	12,641 (39)	14,516(38)	15,414(37)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	70(-)	81 (-)	99	102	136(1)
11. पूंजीगत व्यय	**5218**	**4,031**	**5,372**	**5,762**	**3,935**
योजनागत	4,203(81)	3,845 (95)	4,354 (81)	4,191(73)	5,067(129)
योजनेत्तर	1,015(19)	186 (5)	1,018 (19)	1,571(27)	(-)1,132 (-29)
सामान्य सेवाएं	187(4)	199 (5)	235 (5)	251(4)	282(7)
आर्थिक सेवाएं	3,961(76)	2,602 (65)	3,770 (70)	4,065(71)	1,829(46)
सामाजिक सेवाएं	1,070(20)	1,230 (31)	1,367 (25)	1,446(25)	1,824(46)
12. ऋणों एवं अग्रिमों का वितरण	**830**	**722**	**627**	**522**	**776**
13. कुल (10+11+12)	**31,305**	**33,063**	**38,014**	**44,356**	**46,598**
14. लोक ऋण के पुनर्भुगतान	**2,746**	**3,971**	**4,037**	**5,951**	**7,968**
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट रहित)	2,576(94)	3,846 (97)	3,812 (94)	5,825(98)	7,800(98)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	170**(6)**	125 (3)	225 (6)	126(2)	168(2)
15. आकस्मिक निधि के विनियोजन	**-**	**190**	**-**	**-**	**-**
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	**34,051**	**37,224**	**42,051**	**50,307**	**54,566**
17. आकस्मिक निधि संवितरण	**-**	**3**	**168**	**-**	**-**
18. लोक लेखे संवितरण	**14,320**	**15,324**	**17,051**	**21,074**	**24,560**
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	**48,371**	**52,551**	**59,270**	**71,381**	**79,126**
भाग ग – घाटा/आधिक्य					
20. राजस्व घाटा (–)/आधिक्य (+)(1–10)	**(-)4,264**	**(-)2,746**	**(-) 1,457**	**(-)4,438**	**(-) 3,875**
21. राजकोषीय घाटा (–)/आधिक्य (+)(4–13)	**(-)10,090**	**(-)7,258**	**(-) 7,153**	**(-)10,362**	**(-) 8,314**
22. प्राथमिक घाटा (–)/आधिक्य (+) (21+23)	**(-)7,353**	**(-)3,939**	**(-) 3,152**	**(-)5,618**	**(-) 2,464**

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
भाग – घ अन्य आंकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	**2,737**	**3,319**	**4,001**	**4,744**	**5,850**
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	**1,947**	**2,223**	**3,306**	**4,648**	**4,540**
25. अर्थोपाय अग्रिम (अ.अ.)/प्राप्त ओवर ड्राफ्ट (दिनों में)	**170(7)**	**670(8)**	**974(11)**	**347(12)**	**109 (4)**
26. अ.अ./ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज[4]	**0.05**	**1.16**	**1.51**	**0.78**	**0.03**
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)[5]	**2,23,600**	**2,60,621**	**2,98,786**	**3,39,451**	**3,83,911**
28. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	**39,337**	**46,282**	**54,540**	**64,818**	**76,263**
29. ब्याज तथा गारंटी फीस सहित बकाया गारंटियां (वर्ष के अन्त में)	**4,536**	**4,528**	**5,608**	**21,124**	**27,309**
30. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	**15**	**21**	**8**	**14**	**40**
31. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध पूंजी (₹ करोड़ में)	**30.00**	**41**	**186**	**48**	**398**
भाग – ई राजकोषीय स्थिति सूचक					
I संसाधन गतिशीलता					
स्वयं का कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.059	0.064	0.068	0.069	0.067
स्वयं का कर-भिन्न राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.012	0.013	0.016	0.014	0.013
केन्द्रीय अन्तरण/स.रा.घ.उ.	0.008	0.009	0.009	0.009	0.009
II व्यय प्रबन्ध					
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	0.140	0.127	0.127	0.131	0.121
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	1.491	1.293	1.244	1.319	1.226
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.807	0.856	0.842	0.858	0.899
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.364	0.367	0.368	0.360	0.370
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.374	0.321	0.337	0.352	0.313
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.167	0.122	0.141	0.130	0.084
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.161	0.116	0.135	0.124	0.078
III राजकोषीय असंतुलनों का प्रबन्ध					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	(-)0.019	(-)0.011	(-)0.005	(-)0.013	(-)0.010
राजकोषीय घाटा/स.रा.घ.उ.	(-)0.045	(-)0.028	(-)0.024	(-)0.031	(-)0.022
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	(-)0.033	(-)0.015	(-)0.011	(-)0.017	(-)0.006
राजस्व घाटा/वित्तीय घाटा	0.423	0.378	0.204	0.428	0.466
प्राथमिक राजस्व शेष/स.रा.घ.उ.	(-)0.032	(-)0.021	(-)0.013	(-)0.018	(-)0.017
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्ध					
राजकोषीय देयताएं/स.रा.घ.उ.	0.176	0.178	0.183	0.191	0.199
वित्तीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियां	1.187	1.810	1.785	1.927	2.006
परिमात्रा विस्तार की तुलना में प्राथमिक घाटा	4.181	(-)0.457	(-)0.730	(-) 2.044	(-) 1.163
ऋण विमोचन (मूल+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियां	0.740	0.831	0.810	0.806	0.833
V अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक					
निवेश पर रिटर्न	9.60	2.48	1.64	7.05	6.49
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	(-)117	2325	4977	3741	4406
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं	0.80	0.77	0.78	0.75	0.74

[4] अर्थोपाय अग्रिमों पर ₹ 0.03 करोड़ का ब्याज सात से दस *प्रतिशत* की दर पर दिया गया था।

[5] आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण, हरियाणा के डायरेक्टोरेट द्वारा यथा संचारित वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. आंकड़े।

परिशिष्ट 1.5 भाग – क

(संदर्भः अनुच्छेद 1.1.1; पृष्ठ 2)

वर्ष 2013 – 14 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां				संवितरण				
	2012-13		2013-14		2012-13	2013-14		
						नॉन प्लान	प्लान	कुल
भाग कः राजस्व								
I. राजस्व प्राप्तियां	**33,633.53**		**38,012.08**	**I. राजस्व व्यय**	**38,071.72**	**31,735.01**	**10,152.09**	**41,887.10**
कर राजस्व	23,559.00	25,566.60		**सामान्य सेवाएं**	**11,896.75**	**13,505.73**	**91.58**	**13,597.31**
कर भिन्न राजस्व	4,673.15	4,975.06		**सामाजिक सेवाएं**	**14,516.35**	**8,167.73**	**7,245.68**	**15,413.41**
संघीय करों का राज्य का हिस्सा	3,062.13	3,343.24		शिक्षा, खेल, कला एवं सांस्कृति	7,023.51	5,074.98	2,298.52	7,373.50
नॉन प्लान अनुदान	851.62	2,256.17		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,596.85	845.73	856.91	1,702.64
राज्य प्लान स्कीमों हेतु अनुदान	727.75	856.66		जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	2,728.19	1,391.54	1,488.65	2,880.19
केन्द्रीय एवं केन्द्रीय पोषित प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	759.88	1,014.35		सूचना एवं प्रसारण	64.74	35.48	58.90	94.38
				अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	336.44	134.88	186.94	321.82
				श्रम एवं श्रम कल्याण	232.65	157.33	80.38	237.71
				समाज कल्याण एवं पोषण	2,527.22	521.68	2,275.38	2,797.06
				अन्य	6.75	6.11	--	6.11
				आर्थिक सेवाएं	**11,556.73**	**9,925.37**	**2,814.83**	**12,740.20**
				कृषि एवं सहायक गतिविधियां	1,705.62	887.06	959.39	1,846.45
				ग्रामीण विकास	1,289.96	555.23	1,172.17	1,727.40
				विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	--	--	--	--
				सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,059.45	888.17	273.66	1,161.83
				ऊर्जा	5,140.30	5,207.29	4.76	5,212.05
				उद्योग एवं खनिज	86.90	35.31	61.76	97.07
				परिवहन	2,110.03	2,304.95	75.06	2,380.01
				विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	26.01	7.19	22.56	29.75
				अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	138.46	40.17	245.47	285.64
				सहायता अनुदान तथा अंशदान	**101.89**	**136.18**		**136.18**
II. भाग ख को अग्रनीत राजस्व घाटा	**4,438.19**		**3,875.02**	**भाग ख को अग्रनीत राजस्व आधिक्य**				
योग भाग क	**38,071.72**		**41,887.10**		**38,071.72**	**31,735.01**	**10,152.09**	**41,887.10**
भाग ख – अन्य								
III. स्थायी अग्रिमों एवं नकद शेष निवेश सहित आरम्भिक नकद शेष	**2,161.75**		**2,697.11**	**III. भारतीय रिजर्व बैंक से आरम्भिक ओवरड्राफ्ट**				
IV. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	**10.81**		**9.89**	**IV. पूंजीगत परिव्यय**	**5,761.84**	**(-)1,132.12**	**5,066.72**	**3,934.60**
				सामान्य सेवाएं	**250.6**	**0**	**282.16**	**282.16**
				सामाजिक सेवाएं	**1,445.99**	**0**	**1,823.95**	**1,823.95**
				शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	123.11	0	158.99	158.99
				स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4.05	0	49.83	49.83
				जलापूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	1,198.59	0	1,500.63	1,500.63
				अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1.00	0	1.25	1.25
				समाज कल्याण एवं पोषण	58.70	0	1.93	1.93
				अन्य	60.54	0	111.32	111.32

प्राप्तियां				संवितरण				
	2012-13		2013-14		2012-13	2013-14		
						नॉन प्लान	प्लान	कुल
				आर्थिक सेवाएं	**4,065.25**	**(-) 1,132.12**	**2,960.61**	**1,828.49**
				कृषि एवं सहायक गतिविधियां	1,659.55	(-) 1,132.55	56.85	(-)1,075.70
				सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	887.46	-	908.29	908.29
				ऊर्जा	198.62	-	100.08	100.08
				उद्योग एवं खनिज	2.22	-	6.05	6.05
				परिवहन	1295.40	0.43	1,869.05	1,869.48
				सामान्य आर्थिक सेवाएं	22	-	20.29	20.29
V. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	**349.38**		**261.85**	**V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम**	**521.99**	**282.26**	**493.35**	**775.61**
बिजली परियोजनाओं से	9.34	7.94		बिजली परियोजनाओं हेतु	73.86	-	290.88	290.88
सरकारी कर्मचारियों से	187.60	207.89		सरकारी कर्मचारियों को	237.79	282.26	-	282.26
अन्यों से	152.44	46.02		अन्यों को	210.34	-	202.47	202.47
VI राजस्व आधिक्य नीचे लाया गया	-			**VI. राजस्व घाटा नीचे लाया गया**	**4,438.19**			**3,875.02**
VII. लोक ऋण प्राप्तियां	**15,213.54**		**17,604.16**	**VII. लोक ऋण का पुनर्भुगतान**	**5,951.37**			**7,968.47**
बाह्य ऋण				बाह्य ऋण				
अर्थोपाय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट से अन्य आन्तरिक ऋण	15,162.39	17,262.69		अर्थोपाय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट से अन्य आन्तरिक ऋण	5,824.68	7,800.08		
अर्थोपाय अग्रिमों के अधीन निवल संपादन	--			अर्थोपाय अग्रिमों के अन्तर्गत निवल संपादन	--			
केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	51.15	341.47		केन्द्रीय सरकार को ऋण एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान	126.69	168.39		
VIII. आकस्मिक निधि का विनियोजन	-			**VIII. आकस्मिक निधि का विनियोजन**	-			
IX. आकस्मिक निधि से हस्तांतरित राशि	-			**IX. आकस्मिक निधि से व्यय**	-			
X. लोक लेखा प्राप्तियां	**22,708.90**		**26,548.06**	**X. लोक लेखा संवितरण**	**21,073.88**			**24,560.19**
लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि.	2,310.94	2,498.81		लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि.	1,852.98	1,777.82		
आरक्षण निधियां	666.68	511.50		आरक्षण निधियां	106.01	60.20		
उचन्त एवं विविध	652.76	371.03		उचन्त एवं विविध	560.82	641.64		
प्रेषण	5,928.62	7,521.22		प्रेषण	6,001.22	7,521.46		
निक्षेप एवं अग्रिम	13,149.90	15,645.50		डिपोजिटस एवं अग्रिम	12,552.85	14,559.07		
XI. रिज़र्व बैंक आफ इंडिया से संवरण ओवरड्राफ्ट				**XI. समाप्ति पर नकद शेष**	**2,697.11**			**6,007.18**
				कोषालयों तथा स्थानीय प्रेषणों में नकद	0.54	0.54		
				रिजर्व बैंक के साथ निक्षेप	164.43	(-) 652.85		
				स्थायी अग्रिमों इत्यादि सहित विभागीय नकद शेष	2.28	(-) 1.33		
				नकद शेष निवेश एवं उद्दिष्ट निवेश	2,529.86	6,660.82		
योग भाग – ख	**40,444.38**		**47,121.07**	**योग**	**40,444.38**			**47,121.07**

परिशिष्ट 1.5 भाग ख
(संदर्भः अनुच्छेद 1.9.2; पृष्ठ 29)
31 मार्च 2014 को राज्य सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2013 को		देयताएं		31 मार्च 2014 को
48,680.54		**आन्तरिक ऋण**		**58,143.15**
	29,656.16	ब्याज युक्त बाजार ऋण	40,277.53	
	2.31	ब्याज रहित बाजार ऋण	2.31	
	4.38	जीवन बीमा निगम से ऋण	2.48	
	7,514.05	अन्य संस्थाओं इत्यादि से ऋण	6,329.11	
	11,503.64	केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	11,531.72	
1,977.73		**केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम**		**2,150.81**
		1984-85 से पूर्व के ऋण		
	25.28	योजनेत्तर ऋण	48.98	
	1,920.42	स्टेट प्लान स्कीमों हेतु ऋण	2,095.5	
	8.60	केन्द्रीय प्लान स्कीमों हेतु ऋण		
	23.43	केन्द्रीय पोषित प्लान स्कीमों हेतु ऋण	6.33	
200.00		**आकस्मिक निधि**		**200.00**
9,395.64		**लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि**		**10,116.63**
4,488.54		**डिपोजिटस**		**5,574.98**
2,712.91		**आरक्षण निधियां**		**3,164.21**
129.46		**उचंत तथा विविध शेष**		**--**
157.48		**प्रेषण शेष**		**157.23**
67,742.30				**79,507.01**
31 मार्च 2013 को		**परिसम्पत्तियां**		**31 मार्च 2014 को**
44,524.18		**स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय**		**48,448.90**
	7,240.02	कम्पनियों, निगमों इत्यादि के शेयरों में निवेश	7,378.87	
	37,284.16	अन्य पूंजीगत परिव्यय	41,070.03	
3,488.48		**ऋण एवं अग्रिम**		**4,002.24**
	650.52	बिजली परियोजनाओं हेतु ऋण	933.46	
	2,172.17	अन्य विकास ऋण	2,328.62	
	665.79	सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	740.16	
0.78		**अग्रिम**		**0.78**
-	**-**	**उचन्त एवं विविध शेष**		**141.14**
-	**-**	**प्रेषण शेष**		**-**
2,697.11		**नकद**		**6,007.18**
	0.54	कोषालयों में नकद तथा स्थानीय प्रेषण	0.54	
	164.43	रिजर्व बैंक में डिपोजिटस	(-) 652.85	
	2.17	विभागीय नकद शेष	(-) 1.44	
	0.11	स्थायी अग्रिम	0.11	
	92.46	नकद शेष निवेश	3,774.41	
	2,437.40	आरक्षण निधि निवेश	2,886.41	
17,031.75		**सरकारी लेखाओं पर घाटा**		**20,906.77**
	(-)4,438.19	(i) चालू वर्ष का राजस्व आधिक्य/घाटा	3,875.02	
	12,593.52	(ii) गत वर्ष तक संचित घाटा	17,031.75	
	0.04	(iii) विविध सरकारी लेखा[6]		
67,742.30		**योग**		**79,507.01**

परिशिष्ट 1.3 तथा 1.4 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी: आगे विवरणियों में संक्षिप्त लेखे, वित्त लेखाओं में टिप्पणियों एवं व्याख्याओं के साथ पढ़े जाने हैं। सरकारी लेखे मुख्यत: नकद आधार पर होने के कारण, सरकारी लेखे पर घाटा, जैसा कि **परिशिष्ट 1.5** में दर्शाया गया है, नकद आधार पर स्थिति सूचित करता है जो वाणिज्यिक लेखांकन में अर्जन आधार के विरूद्ध है। परिणामत:, देय अथवा प्राप्य मदें अथवा स्टाक आंकड़ों में ह्रास अथवा भिन्नता जैसे मदें लेखे में लेखाबद्ध नहीं होती। उचन्त एवं विविध शेषों में, जारी किए गए परन्तु भुगतान नहीं किए गए चैक, राज्य की ओर से किए गए भुगतान तथा अन्य लम्बित समायोजन इत्यादि सम्मिलित हैं। लेखाओं में दर्शाए गए तथा ''भारतीय रिजर्व बैंक में निक्षेप'' के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 31 मार्च 2014 को सूचित किए गए आंकड़ों में ₹ 35.93 करोड़ (जमा) का अंतर था। अंतर मिलान अधीन था (अगस्त 2014)।

[6] मुख्य शीर्ष ''8680-विविध सरकारी लेखे'' के अंतर्गत शेष को बंद करते हुए लेखाशीर्ष से बट्टे खाते डाले गए।

परिशिष्ट 1.6

(संदर्भः अनुच्छेद 1.1.1; पृष्ठ 3)

वर्ष 2013 – 14 के लिए तेरहवें वित्त आयोग, राजकोषीय सुधार पथ तथा मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणी के अन्तर्गत निर्धारण/प्रक्षेपणों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

विवरण	ते.वि.आ. द्वारा निर्धार ा	रा.सु.प. में प्रक्षेपण	म.अ.रा.नी.वि. में प्रक्षेपण
सकल राज्य घरेलू उत्पाद			
स्वयं का कर राजस्व	26,577.32	28,099	28,784.34
स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	16,795.90	5,115	5,162.48
स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	43,373.21	33,214	33,946.82
योजनेतर राजस्व व्यय	22,138.16	31,135	32,419.81
योजनागत राजस्व व्यय		8,545	13,803.75
वेतन	7,687.43	10,990	12,792.44
ब्याज भुगतान	5,314.21	5,180	6,301.65
पेंशन	2,581.24	4,080	3,820.00
सबसिडी-विद्युत		4,020	4,260.25
राजस्व घाटा	शून्य	शून्य	कुल राजस्व प्राप्तियों का 5.58 प्रतिशत
राजकोषीय घाटा	स.रा.घ.उ. का तीन प्रतिशत	स.रा.घ.उ. का तीन प्रतिशत	स.रा.घ.उ. का 2.18 प्रतिशत
बकाया ऋण	स.रा.घ.उ. का 22.8 प्रतिशत	स.रा.घ.उ. का 22.8 प्रतिशत	16.47 प्रतिशत स.रा.घ.उ. का
देयताएं		67,770	72,881.54

परिशिष्ट 1.7

(संदर्भः अनुच्छेद 1.8.3; पृष्ठ 25)

अन्ततम वर्ष, जिसके लिए लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया था, में हानियों में चल रहे सांविधिक निगमों एवं सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति

क्र.सं.	सरकारी कम्पनियां	निवेश (2013-14 तक)	संचित हानि	लेखा वर्ष
		(₹ करोड़ में)		
1.	हरियाणा पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	22.77	7.38	2009-10
2.	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई (नलकूप) निगम लिमिटेड	10.89	349.91	2012-13
3.	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	185.74	25.28	2011-12
4.	हरियाणा विद्युत उत्पादन लिमिटेड	2,735.24	412.14	2012-13
5.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	938.67	14,720.46	2012-13
6.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	855.74	8,637.94	2012-13
7.	हरियाणा वित्तीय निगम	201.98	163.57	2012-13
8.	हरियाणा मिनरल्ज लिमिटेड	0.24	11.76	2011-12
9.	यमुना कोल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	0.01	0.07	2012-13
कुल		**4,951.28**	**24,328.51**	

परिशिष्ट 1.8

(संदर्भः अनुच्छेद 1.8.4; पृष्ठ 26)

विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक/अर्ध–वाणिज्यिक उपक्रमों की सारांशित वित्तीय स्टेटमेंट

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखाओं की अवधि	गत खाते के अनुसार नियोजित पूंजी	साधन सरकारी पूंजी	ह्रास मूल्य पर ब्लाक परिसम्पत्तियां	वर्ष के दौरान किया गया ह्रास प्रावधान	टर्नओवर	निवल लाभ/हानि	पूंजी पर ब्याज	कुल रिटर्न (9+10)	पूंजी पर रिटर्न प्रतिशतता
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1.	कृषि विभाग (बीज डीपो स्कीम)	1988-89	-	-	-	-	0.03	(-) 0.01	-	(-) 0.01	-
2.	कृषि विभाग (कीटनाशियों का क्रय एवं वितरण)	1986-87[7]	0.82	1.68	-	-	1.67	0.13	-	0.13	7.74
3.	मुद्रण एवं लेखन (राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कीम)	2007-08	17.97	21.59	0.09	0.01	7.24	1.74	1.43	3.17	14.68
4.	खाद्य एवं आपूर्ति (अनाज आपूर्ति स्कीम)	2012-13	5,439.92	4555.35	-	-	5,241.52	(-) 198.39	462.87	264.48	5.81
5.	परिवहन विभाग हरियाणा रोडवेज़	2009-10	678.74	643.37	635.67	(-) 1.59[8]	668.06	(-) 288.83	50.82	(-) 238.01	-
कुल			**6,137.45**	**5,221.99**	**635.76**		**5,918.52**	**(-) 485.36**	**515.12**	**29.76**	**0.57**

[7] 1986–87 के बाद स्कीम सहकारी समितियों को ट्रांसफर की गई।

[8] नेगेटिव आंकड़े, वर्ष 2009–10 में ह्रास रिजर्व फंड में कमी के कारण थे।

परिशिष्ट 1.9

(संदर्भः अनुच्छेद 1.8.5; पृष्ठ 26)

कार्यान्वयनाधीन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मूलभूत संरचना परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र. सं.	परियोजना का नाम	विभाग / एजेंसी	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	संरचना (बी.ओ.ओ.टी. / बी.ओ.टी.)	प्रदानगी की तारीख	पूर्णता की संभावित तारीख
1.	राई मलिकपुर का विकास (राजस्थान सीमा) – हरियाणा राज्य में नारनौल – महेन्द्रगढ़ – दादरी – भिवानी – खरक गलियारा	लो.नि.वि. (भ. व स.)	1,201.70	डी.बी.एफ.ओ.टी.	31 जनवरी 2012	बोलीदाता की ₹ 24.03 करोड़ की बोली प्रतिभूमि भुनाई गई थी (फरवरी 2014) क्योंकि बोलीदाता निष्पादन प्रतिभूमि प्रस्तुत करने में विफल रहा
2.	कुण्डली मानेसर पलवल (के.एम.पी.) एक्सप्रैसवे का निर्माण	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	2,310.00	बी.ओ.टी.	14 नवम्बर 2005	जून 2014 तक 69 प्रतिशत भौतिक प्रगति प्राप्त की गई
3.	मनोरंजन पार्क गुड़गांव का निर्माण	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	230.00	संयुक्त उद्यम	01 अप्रैल 2004	परियोजना का मुख्य हिस्सा कार्यान्वित किया गया
4.	रिलायंस विशेष आर्थिक जोन लिमिटेड, गुड़गांव	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	12,500.00	संयुक्त उद्यम	19 जून 2006	सरकार ने रियायत का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया था तथा ₹ 337.85 करोड़ का पुनर्भुगतान करने का निर्णय किया। ठेका समाप्त करने से संबंधित मामला प्रगति अधीन था (जून 2014)
5.	रिलायंस विशेष आर्थिक जोन लिमिटेड, झज्जर	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	12,500.00	संयुक्त उद्यम	19 जून 2006	
6.	यूनिटेक विशेष आर्थिक जोन लिमिटेड, कुण्डली – सोनीपत	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	22,000.00	संयुक्त उद्यम	04 अप्रैल 2007	प्रोजेक्ट रोक कर रखा गया है
7.	पेट्रोकैमीकल हब, पानीपत	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	3,730.00	संयुक्त उद्यम	14 अप्रैल 2006	प्रोजेक्ट लिया नहीं जा सका इसलिए एच.एस.आई.डी.सी. स्वयं से प्रोजेक्ट इंपलीमेंट कर रही थी।
8.	नैनोसिटी, पंचकुला	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	1,846.00	संयुक्त उद्यम	31 अक्तूबर 2006	प्रोजक्ट रद्द किया गया तथा 22 जनवरी 2013 को प्रोमोटर्स को सूचित किया गया।
9.	यूरोपियन टेक्नोलोजी पार्क, फरीदाबाद	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	1,448.00	संयुक्त उद्यम	10 अक्तूबर 2006	प्रोजक्ट रद्द किया गया तथा 22 जनवरी 2013 को प्रोमोटर्स को सूचित किया गया।
10.	दिल्ली मेट्रो सिकन्दरपुर से एन.एच. – 8, गुड़गांव तक मेट्रो लिंक का विकास	हुडा	900.00	बी.ओ.टी.	16 जुलाई 2009	मार्च 2016 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य किया
11.	सामान्य सेवा केन्द्र स्कीम	हारट्रोन	18.00	बी.ओ.टी.	17 अप्रैल 2007	वर्तमान में आपरेशनल नहीं हैं। विकल्पी माडलज का अध्ययन किया जा रहा है। आई.टी. विभाग विश्लेषण कर रहा है तथा नया माडल बनाएगा।
12.	आई.सी.टी. स्कीम के अन्तर्गत पूर्ण सुविधा प्रबंध	स्कूल शिक्षा	39.78	बी.ओ.ओ. / बी.ओ.ओ.टी.	19 नवम्बर 2009	नवंबर 2014 तक लक्ष्य पूर्ण किया जाना है।
13.	आई.सी.टी. स्कीम के अन्तर्गत पूर्ण सुविधा प्रबंध	स्कूल शिक्षा	11.22	बी.ओ.ओ. / बी.ओ.ओ.टी.	25 नवम्बर 2009	नवंबर 2014 तक लक्ष्य पूर्ण किया जाना है।
14.	213 गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूलों में आई.सी.टी. स्कीम के अन्तर्गत विस्तृत कम्प्यूटर शिक्षा परियोजना	स्कूल शिक्षा	47.00	बी.ओ.ओ. / बी.ओ.ओ.टी	03 मार्च 2010	सितंबर 2015 तक लक्ष्य पूर्ण किया जाना है।
कुल			**58,821.70**			

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.1; पृष्ठ 38)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों, जहां प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹ 100 करोड़ से अधिक थी,

की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल	पूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचतें	अभ्यर्पित
राजस्व (दत्तमत)							
1.	4 – राजस्व	858.50	121.62	980.12	654.63	325.49	295.94
2.	7 – आयोजना तथा सांख्यिकी	546.76	0.35	547.11	266.26	280.85	274.26
3.	9 – शिक्षा	8,753.77		8,753.77	6,935.45	1,818.31	1,812.52
4.	13 – स्वास्थ्य	1,936.13	46.12	1,982.24	1,702.51	279.74	281.70
5.	14 – शहरी विकास	189.01	3.37	192.38	74.01	118.37	118.27
6.	15 – स्थानीय सरकार	2,074.00	70.00	2,144.00	1,554.43	589.57	592.62
7.	19 – एस.सी., एस.टी. और बी.सीज का कल्याण	420.13	42.66	462.79	321.82	140.96	140.99
8.	20 – सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1,821.21	143.75	1,964.96	1,863.34	101.62	101.62
9.	21 – बाल विकास	695.87	23.17	719.04	561.23	157.81	156.44
10.	23 – खाद्य एवं आपूर्ति	258.13	108.28	366.41	180.89	185.52	185.52
11.	24 – सिंचाई	1,509.37		1,509.37	1,126.83	382.54	121.41
12.	27 – कृषि	1,071.59	17.07	1,088.66	831.74	256.92	241.88
13.	32 – ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास	2,171.25	28.06	2,199.31	1,853.95	345.36	346.27
14.	36 – गृह	2,028.35	166.74	2,195.10	2,051.28	143.82	135.36
15.	40 – ऊर्जा और विद्युत	4,295.82	1,039.71	5,335.52	5,232.65	102.88	102.89
राजस्व (भारित)							
16.	6 – वित्त	6,994.92		6,994.92	5,849.77	1,145.14	715.05
पूंजीगत (दत्तमत)							
17.	8 – भवन एवं सड़कें	2,005.06	500.00	2,505.06	2,158.45	346.60	356.45
18.	14 – शहरी विकास	850.00		850.00	387.36	462.64	457.17
19.	21 – महिला तथा बाल विकास	188.62	7.00	195.62	1.75	193.87	193.87
20.	23 – खाद्य एवं आपूर्ति	8,350.34		8,350.34	5,310.03	3,040.31	3,036.66
21.	38 – जन-स्वास्थ्य और जलापूर्ति	1,064.93	149.73	1,214.66	1,077.38	137.28	125.78
22.	40 – ऊर्जा और विद्युत	475.68		475.68	100.08	375.60	375.60
23.	45 – राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	1,083.55	5.74	1,089.29	775.61	313.67	149.79
पूंजीगत (भारित)							
24.	लोक ऋण	13,104.90		13,104.90	8,077.26	5,027.64	3,046.17
कुल		**62,747.89**	**2,473.37**	**65,221.25**	**48,948.71**	**16,272.51**	**13,364.23**

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.4; पृष्ठ 40)

2013 – 14 के दौरान प्रावधान के बिना किए गए व्यय का ब्यौरा

क्र. स.	अनुदानों की संख्या तथा नाम	प्रावधान के बिना व्यय की राशि (₹ करोड़ में)	कारण/टिप्पणियां
1	24-सिंचाई	106.61	लेखा शीर्ष-'2700-मुख्य सिंचाई, 02- पश्चिमी जमुना कैनाल प्रोजेक्ट (वाणिज्यिक) 800-अन्य व्यय, 99-ब्याज' के अंतर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
2		1.75	लेखा शीर्ष '2700-मुख्य सिंचाई, 001 निदेशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व' के अंतर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा, आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
3		0.11	लेखा शीर्ष '2700-मुख्य सिंचाई, 01 बहु प्रयोजन, नदी परियोजना (वाणिज्यिक), 001-निदेशन एवं प्रशासन, 93-मुख्य अभियंता' के अंतर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
4		155.34	शीर्ष '4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 06-जल के उचित बंटवारे के लिए नई माइनर, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता' के अंतर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
5		24.07	शीर्ष '4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 06-जल के उचित बंटवारे के लिए नई माइनर, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 89-विशेष राजस्व' के अंतर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
6		8.92	शीर्ष '4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 06-जल के उचित बंटवारे के लिए नई माइनर, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 92-अधीक्षण अभियंता' के अंतर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
7		8.45	शीर्ष '4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 06-जल के उचित बंटवारे के लिए नई माइनर, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 93-मुख्य अभियंता' के अंतर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
8		0.32	शीर्ष '4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 06-जल के उचित बंटवारे के लिए नई माइनर, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 88-पेंशनरी प्रभार' के अंतर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
9		78.66	शीर्ष '4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 01-बाढ़ नियंत्रण, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 97-निष्पादन' के अंतर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
10		7.13	शीर्ष '4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 95-विशेष राजस्व' के अंतर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
11		4.10	शीर्ष '4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 01-बाढ़ नियंत्रण, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 99-मुख्य अभियंता' के अंतर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।

क्र. स.	अनुदानों की संख्या तथा नाम	प्रावधान के बिना व्यय की राशि (₹ करोड़ में)	कारण/टिप्पणियां
12	24-सिंचाई	3.74	शीर्ष '4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 01-बाढ़ नियंत्रण, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 98-अधीक्षण अभियंता' के अंतर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
13		0.15	शीर्ष '4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 01-बाढ़ नियंत्रण, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 88-पेंशनर चार्जिज' के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
14		70.66	शीर्ष '4706-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, मौजूदा नहरों/ड्रेनेज सिस्टम का पुनरूद्धार, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता' के अंतर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
15		9.67	शीर्ष '4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, मौजूदा नहरों/ड्रेनेज सिस्टम का पुनरूद्धार, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 89-विशेष राजस्व' के अंतर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
16		3.44	शीर्ष '4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 16-मौजूदा नहरों/ड्रेनेज सिस्टम का पुनरूद्धार, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 92-अधीक्षण अभियंता' के अंतर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
17		3.40	शीर्ष '4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 16-मौजूदा नहरों/ड्रेनेज सिस्टम का पुनरूद्धार, 001-निदेशन तथा प्रशासन 93-मुख्य अभियंता' के अंतर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
18		0.13	शीर्ष '4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 16-मौजूदा नहरों/ड्रेनेज सिस्टम का पुनरूद्धार, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 88-पेंशनरी चार्जिज' के अंतर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
19		4.81	शीर्ष '4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 799-उचंत, 99-उचंत' के अंतर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
20	45-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	25.00	शीर्ष '6425-निगम के लिए ऋण, 108-अन्य सहकारिताओं को ऋण, 86-कृषकों के लिए हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को राज्य सरकार ऋणों के लिए स्कीम' के अंतर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
कुल		**516.46**	

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.6; पृष्ठ 40)

उन मामलों के विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	प्रावधानों में से बचतें
राजस्व (दत्तमत)					
1	3-सामान्य प्रशासन	150.26	4.82	147.50	7.58
2	4-राजस्व	858.50	121.62	654.63	325.49
3	5-आबकारी एवं कराधान	137.50	5.12	131.82	10.80
4	11-खेल एवं युवा	173.81	6.91	124.39	56.33
5	13-स्वास्थ्य	1,936.13	46.12	1,702.51	279.74
6	14-शहरी विकास	189.01	3.37	74.01	118.37
7	15-स्थानीय शासन	2,074.00	70.00	1,554.43	589.57
8	19-एस.सी./एस.टी. और बी.सी. का कल्याण	420.13	42.66	321.82	140.96
9	21-महिला एवं बाल विकास	695.87	23.17	561.23	157.81
10	23-खाद्य एवं आपूर्ति	258.13	108.28	180.89	185.52
11	25-उद्योग	112.33	0.97	75.68	37.62
12	27-कृषि	1,071.59	17.07	831.74	256.92
13	30-वन एवं वन्य जीवन	265.14	1.75	259.23	7.66
14	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	2,171.25	28.06	1,853.95	345.36
15	38-जन-स्वास्थ्य और जलापूर्ति	1,261.56	38.22	1,230.53	69.25
16	42-न्याय-प्रशासन	322.65	8.86	308.23	23.29
उप-योग		**1,2097.86**	**527.00**	**1,0012.59**	**2,612.27**
राजस्व (भारित)					
17	2-राज्यपाल एवं परिषद्	8.43	1.25	6.37	3.31
	उप-योग	**8.43**	**1.25**	**6.37**	**3.31**
पूंजीगत (दत्तमत)					
18	21-महिला एवं बाल विकास	188.62	7.00	1.75	193.87
19	35-पर्यटन	24.00	1.30	20.29	5.01
20	45-ऋण एवं अग्रिम	1,083.55	5.74	775.61	313.67
	उप-योग	**1,296.17**	**14.04**	**797.65**	**512.55**
	कुल-योग	**13,402.46**	**542.29**	**10,816.61**	**3,128.13**

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.7; पृष्ठ 40)

प्रत्येक मामले में एक करोड़ से अधिक की निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओः मूल एसः पूरक आरः पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य(+) बचत(–)
1.	01	विधान सभा	2011–संसद/स्टेट/यू.टी. विधायिका 02–स्टेट/यू.टी. विधायिका 101–विधान सभा 99–स्थापना	(ओ) 6.77 (एस) 1.00 (आर) (-) 0.40 7.37	5.95	(-) 1.42
2.			2011–संसद/स्टेट/यू.टी. विधायिका 02–राज्य/यू.टी. विधायिका 103–विधान सचिवालय 98–मुख्य संसदीय सचिव/संसदीय सचिव	(ओ) 15.47 (एस) 5.71 (आर) (-)0.09 21.09	20.01	(-)1.08
3.	02	राज्यपाल एवं मंत्री परिषद्	2013–मंत्री परिषद 800–अन्य व्यय 99–मंत्री आवास आफिस का रख–रखाव	(ओ) 8.03 (एस) 3.00 (आर) (-) 1.97 9.06	10.08	(+)1.02
4.	04	राजस्व	2245–प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत 05–राज्य आपदा अनुक्रिया फंड 101–राज्य आपदा अनुक्रिया फंड तथा 99–राज्य अंशदान	(ओ) 223.31 (एस) 112.25 (आर) (-) 36.71 298.85	275.84	(-) 23.01
5.			2053–जिला प्रशासन 094–अन्य स्थापनप 99–उप मंडल स्थापना	(ओ)14.91 (आर) 2.70 17.61	16.56	(-)1.05
6.	06	वित्त	2071–पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत लाभ 01–सिविल 104–ग्रेज्यूटीज	(ओ)558.00 (एस) 27.24 (आर) 36.39 621.63	683.48	(+)61.85
7.			2049–ब्याज भुगतान 200–अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज 92–एन.सी.आर.पी.बी. से ऋणों पर ब्याज	(ओ) 356.15 (आर) (-) 219.63 136.53	142.83	(+) 6.30
8.			2049–ब्याज भुगतान 200–अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज 91–8.5% राज्य सरकार के कर मुक्त स्पेशल बांडस (पावर बांडस)	(ओ) 45.06 (आर) (-) 0.01 45.05	-	(-)45.05
9.			2049–ब्याज भुगतान 115–भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज 99–भारतीय रिजर्व बैंक अर्थोपाय अग्रिम	(ओ) 50.00 (आर) (-) 45.00 5.00	0.03	(-)4.97
10.			2049–ब्याज भुगतान 04–केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज 101–राज्य/संधीय क्षेत्र प्लान स्कीम के लिए ऋणों पर ब्याज 99–ब्लाक ऋण	(ओ) 76.20 (आर) (-) 45.31 30.89	40.22	(+) 9.33
11.			2049–ब्याज भुगतान 01–आंतरिक ऋणों पर ब्याज 305–ऋणों का प्रबंधन 99–नए ऋणों आदि के निर्गम पर व्यय	(ओ) 3.00 (आर) (-) 1.00 2.00	3.62	(+)1.62

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओः मूल एसः पूरक आरः पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य(+) बचत(–)
12.			2049 – ब्याज भुगतान 01 – आंतरिक ऋणों पर ब्याज 101 – बाजार ऋणों पर ब्याज 99 – ब्याज वाले बाजार ऋणों पर ब्याज	(ओ) 2,841.46 (आर) 22.89 2,864.36	2,707.63	(-)156.73
13.			2049 – ब्याज भुगतान 01 – आंतरिक ऋणों पर ब्याज 123 – राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज 93 – लघु बचतों पर ब्याज	(ओ) 1,081.97 (आर) (-) 47.10 1,034.86	1,109.93	(+)75.07
14.			2049 – ब्याज भुगतान 03 – लघु बचतों, भविष्य निधियों इत्यादि पर ब्याज 104 – राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज 99 – राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज	(ओ) 782.09 (आर) 35.14 817.23	805.54	(-)11.69
15.			2049 – ब्याज भुगतान 04 – केंद्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज 108 – 9वें वित्त आयोग की सिफारिश के अंतर्गत समेकित 1984 – 89 राज्य प्लान ऋणों पर ब्याज 99 – 1984 – 89 पूर्व समेकित ऋण	(ओ) 71.53 (आर) 8.22 79.75	65.77	(-)13.98
16.			2049 – ब्याज भुगतान 05 – आरक्षण निधियों पर ब्याज 101 – मूल्य ह्रास पर ब्याज रिन्यूवल रिजर्व फंड 98 – ह्रास रिजर्व फंड (मोटर ट्रांसपोर्ट)	(ओ) 27.77 (आर) 1.23 29.00	27.97	(-)1.03
17.	7	आयोजना एवं सांख्यिकी	3451 – सचिवालय आर्थिक सेवाएं 102 – जिला आयोजना मशीनरी 95 – जिला योजना	(ओ) 313.00 (आर) (-) 172.89 140.11	135.13	(-) 4.98
18.			3451 – सचिवालय आर्थिक सेवाएं 789 – एस.सी. के लिए विशेष घटक योजना 99 – जिला योजनागत स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जाति का कल्याण	(ओ) 187.00 (आर) (-) 85.37 101.63	100.09	(-)1.54
19.	8	भवन एवं संड़के	3054 – सड़कें एवं पुल 797 – रिजर्व फंडस तथा अकाउंटस से/को हस्तान्तरण 99 – सी.आर.एफ. को अकाउंट हस्तान्तरण	(ओ) 100.00 (आर) (-) 65.97 34.03	74.42	(+)40.39
20.			3054 – सड़कें एवं पुल 03 – राज्य राजमार्ग 337 – सड़क निर्माण	(ओ) 50.15 (आर) 27.19 77.34	75.26	(-)2.08
21.			5054 – सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 04 – जिला एवं अन्य सड़कें 789 – अनुसूचित जाति 99 – अनुसूचित जाति आबादी क्षेत्र में सड़कों का निर्माण/चौड़ा करना/सुदृढ़ीकरण तथा विशेष मरम्मत	(ओ) 341.00 (आर) (-)68.93 272.07	262.93	(-)9.14

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओः मूल एसः पूरक आरः पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य(+) बचत(–)
22.			5054 – सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 04 – जिला एवं अन्य सड़कें 337 – सड़क निर्माण 99 – जिला सड़कें 98 – राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत निर्माण/सुदृढ़ीकरण एवं चौडा करना	(ओ) 45.00 (आर) (-)4.5 40.50	52.11	(+) 11.61
23.			4059 – लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 60 – अन्य भवन 051 – निर्माण 99 – लोक निर्माण	(ओ) 13.00 (आर) (-)0.07 12.93	17.93	(+)5.00
24.			4059 – लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 01 – आफिस भवन 051 – निर्माण 99 – जिला प्रशासन	(ओ) 78.84 (आर) (-) 3.98 74.86	79.86	(+)5.00
25.			4059 – लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 60 – अन्य भवन 051 – निर्माण 98 – न्याय प्रशासन	(ओ) 35.00 (आर) 7.78 42.78	32.41	(-)10.37
26.			5054 – सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 04 – जिले तथा अन्य सड़कें 337 – सड़क निर्माण 98 – ग्रामीण सड़कें 99 – राज्य स्कीम के लिए सड़कों के बाइपास निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ा करना	(ओ)247.00 (एस)220.00 (आर) (-)9.71 457.29	459.43	(+)2.14
27.	9	शिक्षा	2202 – सामान्य शिक्षा 03 – यूनिवर्सिटी तथा उच्च शिक्षा 103 – गवर्नमैंट कालेज तथा संस्थान 99 – संस्थान	(ओ) 238.61 (आर) (-)11.78 226.83	221.04	(-)5.79
28.	13	स्वास्थ्य	2210 – चिकित्सा एवं जन – स्वास्थ्य 03 – ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं एलौपैथी 103 – प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 84 – एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत राज्य हिस्सा के रूप में सहायतानुदान	(ओ)120.00 (आर) (-)13.36 106.64	110.64	(+)4.00
29.	14	शहरी विकास	4217 – शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय 60 – अन्य शहरी विकास स्कीमें 051 – निर्माण 97 – सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए प्रोत्साहन पैकेज	(ओ) 415.00 (आर) (-) 115.00 300.00	293.93	(-)6.07
30.	15	स्थानीय शासन	2217 – शहरी विकास 800 – अन्य व्यय 81 – संघटित आवास एवं स्लम विकास प्रोग्राम 99 – नार्मल प्लान	(ओ) 27.77 (आर) 10.58 38.35	41.53	(+)3.18
31.	23	खाद्य एवं आपूर्ति	4408 – खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय 01 – खाद्य 101 – प्रापण एवं आपूर्ति 99 – अन्न आपूर्ति स्कीम	(ओ) 7,549.79 (आर) (-) 2,718.68 4,831.11	4827.46	(-)3.65

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओः मूल एसः पूरक आरः पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य(+) बचत(–)
32.	24	सिंचाई	2700 – मुख्य सिंचाई 02 – पश्चिमी जमुना कैनाल परियोजना (वाणिज्यिक) 001 – निदेशन एवं प्रशासन 91 – कार्यकारी अभियंता	(ओ) 337.02 (आर) (-) 38.52 298.50	86.42	(-) 212.08
33.			2700 – मुख्य सिंचाई 02 – पश्चिमी जमुना कैनाल परियोजना (वाणिज्यिक) 001 – निदेशन एवं प्रशासन 91 – कार्यकारी अभियंता 89 – विशेष राजस्व	(ओ) 38.84 (आर) (-) 6.27 32.57	8.99	(-)23.58
34.			2700 – मुख्य सिंचाई 02 – पश्चिमी जमुना कैनाल परियोजना (वाणिज्यिक) 001 – निदेशन एवं प्रशासन 91 – कार्यकारी अभियंता 92 – अधीक्षण अभियंता	(ओ) 29.24 (आर) (-) 11.36 17.88	6.08	(-)11.80
35.			2700 – मुख्य सिंचाई 02 – पश्चिमी जमुना कैनाल परियोजना (वाणिज्यिक) 101 – रख – रखाव तथा मरम्मत 98 – अन्य रख – रखाव व्यय	(ओ) 30.50 (आर) (-) 1.30 29.20	27.18	(-) 2.02
36.			2700 – मुख्य सिंचाई 01 – बहु – प्रयोजन नदी परियोजना (वाणिज्यिक) 001 – निदेशन एवं प्रशासन 91 – कार्यकारी अभियंता	(ओ) 63.74 (आर) 0.43 64.17	2.65	(-) 61.52
37.			2700 – मुख्य सिंचाई 01 – बहु – प्रयोजन नदी परियोजना (वाणिज्यिक) 001 – निदेशन एवं प्रशासन 89 – विशेष राजस्व	(ओ) 20.02 (आर) (-) 1.91 18.11	0.54	(-) 17.57
38.			2700 – मुख्य सिंचाई 01 – बहु – प्रयोजन नदी परियोजना (वाणिज्यिक) 001 – निदेशन एवं प्रशासन 92 – अधीक्षण अभियंता	(ओ) 2.46 (आर) (-) 0.40 2.06	0.12	(-) 1.94
39.			2700 – मुख्य सिंचाई 18 – गैर वाणिज्यिक सिंचाई परियोजना 001 – निदेशन एवं प्रशासन 91 – कार्यकारी अभियंता	(ओ) 42.28 (आर) (-)1.97 40.31	11.60	(-) 28.71
40.			2700 – मुख्य सिंचाई 18 – गैर वाणिज्यिक सिंचाई परियोजना 001 – निदेशन एवं प्रशासन 91 – कार्यकारी अभियंता 92 – अधीक्षण अभियंता	(ओ) 4.97 (आर) (-) 1.98 2.99	0.52	(-) 2.47
41.			2700 – मुख्य सिंचाई 18 – गैर वाणिज्यिक सिंचाई परियोजना 001 – निदेशन एवं प्रशासन 91 – कार्यकारी अभियंता 93 – मुख्य अभियंता	(ओ) 2.75 (आर) (-) 0.41 2.34	0.52	(-) 1.82

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओः मूल एसः पूरक आरः पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य(+) बचत(–)
42.			2700 – मुख्य सिंचाई 80 – सामान्य 001 – निदेशन एवं प्रशासन 93 – मुख्य अभियंता	(ओ) 30.02 (आर) (-) 9.41 20.61	6.40	(-) 14.21
43.			2700 – मुख्य सिंचाई 18 – गैर वाणिज्यिक सिंचाई परियोजना 101 – रख – रखाव तथा मरम्मत 98 – अन्य रख – रखाव व्यय	(ओ) 8.50 (आर) 0.50 9.00	12.32	(+)3.32
44.			2700 – मुख्य सिंचाई 01 – बहु – प्रयोजन नदी परियोजना (वाणिज्यिक) 101 – रख – रखाव तथा मरम्मत 98 – अन्य रख – रखाव व्यय 99 – हरियाणा हिस्सा	(ओ) 3.22 (आर) 0.28 3.50	4.79	(+)1.29
45.			2700 – मुख्य सिंचाई 02 – पश्चिमी जमुना कैनाल परियोजना (वाणिज्यिक) 800 – अन्य व्यय 98 – विद्युत प्रभार	(ओ) 30.00 (आर)(-)1.00 29.00	31.15	(+)2.15
46.			2700 – मुख्य सिंचाई 04 – लोहारू कैनाल परियोजना (वाणिज्यिक) 800 – अन्य व्यय 98 – विद्युत प्रभार	(ओ) 30.00 (आर)(-) 5.48 24.52	29.11	(+)4.59
47.			4701 – मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 06 – जल के उचित बंटवारे के लिए नई माइनर 800 – अन्य व्यय 98 – कैनाल का निर्माण	(ओ) 19.15 (आर) (-) 7.62 11.53	50.93	(+)39.40
48.			4701 – मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 07 – नाबार्ड के अंतर्गत पुरानी/मौजूदा नहरों का सुधार 800 – अन्य व्यय 98 – कैनाल का निर्माण	(ओ) 98.50 (आर) (-) 6.40 92.10	143.34	(+)51.24
49.			4701 – मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 80 – सामान्य 052 – मशीनरी तथा उपकरण 99 – संस्थानिक सुदृढ़ीकरण डाटा संग्रहण	(ओ) 0.25 (आर) (-) 0.17 0.08	1.55	(+)1.47
50.			4700 – सिंचाई पूंजीगत परिव्यय 16 – मौजूदा चैनल्ज/ड्रेनेज सिस्टम का पुनरूद्धार 001 – निदेशन एवं प्रशासन 98 – कैनाल का निर्माण	(ओ) 38.00 (आर) (-) 10.70 27.30	53.54	(+)26.24

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओः मूल एसः पूरक आरः पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य(+) बचत(–)
51.			4700 – मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 15 – चैनल्ज की लाईनिंग 800 – अन्य व्यय 97 – बी.एम.एल. – हांसी ब्रांच – बुटाना ब्रांच बहुप्रयोजन लिंक चैनल	(ओ) 1.00 (आर) (-) 0.55 0.45	4.47	(+)4.02
52.			4701 – मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 07 – नाबार्ड के अंतर्गत पुरानी/मौजूदा चैनल्ज का सुधार 789 – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99 – राज्य में अनुसूचित जाति आबादी के लिए आर.आई.डी.एफ. (नाबार्ड) के अंतर्गत पुरानी/मौजूदा चैनल्ज का सुधार	(ओ) 91.50 (आर) (-) 6.30 85.20	47.97	(-)37.23
53.			4701 – मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 06 – जल के उचित वितरण के लिए नई माइनर 800 – अन्य व्यय 97 – भूमि की वार्षिकी	(ओ) 20.00 (आर) (-) 10.53 9.47	2.42	(-) 7.05
54.			4701 – मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 06 – जल के उचित वितरण के लिए नई माइनर 789 – अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना 99 – राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या के लिए जल के उचित बंटवारे के लिए नई माइनर में सुधार	(ओ) 15.50 (आर) (-)2.80 12.70	8.79	(-) 3.91
55.			4701 – मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 80 – सामान्य 002 – डाटा संग्रहण 99 – सिंचाई परियोजनाओं का डाटा संग्रहण	(ओ) 15.00 (आर) (-) 3.10 11.90	10.52	(-) 1.38
56.			4700 – मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 13 – केवल सिस्टमज का आधुनिकी करण तथा लाइनिंग 800 – अन्य व्यय 98 – कैना का निर्माण	(ओ) 39.37 (आर) 0.55 39.92	13.91	(-) 26.01
57.			4700 – मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 16 – मौजूदा वचैनलज/ड्रेनज सिस्टम का पुरूद्धार 789 – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99 – राज्य में अनु. जाति आबादी में निर्माण कार्यों में सुधार तथा जल मार्गों का पुनरूद्धार	(ओ) 26.00 (आर) (-) 1.00 25.00	12.39	(-) 12.61
58.			4700 – मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 15 – नहर की लाईनिंग 800 – अन्य व्यय 98 – बी.एम.एल. क्षमता का पुनरूद्धार	(ओ) 5.50 (आर) (-) 0.54 4.96	0.49	(-)4.47
59.			4711 – बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 01 – बाढ़ नियंत्रण 201 – ड्रेनेज तथा बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं 99 – बाढ़ सुरक्षा तथा आपदा तैयारी	(ओ) 108.05 (आर) (-) 3.85 104.20	105.42	(+)1.22

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओः मूल एसः पूरक आरः पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य(+) बचत(–)
60.			4701 – मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 80 – सामान्य 800 – अन्य व्यय 98 – कोर्ट आदेश के अंतर्गत बढ़ाई गई भूमि क्षतिपूर्ति का भुगतान	(ओ)50.00 (आर) (-) 0.19 49.81	56.03	(+) 6.22
61.	27	कृषि	2415 – कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा 01 – फसल पालन 277 – शिक्षा 99 – हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	(ओ) 120.00 (आर) (-) 10.96 109.04	97.04	(-) 12.00
62.			2402 – भूमि एवं जल संरक्षण 102 – भूमि संरक्षण 86 – राज्य में लवणीय भूमि तथा जल भराव युक्त भूमि के सुधार के पाइलैट प्रोजैक्ट हेतु स्कीम 99 – नोरमल प्लान	(ओ) 4.20 (आर) (-) 1.14 3.06	0.86	(-) 2.20
63.	28	पशुपालन एवं डेयरी विकास	2403 – पशुपालन 101 – पशु सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य 62 – पशु संस्थाओं का खोलना/अपग्रेड करना तथा मजबूत करना	(ओ) 49.00 (आर) (-) 10.23 38.77	29.10	(-)9.67
64.			2403 – पशुपालन 101 – पशु सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य 93 – अस्पताल सह प्रजनन केंद्रों में पशु डिस्पैंसरीज/स्टाकमैन का संरक्षण	(ओ) 65.59 (आर) (-) 7.85 57.75	61.62	(+)3.87
65.			2403 – पशुपालन 101 – पशु सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य 95 – पशु अस्पतालों तथा डिस्पैंसरीज को जारी रखना	(ओ)60.82 (आर) (-) 2.28 58.54	64.17	(+)5.63
66.			2406 – वानिकी एवं वन्य जीवन 02 – पर्यावरण वानिकी तथा वन्य जीवन 110 – वन्य जीवन परिरक्षण 99 – मुख्यालय स्टाफ	(ओ)6.35 (आर) (-)0.66 5.68	4.50	(-)1.18
67.	30	वन एवं वन्य जीव	2406 – वानिकी एवं वन्य जीवन 01 – वानिकी 102 – सामाजि तथा फार्म वानिकी 94 – वन का सर्वेक्षण, चिन्हींकरण तथा समायोजन	(ओ)1.24 (आर) (-)0.09 1.16	2.36	(+)1.20
68.	36	गृह	2055 – पुलिस 104 – विशेष पुलिस 98 – भारतीय रिजर्व बटालियन	(ओ) 86.19 (एस) 23.30 (आर) (-)15.49 94.00	78.04	(-) 15.95
69.			2055 – पुलिस 114 – वायरलैस तथा कम्प्यूटरज 99 – वायरलैस तथा कम्प्यूटर 98 – स्थापना व्यय	(ओ) 76.05 (एस) 0.30 (आर)(-) 3.96 72.40	64.95	(-)7.45
70.			2055 – पुलिस 111 – रेलवे पुलिस 99 – रेलवे कमांडो फोर्स	(ओ)75.22 (एस) 0.80 (आर) (-)3.28 72.74	69.29	(-) 3.45
71.			2055 – पुलिस 101 – क्रीमीनल छानबीन तथा सतर्कता 99 – सी.आई.डी. तथा एस.सी.आर.बी.	(ओ)72.61 (एस)1.03 (आर)7.16 80.79	88.05	(+)7.26

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओः मूल एसः पूरक आरः पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य(+) बचत(–)
72.			2055 – पुलिस 109 – जिला पुलिस 99 – जिला पुलिस बल	(ओ)1377.05 (एस)125.83 (आर) (-)46.89 1,455.99	1467.09	(+)11.10
73.			4055 – पुलिस पर पूंजीगत व्यय 207 – राज्य पुलिस 97 – पुलिस स्टेशन	(ओ)100.00 (आर) (-)15.01 84.99	26.17	(-)58.82
74.	38	जन – स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति	2215 – जलापूर्ति एवं सफाई 01 – जलापूर्ति 799 – उचंत	(ओ) 3.70 (आर) (-)2.09 1.61	(-) 29.57	(-)31.18
75.			2215 – जलापूर्ति एवं सफाई 01 – जलापूर्ति 101 – शहरी जलापूर्ति प्रोग्राम 99 – शहरी जलापूर्ति एवं सीवरेज का रखरखाव 99 – विद्युत प्रभार	(ओ) 159.50 (आर) (-)2.09 170.65	173.36	(+)2.71
76.			2215 – जलापूर्ति एवं सफाई 01 – जलापूर्ति 101 – शहरी जलापूर्ति प्रोग्राम 98 – रख – रखाव प्रभार	(ओ) 53.66 (एस)13.00 (आर) 20.90 87.56	75.44	(-) 12.12
77.			2215 – जलापूर्ति एवं सफाई 01 – जलापूर्ति 102 – ग्रामीण जलापूर्ति प्रोग्राम 97 – ग्रामीण जलापूर्ति प्रोग्राम	(ओ)460.50 (एस)7.00 (आर) 10.12 477.62	475.06	(-) 2.56
78.			4215 – जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय 799 – उचंत 99 – स्टाक 98 – स्टाक को क्रेडिट	(ओ)5.00 (आर)(-)4.78 0.22	(-)6.60	(-)6.82
79.			4215 – जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय 101 – शहरी सफाई सेवाएं 90 – नेशनल नदी संरक्षण प्लान	(ओ)68.26 (आर)5.06 73.32	74.82	(+)1.50
80.			4215 – जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय 101 – शहरी जलापूर्ति 99 – शहरी जलापूर्ति संवर्धन	(ओ)55.00 (एस)15.00 (आर)7.67 77.67	70.90	(-)6.77
81.	लोक ऋण	लोक ऋण (सभी भारित)	6003 – राज्य सरकार को आंतरिक ऋण 109 – अन्य संस्थानों से ऋण 96 – एन.सी.आर.पी.बी. (पी.एच.) से ऋण	(ओ) 332.49 (आर) (-)174.29 158.20	95.43	(-) 62.77
82.			6003 – राज्य सरकार को आंतरिक ऋण 108 – राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण 99 – राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	(ओ) 10.66 (आर)79.68 90.34	9.03	(-)81.31
83.			6004 – केंद्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम 02 – राज्य/यू.टी. प्लान स्कीमों से ऋण 101 – ब्लॉक ऋण	(ओ)21.50 (आर)54.86 76.36	67.43	(-)8.93
84.	45	ऋण एवं अग्रिम	6801 – विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण 205 – संचारण एवं वितरण 98 – हरियाणा विद्युत परसारण निगम को ऋण	(ओ)484.11 (आर)(-)0.10 484.01	290.88	(-)193.13

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य(+) बचत(–)
85.			7610 – सरकारी कर्मचारियों इत्यादि को ऋण 201 – गृह निर्माण ऋण 99 – अखिल भारतीय सेवाएं अधिकारियों से अन्य सरकारी को अग्रिम 98 – ऐच्छिक कोटा के अंतर्गत अग्रिम	(ओ)40.00 (आर)(-)5.85 34.15		(-)34.15
86.			7610 – सरकारी कर्मचारियों इत्यादि को ऋण 201 – गृह निर्माण ऋण 99 – अखिल भारतीय सेवाएं अधिकारियों से अन्य सरकारी कर्मचारी को अग्रिम 98 – मंत्रियों, उप – मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, प्रीजाइडिंग अधिकारियों तथा राज्य विद्यायिकों को अग्रिम	(ओ)8.00 (आर)(-)5.44 2.57		(-)2.57
87.			7610 – सरकारी कर्मचारियों इत्यादि को ऋण 201 – गृह निर्माण अग्रिम 800 – अन्य अग्रिम 99 – खाद्यान्नों की खरीद के लिए अग्रिम	(ओ)80.00 (आर)(-)59.08 20.92	48.30	(+)27.38
88.			7610 – सरकारी कर्मचारियों इत्यादि को ऋण 201 – गृह निर्माण अग्रिम 800 – अन्य अग्रिम 97 – शादियों के समारोह के लिए अग्रिम	(ओ)45.00 (आर)(-)15.92 29.08	27.92	(-)1.16
89.			7610 – सरकारी कर्मचारियों इत्यादि को ऋण 202 – मोटर वाहनों के क्रय के लिए अग्रिम 99 – मंत्रियों तथा राज्य विद्यायकों से अन्य मोटर वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम 98 – ऐच्छिक कोटा के अंतर्गत अग्रिम	(ओ)15.00 (आर)(-)2.02 12.98		(-)12.98
90.			7610 – सरकारी कर्मचारियों इत्यादि को ऋण 202 – मोटर वाहनों के क्रय के लिए अग्रिम 99 – ऐच्छिक कोटे के अंतर्गत अग्रिम	(ओ)45.00 (आर)(-)19.10 25.90	33.75	(+)7.85
91.			6425 – सहकारिता के लिए ऋण 108 – अन्य सहकारिताओं के लिए ऋण 99 – संघटित सहकारी विकास प्रोग्राम	(ओ)21.27 (आर)10.10 31.37	7.85	(-)23.52
92.			7610 – सरकारी कर्मचारियों इत्यादि को ऋण 201 – गृह निर्माण अग्रिम 99 – अखिल भारतीय सेवाएं अधिकारियों से अन्य सरकारी कर्मचारी को अग्रिम 99 – ऐच्छिक कोटे के अंतर्गत अग्रिम	(ओ)136.28 (आर)(-)19.29 116.99	161.54	(+)44.55
93.			7610 – सरकारी कर्मचारियों इत्यादि को ऋण 201 – गृह निर्माण अग्रिम 800 – अन्य अग्रिम 98 – त्यौहार अग्रिम	(ओ)4.50 (आर)1.06 5.56	7.04	(+)1.48
कुल						**(+)482.20** **(-)1,364.70**

सार	मामलों की संख्या	राशि (करोड़ में)
विनियोजन पर अतिरिक्त व्यय (+)	35	(+) 482.20
विनियोजन में से बचत (-)	58	(-)1,364.70
कुल	**93**	

₹ 10 करोड़ से अधिक परन्तु ₹ 25 करोड़ से कम के आधिक्य के मामले	**मामलों की संख्या**	**राशि (करोड़ में)**
क्र.सं. 22 और 72	2	22.71
₹ 10 करोड़ से अधिक परन्तु ₹ 25 करोड़ से कम की बचत के मामले		
क्र.सं. 4, 14, 15, 25, 33, 34, 37, 42, 57, 61, 68, 76, 89, 91	14	215.39
कुल	**16**	

₹ 25 करोड़ से अधिक के आधिक्य के मामले	**मामलों की संख्या**	**राशि (करोड़ में)**
क्र.सं. 6, 13, 19, 47, 48, 50, 87, 92	8	366.12
₹ 25 करोड़ से अधिक के बचत के मामले		
क्र.सं. 8, 12, 32, 36, 39, 52, 56, 73, 74, 81, 82, 84, 85	13	1028.69
कुल	**21**	

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.8; पृष्ठ 41)

मार्च 2014 की समाप्ति पर ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/संख्या	मूल	पूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें/ आधिक्य (-)	अभ्यर्पित राशि
राजस्व (दत्तमत)							
1	4 – राजस्व	858.50	121.62	980.12	654.63	325.49	295.94
2	5 – आबकारी एवं कराधान	137.50	5.12	142.62	131.82	10.80	10.92
3	6 – वित्त	3,880.66	229.29	4,109.95	4,220.33	(-)110.38	12.07
4	7 – योजना एवं सांख्यिकी	546.76	0.35	547.11	266.26	280.85	274.26
5	8 – भवन एवं सड़क	1,122.09	0.07	1,122.16	1,060.81	61.35	77.64
6	9 – शिक्षा	8,753.77	--	8,753.77	6,935.45	1,818.32	1,812.52
7	10 – तकनीकी शिक्षा	373.50	--	373.50	294.82	78.68	78.20
8	11 – खेल एवं युवा कल्याण	173.81	6.91	180.72	124.39	56.33	56.46
9	13 – स्वास्थ्य	1,936.13	46.12	1,982.25	1,702.51	279.74	281.70
10	14 – शहरी विकास	189.01	3.37	192.38	74.01	118.37	118.27
11	15 – स्थानीय शासन	2,074.00	70.00	2,144.00	1,554.43	589.57	592.62
12	17 – रोजगार	78.45	--	78.45	52.84	25.61	25.19
13	18 – औद्योगिक प्रशिक्षण	180.30	--	180.30	155.99	24.31	23.82
14	19 – एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी., बी.सी. का कल्याण	420.13	42.66	462.79	321.82	140.97	140.99
15	20 – सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	1,821.21	143.75	1,964.96	1,863.34	101.62	101.62
16	21 – महिला एवं बाल विकास	695.87	23.17	719.04	561.23	157.81	156.44
17	23 – खाद्य एवं आपूर्ति	258.13	108.28	366.41	180.89	185.52	185.52
18	24 – सिंचाई	1,509.37	--	1,509.37	1,126.83	382.54	121.41
19	25 – उद्योग	112.33	0.97	113.30	75.68	37.62	36.46
20	27 – कृषि	1,071.59	17.07	1,088.66	831.74	256.92	241.88
21	28 – पशुपालन एवं डेरी विकास	489.45	--	489.45	407.61	81.84	81.64
22	32 – ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	2,171.25	28.06	2,199.31	1,853.95	345.36	346.27
23	33 – सहकारिता	202.67	59.32	261.99	232.77	29.22	29.16
24	34 – परिवहन	1,525.43	82.52	1,607.95	1,528.05	79.90	79.20
25	36 – गृह	2,028.35	166.74	2,195.09	2,051.28	143.81	135.36
26	38 – जन – स्वास्थ्य	1,261.56	38.22	1,299.78	1,230.53	69.25	26.42
27	39 – सूचना एवं प्रचार	191.78	--	191.78	94.38	97.40	97.35
28	40 – ऊर्जा एवं विद्युत	4,295.82	1,039.71	5,335.53	5,232.65	102.88	102.89
29	41 – इलैक्ट्रोनिक्स एवं आई.टी.	30.41	--	30.41	15.40	15.01	15.01
30	42 – न्याय – प्रशासन	322.65	8.86	331.51	308.23	23.28	23.00
31	44 – मुद्रण एवं लेखन सामग्री	40.44	--	40.44	28.93	11.51	11.47
राजस्व (भारित)							
32	6 – वित्त	6,994.92	--	6,994.92	5,849.77	1,145.15	715.05

क्र.सं.	अनुदान/संख्या	मूल	पूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें/ आधिक्य (-)	अभ्यर्पित राशि
पूंजीगत (दत्तमत)							
33	8 – भवन एवं सड़क	2,005.06	500.00	2,505.06	2,158.45	346.61	356.45
34	9 – शिक्षा	27.20	--	27.20	13.60	13.60	13.6
35	13 – स्वास्थ्य	80.00	--	80.00	25.00	55.00	55.00
36	14 – शहरी विकास	850.00	--	850.00	387.36	462.64	457.17
37	21 – महिला एवं बाल विकास	188.62	7.00	195.62	1.75	193.87	193.87
38	23 – खाद्य एवं आपूर्ति	8,350.34	--	8,350.34	5,310.03	3,040.31	3,036.66
39	24 – सिंचाई	639.00	--	639.00	852.26	(-)213.26	156.60
40	28 – पशुपालन	20.00	--	20.00	4.95	15.05	15.05
41	33 – सहकारिता	74.95	--	74.95	45.82	29.13	29.13
42	36 – गृह	109.00	35.79	144.79	129.75	15.04	15.01
43	38 – जन – स्वास्थ्य	1,064.93	149.73	1,214.66	1,077.38	137.28	125.78
44	40 – ऊर्जा एवं विद्युत	475.68	--	475.68	100.08	375.6	375.60
45	45 – ऋण एवं अग्रिम	1,083.54	5.74	1,089.28	775.61	313.67	149.79
पूंजीगत (भारित)							
46	लोक ऋण	13,104.90	--	13,104.90	8,077.26	5,027.64	3,046.17
कुल		**73,821.06**	**2,940.44**	**76,761.50**	**59,982.67**	**16,778.83**	**14,332.63**

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.9; पृष्ठ 41)

वर्ष की अन्तिम तिमाही/माह में व्यय की अधिकता दर्शाने वाले ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष योजना/स्कीम	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2014 के दौरान व्यय	
				राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
1.	04-राजस्व	2705-कमाण्ड क्षेत्र विकास	27.45	13.55	49.36	9.95	36.25
2.	06-वित्त	2049-ब्याज भुगतान	5,849.77	4,019.80	68.72	1815.77	31.04
3.	07-योजना एवं सांख्यिकी	3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	243.74	135.29	55.51	90.57	37.16
4.	08-भवन एवं सड़कें	3054-सड़क एवं पुल	809.60	386.26	47.71	322.65	39.85
5.	09-शिक्षा	4202-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	13.60	13.60	100.00	13.60	100.00
6.	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	54.89	29.58	53.89	18.21	33.18
7.	19-अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गो का कल्याण	2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	321.82	167.64	52.09	99.08	30.79
8.	24-सिंचाई	2701-मध्यम सिंचाई	204.39	176.71	86.46	171.09	83.71
9.		4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	520.08	321.94	61.90	254.62	48.96
10.		4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	169.12	127.07	75.14	108.23	64.00
11.		4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय	219.10	144.57	65.98	125.47	57.27
12.		2705-कमांड क्षेत्र विकास	136.61	84.74	62.03	49.74	36.41
13.	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	3604-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और सुपुर्दगी	136.18	129.45	95.06	120.34	88.37
14.	33-सहकारिता	4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	44.79	42.78	95.51	27.91	62.31
15.	37-चुनाव	2015-चुनाव	29.99	17.47	58.25	10.66	35.55
16.	40-ऊर्जा एवं विद्युत	4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	100.08	50.08	50.04	50.08	50.04
17.		3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	24.79	14.96	60.35	0.66	2.66
कुल			**8,906**	**5,875.49**	**65.97**	**3,288.63**	**36.93**

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.1; पृष्ठ 42)

वर्ष 2013 – 14 के लिए भुगतान के समर्थन में वाऊचरों को प्रस्तुत न करना

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	खजाने का नाम	वाऊचरों की संख्या	राशि
1.	अंबाला	12	13,64,132
2.	भिवानी	23	25,78,306
3.	चण्डीगढ़	09	8,59,920
4.	फरीदाबाद	04	4,40,376
5.	फतेहाबाद	08	1,19,712
6.	गुड़गांव	59	4,94,20,830
7.	हिसार	15	68,08,586
8.	जगाधरी	04	5,95,860
9.	झज्जर	02	1,49,179
10.	जींद	01	47,780
11.	कैथल	01	27,060
12.	करनाल	40	46,40,927
13.	कुरूक्षेत्र	04	3,72,704
14.	नारनौल	04	20,77,331
15.	नूंह	06	5,60,164
16.	पानीपत	07	10,28,520
17.	पंचकुला	23	24,57,186
18.	रेवाड़ी	03	3,45,585
19.	रोहतक	20	33,49,750
20.	सिरसा	09	3,35,442
21.	सोनीपत	05	3,44,273
कुल		**259**	**7,79,23,623**

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भः अनुच्छेद 2.4.2; पृष्ठ 42)

भुगतानों की प्रथम सूची – कोषालयों द्वारा प्रत्येक माह, जिससे लेखे संबंधित हैं, की 13 से 17 तारीख तक देय लेखाओं का विलंब से प्रस्तुतिकरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	माह	खजाने का नाम	प्राप्ति की वास्तविक तिथि	विलंब (दिनों में)
1.	अप्रैल 2013	अंबाला	22 अप्रैल 2013	05
		चण्डीगढ	26 अप्रैल 2013	09
		गुड़गांव	26 अप्रैल 2013	09
2.	मई 2013	अंबाला	24 मई 2013	07
		गुड़गांव	27 मई 2013	10
		करनाल	24 मई 2013	07
		पानीपत	21 मई 2013	04
		पंचकूला	21 मई 2013	04
		सिरसा	27 मई 2013	10
3.	जून 2013	अंबाला	12 अगस्त 2013	08
		गुड़गांव	21 जून 2013	04
		जगाधरी	21 जून 2013	04
		झज्जर	21 जून 2013	04
		जींद	21 जून 2013	04
		सिरसा	24 जून 2013	07
4.	जुलाई 2013	अंबाला	12 अगस्त 2013	26
		फरीदाबाद	30 जुलाई 2013	13
		जगाधरी	30 जुलाई 2013	13
		झज्जर	30 जुलाई 2013	13
		जींद	30 जुलाई 2013	13
		कैथल	25 जुलाई 2013	08
		नारनौल	22 जुलाई 2013	05
5.	अगस्त 2012	अंबाला	23 अगस्त 2013	06
		फरीदाबाद	26 अगस्त 2013	09
		हिसार	21 अगस्त 2013	04
		जगाधरी	23 अगस्त 2013	06
		झज्जर	30 अगस्त 2013	13
		जींद	03 सितंबर 2013	17
		नूंह	21 अगस्त 2013	04
		रेवाड़ी	27 अगस्त 2013	10
6.	सितंबर 2013	झज्जर	25 सितंबर 2013	08
		जींद	26 सितंबर 2013	09

क्र. सं.	माह	खजाने का नाम	प्राप्ति की वास्तविक तिथि	विलंब (दिनों में)
7.	अक्तूबर 2013	फरीदाबाद	25 अक्तूबर 2013	08
		हिसार	21 अक्तूबर 2013	04
		झज्जर	21 अक्तूबर 2013	04
		जींद	22 अक्तूबर 2013	05
		कैथल	28 अक्तूबर 2013	11
		करनाल	21 अक्तूबर 2013	04
		नूंह	24 अक्तूबर 2013	07
8.	नवंबर 2013	अंबाला	25 नवंबर 2013	08
		फरीदाबाद	22 नवंबर 2013	05
		जगाधरी	25 नवंबर 2013	08
		जींद	22 नवंबर 2013	05
		कैथल	21 नवंबर 2013	04
9.	दिसंबर 2013	अंबाला	26 दिसंबर 2013	09
		फरीदाबाद	24 दिसंबर 2013	07
		जींद	23 दिसंबर 2013	06
10.	जनवरी 2014	अंबाला	27 जनवरी 2014	10
		फरीदाबाद	30 जनवरी 2014	13
		जगाधरी	22 जनवरी 2014	05
		झज्जर	23 जनवरी 2014	06
		जींद	29 जनवरी 2014	12
		करनाल	21 जनवरी 2014	04
		कुरूक्षेत्र	22 जनवरी 2014	05
		नूंह	24 जनवरी 2014	07
11.	फरवरी 2014	अंबाला	25 फरवरी 2014	08
		फरीदाबाद	28 फरवरी 2014	11
		झज्जर	28 फरवरी 2014	11
		नूंह	26 फरवरी 2014	09
12.	मार्च 2014	अंबाला	28 मार्च 2014	11
		फरीदाबाद	31 मार्च 2014	14
		झज्जर	21 मार्च 2014	04
		जींद	21 मार्च 2014	04
		नूंह	25 मार्च 2014	08

परिशिष्ट 2.9

(संदर्भः अनुच्छेद 2.4.2; पृष्ठ 42)

भुगतानों की दूसरी सूची–कोषालयों द्वारा माह, जिससे लेखे संबंधित हैं (अप्रैल 2013 से मार्च 2014), के बाद के महीने की तीन से सात तारीख तक देय लेखाओं के विलंब से प्रस्तुतिकरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	माह	खजाने का नाम	प्राप्ति की वास्तविक तिथि	विलंब (दिनों में)
1.	अप्रैल 2013	अंबाला	16 मई 2013	09
		फरीदाबाद	14 मई 2013	07
		गुड़गांव	15 मई 2013	08
2.	मई 2013	अंबाला	19 जून 2013	12
		गुड़गांव	14 जून 2013	07
		हिसार	13 जून 2013	06
		जगाधरी	12 जून 2013	05
		नारनौल	12 जून 2013	05
		पंचकूला	14 जून 2013	07
		सिरसा	17 जून 2013	10
		चण्डीगढ़	12 जून 2013	05
		फरीदाबाद	14 जून 2013	07
		फतेहाबाद	17 जून 2013	10
		झज्जर	17 जून 2013	10
		जींद	12 जून 2013	05
		करनाल	13 जून 2013	06
3.	जून 2013	अंबाला	20 जुलाई 2013	13
		फरीदाबाद	16 जुलाई 2013	09
		झज्जर	15 जुलाई 2013	08
		जींद	16 जुलाई 2013	09
		नूंह	11 जुलाई 2013	04
4.	जुलाई 2013	अंबाला	19 अगस्त 2013	12
		फरीदाबाद	19 अगस्त 2013	12
		हिसार	12 अगस्त 2013	05
		जगाधरी	13 अगस्त 2013	06
		झज्जर	21 अगस्त 2013	14
		जींद	21 अगस्त 2013	14
		नारनौल	12 अगस्त 2013	05
		नूंह	12 अगस्त 2013	05
		रेवाड़ी	19 अगस्त 2013	12
		सोनीपत	12 अगस्त 2013	05
5.	अगस्त 2013	जगाधरी	12 सितंबर 2013	05
		झज्जर	16 सितंबर 2013	09
		जींद	17 सितंबर 2013	10
		रेवाड़ी	16 सितंबर 2013	09
6	सितंबर 2013	झज्जर	11 अक्तूबर 2013	04

क्र. सं.	माह	खजाने का नाम	प्राप्ति की वास्तविक तिथि	विलंब (दिनों में)
7.	अक्तूबर 2013	अंबाला	18 नवंबर 2013	11
		फरीदाबाद	12 नवंबर 2013	05
		गुड़गांव	11 नवंबर 2013	04
		हिसार	13 नवंबर 2013	06
		जगाधरी	18 नवंबर 2013	11
		झज्जर	12 नवंबर 2013	05
		जींद	18 नवंबर 2013	11
		कैथल	18 नवंबर 2013	11
		करनाल	11 नवंबर 2013	04
		कुरूक्षेत्र	11 नवंबर 2013	04
		नारनौल	11 नवंबर 2013	04
		नूंह	11 नवंबर 2013	04
		रेवाड़ी	12 नवंबर 2013	05
8.	नवंबर 2013	अंबाला	16 दिसंबर 2013	09
		फरीदाबाद	17 दिसंबर 2013	10
		जगाधरी	12 दिसंबर 2013	05
		झज्जर	11 दिसंबर 2013	04
		जींद	12 दिसंबर 2013	05
		कैथल	16 दिसंबर 2013	09
		रेवाड़ी	11 दिसंबर 2013	04
9.	दिसंबर 2013	अंबाला	16 जनवरी 2014	09
		फरीदाबाद	21 जनवरी 2014	14
		झज्जर	15 जनवरी 2014	08
		जींद	16 जनवरी 2014	09
		रेवाड़ी	15 जनवरी 2014	08
10.	जनवरी 2014	अंबाला	17 फरवरी 2014	10
		फरीदाबाद	19 फरवरी 2014	12
		झज्जर	21 फरवरी 2014	14
		जींद	13 फरवरी 2014	06
		कुरूक्षेत्र	11 फरवरी 2014	04
		नूंह	17 फरवरी 2014	10
		सिरसा	11 फरवरी 2014	04
11.	फरवरी 2014	अंबाला	19 मार्च 2014	12
		साइबर	11 मार्च 2014	04
		फरीदाबाद	20 मार्च 2014	13
		फतेहाबाद	11 मार्च 2014	04
		गुड़गांव	11 मार्च 2014	04
		हिसार	11 मार्च 2014	04
		झज्जर	14 मार्च 2014	07
		जींद	11 मार्च 2014	04
		नूंह	18 मार्च 2014	11

परिशिष्ट 2.10

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.3; पृष्ठ 42)

31 मार्च 2014 को प्रतीक्षित प्लस (+) और माइनस (–) मीमोज की सूची

क्र.सं.	खजाना	माह
1.	अंबाला	अप्रैल 2013 से मार्च 2014
2.	भिवानी	अप्रैल 2013 से मार्च 2014
3.	फरीदाबाद	अप्रैल 2013 से मार्च 2014
4.	फतेहाबाद	अप्रैल 2013 से मार्च 2014
5.	गुड़गांव	अप्रैल 2013 से मार्च 2014
6.	झज्जर	मार्च 2014
7.	जींद	अप्रैल 2013 से मार्च 2014
8.	कैथल	अप्रैल 2013 से मार्च 2014
9.	करनाल	फरवरी 2014 से मार्च 2014
10.	कुरूक्षेत्र	अक्तूबर 2013 से मार्च 2014
11.	नारनौल	अप्रैल 2013 से मार्च 2014
12.	पानीपत	अक्तूबर 2013 से मार्च 2014
13.	पंचकूला	दिसंबर 2013 से मार्च 2014
14.	रेवाड़ी	अप्रैल 2013 से मार्च 2014
15.	सोनीपत	फरवरी 2014 से मार्च 2014

परिशिष्ट 2.11

(संदर्भः अनुच्छेद 2.4.5; पृष्ठ 43)

पेंशन/फैमिली पेंशन/डी.सी.आर.जी./कम्युटेशन के संवितरण के कारण अधिक भुगतान

(₹ में)

क्र. सं.	खजाना/उप – खजाने का नाम	कम्युटेशन	फैमिली पेंशन	डी.सी.आर.जी.	कुल
1.	अंबाला छावनी (अंबाला)	402	-	64,641	65,043
2.	भिवानी	2,56,905	1,85,401	-	4,42,306
3.	फतेहाबाद	4,17,036	-	-	4,17,036
4.	भट्टू कलां (फतेहाबाद)	10,360	-	-	10,360
5.	हिसार	8,88,416	3,49,356		12,37,772
6.	आदमपुर (हिसार)	1,518	-	-	1,518
7.	हांसी (हिसार)	-	2,02,427		2,02,427
8.	जगाधरी	1,11,450	12,29,962	-	13,41,412
9.	बिलासपुर (जगाधरी)	-	-	1,50,000	1,50,000
10.	झज्जर	-	-	11,536	11,536
11.	करनाल	-	-	5,565	5,565
12.	पुंडरी (कैथल)	30,339	-	-	30,339
13.	नारनौल	32,598	4,01,521	-	4,34,119
14.	पानीपत	11,863	-	-	11,863
15.	इसराना (पानीपत)	-	-	6,535	6,535
16.	रोहतक	-	-	50,629	50,629
17.	सांपला (रोहतक)	-	-	413	413
18.	रेवाड़ी	-	10,13,736	-	10,13,736
19.	सिरसा	52,880	-	-	52,880
20.	डबवाली (सिरसा)	-	25,655	-	25,655
21.	ऐलनाबाद (सिरसा)	40,384	-	-	40,384
	कुल	**18,54,151**	**34,08,058**	**2,89,319**	**55,51,528**

परिशिष्ट 2.12

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5 (i); पृष्ठ 43)

उन स्कीमों के विवरण जिनके लिए बजट आउटले मूल बजट में अनुमोदित किए गए थे परंतु कार्यान्वित नहीं किए तथा संशोधित अनुमानों में आहरित कर लिए गए थे

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमोदित आउटले
1	कृषि	खाद्यान्नों का सुरक्षित एवं वैज्ञानिक भण्डारण	300.00
2		ई-पेस्ट निगरानी द्वारा प्लांट स्वास्थ्य देखभाल	25.00
3		कृषि प्रणाली का बृहद् (90:10) प्रबंध	104.00
4		राज्य भूमि उपयोग बोर्ड, हरियाणा	25.00
5	मत्स्य पालन	राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (90:10)	2.00
6	वन	अरावली हिल्ज में वर्धित भूमि जल व्यवस्था	1.00
7		मसानी बैरेज, धारूहेड़ा, रेवाड़ी में हर्बल पार्क और इको-टूरिजम केंद्र का विकास	1.00
8	सहकारिता	उझाना, कैथल में दुग्ध योजना का स्थापन	500
9	भूमि अभिलेख	पंजीकरण का कंप्यूटराईजेशन (25:75)	63.48
10	सामुदायिक विकास	मुख्यमंत्री की स्वच्छता प्रोत्साहन योजना	445.00
11	पावर (हरियाणा पावर जैनरेशन कारपोरेशन लि.)	यूनिट तीन और चार पी.टी.पी.एस का रीफर्बिशमेंट	1,358.00
12	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	बी.बी.एम.बी. का नवीकरण और आधुनिकीकरण	1,430
13		प्रसारण कार्य	12,657
14		ई.आर.पी. का कार्यान्वयन	200
15		आई.वी.आर.डी. वर्क्स-इक्विटी	8,583
16	उत्तर हरियाणा विद्युत वितरण निगम	नए 33 के.वी. सब-स्टेशनों, 33 के.वी. सब-स्टेशनों, लाइनों और एच.टी. कैपेसिटर्ज का संवर्धन	2,491
17		11 के.वी. फीडर्ज का द्वि/त्रय विभाजन, 11 के.वी. और एल.टी. लाइनों के साथ नए डी.टीज के संवर्धन और वृद्धि आर.जी.जी.वी.वाई.ए.बी. केबल्ज के अंतर्गत जिला प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	2,604.00
18		नए कनैक्शन की निर्मुक्ति, ट्रांसफार्मर केबल, कंडकटर्ज इत्यादि का प्रापण	4,500.00
19		टयूब वैल कनैक्शन की निर्मुक्ति	937
20		मूलभूत संरचना विकास-सिविल कार्य/पी.पी.पी. परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार से समर्थन	263
21		पायलट परियोजना	300
22		फीडिंग स्रोत का ए.पी. से शहरी पद्वति में परिवर्तन	3,136
23	दक्षिण हरियाणा विद्युत वितरण निगम	मीटरिंग (प्रीपेड/ए.एम.आई./उपभोक्ता/डी.टी./ फीडर-मीटरिंग/मीटर रिलोकेशन इत्यादि	488
24		33 के.वी. सब-स्टेशन/ नई लाईनें और संवर्धन	701
25		11 के.वी. लाईनें/केवलज/ट्रांसफार्मज (नया संवर्धन और द्वि/त्रय विभाजन इत्यादि	2,206
26		मूलभूत संरचना विकास/सिविल कार्य	200.00

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमोदित आउटले
27		उपभोक्ता देखभाल संशोधित ए.पी.डी.आर.पी.	1,885.00
28		आई.वी.आर.डी. निर्माण–लोन (ई.ए.वी.)	14,080.00
29		पी.पी.पी. परियोजनाओं के लिए समर्थन	109.00
30	उद्योग/बृहद एवं मध्यम	वायलर्ज संगठनों का सुदृढ़ीकरण	14.00
31	ग्रामीण एवं स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज	औद्योगिक मूलभूत संरचना अपग्रेडेशन योजना (आई.आई.यू.एस.)	50.00
32		सी.एन.जी./पी.एन.जी. के वितरण नेटवर्क का स्थापन	1.00
33	इलैक्ट्रोनिक और सूचना प्रौद्योगिकी	गुड़गांव में आई.आई.आई.टी. की स्थापना	0.10
34		सोफ्टवेयर टेकनोलोजी पार्क	25.00
35	सिविल विमानन	सी.एंड ए. इंजनों, एयर फ्रेमज तथा इलैक्ट्रोनिक उपकरण मरम्मत कार्यशाला के लिए मशीनरी तथा उपकरण का प्रापण	15.00
36		ग्लाईडर्ज/पावर ग्लाईडज/हैलीकाप्टर का प्रापण	5.00
37	सड़क परिवहन	एच.आर.ई.सी. को शेयर कैपीटल	5.00
38	पर्यटन	राज्य से बाहर पर्यटन योजना	5.00
39	स्वास्थ्य	एन.पी.सी.डी.सी.एस. और एन.पी.एच.सी.ई. का कार्यान्यन	300
40	स्वास्थ्य	सिविल पंजीकरण पद्धति का सुदृढ़ीकरण	250
41	कर्मचारी राज्य बीमा	आई.टी. 33 व्यवसायिक सेवा (नई योजना)	1.25
42	सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण	आयोजना सह मानिटरिंग सैल	20.00
43		अपाहिजों के लिए अनुसंधान केंद्र/विशेष स्कूल और मनोरंजन केंद्रों की स्थापना	5
44		स्थानीय स्तरीय समितियों का निधिकरण	1.00
45		निदेशालय (घरौंडा) के मानसिक रूप से बाधित व्यक्तियों के लिए जीवन पर्यत गृह की स्थापना	10.00
46		निदेशालय के स्थापना स्थल/भवन के निर्माण की खरीद	100.00
47		वृद्धों तथा निराश्रयों के लिए गृह (रेवाड़ी)	200.00
48		वरिष्ठ नागरिक सम्मान क्लबज	160.50
49		एच.बी.सी.के.एन. का शेयर पूंजी	141.50
50		विकलांगों के लिए एच.बी.सी. और ई.डब्ल्यू.एस.के.एन. के लिए शेयर पूंजी	141.50
51	हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान	विविध कार्य/फैकल्टी/अन्य स्टाफ के सदस्यों के लिए आवास	1.00
52		सूचना प्रौद्योगिकी	1.00
53		पुस्तकालय, पुस्तक पत्रिकाएं और उपकरण	0.90
54		प्रशिक्षण फिल्मों/आडियो–विजुअल उपकरणों की खरीद	1.00
55		पंचकुला में डी.टी.सी. भवन का निर्माण	2.00
56	लोक निर्माण (सामान्य प्रशासन)	आबकारी एवं कराधान भवन, जांच बैरियर इत्यादि	400.00
57		आतिथ्य भवन	3.00
58		खजाना एवं लेखा भवन	3.00
59		रोजगार भवन	100.00
		कुल	**61,557.23**

परिशिष्ट 2.13

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5 (ii); पृष्ठ 43)

उन स्कीमों का विवरण जिनके लिए संशोधित अनुमानों में प्रावधान कम किया गया था परंतु कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमानित आउटले	संशोधित आउटले
1	कृषि	एस.सी. के लिए खाद्यान्नों का सुरक्षित एवं वैज्ञानिक भंडारण	400.00	300.00
2	बागवानी	बागवानी का सुदृढ़ीकरण	100.00	1.00
3	पशुपालन और डेयरी उद्योग	पशुधन मिशन की स्थापना के लिए योजना	100.00	10.00
4	पंचायत	महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना	19,774.00	4,774.00
5	सिंचाई	मेवात सिंचाई योजना	25.00	10.00
6		राज्य में जल निकायों का विकास	5,000.00	500.00
7	उद्योग (ग्रामीण एवं स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज)	एकीकृत हथकरघा विकास योजना (सी.एस.एस.)	150.00	1.00
8		एम.एस.एम.ई. क्लसटर विकास कार्यक्रम (सी.एस.एस.)	1,032.00	125.00
9	लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें)	मशीनरी एवं उपकरण	225.00	100.00
10	पर्यटन	पिंजौर में पर्यटन सुविधाएं	20.00	10.20
11	कला एवं सांस्कृति	राज्य में पुरातत्व संग्रहालयों की स्थापना	65.00	1.00
12	तकनीकी शिक्षा	एस.सी. छात्रों को स्टाइपेंड	1,300.00	1,100.00
13		राजकीय इंजीनियरिंग कालेज झज्जर की स्थापना	1,000.00	550.00
14	शहरी विकास	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण अभियान (छोटे तथा मध्यम कस्बों के लिए शहरी मूलभूत संरचना विकास) (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.)	10,358.00	3,050.00
15		एकीकृत कम लागत स्वच्छता स्कीम	100.00	10.00
16		दूध डेयरियों का स्थानान्तरण	126.00	76.00
17		राजीव गांधी शहरी भागीदारी योजना (आर.जी.एस.बी.वाई.)	295.00	40.00
18	अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गो का कल्याण	निजी संस्थाओं के माध्यम से उच्च प्रतियोगी परीक्षा के लिए एस.सी./बी.सी. परीक्षार्थियों को वित्तीय सहायता	450.00	50.00
19		अनुसंधान वं अध्ययन	12.00	7.50
20	सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण	हरियाणा में नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए एन.जी.ओज को वित्तीय सहायता	100.00	35.00
21		सभी जिला अर्बन एस्टेटस में वरिष्ठ नागरिक क्लबों की स्थापना	20.00	18.00
22		वरिष्ठ नागरिक स्वैच्छिक सेवा एसोशिएसन/नेटवर्क स्थापित करना	20.00	5.00
23	महिला तथा बाल विकास	ए.डब्ल्यू.सीज के निर्माण के लिए नाबार्ड लोन	18,262.00	4,932.00
		कुल	**58,934.00**	**15,705.70**

परिशिष्ट 2.14

(संदर्भः अनुच्छेद 2.5 (iii); पृष्ठ 43)

उन स्कीमों के विवरण जिनके लिए अनुमोदित आउटले और संशोधित अनुमानों में प्रावधान किया गया परंतु कोई व्यय नहीं किया गया।

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग	स्कीमें	अनुमानित आउटले	संशोधित आउटले
1	कृषि (फसल पालन)	किसानों के समूह तथा एस.सी. वर्ग के किसानों को सबसिडी पर उपकरण/मशीनरी उपलब्ध करवाने के लिए स्कीम	50.00	50.00
2	बागवानी	फसल बीमा (सी.एस.एस. 50:50)	25.00	25.00
3	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय	कृषि महाविद्यालय, हिसार	3,860.95	3,860.95
4		मूलभूत विज्ञान तथा हयूमैनिटिज कालेज	404.89	404.89
5		गृह विज्ञान कालेज	56.65	56.65
6		एग्री इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कालेज	27.19	27.19
7	मेवात विकास बोर्ड	खेल-कूद	20.00	20.00
8	सिंचाई	एस.वाई.एल. परियोजना (हरियाणा भाग) का निर्माण	10.00	10.00
9	कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण	वाटर लॉगड क्षेत्रों का उद्धार (50:40:10)	135.00	135.00
10	उद्योग (ग्रामीण एवं स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज)	हथकरघा क्षेत्र (सी.एस.एस.) का पुर्नस्थापन सुधार तथा पुनर्गठन	1.00	1.00
11	सड़क परिवहन	चालकों का प्रशिक्षण विद्यालय	10.00	10.00
12	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	कार्यालय आटोमेशन कम्प्यूटराइजेशन तथा सूचना	5.00	5.00
13	पर्यावरण	खतरनाक अवशिष्ट/ठोस अवशिष्ट प्रबंधन/नगरपालिका निस्सारी प्रबंधन	10.00	10.00
14	सचिवालय आर्थिक सेवाएं (जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी)	पारिवारिक आय तथा व्यय सर्वेक्षण	45.00	45.00
15		राज्य तथा जिला स्तर केंद्र पर (एस.एस.एस.पी.) (सी.एस.एस.) राज्य स्ट्रेटेजिक स्टेटिस्टिकल	100.00	100.00
16	कला एवं संस्कृति	भवन पुरातत्व	175.00	175.00
17	तकनीकी शिक्षा	एस.सी. विद्यार्थियों को फीस की प्रतिपूर्ति	1,100.00	1,100.00
18		ऐसी विद्यार्थियों को मुफ्त किताबें	100.00	300.00
19	खेल	राज्य खेल-कूद पुरस्कार	200.00	200.00
20	चिकित्सा शिक्षा	बी.पी.एस. चिकित्सा कालेज का विस्तार/खानपुर कलां, सोनीपत पी.एच.-2 (एन.सी.आर.पी.बी.) ii अस्पताल एन.सी.आर. पी.बी. लोन के लिए	4,000.00	4,000.00
21	स्वास्थ्य	एस.सी. (एस.सी.एस.पी.) रोगियों के लिए अरोज्य कोष	328.00	328.00
22		अधिकतर एस.सी. जनसंख्या वाले गांवों (एस.सी.एस.पी.) में उप केंद्रों का खोलना/निर्माण	10.00	10.00
23		मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना	--	1,500.00
24		ए.एन.एम./जी.एन.एम. नर्सिंग प्रशिक्षण स्कूल का खोलना/सुदृढ़ीकरण	300.00	300.00

क्र. सं.	विभाग	स्कीमें	अनुमानित आउटले	संशोधित आउटले
25	आयुष	डिस्पैंसरीज का आदर्श डिस्पैंसरीज में अपग्रेडेशन	2.29	2.29
26		योगा केंद्रों की स्थापना	1.30	1.30
27		पी.एच.सीज में आयुष ओ.पी.डी. क्लीनिकों की स्थापना (75:25)	27.50	27.50
28		सी.एच.सीज में आयुष आई.पी.डी. क्लीनिकों की स्थापना (75:25)	36.67	36.67
29		जिला अस्पतालों में आयुष विंग की स्थापना (75:25)	19.95	19.95
30		कार्यक्रम प्रबंधन इकाईयों की स्थापना (पी.एम. यूज/डी.एम.यूज-4)	4.49	4.49
31		पी.जी.आई. एम.एस., रोहतक में आयुष के विशेष थैरेपी केंद्र की स्थापना	29.30	29.30
32		पट्टीकारा गांव, नारनौल में नए सरकारी आयुर्वेदिक कालेज/अस्पताल का खोलना/स्थापना	1,001.00	1,001.00
33	कर्मचारी राज्य बीमा	खनक, भिवानी में ई.एस.आई. डिस्पैंसरी खोलना	2.91	2.91
34		2 डी.ओ.सीज, एच.एस.आई.डी.सी. जगाधरी की दो नई ई.एस.आई. डिस्पैसरी खोलना	4.00	4.00
35		3 डी.ओ.सीज, पृथला (फरीदाबाद) रेवाड़ी में दो नई ई.एस.आई. डिस्पैंसरी खोलना	4.00	4.00
36	शहरी विकास	आग तथा आपातकालीन सेवाएं (टी.एफ.सी.)	2,500.00	2,500.00
37		शहरी ठोस अवशिष्ट प्रबंधन	5,000.00	5,000.00
38		अग्निशमन आपातकालीन सेवाएं (सी.एस.एस.) का सुदृढ़ीकरण	250.00	250.00
39	अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गो का कल्याण	चालक प्रशिक्षण विद्यालय, जे.बी.टी. ट्रेनिंग संस्थान, पैरा चिकित्सा/नर्सिग/एयर होस्टेजस इत्यादि जैसी रोजगार अभिमुखी संस्थानों की स्थापना द्वारा रोजगार सृजन के अवसरों का सृजन	200.00	200.00
40		एच.एस.सी.एफ. और डी. कारपोरेशन को शेयर कैपिटल (51:49)	228.00	228.00
41		निजी संस्थाओं के माध्यम से अनायोजित क्षेत्र में एस.सी. प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता	0.20	0.20
42		बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (लड़कों के लिए) (50:50)	190.00	190.00
43		ओ.बी.सी. लड़के एवं लड़कियों के छात्रावास का निर्माण (50:50)	240.00	240.00
44		बी.सी. और अल्पसंख्यकों के लिए आवासीय वित्त स्कीम	170.00	170.00
45		एस.सी./बी.सी. से संबंधित संस्थाओं/समितियों को वित्तीय सहायता	50.00	50.00
46	श्रम	फरीदाबाद में लेबर कोर्ट परिसर के लिए प्लाट की खरीद	0.10	0.10
47		बंधुआ मजदूर का पुनर्वास (सी.एस.एस.) (50:50)	2.50	2.50

क्र. सं.	विभाग	स्कीमें	अनुमानित आउटले	संशोधित आउटले
48	सामाजिक न्याय और आधिकारिता	बीमा योजना (एन.आई.आर.एम.ए.वाई.ए)	0.25	0.25
49		आम आदमी बीमा योजना (50:50)	1,850.00	1,850.00
50		नेशनल ट्रस्ट केयर गीवरज के अंतर्गत रजिस्टर्ड प्रशिक्षित की नियुक्ति	2.00	3.00
51		इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी विवाह शगुन योजना	--	500.00
52	महिला तथा बाल विकास	शिशु तथा छोटे बच्चों की फीडिंग में सुधार	20.00	20.00
53		किशोरों का कौशल निर्माण व पुनर्वास	1.00	1.00
54		आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण	400.00	400.00
55		राज्य महिला सशक्तिकरण अभियान (75:25)	5.00	5.00
56		महात्मा गांधी स्वावलंबन योजना	1.00	1.00
57	खाद्य एवं आपूर्ति	पशुपालन हिसार, एच.एस.ए.एम.बी. बरवाला, हिसार और भारसोंधा गांव, कुरूक्षेत्र में गोदाम का निर्माण	3,037.88	3,037.88
58	प्रिंटिंग और स्टेशनरी	सरकारी प्रेस सैक्टर-18, चण्डीगढ़ का विस्तार क) मशीनरी	792.00	792.00
59	सामुदायिक विकास	निर्मल ग्राम पुरस्कार	--	30.76
60	मत्स्य पालन	पूंजीगत-परिव्यय कार्यालय भवन	30.00	48.00
61	अन्य सामान्य सेवाएं	न्यायायिक प्रशासन के लिए मूलभूत संरचना का विकास (ग्राम न्यायालयों सहित ज्यूडिशियरी	--	25.20
		कुल	**27,077.02**	**29,351.98**

परिशिष्ट 2.15

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5 (iv); पृष्ठ 43)

उन स्कीमों के विवरण जहां बजट अनुमान संवर्द्धित किए गए थे परंतु व्यय मूल प्रावधान से कम था

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमानित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक लागत	कॉलम 6 की कॉलम 4 से प्रतिशतता	कॉलम 6 की कॉलम 5 से प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कृषि	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)	30,000.00	38,750.00	20,665.16	68.88	53.33
2		राज्य विस्तार कार्यक्रम (सी.एस.एस 90:10)	242.00	250.00	150.56	62.21	60.22
3	बागवानी	रेशम उत्पादन में उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सी.डी.पी.) (50:25:25)	10.00	20.00	9.47	94.70	47.35
4	पशुपालन एवं डेयरी उद्योग	पशुपालन संस्थान का खोलना/अपग्रेशन और सुदृढ़ीकरण	4,900.00	4,967.00	3,876.76	79.12	78.05
5	मत्स्य पालन	कृषि मानव संसाधन विकास परियोजना	36.95	40.00	17.02	46.06	42.55
6	वन	अवशिष्ट भूमि तथा कृषि वानिकी का वनीकरण	1,469.78	1,470.56	1,451.67	98.77	98.72
7	सहकारिता	सदस्य शिक्षा तथा प्रचार और प्रसार	347.00	377.00	250.4	72.16	66.42
8	ग्रामीण विकास	इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) (75:25)	2,650.00	3,155.15	2,613.78	98.63	82.84
9	सामुदायिक विकास	जिला परिषद भवन सहित नए खंड कार्यालय भवनों का निर्माण	375.00	379.00	188.61	50.30	49.77
10	पंचायतें	मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति निर्मल बस्ती योजना	4,918.00	5,363.00	4,584.32	93.22	85.48
11	सिंचाई	जल के उचित वितरण के लिए नई माइनरज का निर्माण	2,465.00	3,430.00	2,139.08	86.78	62.36
12	पर्यावरणt	विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना	18.00	19.50	17.30	96.11	88.72
13	पर्यटन	बड़खल पर अवकाश तथा मनोरंजन रिजोट का स्थापन	50.00	59.38	19.38	38.76	32.64
14		जिला/उप मंडल स्तर तथा अन्य महत्वपूर्ण कस्बों/स्थानों पर पर्यटन सुविधाओं का विकास	917.48	988.93	802.72	87.49	81.17
15		हरियाणा में वन्य जीवन पर्यटन का विकास	1.00	9.62	1.00	100.00	10.40
16		पर्यटन का प्रोत्साहन/ऐतिहासिक स्मारकों का प्रकाशित करना	225.60	253.71	126.20	55.94	49.74
17	प्राथमिक-शिक्षा	प्राथमिक शिक्षा का कम्प्यूटराईजेशन और नेटवर्किंग	90.00	100.00	71.70	79.67	71.70
18	माध्यमिक शिक्षा	इको पिछड़े खंडों में आदर्श स्कूलों को खोलना (50:50)	3,240.00	3,961.07	2,319.93	71.60	58.57
19		एस.सी.ई.आर.टी., हरियाणा गुड़गांव	9.97	15.00	8.88	89.07	59.20

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमानित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक लागत	कॉलम 6 की कॉलम 4 से प्रतिशतता	कॉलम 6 की कॉलम 5 से प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8
		(सी.एस.एस.) का सुदृढ़ीकरण					
20	उच्च शिक्षा	लेखाधिकारी का एक पद और अनुभाग अधिकारी के दो पद	116.11	119.80	32.07	27.62	26.77
21	कला एवं संस्कृति (पुरातत्व)	प्राचीन स्मारकों/स्थलों का संरक्षण/परिरक्षण तथा विकास	72.00	76.00	34.76	48.28	45.74
22		जॉनल म्यूजियमों की स्थापना	62.00	126.00	19.54	31.52	15.51
23	स्वास्थ्य	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान (सी.एस.एस. 75:25)	12,000.00	12,400.00	10,164.00	84.70	81.97
24		एस.सी. रोगियों के लिए दवाओं की खरीद (एस.सी.एस.पी.)	2,200.00	2,700.00	1,983.14	90.14	73.45
25	कर्मचारी राज्य बीमा	वर्तमान अस्पतालों का आधुनिकीकरण/उपकरणों की खरीद	11.25	12.50	0.76	6.76	6.08
26	अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण	इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना	7000.00	7478.26	6626.20	94.66	88.61
27	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	हरियाणा राज्य के वरिष्ठ महिला नागरिकों को हरियाणा रोडवेज बसों में नि:शुल्क बस यात्रा की सुविधा	1,500.00	1,700.00	1,500.00	100.00	88.24
28		राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम)	4,250.00	4,765.00	4,222.00	99.34	88.60
29		आई.टी. प्लान का कंप्यूटरीकरण	20.00	30.00	5.62	28.10	18.73
30	औद्योगिक प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा	आई.टी.आई.ज का विकास	6,300.00	6,411.95	5,546.71	88.04	86.51
31	लोक निर्माण (सामान्य प्रशासन)	लघु सचिवालय एवं सहायक भवन	7,884.00	8,279.00	7,485.89	94.95	90.42
32		लो.नि.वि. (बी. एंड आर.) भवन, विश्राम गृह, गैस्ट हाऊस	1,300.00	1,500.00	1,292.51	99.42	86.17
		कुल	**94,685.14**	**10,9212.43**	**78,233.14**		

परिशिष्ट 2.16

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5 (vi); पृष्ठ 44)

उन स्कीमों के ब्यौरे जिनके संशोधित बजट कम किए गए थे किंतु वास्तविक व्यय किए गए प्रावधान से कम था

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमानित आउटले	संशोधित आऊटले	वास्तविक लागत
1	कृषि (फसल पालन)	कृषि इनपुटस पर गुणवत्ता नियंत्रण	300	165.23	155.74
2		किसानों को भूमि तथा जल परीक्षण सेवाएं प्रदान करना	250	60	37.55
3		मिट्टी में सूक्ष्म पोषकों की कमी का प्रबंध करना	583	180	162.35
4		एकीकृत कीटनाशक प्रबंध के अंतर्गत सिरसा में बायोलोजिकल नियंत्रण लैबोरेटरी का सुदृढ़ीकरण	50	22.26	16.94
5		फसल निपटान विविधता को प्रोत्साहन	1,100	515	498.82
6		कृषि विस्तार मूलभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण	850	539.61	297.52
7		संपोषित नीतिपरक पहल को प्रोत्साहन	1,500	1,375	1,199.04
8		किसानों को कृषि विस्तार प्रशिक्षण सेवाएं	153	105	100.98
9		कृषि इंजीनियरिंग सेवाएं	385	355	336.52
10		गन्ने पर प्रौद्योगिकी अभियान	500	359	308.12
11		हरियाणा किसान आयोग	300	250	158.31
12		कपास उत्पादन का प्रोत्साहन	500	450	323.19
13		कृषि आंकड़ों का सुधार	25	1.00	0.75
14		एस.सी. घटक सहित बीज तेल, तेल पॉम और मक्की के कार्यान्वयन के लिए एकीकृत स्कीम (75:25)	325	275	116.16
15		कपास विकास पर प्रौद्योगिकी अभियान (75:25)	20	11.95	5.03
16		भूमि स्वास्थ्य और उर्वरता के प्रबंध पर राष्ट्रीय परियोजना	300	22.05	15.38
17	मृदा एवं जल संरक्षण	जल बचत प्रौद्योगिकी पर सहायता प्रदान करना	1,275	975	713.53
18		झज्जर और भिवानी, सिरसा और सोनीपत जिलों में वाटर लॉकड क्षेत्रों के सुधार के लिए पाइलट परियोजना	200	105.41	85.72
19	बागवानी	बागवानी निदेशालय की स्थापना	160	153.81	136.78
20		प्रदर्शन सह फूड प्रोसेसिंग प्रौद्योगिकी	70	36.42	35.41
21		एकीकृत बागवानी विकास	750	747.87	673.77
22		बागवानी बायो प्रौद्योगिकी	80	79.03	36.69
23		अच्छे कृषि अभ्यास तथा फलों और सब्जियों पर कीटनाशक अवशिष्टों का प्रभाव	70	60.93	56.67
24		सूचना तथा प्रौद्योगिकी	100	64	54.64

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमानित आउटले	संशोधित आऊटले	वास्तविक लागत
25		उन्नत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी का प्रोत्साहन	445	387.44	284.2
26		माइक्रो सिंचाई (सी.एस.एस. 40:50:10)	4,250	3,778.35	3,337.74
27	पशुपालन एवं डेयरी उद्योग	डी.डी./एस.डी.ओज के कार्यालय का सुदृढ़ीकरण और नए जिलों का सृजन	130	120	82.09
28		ए.एच.आर.डी. परियोजना के अंतर्गत हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	25	23	16.35
29		दुग्ध, अंडे, ऊन और मीट के उत्पादन का नमूना सर्वेक्षण अनुमान के लिए स्कीम (50:50 शेयरिंग वेसिस)	80	70	49.49
30	मत्स्य	गहन मत्स्य विकास कार्यक्रम	130	127.75	76.23
31		राष्ट्रीय मछली बीज कार्यक्रम	121.8	109	97.35
32		गतिशील पानी में मत्स्य पालन का विकास	17.5	16.5	15.22
33		अलंकृत मत्स्य पालन का विकास	10	7	6.93
34	सहकारिता	सहकारिता विभाग का कम्प्यूटराईजेंशन	600	75	32.87
35		प्राथमिक श्रम सहकारिता समिति को ब्याज सबसिडी	15	1	0.27
36	ग्रामीण विकास	राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनयापन अभियान (75:25)	1,500	1,000	140.27
37		डी.आर.डी.ए. प्रशासन (75:25)	850	800	569.29
38		ग्राम संविकाओं को वेतन	400	264.85	164.58
39		एकीकृत वाटरशैड प्रबंधन कार्यक्रम (90:10)	1,300	445	141.4
40	भूमि अभिलेख	राष्ट्रीय भूमि रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (50:50) सर्वेक्षण/पुर्नसर्वेक्षण तथा आधुनिक रिकार्ड कक्ष	1,816.52	880	44.63
41	सामुदायिक विकास	स्वास्थ्य व स्वच्छता स्कीम, शिक्षा तथा ग्रामीण सड़कें	600	569.24	228.59
42		सी.सी. स्ट्रीटस की पेवमेंट	9,000	5,964.29	5,859.38
43	पंचायतें	राजस्व अर्जन स्कीम	372	150	93.64
44		मैचिंग अनुदान स्कीम	524	250	206.19
45	सिंचाई	पंपों की क्षमता बढ़ाना तथा लिफ्ट कैनाल इकाईयों पर नए पंप लगाना	1,000	100	39
46		जल मार्गों का पुनरूद्धार	6,400	5,400	5,230
47		यमुना के साथ तटबंध बनाना तथा उसका सुदृढ़ीकरण	1,000	300	284.47
48		संस्थानिक सुदृढ़ीकरण	1,525	1,225	1,198.07
49	उद्योग (ग्रामीण एवं स्माल स्केल	उद्योगों को प्रोत्साहन के लंबित दावों का संवितरण	50	30	7.48
50	इंडस्ट्रीज)	उद्योग विभाग की स्थापना	386	140	94.97

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमानित आउटले	संशोधित आऊटले	वास्तविक लागत
51		राज्य में एम.एस.एम.ई. की गणना	100	80	17.22
52		फूड प्रोसेसिंग (सी.एस.एस.) पर राष्ट्रीय अभियान	350	250	136.95
53	इलैक्ट्रोनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी	इलैक्ट्रानिक्स और आई.टी. विभाग संगठन और प्रशासन	6	2	1.79
54	सिविल एविएशन	राज्य में रनवे लाइटिंग्ज, ग्राउंड एडज, एन.डी.बीज और ए.टी.सी. सुविधाएं प्रदान करना	15	5	4.56
55		ट्रेनर/एडवांसड ट्रेनर एयरक्राफ्ट का प्रापण	165	15	14.57
56	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	भूमि अधिग्रहण और प्रभारित राशि	1,300	975	545.18
57	सड़क परिवहन	रेगुलेटरी विंग का कम्प्यूटराईजेशन	50	44	25.20
58	पर्यावरण	जलवायु परिवर्तन डिवीजन	24	10.5	7.61
59	पर्यटन	हरियाणा में मुख्य राजमार्गो के साथ-साथ पर्यटन सुविधाओं का विकास	725.51	717.45	588.81
60	विकेन्द्रीकृत/ जिला आयोजना	जिला आयोजना/सामान्य घटक	31,300	17,248	14,010.85
61		एस.सी.एस.पी.	18,700	12,752	10,162.52
62	प्राथमिक शिक्षा	सभी वी.पी.एल. छात्रों (1-VIII) को मासिक स्टाइपेंड	2,800	1,900	914.4
63		बी.सी.-ए छात्रों (1-VIII) को मासिक स्टाइपेंड	8,200	7,900	3,454.43
64		शिक्षा अधिनियम के अधिकार का कार्यान्वयन	16,290	10,090	5,915.35
65		सर्वशिक्षा अभियान (सी.एस.एस. 65:35)	46,100	21,400	18,893.7
66	माध्यमिक शिक्षा	सैकेंडरी स्कूल में 10+2 पैटर्न का कार्यान्वयन (स्कूल का अपग्रेडेशन)	12,904.4	11,660.73	10,589.83
67		श्रेष्ठता के लिए शिक्षा प्रोत्साहन (ई.ई.ई.) उच्च/सीनियर सैकेंडरी स्कूल छात्रों के लिए राजीव गांधी छात्रवृत्ति	299.64	288	144.93
68		9वीं से 12वीं कक्षाओं में सभी बी.पी.एल. छात्रों के लिए मासिक स्टाइपेंड	1785	1150	717.39
69		9वीं से 12वीं कक्षाओं में सभी बी.सी.ए. छात्रों को मासिक स्टाइपेंड	5195	5000	2889.26
70		स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती को मासिक स्टाइपेंड	16.17	13.4	5.05
71		लगातार तथा व्यापक मूल्यांकन	1,756	956	77.17
72		निदेशन तथा प्रशासन-मुख्यालय स्टाफ तथा डी.ई.ओ. मेवात तथा पलवल कार्यालयों के लिए वेतन	974.8	664	393.91
73		शिक्षक चयन बोर्ड की स्थापना	653.16	502.68	356.48
74		एस.सी.एस.पी. योजना के लिए संचालकों को मानदेय	284	200	131.08

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमानित आउटले	संशोधित आऊटले	वास्तविक लागत
75		राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परियोजना (सी.एस.एस. 75:25)	10,000	4,200	2,401.43
76		राष्ट्रीय व्यवसायिक शैक्षिक योग्यता फ्रेमवर्क (90:10)	760.09	646.8	134.37
77		डी.आई.ई.टी. (सी.एफ.एस.) की स्थापना	1,483.95	1350	946.99
78		बी.आई.ई.टी. (सी.एस.एस.) की स्थापना (75:25)	163.08	100	65.32
79	उच्च शिक्षा	राजकीय कालेजों को खोलना और वर्तमान कालेजों में अतिरिक्त स्टाफ का प्रावधान और अतिथि शिक्षकों को भुगतान	8,414.74	7,188.05	6,204.05
80		छात्रों का मानव संसाधन विकास (शिक्षण के साथ कमाई)	140	117	83.06
81	कला एवं संस्कृति	प्रकाशन/प्रचार कार्यक्रम	20	16	2.49
82	तकनीकी शिक्षा	राजकीय बहुतकनीकी का विकास	13,740	9,970	9,524.85
83		तकनीकी शिक्षा के निदेशालय का सुदृढ़ीकरण	200	145	123.9
84		राजकीय इंजीनियरिंग कालेज रेवाड़ी की स्थापना	300	160	10
85	खेल	मानव संसाधन विकास	1,800	1,789.41	1,039.15
86		सूचना प्रणाली का आधुनिकीकरण	100	92.2	59.18
87	चिकित्सा शिक्षा	हरियाणा अनुसंधान और चिकित्सा शिक्षा निदेशक के कार्यालय की स्थापना	242	125	94.61
88		कल्पना चावला मैडिकल कालेज करनाल की स्थापना	3,000	2,200	2,000
89	स्वास्थ्य	अस्पतालों में समर्थन सेवाओं की आउटसोर्सिंग	2,000	1,200	1,091.91
90		नशामुक्ति केंद्रों का सुदृढ़ीकरण	360	160	46.53
91		शहरी स्वास्थ्य अभियान	1,400	400	235.37
92		एस.सी. के लिए जननी सुरक्षा स्कीम (एस.सी.एस.पी.)	1,590	1,090	434.61
93	कर्मचारी राज्य बीमा	5 डाक्टरों की 14 नई डिस्पैंसरियों को खोलना	34.13	30.13	2.55
94	जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	इंदिरा गांधी पेयजल स्कीम (एस.सी.एस.पी.)	6200	4700	4036.46
95	(शहरी)	एन.सी.आर.	13,900	2,900	2,867.71
96	शहरी विकास	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण अभियान (शहरी मूलभूत संरचना/शहरी निर्धनों को मूलभूत सेवा)	16,855	13,429	8,636.08
97		शहरी स्थानीय निकायों के लिए वैट पर सरचार्ज का हिस्सा	62,411	60,064	47,057.88

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमानित आउटले	संशोधित आऊटले	वास्तविक लागत
98	नगर एवं ग्राम आयोजना (एन.सी. आर.)	शहरी मूलभूत संरचना विकास निधि को लोन (प्रेरणा पैकेज) (ऑन लाइन)	85,000	67,000	39,351.59
99	अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण	एच.बी.सी.केएन. को प्रशासनिक व्यय के लिए सबसिडी	362.5	354.74	350
100		एस.सी.एस.पी. के कार्यान्वयन के लिए मुख्यालय स्टाफ	50	30	8.33
101		कम्प्यूटर के द्वारा एस.सी./बी.सी. बेरोजगार युवाओं को टाइपिंग तथा डाटा एंटरी कौशल का अपग्रेडेशन	60	50	19.63
102		एस.सी./बी.सी. विधवाओं/निराश्रय महिलाओं/लड़कियों को टेलरिंग प्रशिक्षण और नए कल्याण केंद्रों को खोलना	100	79	64.71
103		अनुसूचित जाति छात्रा उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना	20	5	0.59
104	सामान्य न्याय एवं अधिकारिता	कार्यशाला, सेमिनार और सम्मेलनों के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम	5	2	0.46
105		स्कूल न जाने वाले अशक्त बच्चों को वित्तीय सहायता	350	328	319.64
106		हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों को आई कार्डज जारी करना	20	18	5.96
107		हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों को एनकें उपलब्ध करवाना	10	2	0.42
108		हरियाणा में बसी काशमीरी प्रवासी परिवारों को वित्तीय सहायता	20	5	3.65
109		राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम)	1,645	1,130	697.2
110		लाडली (सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम)	1,720	1,634	1,531.99
111		हिजड़ों को हरियाणा भत्ता	1	0.75	0.56
112		बौनों को पेंशन	2	1	0.95
113	महिला एवं बाल विकास	स्वावलंबन (एन.ओ.आर.ए.डी.)	15	7.76	1.94
114	औद्योगिक प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा	राज्य परियोजना कार्यान्वयन इकाई (एस.पी.आई.यू.) और मीडिया इंस्ट्रक्शनल प्रणाली	131	97	68.04
115		आई.टी.आई. का श्रेष्ठता केंद्रों में अपग्रेडेशन	400	340.6	283.05
116	लोक निर्माण (सामान्य प्रशासन)	ज्यूडिशियरी की मूलभूत संरचना सुविधाओं का विकास (सी.एस.एस. 75:25)	1,000	411	383.32
		कुल	**4,28,412.99**	**30,6,534.19**	**2,24,015.08**

परिशिष्ट 2.17

(संदर्भः अनुच्छेद 2.5 (vii) पृष्ठ 44)

उन स्कीमों के ब्यौरे जिनमें वास्तविक व्यय प्रावधान से अधिक था

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमानित आउटले	संशोधित आऊटले	वास्तविक व्यय
1	शिवालिक विकास बोर्ड	अन्य स्कीमें	400.00	400.00	838.00
2	कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण	जल मार्गों का पुनरूद्धार	900.00	900.00	1,807.86
3		जल मार्गों के फील्ड चैनलों का निर्माण/लाईनिंग (50:40:10)	4,214.40	4,214.40	4,878.71
4	उद्योग (ग्रामीण एवं स्माल स्केल इंडस्ट्रीज)	समाप्त फसलों के खर्चों को खत्म करना अर्थात् एच.एस.एस.आई. एंड ई.सी./एच.एस.एच. एंड एच.सी./एच.टी.एल.	25.00	25.00	99.54
5	सड़क परिवहन	रेगुलेटरी विंग का भूमि तथा भवन कार्यक्रम	150.00	156.00	235.61
6	आयुष	श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, कुरूक्षेत्र को जारी रखना तथा कार्यान्वयन और इस कालेज/अस्पताल/टैस्टिंग लैब और आई.एस.एम. एंड एच., पंचकुला के भवन का निर्माण	391.82	391.82	1,244.07
7	जन-स्वास्थय अभियान्त्रिकी (ग्रामीण)	नाबार्ड	10,500.00	10,500.00	10,583.22
8		ग्रामीण जलापूर्ति का रख-रखाव	1,800.00	2,300.00	2,320.95
9	जन-स्वास्थय अभियान्त्रिकी (शहरी)	शहरी क्षेत्रों में एस.सी. बाहुल्य निवासियों को सीवरेज सुविधाएं	9,200.00	15,700.00	16,861.39
10		जलापूर्ति का संवर्धन	5,500.00	7,000.00	7,767.10
11		रख-रखाव	1,166.00	1,666.00	1,731.53
12		बाढ़ कार्य	3,000.00	2,000.00	2,015.85
13		राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम	1,487.00	1,487.00	2,354.44
14	महिला एवं बाल विकास	ए.डब्ल्यू.एस./सहायकों की बीमा भविष्य सुरक्षा स्कीम	400.00	400.00	559.69
15	हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान	मुख्य भवन का फर्नीचर तथा साज-सज्जा	4.00	13.70	18.47
16		होस्टल भवन का फर्नीचर तथा साज-सज्जा	4.00	13.70	16.48
17		भूमि मुक्ति और जलापूर्ति	5.00	5.27	6.04
18		होस्टल भवन में मनोरंजन सुविधाएं	1.00	5.85	7.90
19		डी.टी.सी., पंचकुला के लिए 15 एयरकडीशनरों के स्थान पर नए लगाना	0.00	4.42	4.75
20	लोक निर्माण (सामान्य प्रशासन)	न्यायिक भवन	1,500.00	2,000.00	2,516.99
21	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय	कल्याण व सेवाएं	1,242.07	1,242.07	1,774.10
22		अनुसंधान	1,802.97	1,802.97	4,489.32
23		निदेशन एंड प्रशासन	8,199.75	8,199.75	8,489.68
		कुल	**51,893.01**	**60,427.95**	**70,621.69**

परिशिष्ट 2.18

(संदर्भः अनुच्छेद 2.5 (viii); पृष्ठ 44)

उन स्कीमों के ब्यौरे जिनके लिए अनुमोदित आउटले और संशोधित अनुमानों में प्रावधान किया गया था पर किया गया व्यय रखे गए प्रावधान से काफी कम था

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विभाग	स्कीम	अनुमानित आउटले	संशोधित आऊटले	वास्तविक लागत
1	कृषि	वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन गुणक शहद प्रो–कृषि और गैर–कृषि श्रमिक	430	430	106.56
2	हरियाणा कृषि विश्व विद्यालय	शिक्षण	1,044.98	1,044.98	501.81
3		विस्तार शिक्षा	468.15	468.15	154.34
4	पशुपालन एवं डेयरी उद्योग	पशुपालन पर पूंजीगत आउटले, आर.आई.डी.एफ. के अंतर्गत पशु चिकित्सा मूलभूत संरचना का निर्माण/दृढ़ीकरण		2,000	495
5		एकीकृत मुर्राह विकास के लिए स्कीम	600	600	166.79
6		पैट क्लीनिक की स्थापना के लिए स्कीम	10	10	2.5
7		हाईटैक और लघु डेयरी इकाईयों की स्थापना के लिए स्कीम	400	400	216.14
8		एस.सी. द्वारा रखे पशुधन के बीमा पशुधन इकाईयों की स्थापना कर एस.सी. को रोजगार अवसर प्रदान करना	1,100	1,100	562.21
9		रोगों के नियंत्रण के लिए राज्य को सहायता (75:25)	50	50	29.49
10	मत्स्य पालन	अनुसूचित जाति परिवारों के कल्याण के लिए स्कीम	42	42	17.63
11		फिश फार्मर विकास एजेंसियों की स्थापना (75:25)	106	106	72.12
12		एक्वाकल्चर एस्टेट में जलवर्ग क्षेत्र का विकास (75:25)	1.5	1.5	0.64
13		मछली के लिए सलाईन भूमि जल की उपयोगिता (75:25)	2.25	2.25	0.91
14	वन	सूचना प्रौद्योगिकी	300	300	142.95
15		कार्ययोजना तैयार करना	50	50	27.87
16		राज्य वन अनुसंधान संस्थान (एस.एफ.आर.आई.)	50	50	20.31
17	सहकारिता	अनुसूचित जाति के सदस्यों को ब्याज सबसिडी	270	270	41.17
18		एस.सी. तथा सामान्य एल./सी. समितियों को सहायता	108	108	14.6
19	ग्रामीण विकास	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान फंड (बी.आर.जी.एफ.)	3,600	3,600	2,251.72
20	एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आई.आर.ई.पी.)	प्रशासनिक व्यय	200	200	132.44
21	सामुदायिक विकास	चौपाल निर्माण/मरम्मत सबसिडी स्कीम (अनुसूचित जाति)	100	100	22.7
22		चौपाल निर्माण/मरम्मत सबसिडी स्कीम (पिछड़ा वर्ग)	30	30	7.2
23		चौपाल सबसिडी स्कीम का निर्माण/मरम्मत (सामान्य)	70	70	7
24	पंचायतें	राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (आर.जी.पी.एस.ए.) (80:20)	1,000	1,000	407.19

क्र.सं.	विभाग	स्कीम	अनुमानित आउटले	संशोधित आऊटले	वास्तविक लागत
25	मेवात विकास बोर्ड	स्वास्थ्य	40	40	4.49
26		सामुदायिक कार्य/परिसंपत्तियां	358.6	358.6	167.98
27		कृषि	125	125	7.17
28		औद्योगिक प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा	45	45	16.66
29		संस्कृति विकास	10	10	0.4
30		परियोजना प्रबंधन	196.94	196.94	95.26
31	शिवालिक विकास बोर्ड	वाटर शैड प्रबंधन	800	800	178
32	सिंचाई	दादूपुर नलवी सिंचाई स्कीम	650	650	410.27
33		वार्षिकी प्रभार	2,000	2,000	947
34	कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण	क्षेत्र मध्यवर्ती और लिंक ड्रेनज का निर्माण (50:50)	56	56	2.09
35		स्थापना (50:50)	1,061.6	1,061.6	649.1
36		डब्ल्यू.यू.एज. को संस्थागत समर्थन (50:50)	306	306	38.97
37		तकनीकी स्टाफ को प्रशिक्षण (75:25)	3.37	3.37	1.93
38		कृषकों को प्रशिक्षण (75:25)	4.13	4.13	1.34
39		मूल्यांकन अध्ययन (75:25)	12.75	12.75	2.7
40	रिन्यूऐबल ऊर्जा	प्रशासनिक ढांचा (डी.आर.ई.)	81	81	27.64
41	उद्योग (ग्रामीण एवं स्माल स्केल इंडस्ट्रीज)	एस.सी./एस.टी. लाभग्राहियों के लिए उद्यम विकास कार्यक्रम	45	45	24.01
42		एस.सी.एस.टी. के लिए स्वास्थ्य बीमा स्कीम (सी. एस.एस.)	10	10	0.76
43	खदान एवं भू-विज्ञान	खदानों और खनिजों का विकास	120	120	37.72
44	इलैक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	राष्ट्रीय ई-गर्वनेंस कार्ययोजना के लिए ए.सी.ए.	967	967	209.5
45	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क)	नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजना	34,450	34,450	19,295.32
46		सूचना प्रौद्योगिकी	100	100	27.78
47		आवास स्कीम	7,700	7,700	3,589.3
48	सड़क परिवहन	कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण	100	100	40.86
49		कम्प्यूटराइजेशन कार्यक्रम	100	100	27.09
50	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	विदेश में प्रशिक्षण/अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन में भाग लेने के लिए छात्रवृति/वित्तीय सहायता	1	1	0.49
51		एच.ए.आर.एस.ए.सी. का प्रशासनिक ढांचा	200	200	48.48
52	पर्यावरण	विकास परियोजनाओं का पर्यावरण प्रभाव निर्धारण	10	10	2.5
53		घग्घर और मारकंडा कार्ययोजना	7	7	1.75
54	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	जिला आयोजना मशीनरी का सुदृढ़ीकरण	40	40	20.26
55		राज्य स्तरीय परियोजना मशीनरी का सुदृढ़ीकरण	202	202	46.64
56		सूचना एवं प्रौद्योगिकी	8	8	1.62
57	जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	सूचना प्रौद्योगिकी	9	9	4.57
58		जिला के साथ-साथ राज्य सांख्यिकी अधिकारियों के प्रशिक्षण/बैठक के लिए निधियों के आबंटन के लिए प्रावधान	1	1	0.32
59	प्राथमिक शिक्षा	विद्यालयों में स्वच्छ और स्वस्थ शिक्षण पर्यावरण प्रदान करना	300	300	166.04
60		मिडल कक्षा में श्रेष्ठ छात्रों के लिए राजीव गांधी छात्रवृत्तियां	110	110	39.36
61		मिड-डे-मील स्कीम (सी.एस.एस.)	4,200	4,200	2,715.11
62		I-VIII के एस.सी. लड़के/लड़कियों छात्रों को नि:शुल्क साइकिल प्रदान करना	500	500	309.58

क्र.सं.	विभाग	स्कीम	अनुमानित आउटले	संशोधित आऊटले	वास्तविक लागत
63		कक्षा I-VIII के एस.सी. छात्रों को नगद पुरस्कार	18,000	18,000	7,272.71
64		सभी एस.सी. छात्रों (I-VIII) को मासिक स्टाइपेंड	26,500	26,500	10,624.15
65	माध्यमिक शिक्षा	पुस्तक बैंक	320	320	84.48
66		9वीं से 12वीं कक्षाओं में सभी एस.सी. छात्रों को मासिक स्टाइपेंड	11,100	11,100	6,016.41
67		स्कूलों का ब्यूटीफिकेशन पुरस्कार स्कीम	396	396	166.54
68		सीनियर में पृथक महिला टाइलेट/हैड पंप का निर्माण	2,720	2,720	1,360
69		राजकीय सैकेडरी स्कूल वैध साक्षरता अभियान का सुदृढ़ीकरण	30	30	10.07
70		शिक्षकों को सेवाकाल में प्रशिक्षण और जी.ई.टी. टी.आई.ज. का सुदृढ़ीकरण	60	60	20.65
71		शिक्षक कल्याण निधि	50	50	14.1
72		शैक्षिक पिछड़े खंड के लिए कन्या छात्रावास का निर्माण तथा चलाना (सी.एस.एस. 90:10)	360	360	157.25
73		कक्षा 9वीं तथा 11वीं में एस.सी. लड़के और लड़कियों को नि:शुल्क बाइसाईकिल	700	700	26.9
74		कक्षा 9वीं तथा 12वीं में एस.सी. छात्रों को नगद पुरस्कार	6,400	6,400	3,280.87
75	उच्चतर शिक्षा	राजकीय कालेजों में खेल गतिविधियां	100	100	64.71
76		छात्रवृत्तियां	146	146	85.22
77		हिसार, हरियाणा में नए कन्या बी.एन.एन.सी.सी. का निर्माण करवाना	138.15	138.15	33.37
78		सरकारी कालेजों में नौकरी दिलवाने के लिए कक्ष	60	60	31.42
79		प्रति ₹ 2000/-की दर पर सरकारी कालेजों में एस.सी. छात्रों को मुफ्त पुस्तकें प्रदान करना	800	800	330.78
80		सरकारी विद्यालय में सभी एस.सी. छात्रों को स्टाइपेंड	4,200	4,200	1,285.62
81		राज्य में एक शैक्षणिक नगर की स्थापना (ई.डी.यू.एस.ए.टी.)	200	200	100
82		सूचना प्रौद्योगिकी	600	600	343.8
83	कला एवं संस्कृति	पुरातत्व खुदाई/खोज कार्यक्रम	22	22	6.34
84		प्राचीन मूर्तियों/पुरावशेष का पलस्तर तैयार करना	9	9	4.83
85	आर्चीवज	प्रचार कार्यक्रम/आर्चीवज के भवनों का निर्माण	13	13	7.46
86		सूचना प्रौद्योगिकी	18	18	10.04
87		सार्वजनिक पुस्तकालय (उच्चतर शिक्षा)	150	150	45.66
88	तकनीकी शिक्षा	तकनीकी शिक्षा परियोजना फेज-IV	1,000	1,000	130
89	खेल	खेल उपकरण	150	150	16.12
90		खेल स्कीमों का बहुल प्रचार	150	150	51.28
91		पंचायती युवा क्रीड़ा खेल अभियान (पी.वाई.के.के.ए. 75:25)	170	170	58.4
92		एस.सीज के लिए मूलभूत संरचना स्कीम	800	800	231.27
93	चिकित्सा शिक्षा	नलहर, जिला मेवात में मेवात मैडिकल एंड शिक्षण कालेज की स्थापना (ते.वि.आ. अनुदान)	4,000	4,000	2,500
94	स्वास्थ्य	मुख्यालय स्टाफ का सुधार एवं सुदृढ़ीकरण	55	55	34.05

क्र.सं.	विभाग	स्कीम	अनुमानित आउटले	संशोधित आऊटले	वास्तविक लागत
95		देबी रूपक राष्ट्र उत्थान इबाम परिवार कल्याण योजना	55	55	18.03
96		अस्पतालों में स्वतंत्र फीडर लाईनें प्रदान करना	250	250	43.8
97		इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना (नई स्कीम)	150	150	50
98		उपकरण की मरम्मत/ए.एम.सी./सी.एम.सी.	300	300	140.16
99		सी.एच.सीज को खोलना/जारी रखना/अपग्रेड करना	1,415	1,415	953.03
100		मैडिकल और पैरा मैडिकल स्टाफ के लिए आरंभ और प्रोत्साहन प्रशिक्षण फैकल्टी	100	100	17.08
101		अंधेपन के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (ओपथेलमिक कक्ष)	40	40	21.9
102		मैडिकल और जन स्वास्थ्य पूंजीगत स्वास्थ्य व आउटले (स्वास्थ्य संस्था का निर्माण	1700	1700	476.82
103	आयुष	आयुष निदेशालय का सुदृढ़ीकरण	62.76	62.76	41.11
104		जिला आयुर्वेदिक अधिकारियों का सुदृढ़ीकरण	108.84	108.84	54.87
105		मैडिकल कैंप के साथ आई.एस.एम. मेलों के द्वारा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता	32	32	17.92
106		राज्य में आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक डिस्पैंसरियों को खोलना/जारी रखना	50.59	50.59	18.39
107		अनिवार्य दवाईयों की आपूर्ति (75:25)	82.5	82.5	1.08
108	कर्मचारी राज्य बीमा	रोजका-मियो, सोहाना, गुड़गांव में ई.एस.आई. डिस्पैंसरी को चलाना	3.57	3.57	1.18
109		गुड़गांव में मानेसर में ई.एस.आई. डिस्पैंसरी का खोलना	6.51	6.51	4.24
110		बावल में ई.एस.आई. डिस्पैंसरी खोलना	4.55	4.55	2.37
111		गतिशील ई.एस.आई. डिस्पैसरियां, टोहाना का खोलना	1.14	1.14	0.44
112		स्टाफ की आउटसोर्सिंग के लिए वेतनों का प्रावधान	18.75	18.75	9.5
113		जवाहर कालोनी फरीदाबाद, कुंडली, राई करनाल की 4 ई.एस.आई. डिस्पैंसरी का अपग्रेडेशन	3.75	3.75	0.71
114		बी.पी.एल. परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (75:25)	1,390	1,390	379.4
115	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	उचंत (स्टॉक)	500	500	22.11
116	पुलिस	टी.एफ.सी.	2,500	2,500	1,000
117	शहरी विकास	सैटेलाईट और काऊंटर मैगनेट कस्बों (सी.एस.एस.) के विकास की स्कीम	1,000	1,000	347.9
118		नगरपालिका/परिषदों को नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर के विक्रय पर 2 प्रतिशत कमीशन का भुगतान	16,700	16,700	11,244.36
119	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) सी.एस.एस. (75:25)	452	452	284.85
120	नगर एवं ग्राम आयोजना (एन.सी.आर.)	चंडीगढ़ मेटरो सहित दिल्ली के आसपास एन.सी.आर. सैटेलाईट के विकास के लिए हुडा को सहायता अनुदान	15,442	15,442	4,005.7
121	लोक संपर्क	प्रेस सूचना सेवाएं	12,807.5	12,807.5	3,800.59
122		प्रदर्शनियां	268.2	268.2	74.9
123		आधुनिक भारतीय भाषाओं एंड साहित्य को प्रोत्साहन (इतिहास एंड सांस्कृतिक अकादमी)	110	110	49.5

क्र.सं.	विभाग	स्कीम	अनुमानित आउटले	संशोधित आऊटले	वास्तविक लागत
124	अनुसूचित जातियों तथा पिछले वर्गों का कल्याण	पी.सी.आर. अधिनियम, 1955 के कार्यान्वयन के लिए मशीनरी (50:50)	345.75	345.75	224.38
125		सूचना प्रौद्योगिकी	25	25	12.33
126	श्रम	फैक्टरियों में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य जांच प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	2.4	2.4	0.2
127		बाल मजदूरी के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए बाल मजदूरी कक्ष की स्थापना	13	13	2.39
128		निराश्रय एवं प्रवासी बाल मजदूरों का पुनर्वास	111	111	65.07
129		मुख्य दुर्घटना खतरा नियंत्रण कक्ष की स्थापना	66	66	11.5
130		श्रम विभाग का कम्प्यूटराइजेशन (आई.टी.)	65	65	9.87
131		फैक्टरियों में काम करने वाले मजदूरों की स्वास्थ्य देखभाल करने के लिए गतिशील वैनज़ प्रदान करना	36	36	7.59
132		गुड़गांव और फरीदाबाद में औद्योगिक हाईजीन लैबोटरीज (आई.एच.एल.) की स्थापना	34	34	3.65
133		फरीदाबाद, गुड़गांव में श्रम परिसर का निर्माण	520	520	341.89
134	रोजगार कार्यालय	विदेश रोजगार ब्यूरों	65	65	30.44
135		रोजगार एक्सचेंज आपरेशनों का कम्प्यूटराइजेशन	30	30	13.43
136		निजी प्लेसमेंट कन्सल्टेंन्सी और भर्ती सेवा केंद्र (पी.पी.सी. एंड आर.एस.सीज)	15	15	2.05
137	सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण	पानीपत में अंधे लड़के और लड़कियों के लिए सरकारी संस्थान सह-ब्रेल पुस्तकालय	2	2	1.11
138		अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (75:25)	170	170	26.57
139	महिला एवं बाल विकास	एकीकृत बाल विकास सेवाएं स्कीम	482	482	271.79
140		घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा	150	150	95.14
141		एच्छिक क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण	100	100	0.2
142		राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	25	25	17.02
143		जे.जे. अधिनियम के अंतर्गत घरों का निर्माण	700	700	175
144		(योजना-सह-मानीटरिंग कक्ष) संवाद एवं प्रचार	45	45	11.26
145		मुख्यालय के लिए स्टाफ (सूचना प्रौद्योगिकी)	10	10	3.02
146	पोषण	किशोर लड़कियों के सुधार के लिए राजीव गांधी स्कीम (आर.जी.एस.ई.ए.जी.)-सबला (50:50)	1,000	1,000	610.02
147	औद्योगिक प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा	एस.सी./एस.टी. छात्रों को कौशल प्रशिक्षण	3,000	3,000	1,798.42
148	मुद्रण तथा लेखन	सरकारी पाठ्य पुस्तक प्रैस, पंचकुला स्टाफ का विस्तार	8	8	4.81
149	लोक निर्माण	जेल भवन	1,880	1,880	212.89
150	(सामान्य प्रशासन)	जेल प्रशासन (सी.एस.एस. 75:25)	375	375	209.12
151	अन्य सामान्य सेवाएं	न्यायिक प्रशासन (फास्ट ट्रैक न्यायालय)	500	500	5.89
		कुल	**2,11,710.23**	**2,11,710.23**	**96,214.84**

परिशिष्ट 2.19

(संदर्भः अनुच्छेद 2.6.1 (i); पृष्ठ 44)

वर्ष 2013 – 14 के अन्तिम तिमाही/माह में व्यय के वेग युक्त अनुदान संख्या 15 (स्थानीय शासन) के अंतर्गत स्कीमों का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	स्कीमवार विस्तृत शीर्ष	वर्ष 2013 – 14 के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2014 के दौरान व्यय	
			राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
1	कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड को सहायता अनुदान (1-1-3754-2217-80-800-99)	3,152.00	2,902.00	92.07	0.00	0.00
2	संघटित हाऊसिंग तथा स्लम विकास प्रोग्राम (1-1-0000-2217-80-800-81)	3,834.59	1,805.01	47.07	1,805.01	47.07
3	राजीव आवास योजना (1-1-00002217-8-192-94)	10,985.22	5,886.22	53.58	5,886.22	53.58
4	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (2-1-3758-2217-80-191-99)	168.18	168.18	100.00	168.18	100.00
5	अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (2-3-0000-2217-80-789-99)	116.67	116.67	100.00	116.67	100.00
6	सैटेलाईट तथा काऊंटर मैगनेट टाऊनज का विकास (2-1-0000-2217-80-192-96)	3,131.10	1,565.55	50.00	0.00	0.00
7	सी.एफ.सी. की सिफारिश पर नगर परिषदों को सहायता अनुदान (एन -51-15-2217-80-191-93-51)	10,018.27	4,764.79	47.56	3,255.51	32.50
8	सी.एफ.सी. की सिफारिश पर नगपालिकाओं/ नगर परिषदों को सहायता अनुदान (एन-51-2217-80-192-93-51)	6,557.52	3,035.14	46.28	2,224.20	33.92
	कुल	**37,963.55**	**20,243.56**	**53.32**	**13,455.79**	**35.44**

परिशिष्ट 2.20

(संदर्भः अनुच्छेद 2.6.1 (ii); पृष्ठ 44)

अनुदान संख्या 15 (स्थानीय शासन) के अंतर्गत स्कीमों, जिनके लिए वर्ष 2013 – 14 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था, के विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	स्कीम का विवरण	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	संशोधित प्रावधान	व्यय	कारण
1	शहरी सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट (1-1-3755-2217-80-800-99)	5,000.00	-	5,000.00	शून्य	एम.सी. से मांग प्राप्त न होने के कारण
2	सी.एफ.सी. की सिफारिश पर एम.सी. को विकास अनुदान (1-1-0000-2217-80-800-82)	2,500.00	-	2,500.00	शून्य	व्यय में मितव्यता के कारण
3	लघु तथा मध्यम कस्बों के लिए शहरी मूलभूत संरचना विकास स्कीम (1-1-0000-2217-80-800-79)	10,358.00	-	3,050.00	शून्य	भारत सरकार द्वारा निधियां जारी न करने के कारण
4	संघटित कम लागत सफाई स्कीम (1-1-0000-2217-80-800-78)	100.00	-	10.00	शून्य	भारत सरकार द्वारा निधियां जारी न करने के कारण
5	मिल्क डेयरी की शिफ्टिंग (1-1-0000-2217-80-800-76)	126.00	-	76.00	शून्य	एम.सी. से मांग प्राप्त न होने तथा माडल आचार संहिता लागू होने के कारण
6	राजीव गांधी शहरी भागीदारी योजना (1-1-0000-2217-80-192-97)	295.00	-	40.00	शून्य	माडल आचार संहिता लागू होने के कारण
7	अग्नि सेवाओं का सुदृढ़ीकरण (2-1-0000-2217-80-192-98)	1,250.00	-	0.00	शून्य	भारत सरकार द्वारा स्कीम बंद कर दी गई है
	कुल	**19,629.00**		**10,676.00**	**शून्य**	

परिशिष्ट 2.21

(संदर्भः अनुच्छेद 2.6.2 (iii); पृष्ठ 45)

वर्ष 2013 – 14 की अंतिम तिमाही/माह में व्यय के वेग युक्त, अनुदान संख्या 21 (महिला एवं बाल विकास) के अंतर्गत स्कीमों के विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	मुख्य लेखा शीर्ष	स्कीम वार विस्तृत शीर्ष	वर्ष 2013 – 14 के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान कुल व्यय	
				राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
1	एन-51-21-2235-02-102-98-98- आर – वी-	निराश्रयों के बाल कल्याण के क्षेत्रों में स्वैच्छिक काम करने वाले स्वैच्छिक संगठन को सहायता अनुदान – देख – भाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता में निराश्रय बच्चो का कल्याण	23.49	23.49	100.00
2	एन-51-21-2235-02-103-89-51- आर – वी-	महिला समूह को प्रोत्साहन पुरस्कार	28.50	15.42	54.11
3	एन -51-21-2235-02-103-97-51- आर – वी-	पी.डब्ल्यू.डी. (बी .एंड आर.) द्वारा गृह का रख – रखाव	2.50	2.50	100.00
4	एन -51-21-2235-02-103-98-51- आर – वी-	वाहय दान प्राप्त करने वाले/ अस्पतालों को नगद दान	0.17	0.07	41.18
5	एन -51-21-2235-02-800-87-51-आर – वी-	हरियाणा महिला विकास निगम	200.00	87.50	43.75
6	पी -01-21-2235-02-001-95-51-एन – वी-	संचार एवं प्रचार	11.26	8.58	76.20
7	पी -01-21-2235-02-102-76-51-एन – वी-	आंगनवाड़ी वर्कर्ज/हैल्परज के लिए बीमा की भावी सुरक्षा स्कीम	418.73	209.37	50.00
8	पी -01-21-2235-02-102-92-51-एन – वी-	संघटित बाल विकास सेवाएं स्कीम (डब्ल्यू.सी.डी.)	271.79	202.49	74.50
9	पी -01-21-2235-02-103-77-51-एन – वी-	स्वावलंबन (नोराड)	1.19	1.19	100.00
10	पी -01-21-2235-02-103-87-99-एन – वी-	ऐच्छिक सेक्टर (ट्रेनिंग सह उत्पादन केंद्रों तथा स्टाइपेंडरी स्कीमें) का सुदृढ़ीकरण को सहायता अनुदान सरकारी सहायता प्राप्त एन.जी.ओज	529.65	287.65	54.31
11	पी -01-21-2235-02-789-94-51-एन – वी-	हरियाणा विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति परिवारों को वित्तीय सहायता	60.00	30.00	50.00
12	पी -01-21-2235-02-789-95-51-एन – वी-	स्वावलंबन के अंतर्गत अनुसूचित जाति परिवारों को वित्तीय सहायता	0.75	0.75	100.00
13	पी -01-21-2235-02-789-98-51-एन – वी-	आंगनवाड़ी वर्कर्ज के लिए भावी सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जाति परिवारों को वित्तीय सहायता	140.96	70.48	50.00
14	पी -01-21-2235-02-800-82-98-एन – वी-	हरियाणा राज्य महिला आयोग – महिला जागरूकता तथा प्रबंधन अकादमी (डब्ल्यू.ए.एम.ए.) को वित्तीय सहायता	40.00	20.00	50.00
15	पी -01-21-2235-02-800-87-51-एन – वी-	हरियाणा महिला विकास निगम	240.00	120.00	50.00
16	पी -02-21-2235-02-102-73-51-एन – वी-	संघटित बाल सुरक्षा स्कीम (आई.सी.पी.एस.)	1,375.00	1,009.85	73.44
17	पी -02-21-2235-02-103-74-51-एन – वी-	राज्य महिला सशक्तिकरण आयोग	15.21	15.21	100.00
18	पी -03-21-2235-02-102-74-51-एन – वी-	किशोरी कन्याओं के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी स्कीम (आर.जी.एस.ई.ए.जी.) – सबला	19.29	17.93	92.95
19	पी -03-21-2235-02-102-87-51-एन – वी-	किशोरी शक्ति योजना के रूप में पुनः नामित किशेरी कन्या स्कीम	59.93	49.81	83.11
20	पी -02-21-2236-02-101-89-51-एन – वी-	किशोरी कन्याओं के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी स्कीम (आर.जी.एस.ई.ए.जी.) – सबला	901.02	589.53	65.43
21	पी -02-21-2236-02-101-95-51-एन – वी-	पूरक न्यूट्रीशन प्रोग्राम	9,332.66	4,289.10	45.96
22	पी -01-21-4235-02-102-97-99-एन – वी-	जे.जे. एक्ट का कार्यान्वयन – रिमांड/आबजरवेशन होम	175.00	175.00	100.00
		कुल	**13,847.10**	**7,225.92**	**52.18**

परिशिष्ट 2.22

(संदर्भः अनुच्छेद 2.6.2 (iv); पृष्ठ 45)

अनुदान संख्या 21 (महिला एवं बाल विकास) के अंतर्गत प्लान स्कीमों के विवरण, जिनमें वर्ष 2013 – 14 में बचतें हुई (₹ 10 लाख अथवा अधिक की बचतों वाले मामले)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	स्कीम के विवरण	मूल	पूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें
1	पी-01-21-2235-02-102-80-51-एन-वी- शिशु तथा यंग चाइल्ड फीडिंग बढ़ाना	16.00	-	16.00	-	16.00
2	पी-01-21-2235-02-102-92-51-एन-वी- संघटित बाल विकास सेवाएं स्कीमें	482.00	-	482.00	271.79	210.21
3	पी-01-21-2235-02-103-77-51-एन-वी- स्वावलंबन (एन.ओ.आर.ए.डी.)	12.00	-	12.00	1.19	10.81
4	पी-01-21-4235-02-102-99-51-एन-वी- आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण	18,062.00	-	18,062.00	-	18,062.00
5	पी-01-21-2235-02-789-99-51-एन-वी- लाडली स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जातिय परिवारों को वित्तीय सहायता	2,730.00	-	2,730.00	1,773.85	956.15
6	पी-02-21-2235-02-102-88-51-एन-वी- आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना (उद्रीशा परियोजना)	400.00	-	400.00	313.09	86.91
7	पी-02-21-2235-02-102-92-51-एन-वी- संघटित बाल विकास सेवाएं स्कीमें (डब्ल्यू.सी.डी.)	29,113.89	-	29,113.89	17,694.95	11,418.94
8	पी-03-21-2235-02-102-74-51-एन-वी- किशोरी लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी स्कीम (आर.जी.एस.ई.ए.जी.) सबला	170.00	-	170.00	19.29	150.71
9	पी-03-21-2235-02-102-87-51-एन-वी- किशोरी शक्ति योजना के रूप में पुनः नामित किशोरी लड़कियां स्कीम	75.00	-	75.00	59.63	15.07
10	पी-02-21-2236-02-101-89-51-एन-वी- किशोरी लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी स्कीम (आर.जी.एस.ई.ए.जी.)-सबला	1,700.00	-	1,700.00	901.02	798.98
11	पी-02-21-2236-02-101-95-51-एन-वी- पूरक न्यूट्रीशन स्कीम	11,474.00	-	11,474.00	9,332.66	2,141.34
12	पी-02-21-2236-02-789-98-51-एन-वी- अनुसूचित जातियों के लिए पूरक राष्ट्रीय प्रोग्राम	5406.00	-	5406.00	3941.25	1464.75
13	पी-03-21-2236-02-101-88-51-एन-वी- इंदिरा गांधी मातृत्व योजना	200.00	-	200.00	51.05	148.95
14	पी-03-21-2235-02-103-75-51-एन-वी- रेप विक्टिम को वित्तीय सहायता तथा सहायता तथा सहायता सेवाओं के लिए स्कीम	200.00	-	200.00	-	200.00
15	पी-01-21-4235-02-190-99-51-एन-वी- डब्ल्यू.डी.सी. अन्य उपक्रमों को शेयर पूंजी (राज्य हिस्सा)	50.00	-	50.00	-	50.00
16	पी-01-21-4235-02-789-99-51-एन-वी- डब्ल्यू.डी.सी. अन्य उपक्रमों को शेयर पूंजी (राज्य हिस्सा)	600.000	-	600.00	-	600.00
17	पी-03-21-4235-02-102-99-51-एन-वी- आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण	150.00	-	150.00	-	150.00

क्र. सं.	स्कीम के विवरण	मूल	पूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें
18	एन-51-21-2235-02-102-98-95-आर-वी- निराश्रयों के बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यवाही ऐच्छिक संगठन को सहायतानुदान-राज्य अनाथ	40.00	-	40.00	-	40.00
19	एन-51-21-2235-02-103-91-51-आर-वी- वर्किंग वुमैन होस्टलों का निर्माण	30.00	-	30.00	-	30.00
20	पी-01-21-2235-02-789-97-51.एन-वी. महिला प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्रों तथा स्टाइपैंडरी के अंतर्गत अनुसूचित जाति परिवारों को वित्तीय सहायता	20.00	-	20.00	-	20.00
21	एन.51-21-2235-02-001-97-98-आर-वी. मुख्यालय के लिए स्टाफ (डब्ल्यू.सी.डी.)-स्थापना व्यय	420.00	-	420.00	389.32	30.68
22	एन.51-21-2235-02-102-98-98-आर-वी. निराश्रयों के बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने वाले ऐच्छिक संगठनों, को वित्तीय सहायता-देखभाल एवं सुरक्षा के लिए जरूरतमंद निराश्रय बच्चों का कल्याण	100.00	-	100.00	23.49	76.51
23	एन.51-21-2235-02-103-97-51-आर-वी. पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) द्वारा गृह का रख-रखाव	40.00	-	40.00	2.50	37.50
24	एन. 51-21-2235-02-103-99-51- आर-वी. निराश्रय महिलाओं तथा विधवाओं के लिए गृह तथा प्रशिक्षण केंद्र	178.00	-	178.00	144.36	33.64
25	एन. 51-21-2235-02-800-81-95.आर-वी. जे.जे. एक्ट का कार्यान्वयन	40.00	-	40.00	12.15	27.85
26	पी.01-21-2235-02-001-95-51-एन-वी. संचार एवं प्रसार	45.00	-	45.00	11.26	33.74
27	पी.01-21-2235-02-103-76-51.एन-वी. घरेलू अत्याचार से महिला की सुरक्षा (सैल्ज का संस्थापन)	150.00	-	150.00	95.14	54.86
28	पी.01-21-2235-02-103-87-98.एन-वी .ऐच्छिक सैक्टर का सुदृढ़ीकरण-प्रशिक्षण सह-सुरक्षा केंद्र तथा स्टाइपेंड स्कीम	20.00	-	20.00	0.20	19.80
29	पी.01-21-2236-02-101-94-51.एन-वी. किशोरी लड़कियां स्कीमें-किशोरी शक्ति योजना के लिए पुन:नामित	300.00	-	300.00	220.33	79.67
30	पी.01-21-2236-02-101-99-51.एन-वी. अनुसूचित जाति के लिए किशोरी शक्ति योजना	100.00	-	100.00	82.62	17.38
	कुल	**72,323.89**	**-**	**72,323.89**	**35,341.14**	**36,982.45**

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भः अनुच्छेद 3.1; पृष्ठ 47)

31 मार्च 2014 को देय, प्राप्त एवं बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्रों के ब्यौरे

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	वर्ष	प्रदत्त कुल अनुदान		देय उपयोगिता प्रमाण–पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्र	
			मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि
1	उद्योग	2009-10	13	1,301.03	3	90.00	--	--	3	90.00
		2011-12	13	677.20	5	55.90	1	1.25	4	54.65
		2012-13	32	1,073.83	32	1,073.83	2	75.00	30	998.83
2	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2012-13	66	5,014.86	66	5,014.86	7	2,008.18	59	3,006.68
3	तकनीकी शिक्षा	2012-13	58	20,441.81	58	20,441.81	46	18,056.32	12	2,385.49
4	खेल एवं युवा सेवाएं	2012-13	120	3,797.39	120	3,797.39	75	2,533.36	45	1,264.03
5	सामान्य शिक्षा	2011-12	204	46,595.00	168	28,725.90	22	4,229.56	146	24,496.34
		2012-13	274	89,769.47	274	89,769.47	90	35,089.21	184	54,680.26
6	ग्रामीण विकास	2008-09	248	43,297.30	17	4,364.86	4	39.00	13	4,325.86
		2009-10	205	39,973.42	32	17,908.54	14	6,921.34	18	10,987.20
		2010-11	221	31,562.07	126	12,915.75	85	4,124.31	41	8,791.44
		2011-12	630	82,997.69	374	61,462.22	139	15,871.34	235	45,590.88
		2012-13	546	97,775.88	546	97,775.88	106	33,248.00	440	64,527.88
7	शहरी विकास	2011-12	64	89,466.88	7	4,327.17	1	500.00	6	3,827.17
		2012-13	96	1,27,401.38	96	1,27,401.38	9	1,876.50	87	1,25,524.88
8	सहकारिता	2012-13	8	14,683.23	8	14,683.23	5	14,603.23	3	80.00
9	फसल पालन	2012-13	7	4,428.90	7	4,428.90	--	--	7	4,428.90
10	पर्यटन	2012-13	3	24.50	3	34.50	1	4.50	2	30.00
11	श्रम एवं रोजगार	2012-13	5	244.37	5	244.37	--	--	5	244.37
12	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	2012-13	17	3,263.08	17	3,263.08	15	3,218.48	2	44.60
13	चिकित्सा	2012-13	54	52,958.67	54	52,958.67	49	48,063.63	5	4,895.04
14	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2012-13	2	257.60	2	257.60	1	128.80	1	128.80
15	मछली पालन	2012-13	18	109.80	18	109.80	16	103.29	2	6.51
16	कला एवं संस्कृति	2012-13	2	0.31	2	0.31	--	--	2	0.31
17	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	2012-13	28	1,741.31	28	1,741.31	23	586.51	5	1,154.80
18	कमांड क्षेत्र विकास	2012-13	15	12,921.22	15	12,921.22	12	6,339.71	3	6,581.51
19	परिवार कल्याण	2012-13	12	28.83	12	28.83	--	--	12	28.83
20	न्याय प्रशासन	2012-13	1	500.00	1	500.00	--	--	1	500.00
21	सूचना एवं प्रचार	2012-13	18	561.00	18	561.00	7	237.50	11	323.50
22	पशुपालन	2012-13	12	4,722.00	12	4,722.00	11	47,170.00	1	5.00
23	इकोलोजी एवं पर्यावरण	2012-13	6	121.50	6	121.50	--	--	6	121.50
कुल			**2,998**	**7,77,711.53**	**2132**	**5,71,701.28**	**741**	**2,02,576.02**	**1391**	**3,69,125.26**
₹ करोड़ में				**7,777.12**		**5,717.01**		**2,025.76**		**3,691.25**

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भः अनुच्छेद 3.2; पृष्ठ 48)

निकायों एवं प्राधिकरणों, जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, के नाम दर्शानेवाली विवरणी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
1.	श्री भूतेश्वर मन्दिर तीर्थ, जीन्द	1994-95	25.29
2.	अरावली विकास संगठन, गुड़गांव	1995-96	100.00
3.	सॉफ्टवेयर टैक्नोलोजी पार्क ऑफ इंडिया, नई दिल्ली	2002-03	250.00
4.	हरियाणा स्लम क्लीयरेंस बोर्ड, चण्डीगढ़	1998-99	700.48
5.	जिला बाल कल्याण परिषद्, रेवाड़ी	1999-2000	38.75
6.	चेरिटेबल एंडोमेंट, हरियाणा, मनीमाजरा	2001-02 2002-03	478.00 478.00
7.	ई-गवर्नेंस के लिए आई.टी. उपक्रमण निधि के लिए समिति, चण्डीगढ़	2002-03 2003-04 2004-05 2009-10	165.55 60.00 25.00 56.00
8.	हरियाणा ऊर्जा विकास एजेंसी, चण्डीगढ़	2001-02 2002-03 2003-04 2004-05	67.30 41.50 384.37 25.00
9.	बालग्राम (एस.ओ.एस.) न्यासी बोर्ड राई, चण्डीगढ़	2003-04	240.00
10.	साकेत अस्पताल, पंचकूला	2004-05 2008-09	50.00 30.00
11.	निदेशक, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, नीलोखेड़ी	2004-05	40.00
12.	हरियाणा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्	2005-06	170.00
13.	रक्त ट्रांसफ्यूजन परिषद्, पंचकूला	2005-06	150.00
14.	गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत, हरियाणा, चण्डीगढ़	2006-07 2008-09 2009-10	49.89 600.26 490.72
15.	निदेशक, इलैक्ट्रोनिक्स, हरियाणा, चण्डीगढ़	2006-07	378.00
16.	आर.आई.टी.ई.एस. इण्डिया लिमिटेड	2009-10	1,750.00
सहायता प्राप्त निजी महाविद्यालय			
17.	एम.पी.एन. कालेज, मुलाना (अम्बाला)	2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	66.58 61.35 105.29 180.78 174.90 225.39 203.67
18.	आर्य कन्या महाविद्यालय, अम्बाला छावनी	2013-14	248.97
19.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, अम्बाला शहर	2013-14	652.23
20.	एस.ए. जैन महाविद्यालय, अम्बाला शहर	2013-14	486.13
21.	एम.डी.एस.डी. महाविद्यालय, अम्बाला शहर	2013-14	209.85
22.	एस.एल.डी.ए.वी. शिक्षण महाविद्यालय, अम्बाला शहर	2013-14	123.88
23.	जी.एम.एन. महाविद्यालय, अम्बाला छावनी	2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	373.44 449.00 488.63 484.10

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
24.	एस.डी. महाविद्यालय, अम्बाला छावनी	2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	541.52 691.07 671.84 683.15
25.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, नेनोला अम्बाला	2012-13 2013-14	115.77 100.30
26.	एस.एम.लुबाना खालसा कन्या महाविद्यालय, बराड़ा, अंबाला	2012-13 2013-14	186.12 186.60
27.	एम.एल.एन. महाविद्यालय, यमुनानगर	2013-14	656.73
28.	गुरू नानक खालसा महाविद्यालय, यमुनानगर	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	535.53 531.96 834.00 764.32 784.26
29.	गुरू नानक खालसा कन्या महाविद्यालय, यमुनानगर	2013-14	612.87
30.	डी.ए.वी. कन्या महाविद्यालय, यमुनानगर	2013-14	406.03
31.	महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय, जगाधरी	2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	49.13 41.68 44.55 53.10 52.89 59.70 70.24 93.58 142.50 158.10 188.18
32.	हिंदु कन्या महाविद्यालय, जगाधरी, यमुनानगर	2013-14	286.00
33.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, सढौरा, यमुनानगर	2012-13 2013-14	146.03 164.76
34.	एम.एल.एन. महाविद्यालय, रादौर, यमुनानगर	2010-11 2012-13 2013-14	138.21 175.50 180.78
35.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, पुंडरी (कैथल)	2013-14	141.92
36.	सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय फतेहपुर पुंडरी (कैथल)	2013-14	246.26
37.	आर.के.एस.डी. महाविद्यालय, कैथल	2011-12 2013-14	485.50 557.75
38.	बी.ए.आर. जनता महाविद्यालय, कौल, कैथल	2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	178.64 222.29 200.28 193.00
39.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, चीका, कैथल	2013-14	241.68
40.	सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय, ढांड ढडवान, कैथल	2013-14	251.40
41.	आई.जी. महिला महाविद्यालय, कैथल	2013-14	120.16
42.	हिंदू कन्या महाविद्यालय, जींद	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	200.00 212.01 251.58 258.54 236.52
43.	सी.आर. किसान महाविद्यालय, जींद	2013-14	352.60
44.	एस.डी. महिला महाविद्यालय, नरवाना, जींद	2012-13 2013-14	144.53 145.31

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
45.	आर्या कन्या महाविद्यालय, शाहाबाद, कुरूक्षेत्र	2012-13 2013-14	309.48 329.63
46.	भगवान परशुराम महाविद्यालय, कुरूक्षेत्र	2013-14	335.80
47.	आई.जी. नेशनल महाविद्यालय, लाडवा, कुरूक्षेत्र	2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	275.16 390.85 266.42 237.73
48.	एम.एन. महाविद्यालय, शाहाबाद, कुरूक्षेत्र	2012-13 2013-14	224.50 228.37
49.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, पेहवा, कुरूक्षेत्र	2013-14	328.86
50.	एस.एन.आर.एल. जयराम कन्या महाविद्यालय, लोहार माजरा, कुरूक्षेत्र	2013-14	62.16
51.	सी.एम.के. नेशनल कन्या महाविद्यालय, सिरसा	2012-13 2013-14	258.07 251.50
52.	गुरू हरी सिंह महाविद्यालय, जीवन, सिरसा	2013-14	176.72
53.	एम.पी. कन्या महाविद्यालय, मंडी डबवाली, सिरसा	2013-14	211.67
54.	बी.एस.के. शिक्षा महाविद्यालय, मंडी डबवाली (सिरसा)	2011-12 2012-13 2013-14	38.50 60.65 54.65
55.	सी.आर.एम. जाट महाविद्यालय, हिसार	2012-13 2013-14	665.02 638.24
56.	डी.एन. महाविद्यालय, हिसार	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	502.40 552.19 732.66 659.33 638.50
57.	एस.डी. महिला महाविद्यालय, हांसी	2013-14	114.69
58.	सी.आर. शिक्षा महाविद्यालय, हिसार	2013-14	129.50
59.	एफ.सी. महाविद्यालय (महिला) हिसार	2013-14	349.71
60.	सी.आर.ए. महाविद्यालय, सोनीपत	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	227.94 237.59 386.31 372.33 370.21
61.	हिंदू महाविद्यालय, सोनीपत	2012-13 2013-14	673.45 474.97
62.	हिंदू शिक्षा महाविद्यालय, सोनीपत	2013-14	147.46
63.	टी.आर. शिक्षा महाविद्यालय, सोनीपत	2011-12 2012-13 2013-14	104.44 97.10 75.10
64.	कन्या महाविद्यालय, खरखोदा (सोनीपत)	2012-13 2013-14	128.33 152.88
65.	हिंदू कन्या महाविद्यालय, सोनीपत	2012-13 2013-14	729.62 677.32
66.	टी.आर. कन्या महाविद्यालय, सोनीपत	2011-12 2012-13 2013-14	113.63 123.12 129.60
67.	गीता विद्या मंदिर के.एम.वी., सोनीपत	2011-12 2012-13 2013-14	487.02 503.35 532.64

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
68.	के.एल.पी. महाविद्यालय, रेवाड़ी	2012-13	497.00
		2013-14	477.41
69.	आर.डी.एस. पब्लिक कन्या महाविद्यालय, रेवाड़ी	2009-10	131.90
		2010-11	229.20
		2011-12	209.70
		2012-13	257.11
		2013-14	240.95
70.	एस.पी. शिक्षा महाविद्यालय, रेवाड़ी	2009-10	47.97
		2010-11	76.93
		2011-12	85.39
		2012-13	69.60
		2013-14	62.00
71.	आर.बी.एस. शिक्षा महाविद्यालय, रेवाड़ी	2012-13	46.96
		2013-14	27.50
72.	अहिर महाविद्यालय, रेवाड़ी	2012-13	262.27
		2013-14	253.20
73.	डी.ए.वी. कन्या महाविद्यालय, कोसली रेवाड़ी	2012-13	11.90
		2013-14	32.40
74.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, करनाल	2010-11	210.39
		2011-12	228.10
		2012-13	208.95
		2013-14	187.28
75.	के.वी.ए.डी.ए.वी. महिला महाविद्यालय, करनाल	2010-11	289.36
		2011-12	455.10
		2012-13	364.11
		2013-14	395.05
76.	गुरू नानक खालसा महाविद्यालय, करनाल	2013-14	197.07
77.	दयाल सिंह महाविद्यालय, करनाल	2012-13	538.15
		2013-14	640.95
78.	डा. गणेश दास डी.ए.वी. शिक्षा महाविद्यालय, करनाल	2010-11	53.98
		2011-12	61.78
		2012-13	67.73
		2013-14	43.80
79.	वाई.एम. डिग्री महाविद्यालय, नूंह	2010-11	118.02
		2011-12	144.30
		2012-13	170.78
		2013-14	155.20
80.	एन.बी.जी.एस. मेमोरियल महाविद्यालय, सोहना गुड़गांव	2010-11	186.80
		2011-12	194.70
		2012-13	226.74
		2013-14	212.16
81.	आर.एस.एल. शिक्षा महाविद्यालय, सिढरावाली गुड़गांव	2012-13	120.14
		2013-14	99.80
82.	जी.जी.डी.एस.डी. महाविद्यालय, पलवल	2010-11	387.34
		2011-12	428.50
		2012-13	450.97
		2013-14	443.24
83.	सरस्वती महिला महाविद्यालय, पलवल	2013-14	203.45
84.	डी.ए.वी. सेंनटेनरी महाविद्यालय, फरीदाबाद	2010-11	307.72
		2011-12	277.32
		2012-13	278.72
		2013-14	266.41

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
85.	के.एल. मेहता डी.एन. महाविद्यालय, (महिला) फरीदाबाद	2013-14	372.07
86.	अग्रवाल महाविद्यालय, बल्लभगढ़, फरीदाबाद	2013-14	334.39
87.	आर्य महाविद्यालय, पानीपत	2012-13 2013-14	355.24 403.88
88.	एस.डी. महाविद्यालय, पानीपत	2013-14	541.00
89.	गांधी आदर्श महाविद्यालय, समालखा, पानीपत	2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	85.98 104.00 52.52 72.00
90.	आई.बी. महाविद्यालय, पानीपत	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	255.30 416.50 432.50 426.92 413.10
91.	वैश्य कन्या महाविद्यालय, समालखा (पानीपत)	2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	28.45 38.32 39.60 67.61 81.16 38.30 69.35 118.10
92.	एम.के. जाट कन्या महाविद्यालय, रोहतक	2012-13 2013-14	296.44 366.80
93.	एस.जे.के. महाविद्यालय, कलानौर, रोहतक	2010-11 2012-13 2013-14	219.11 202.52 200.00
94.	सी.आर शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	85.75 132.93 112.04 113.50 97.80
95.	वैश्य शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक	2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	87.72 75.37 75.46 72.50
96.	जी.बी. शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक	2009-10 2010-11 2013-14	52.04 69.09 94.40
97.	वैश्य महाविद्यालय, रोहतक	2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	317.14 424.45 407.83 448.90
98.	आल इंडिया जाट हीरो मेमोरियल महाविद्यालय, रोहतक	2013-14	879.70
99.	वैश्य कन्या महाविद्यालय, रोहतक	2012-13 2013-14	317.58 317.96
100.	जी.बी. डिग्री महाविद्यालय, रोहतक	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	83.09 104.20 134.20 149.40 161.90

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
101.	श्री एल.एन. हिंदू महाविद्यालय, रोहतक	2009-10 2013-14	216.74 234.67
102.	वैश्य महाविद्यालय, भिवानी	2013-14	408.38
103.	आदर्श महिला महाविद्यालय, भिवानी	2013-14	399.95
104.	के.एम .शिक्षा महाविद्यालय, भिवानी	2013-14	81.18
105.	जे.वी.एम.जी.आर. महाविद्यालय, चरखी दादरी, भिवानी	2013-14	408.44
106.	ए.पी.जे. सरस्वती कन्या महाविद्यालय, चरखी दादरी, भिवानी	2013-14	122.64
107.	एम.एल.आर.एस. सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय, चरखी दादरी, भिवानी	2013-14	89.50
108.	बी.एल.जे. सुईवाला महाविद्यालय, तोशाम, भिवानी	2013-14	169.50
109.	महिला महाविद्यालय, जोझु कलां भिवानी	2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	30.45 50.55 35.79 77.60
110.	एम.एम. महाविद्यालय, फतेहाबाद	2013-14	313.16
111.	वैश्य आर्या कन्या महाविद्यालय, बहादुरगढ़, झज्जर	2013-14	142.50
112.	एम.ए. महिला महाविद्यालय, झज्जर	2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13	67.35 77.67 156.34 172.90 184.30 158.87
113.	सेठ जय प्रकाश बहुतकनीकी, दामला, यमुनानगर	2013-14	4.50
114.	छोटू राम बहुतकनीकी, रोहतक	2013-14	145.50

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भः अनुच्छेद 3.3; पृष्ठ 48)

स्वायत्त निकायों द्वारा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण तथा
नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को लेखे के प्रस्तुतिकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (31 अगस्त 2013 तक)
1.	हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, मनीमाजरा, चण्डीगढ़	2012-13 से 2016-17	2011-12	2011-12	2009-10	2012-13	एक वर्ष
2.	हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, च डीगढ़	2008-09 से 2012-13	2012-13	2011-12	2006-07	--	
3.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला	2012-13 से 2016-17	2012-13	2011-12	2011-12	--	
4.	हरियाणा हाऊसिंग बोर्ड, पंचकूला	2009-10 से 2013-14	2011-12	2011-12	2011-12	2012-13	एक वर्ष
5.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकूला	2010-11 से 2014-15	2012-13	2012-13	2010-11	--	--
6.	हरियाणा वक्फ बोर्ड, अम्बाला छावनी	2013-14 से 2017-18	2012-13	2012-13	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं।	-	
7.	हरियाणा राज्य कानून सेवाएं प्राधिकरण, चण्डीगढ़	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2010-11	2010-11	2005-06	2011-12 से 2012-13	दो वर्ष
8.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट–सह–सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, भिवानी	-सम-	2010-11	2010-11	-	2011-12 से 2012-13	दो वर्ष
9.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट–सह–सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, फरीदाबाद	-सम-	2012-13	2012-13	-	2012-13	एक वर्ष

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (31 अगस्त 2013 तक)
10.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, फतेहाबाद	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2011-12	2011-12	-	2012-13	एक वर्ष
11.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, गुड़गांव	-सम-	-	-	-	1996-97 से 2012-13	17 वर्ष
12.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, झज्जर	-सम-	-	-	-	1996-97 से 2012-13	17 वर्ष
13.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, कैथल	-सम-	2011-12	2011-12	-	2012-13	एक वर्ष
14.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पंचकूला	-सम-	-	-	-	1996-97 से 2012-13	17 वर्ष
15.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पानीपत	-सम-	2010-11	2010-11	-	2011-12 से 2012-13	दो वर्ष
16.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, रेवाड़ी	-सम-	-	-	-	1996-97 से 2012-13	17 वर्ष
17.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, रोहतक	-सम-	-	-	-	1996-97 से 2012-13	17 वर्ष
18.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, सोनीपत	-सम-	-	-	-	1996-97 से 2012-13	17 वर्ष
19.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, यमुनानगर	-सम-	2011-12	2011-12	-	2012-13	एक वर्ष

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (31 अगस्त 2013 तक)
20.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, हिसार	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2011-12	2011-12	-	2012-13	एक वर्ष
21.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, नारनौल	-सम-	2009-10	2009-10	-	2010-11 से 2012-13	तीन वर्ष
22.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, सिरसा	-सम-	2010-11 एवं 2012-13	2010-11 एवं 2012-13	-	2011-12	दो वर्ष
23.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, अम्बाला	-सम-	2012-13	2012-13	-	-	-
24.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, जींद	-सम-	2010-11	2010-11	-	2011-12 से 2012-13	दो वर्ष
25.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, करनाल	-सम-	2007-08	2007-08	-	2008-09 से 2012-13	पांच वर्ष
26.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, कुरूक्षेत्र	-सम-	2007-08	2007-08	-	2008-09 से 2012-13	पांच वर्ष
27.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, मेवात	-सम-	-	-	-	2009-10 से 2012-13	चार वर्ष
28.	हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़	2009-10 से 2013-14	2012-13	2011-12	2011-12	-	

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भः अनुच्छेद 3.4; पृष्ठ 49)

विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्ध–वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखाओं के अन्तिमकरण एवं सरकारी निवेश की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	विभाग	विभाग के अधीन उपक्रम/स्कीमों के नाम	तक लेखे अन्तिमकृत किए गए	अन्तिमकृत गत लेखाओं के अनुसार निवेश (₹ करोड़ में)	लेखाओं को तैयार करने में विलम्ब हेतु टिप्पणियां/कारण
1.	कृषि	बीज डिपो स्कीम[1]	1988-89	-	1988–89 के लिए लेखे लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किए गए।
2.	कृषि	पीड़कनाशियों का क्रय एवं वितरण	1986-87	0.82	1986–87 के बाद स्कीम सहकारिता विभाग/समिति को हस्तांतरित कर दी गई।
3.	मुद्रण एवं स्टेशनरी	राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कीम	2007-08	17.97	विलम्ब सटाफ की कमी के कारण हुआ।
4.	खाद्य एवं आपूर्ति	अनाज आपूर्ति स्कीम	2012-13	5,439.92	-
5.	परिवहन	हरियाणा रोडवेज	2009-10	678.74	विलम्ब सटाफ की कमी के कारण हुआ।
कुल				**6,137.45**	

[1] ये स्कीमें 1986–87 (पीड़कनाशियों का क्रय एवं वितरण) तथा 1984–85 (बीज डीपो स्कीम) से बंद हैं।

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भः अनुच्छेद 3.5; पृष्ठ 50)

दुरूपयोग, गबन इत्यादि, जहां अन्तिम कार्रवाई 30 जून 2014 को लम्बित थी, के मामलों का विभाग–वार/अवधि–वार विघटन

(कोष्ठक में आंकड़े इंगित करते हैं ₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	5 वर्षों तक	5 से 10 वर्ष	10 से 15 वर्ष	15 से 20 वर्ष तक	20 से 25 वर्ष तक	25 वर्ष तथा अधिक	कुल
1	पशुपालन	-	1 (6.5)	-	1 (2.91)	2 (0.31)	-	4 (9.72)
2	शिक्षा	1 (0.50)	5 (2.96)	8 (5.74)	6 (5.39)	3 (1.65)	5 (1.63)	28 (17.87)
3	लोक सम्पर्क	-	1 (4.23)	-	-	-	-	1 (4.23)
4	वन विभाग	-	-	6 (9.27)	1 (2.13)	2 (0.71)	6 (1.11)	15 (13.22)
5	चिकित्सा	-	2 (2.03)	1 (0.01)	1 (1.50)	2 (11.92)	-	6 (15.46)
6	तकनीकी शिक्षा	-	3 (4.36)	9 (30.88)	-	-	1 (0.03)	13 (35.27)
7	राजस्व विभाग	-	-	1 (9.28)	-	-	-	1 (9.28)
8	पुलिस	1 (13.99)	1 (3.78)	-	-	-	-	2 (17.77)
9	खेल एवं युवा कल्याण	-	-	1 (0.87)	-	-	-	1 (0.87)
10	महिला एवं बाल कल्याण	1 (0.00)	-	-	-	-	-	1 (0.00)
11	परिवहन	-	1 (0.36)	1 (3.17)	-	-	1 (0.60)	3 (4.13)
12	भवन एवं सड़कें	1 (0.00)	1 (0.00)	-	-	-	-	2 (0.00)
13	जन–स्वास्थ्य	9 (11.39)	2 (8.00)	-	-	-	-	11 (19.39)
14	सिंचाई	4 (0.00)	13 (7.00)	7 (1.50)	4 (0.24)	10 (1.03)	11 (1.28)	49 (11.05)
कुल		**17 (25.88)**	**30 (39.11)**	**34 (60.72)**	**13 (12.17)**	**19 (15.62)**	**24 (4.65)**	**137 (158.26)**

अर्थात् ₹ 1.58 करोड़

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भः अनुच्छेद 3.5; पृष्ठ 50)

सरकारी सामग्री की चोरी तथा दुरूपयोग/हानि के मामलों के विभाग/श्रेणीवार विवरण

(₹ लाख में)

विभाग का नाम	चोरी के मामले		सरकारी सामग्री का दुरूपयोग/हानि		योग	
	मामलों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
पशुपालन	2	9.41	2	0.31	4	9.72
शिक्षा	21	14.74	7	3.13	28	17.87
लोक सम्पर्क	1	4.23	-	-	1	4.23
वन विभाग	3	4.70	12	8.52	15	13.22
चिकित्सा	1	0.01	5	15.45	6	15.46
तकनीकी शिक्षा	11	23.64	2	11.63	13	35.27
राजस्व विभाग	--	--	1	9.28	1	9.28
परिवहन विभाग	1	0.36	2	3.77	3	4.13
खेल एवं युवा कल्याण	1	0.87	--	--	1	0.87
पुलिस	--	--	2	17.77	2	17.77
महिला एवं बाल कल्याण	1	0.00	--	--	1	0.00
भवन एवं सड़कें	2	0.00	--	--	2	0.00
जन-स्वास्थ्य	8	10.36	3	9.03	11	19.39
सिंचाई	37	10.50	12	0.55	49	11.05
कुल	**89**	**78.82**	**48**	**79.44**	**137**	**158.26**

अर्थात् ₹ 1.58 करोड़

शब्दावली

पारिभाषिक शब्दावली

राजस्व प्राप्तियां

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा तथा भा.स. से सहायतानुदान शामिल हैं।

पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे कि विनिवेश से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) से ऋण प्राप्तियां तथा भा.स. से ऋणों एवं अग्रिमों के साथ लोक लेखा से उपार्जन शामिल हैं।

राज्य कार्यान्वयन एजेंसीज

राज्य कार्यान्वयन एजेंसीज में गैर-सरकारी संगठनों सहित ऐसे संगठन/संस्थाएं शामिल होते हैं जो राज्य में विशेष कार्यक्रमों, को कार्यान्वित करने हेतु भारत सरकार से निधियां प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किये जाते हैं। जैसे सर्व शिक्षा अभियान (स.शि.अ.) के लिए राज्य कार्यान्वयन सोसायटी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य मिशन इत्यादि।

उत्प्लावकता अनुपात

उत्प्लावकता अनुपात, मूल परिवर्ती में दिये गये परिवर्तन के संबंध में वित्तीय परिवर्ती की लचक अथवा उत्तरदायित्वता की डिग्री इंगित करता है। उदाहरणार्थ 0.5 पर राजस्व उत्प्लावकता सूचित करती है कि यदि स.रा.घ.उ. एक प्रतिशत तक बढ़ता है तो राजस्व प्राप्तियां 0.5 प्रतिशतता प्वाइंट्स तक बढ़ जायेगी।

कोर पब्लिक गुड्स

कोर पब्लिक गुड्स वे हैं जिनका सभी नागरिक एक साथ इस समझ के साथ लाभ उठाते हैं कि ऐसी वस्तु की प्रत्येक व्यक्ति द्वारा खपत उस वस्तु की अन्य व्यक्ति द्वारा की जाने वाली खपत को कम नहीं करती उदाहरणार्थ कानून एवं व्यवस्था का लागू करना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव; प्रदूषण रहित वायु और अन्य पर्यावरणीय वस्तुएं एवं सड़क मूलभूत संरचना आदि।

मैरिट गुड्स

मैरिट गुड्स वे आवश्यक वस्तुएं हैं जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र मुफ्त अथवा रियायती दरों पर प्रदान करता है क्योंकि योग्यता और सरकार को अदा करने की इच्छा के बजाय वे प्रत्येक व्यक्ति या समाज को उनकी जरूरत की धारणा के आधार पर प्राप्त होनी चाहिए ऐसी वस्तुओं के उदाहरण में पोषण के प्रोत्साहन हेतु गरीबों को मुफ्त अथवा सब्सिडाइजड आहार का प्रबन्ध और रूग्णता को कम करने एवं जीवन स्तर में सुधार के लिये स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदानगी, सबको मौलिक शिक्षा, पेयजल और स्वच्छता आदि प्रदान करना शामिल है।

विकास व्यय

व्यय आंकड़े का विश्लेष ा विकास एवं गैर-विकास व्यय में बांटा गया है। राजस्व लेखे, पूंजीगत परिव्यय और ऋण एवं अग्रिम से सम्बन्धित सभी व्ययों को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं तथा सामान्य सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है। मोटे तौर पर, सामाजिक और आर्थिक सेवाएं, विकास व्यय का हिस्सा हैं, जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय को गैर-विकास व्यय समझा जाता है।

ऋण पोषण सक्षमता

ऋण पोषण सक्षमता, काफी समय तक लगातार ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात कायम रखने के लिए राज्य की योग्यता और अपने ऋणों की पूर्ति करने की योग्यता के मामले को सम्मिलित करके परिभाषित किया गया है। इसलिए ऋण पोषण सक्षमता वर्तमान या प्रतिबद्ध दायित्वों की पूर्ति के लिये अस्थिर परिसंपत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधारों की लागत एवं ऐसे उधारों से प्रतिलाभ के मध्य संतुलन बनाने की क्षमता को भी परिभाषित करता है। इससे अभिप्राय है कि राजकोषीय घाटे की बढ़ोतरी, ऋण की पूर्ति की क्षमता में वृद्धि से मेल खानी चाहिए।

ऋण स्थिरीकरण

स्थिरीकरण की आवश्यक शर्त बताती है कि यदि अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी दर ब्याज दर या सार्वजनिक उधारों की लागत से बढ़ जाती है, ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर रहता है, बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य या धनात्मक है या संयमित ऋणात्मक है। दिये गये दर प्रसार (स.रा.घ.उ. बढ़ोतरी दर-ब्याज दर) और प्रमात्रा प्रसार (ऋण x दर प्रसार), ऋण पोषण क्षमता शर्ते बताती हैं कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ प्रमात्रा प्रसार शून्य हो तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर रहेगा या ऋण अन्ततोगत्वा स्थिर हो जाएंगे। दूसरी ओर, यदि प्रमात्रा प्रसार के साथ प्राथमिक घाटा, ऋणात्मक में बदल जाता है तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात वृद्धि पर होगा। इसके धनात्मक होने के मामले में, ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात अन्ततोगत्वा गिरेगा।

गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता

राज्य की वर्धित गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता वर्धित ब्याज देयताओं और वर्धित प्राथमिक व्यय को आवृत करने से है। ऋण पोषण क्षमता को महत्वपूर्ण ढंग से सहायता मिलेगी यदि वर्धित गैर-ब्याज प्राप्तियां, वर्धित ब्याज भार और वर्धित प्राथमिक व्यय की पूर्ति कर दें।

उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता

कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण माफी (मूलधन जमा ब्याज अदायगियां) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है और उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता को इंगित करते हुये उस सीमा को इंगित करता है जिसमें ऋण प्राप्तियों को ऋण माफी में उपयोग किया जाता है।

प्राथमिक राजस्व व्यय

प्राथमिक राजस्व व्यय से अभिप्राय ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व व्यय से है।

संकेताक्षरों की शब्दावली

अ.भा.औ.	अखिल भारतीय औसत
अ.यो.	अनुमोदित योजना
आ.सा.	आकस्मिक सार
आ.वा.ला.	आपूर्ति की वास्तविक लागत
उ.प्र.प.	उपयोगिता प्रमाण-पत्र
उ.ह.बि.वि.नि.लि.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
ऋ.स. व रा.सु.	ऋण समेकन एवं राहत सुविधा
औ.प्र.सं.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
क.श. तथा श.	कर्तव्य, शक्तियां तथा शर्तें
कु.व्य.	कुल व्यय
कु.त.एवं वा.	कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक
गै.स.सं.	गैर सरकारी संगठन
जि.ग्रा.वि.अ.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
ज.ने.रा.श.न.मि.	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन
डिस्कॉमज	वितरण कंपनियां
ते.वि.आ.	तेरहवां वित्त आयोग
द.ह.बि.वि.नि.लि.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड़
प. व अ.	परिचालन एवं अनुरक्षण
प.प्रा.पा.	पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप
पं.रा.सं.	पंचायती राज संस्थान
प्र.म.ले.	प्रधान महालेखाकार
प्र.सू.प्र.	प्रबंधन सूचना प्रणाली
पूं.व्य.	पूंजीगत व्यय
पूं.प.	पूंजीगत परिव्यय
पूं.प्रा.	पूंजीगत प्राप्तियां
पृ.ले.प.प्र.	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
ब्या.भु.	ब्याज भुगतान
ब.अ.	बजट अनुमान
भा.स.	भारत सरकार
भा.नि.म.ले.प.	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
भा.रि.बैं.	भारतीय रिजर्व बैंक
म.ले.	महालेखाकार
म.वि.का.	मरूस्थल विकास कार्यक्रम
म.अ.रा.नी.वि.	मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरणी
मू.व.क.	मूल्य वर्धित कर
यो.रा.व्य.	योजनागत राजस्व व्यय
यो.रा.व्य.	योजनेतर राजस्व व्यय
यो.रा.प्रा.	योजनेतर राजस्व प्राप्तियां
रा.सु.प.	राजकोषीय सुधार पथ

रा.दा. व ब.प्र.अ.	राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005
रा.अ.अ.फ.	राज्य आपदा अनुग्रहीम फंड
रा.प्रा.	राजस्व प्राप्तियां
रा.व्य.	राजस्व व्यय
रा.वि.ऋ.	राज्य विकास ऋण
रा.स्त.मॉ.स.	राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग समिति
रि.वा.द.	रिटर्न की वार्षिक दर
ले. व हक.	लेखा व हकदारी
लो.उ.स.	लोक उपक्रम समिति
व्य.ले.ले.	व्यक्तिगत लेजर लेखे
व.ले.कं.	वाऊचर लेवल कंप्यूटरीकरण
वि.प्र.आ.	विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक
वि.व्य.	विकास व्यय
वि.पु.प्ला.	वित्तीय पुनः स्थापन प्लान
वे. व म.	वेतन एवं मजदूरी
ह.वि.उ.नि.लि.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
ह.वि.प्र.नि.लि.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
स्टे.बैंऑ.इं.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
स.घ.उ.	सकल घरेलू उत्पाद
स.रा.घ.उ.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
सं.अ.	संशोधित अनुमान
स.ग्रा.रो.यो.	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
सा.क्षे.व्य.	सामाजिक क्षेत्र व्यय